राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] ग्यारहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का बत्तीसवां दिवस [संख्या : 19

गुरुवार

22 अप्रेल, 1999

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : श्री रेवन्त राम पंवार।

तारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर विकास प्राधिकरण में सहायक निरीक्षकों की पदोन्नति

521. श्री रेवन्त राम पंवार (नोखा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भंग नगर विकास न्यास, जयपुर में सहायक निरीक्षकों के पद सृजित थे एवं उन पर कर्मचारी पदस्थापित थे ? यदि हां, तो क्या उन्हें जयपुर विकास प्राधिकरण में उचित चैनल से पदोन्नति दी गयी ? पदोन्नति की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण के गठन के पश्चात अब कोई ऐसे भी सहायक निरीक्षक शेष हैं, जिन्हें अभी तक निरीक्षक/प्रवर्तन अधिकारी के पदों पर पदोन्नति नहीं दी गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या प्राधिकरण शेष बचे लोगों की पदोन्नति करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शांतिकुमार धारीवाल) : (1) जी हां। भंग नगर विकास न्यास, जयपुर में सहायक निरीक्षकों के पद सृजित थे एवं उन पर कर्मचारी भी पद स्थापित थे। किन्तु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उन्हें पदोन्नति नहीं दी गयी।

(2) जी हां। प्राधिकरण के गठन के पश्चात श्री प्रदीपसिंह एवं श्री महमूद खां, सहायक निरीक्षक को पदोन्नति दिया जाना शेष है। प्रवर्तन शाखा में पदोन्नति के चैनल बाबत अधिसूचना दिनांक 12-6-96 को जारी किये जाने के पश्चात ही पदोन्नति हेतु चैनल उपलब्ध हो पाये। परन्तु पदोन्नति इसलिए नहीं दी गयी क्योंकि निरीक्षक के पद रिक्त नहीं थे।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

(3) जी हां। प्राधिकरण के विनियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण कर शीघ्र पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर ली जाएगी।

श्री रेवन्त राम पंवार : माननीय मंत्री महोदय के जवाब से संतुष्ट होता हूं; उसके उपरांत भी मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जब 12-6-96 को अधिसूचना द्वारा पैनल तैयार हो गया तो उसके बाद आज तक इनकी पदोन्नति क्यों नहीं की गयी ?

दूसरा, जवाब में बताया कि आगे पैनल तैयार हो गया इसलिए पदोन्नति कर दी जाएगी, लेकिन 21-1-98 के अनुसार 5 पद एन्फोर्समेंट आफिसर्स के भर दिये गये। जिससे इंसपेक्टर के पद रिक्त हो गये। 21-1-98 के बाद 21-1-99 चला गया उसके बावजूद भी इनकी पदोन्नति क्यों नहीं की गयी, इसका उत्तर दें ?

प्रदीपसिंह और महमूद खां के साथ सरकार द्वारा ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया गया जबकि इनकी 24 साल की सर्विस हो गयी और इनको एक भी पदोन्नति नहीं दी गयी ?

तीसरा, मंत्री महोदय से यह भी पूछना चाहूंगा कि क्या इनको अब 1992 की पहली पदोन्नति और 1997 की, दूसरी दोनों देने का विचार रखते हैं ? कृपया बताएं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, भंग नगर विकास न्यास में सहायक निरीक्षक के 5 पद थे जिनमें से 4 पदों पर व्यक्ति कार्य कर रहे थे और एक पद रिक्त था। माननीय सदस्य जिन दो सहायक निरीक्षकों के लिए बोल रहे हैं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उनको प्रमोशन इसलिए नहीं दिया गया कि इंस्पैक्टर्स की कोई जगह खाली नहीं थी, रिक्त स्थान होने पर ही उनकी पात्रता बनती थी। पात्रता रहते हुए भी उनको पदोन्नत इसलिए नहीं किया जा सकता था, जैसा मैंने बताया कि रिक्त स्थान नहीं थे। डी.पी.सी. हुई 21-1-98 को, उस डी.पी.सी. में 5 इंस्पैक्टर्स को पदोन्नत किया गया एन्फोर्समेंट आफिसर्स के पदों पर। अब ये पांच जो पद खाली हुए हैं, मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि अब भी डी.पी.सी. बैठेगी इन पर गुण व दोष के आधार पर विचार कर लिया जाएगा पदोन्नति के लिए।

श्री रेवन्त राम पंवार : क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि एन्फोर्समेंट आफिसर्स के जो पद होते हैं वे किस प्रक्रिया से भरे जाते हैं ? 60 परसेंट मेरी नालेज के हिसाब से डाइरेक्ट लेते हैं प्रतिनियुक्ति पर पुलिस विभाग से और 40 परसेंट विभागीय पदोन्नति से लेते हैं। इसका भी खुलासा करें और 40 परसेंट में इनको पदोन्नति दे दी जाएगी; यह आश्वस्त करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एंफोर्समेंट आफिसर्स के पदों पर 60 परसेंट तो प्रमोशन पर भरे जाते हैं और 40 परसेंट डेपुटेशन से भरे जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

हाट मिक्स प्लाण्ट मंडौली (भरतपुर)

522. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हाट मिक्स प्लांट डालने से पूर्व पर्यावरण विभाग की स्वीकृति आवश्यक है ?

(2) क्या सेवर बाई पास रोड, मंडौली गांव के पास कोई हाट मिक्स प्लांट स्थापित है ? यदि हां, तो उक्त प्लांट कब स्थापित किया गया ?

(3) क्या उक्त प्लांट से गांव के विद्यालयों के बच्चों तथा गांव के लोगों में क्षय रोग की बीमारी हो रही है ? क्या अब उक्त प्लांट को हटाया जाएगा ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण (श्री भगराज चौधरी) : (1) जी हां। ऐसे प्लांटों की स्थापना से पूर्व एवं संचालन हेतु वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की सम्मति लेना आवश्यक है।

(2) जी हां। सेवर बाई पास रोड, मंडौली गांव के पास मैसर्स सिंघल बिल्डर्स का एक हाट मिक्स प्लांट ग्राम नंगला झीलरा में स्थापित है। उक्त प्लांट प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग तीन वर्ष पूर्व स्थापित किया गया है।

(3) उक्त प्लांट से गांव के विद्यालय के बच्चों तथा गांव के लोगों में क्षय रोग होने की कोई अधिकृत सूचना नहीं मिली है।

उक्त प्लांट को स्थापित कर चालू करने से पूर्व कोई सम्मति नहीं ली गयी है, अतः उक्त प्लांट को हटवाने हेतु वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

श्री आर. पी. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न है, क्या सही है कि हाट मिक्स प्लांट डालने से पूर्व पर्यावरण विभाग की स्वीकृति आवश्यक है ? मैं माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि भरतपुर में जहां राष्ट्रीय घना अभयारण्य है उसके साथ साथ पास ही ताज की वजह से सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि कोई भी उद्योग जिसमें पोल्यूशन होता है वह बिना प्रदूषण मण्डल की अनुमति के स्थापित नहीं हो सकता।

आपने यह कहा है कि नियंत्रण मण्डल की सहमति लेना आवश्यक है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कि क्या फर्म

(श्री आर. पी. शर्मा)

द्वारा प्लांट स्थापना से पूर्व पर्यावरण विभाग से कोई स्वीकृति प्राप्त की गयी ? यदि की गयी तो कब ली गयी, उसकी दिनांक तथा किसके द्वारा स्वीकृत किया गया, वह बताएं, नम्बर वन ?

नम्बर टू; यदि नहीं ली गयी तो पर्यावरण विभाग ने तीन वर्षों तक प्लांट को क्यों चलने दिया ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं। इस पर माननीय मंत्री जी कह चुके हैं। मंत्रीजी ने उत्तर के भाग तीन में कह दिया है कि अनुमति नहीं ली गयी थी।

श्री आर. पी. शर्मा : नहीं; यह नहीं कहा है। इन्होंने कहा है सहमति लेना आवश्यक है। यह नहीं लिखा है कि ली या नहीं ली। प्लांट के बारे में नहीं लिखा है, सर।

इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि यदि नहीं ली गयी तो प्लांट को स्थापित क्यों होने दिया इन्होंने ?

श्री अध्यक्ष : कि उक्त प्लांट को चालू करने के पूर्व कोई सहमति नहीं ली गयी है।

श्री आर. पी. शर्मा : नहीं; यह नहीं है वह। लेना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : नहीं ली गयी है।

श्री आर. पी. शर्मा : दूसरे की ये कह रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन है मेरा। तो पर्यावरण विभाग ने इस प्लांट को क्यों लगने दिया ? अगर प्लांट लग गया तो उस फर्म के विरुद्ध और जो कन्सर्न्ड अधिकारी हैं, जिन्होंने इस प्लांट की स्वीकृति दे दी; 5 साल से चल रहा है 3 साल से नहीं, उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे ? और यह प्लांट कब तक बंद कर दिया जाएगा ?

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि यह हाट मिक्स प्लांट लगा उससे पहले उन्होंने इसको चालू करने के लिए और स्थापित करने के लिए वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से किसी प्रकार की परमिशन नहीं ली है और इसीलिए इस प्लांट को हटाने के लिए कार्यवाही की जा रही है, नम्बर एक।

नम्बर दो, चूंकि काफी लम्बे समय से यह चला हुआ बताया जाता है और सड़क के किनारे पर लगा हुआ है, यह बात सही है, फिर भी पोल्यूशन नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों जिनका पदस्थापन भरतपुर में किया गया है, उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण से उनके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है, मैं कार्यवाही करने का आदेश दे रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो सवाल पूछना चाहता

(मोहम्मद माहिर आजाद)

हूं। आपने एक बात यह कही कि इस प्लांट से स्कूल के बच्चों को और आसपास के ग्रामीणों को क्षय रोग या किसी तरह की कोई बीमारी होना नहीं पाया गया। क्या आपने इसके लिए कोई जांच या सर्वे कराया है? यदि कराया है तो कब कराया? उसकी रिपोर्ट सदन पटल पर रखें।

दूसरा आप कह रहे हैं कि कुछ नुकसान नहीं हुआ। रोड पर यह मिक्स प्लांट लगा हुआ है, कई पशु उस डामर में कई बार धंसे हैं, ग्रामीणों ने शिकायत की है उसके बावजूद उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। बिना इजाजत के लगना आप स्वीकार कर रहे हैं और उसके बावजूद आपने हटाने की कार्यवाही नहीं की तो मेरा प्रश्न स्पेसिफिक है।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न स्पेसिफिक पूछें।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है।

श्री अध्यक्ष : स्पेसिफिक प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : कि आपने लिखा है कि क्षय रोग या किसी तरह की बीमारी होना नहीं पाया गया तो मैं जानना चाहता हूं कि आपने इसके लिए कोई जांच या रिपोर्ट करायी है तो वह रिपोर्ट आप बताएं।

श्री अध्यक्ष : यह पूछ लिया है आपने।

श्री मगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह प्लाण्ट बिना नियमानुसार कार्यवाही किये और स्थापित करने और संचालन करने के लिये परमीशन लिये बिना ही चालू कर दिया गया है, जैसा मैंने निवेदन किया, सख्त से सख्त कार्यवाही जो भी होगी...

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, यह मेरा सवाल नहीं है। स्पेसिफिक प्रश्न जब आसन कह रहा है, मैं पूछ रहा हूं, आपने अपने उत्तर में यह बात कही....

श्री अध्यक्ष : आप इधर चेयर की तरफ देखिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्षजी, आपके माध्यम से ही पूछा है और आपने भी फालो किया। मेरा तो स्पेसिफिक प्रश्न यह है, माननीय मंत्रीजी ने अपने उत्तर में खण्ड 3 में यह कहा है कि स्कूलों के बच्चों और ग्रामीणों को कोई बीमारी या किसी तरह के लक्षण होना नहीं पाया गया है। इसके लिये क्या आपने कोई जांच और सर्वे कराया है? कराया है तो किसके द्वारा कराया? इसकी रिपोर्ट आप बता दें।

श्री मगराज चौधरी : हमारे पास इस प्रकार की कोई अधिकृत जानकारी नहीं मिली है जिसके आधार पर यह कहा जा सके। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सुनो तो सही। सवाल इनसे है, आपसे थोड़े ही है ?

श्री भगराज चौधरी : न तो ग्रामीणों ने इस प्रकार की कोई रिपोर्ट दर्ज की, न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस प्रकार की रिपोर्ट पेश की और न जिला प्रशासन के द्वारा इस प्रकार की कोई जानकारी हमें दी गयी है। हमने प्रश्न पूछे जाने के पश्चात जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, मगर दुर्भाग्य से किसी भी एजेन्सी के माध्यम से हमें इस प्रकार की जानकारी नहीं मिली है कि इस प्रकार की बीमारी फैली है या इस प्रकार की कोई बात है।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, किससे जानकारी मांगी है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। खूब शिकायतें की हैं। आप तो वह बताइये ना, आपने किससे जानकारी प्राप्त की है।

श्री भगराज चौधरी : विभाग से मांगते हैं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से पूछते हैं, जिला प्रशासन से जानकारी प्राप्त की है। सभी प्रकार की जो एजेंसीज हैं... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आपने जांच के लिये कोई चिट्ठी लिखी ? आप बताइये, कब लिखी, क्या लिखी ?

श्री भगराज चौधरी : चिट्ठी लिखने से सारा मामला होता है क्या ?

मोहम्मद माहिर आजाद : या कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी है। (व्यवधान) वन विभाग से या प्रदूषण विभाग से मांगी गयी, वे बीमारी की क्या जानकारी देंगे ? (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने के पश्चात कई बार लिखित में कारसपोंडेंस करने में समय ज्यादा लगने की सम्भावना होती है, इसलिये टेलीफोन से वार्ता भी करते हैं और टेलीफोन से वार्ता करके जानकारी मंगाते हैं। जानकारी मंगाने पर हमें इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली है।

यह देखिये, इसकी जानकारी प्राप्त की है। इसमें ऐसी कोई विभाग को जानकारी नहीं मिली है। जहां तक बिना इजाजत से इस प्लाण्ट को चालू कर दिये जाने का प्रश्न है, यह बात सही है। इसलिये इसको बंद कराने के लिये सख्त से सख्त नियमानुसार कार्यवाही शुरू की जा रही है।

श्री आर. पी. शर्मा : कब तक हो जाएगी ?

मोहम्मद माहिर आजाद : कब तक हो जाएगी ?

श्री भगराज चौधरी : अतिशीघ्र।

मोहम्मद माहिर आजाद : सवाल लोगों के जीवन का है। (व्यवधान) लोगों

(मोहम्मद माहिर आजाद)

का स्वास्थ्य दूषित हो रहा है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। और नहीं तो फिर, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सारी बात छोड़िये मंत्रीजी एक बात तो कहें कि अब हम उनको जानकारी उपलब्ध करा देंगे कि इन लोगों में इंफेक्शन पाया गया और यह नुकसान हुआ है। तब ये क्या कार्यवाही करेंगे, यह बता दें।

श्री मगराज चौधरी : इस प्लाण्ट को बंद कराने के लिये एक कारण बताओ नोटिस 26-3-99 को दे दिया गया है और उनका संतोषप्रद जवाब अभी तक नहीं आया है। इसलिये इस प्लाण्ट को बंद किये जाने की पुख्ता, पक्की कार्यवाही की जा रही है।

श्री आर.पी.शर्मा : कब तक बंद करा देंगे ?

मोहम्मद माहिर आजाद : कब तक हो जाएगी ? (व्यवधान) नहीं, कब तक करा देंगे ? क्योंकि, अध्यक्ष महोदय, 5 साल से चल रहा है, अवैध रूप से चल रहा है, बिना इजाजत चल रहा है। आप स्वीकार कर रहे हैं, फिर बंद कब तक करा देंगे, यह बता दें।

श्री मगराज चौधरी : नियमानुसार प्रक्रिया को पूरा करने के पश्चात प्लांट को शीघ्र बन्द करवा दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्षजी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आप कानून के बहुत ज्ञाता हैं, तो क्या बिना आज्ञा के कोई प्लांट लगा दिया जाए उसमें बन्द कराना ही सफिसिएण्ट है या उस एक्ट में कोई पैनल प्रोविजंस भी हैं जो आपको करने चाहिए थे, एक बात ? जिन अधिकारियों की ड्यूटी थी, प्रश्न पूछने के बाद तो आप सब कर रहे हैं लेकिन जिन अधिकारियों की ड्यूटी थी इस प्रकार का एक्शन लेने की, उन्होंने आपको क्या सूचना दी और उनके खिलाफ आपने अभी तक क्या कार्यवाही की।

प्रश्न पूछने के बाद, तो आप उसको बंद करेंगे लेकिन बंद करने के अलावा भी उसके ऊपर कोई पैनल प्रोविजंस आपके कानून में हैं कि नहीं हैं ? उनकी अनुपालना क्यों नहीं की ?

श्री मगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किये हैं बहुत वाजिब प्रश्न किये हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा वहां पर लगाया गया है इस प्रकार के कार्य को नियंत्रित करने के लिये, उसके द्वारा इस प्रकार की कोई कार्यवाही लम्बे समय से नहीं किये जाने के कारण से उसके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है, कार्यवाही करने के बारे में मैंने जैसा निवेदन किया, मैं आदेश दे चुका हूं और जो भी कार्यवाही हो सकती है, पुख्ता तौर से मैं करूंगा, नंबर एक।

(श्री भगराज चौधरी)

दूसरा, जैसा आपने कहा कि न प्लांट लगाये जाने से पहले परमीशन ली गयी और न संचालित करने के लिये परमीशन ली गयी, यह बात सही है। इसलिये नियमानुसार जो कार्यवाही बंद करने की की जा सकती है वह तो मैं कर ही रहा हूं लेकिन इसके साथ-साथ मान लो, कोई पैनल प्रावधान होने के कारण से भी कोई एक्शन लिया जा सकता है तो मैं कानून के दृष्टिकोण से इसको एक्जामिन करवाकर उस दिशा में भी अगर कोई कार्यवाही की जा सकती है तो मैं करने की चेष्टा करूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : समय का क्या प्रावधान है ? (व्यवधान) एक जीप में प्रदूषण होता है उसकी अलग बात है लेकिन इतने बड़े प्लांट का क्या प्रावधान है, क्या सजा है ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन ।

प्रश्न संख्या-523

श्री मदन लाल वर्मा ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : ऊर्जा मंत्रीजी भी नहीं हैं, ऐसा तो नहीं है कि ऊर्जा मंत्री जी ले गये हों ।

श्री अध्यक्ष : कहां ले गये ? नैक्स्ट क्वेश्चन ।

प्रश्न संख्या-524

श्री खेमराज कटारा ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री आर.पी.शर्मा । शैलेन्द्रजी जोशी की तरफ से मैंने आपको अनुमति दी है ।

उपभोक्ता संघ द्वारा वस्तुओं का क्रय-विक्रय

525. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) (श्री शैलेन्द्र जोशी के स्थान पर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उपभोक्ता संघ की दुकानों पर बिकने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच किन मानदण्डों के तहत की जाती है? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि एक बार तय की गई वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच पुनः नहीं की जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) उपभोक्ता संघ की दुकानों पर विक्रय की जाने वाली वस्तुओं की खरीद की क्या प्रक्रिया है ? उक्त खरीद किसके द्वारा एवं किस आधार पर की जाती है ?

(4) क्या उक्त खरीद में ग्राहकों की मांग को भी ध्यान में रखा जाता है ? यदि

(श्री आर. पी. शर्मा)

नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त दुकानों पर अच्छी गुणवत्ता का साबुन भी उपलब्ध करवाने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री परसादी लाल मीणा) : (1) गुणवत्ता की जांच के कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं हैं।

(2) यद्यपि गुणवत्ता के कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं हैं, परन्तु सन्देह होने एवं शिकायत प्राप्त होने पर जांच अवश्य की जाती है।

(3) उपभोक्ता संघ ने अपनी क्रय प्रक्रिया बनाई हुई है जिसकी प्रति संलग्न है। क्रय—प्रक्रिया के तहत अधिकृत क्रय समिति द्वारा बाजार भाव एवं वस्तु की गुणवत्ता व ग्राहकों की मांग को मद्देनजर रखते हुए खरीद की जाती है।

(4) जी हां। उपभोक्ता संघ की दुकानों पर साबुन के सभी अच्छे ब्रांड विक्रय हेतु उपलब्ध हैं, यथा-लक्स, हमाम, रैक्सोना पामोलिव, संतूर, प्रीमियम, पियर्स कैमे, सिथोल आदि।

(प्रक्रिया की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री आर. पी. शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि गुणवत्ता की जांच का कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माल खरीदने से पहले आपके मानदण्ड क्या हैं, किस आधार पर आप माल खरीदते हैं, कौनसी क्वालिटी है, उस क्वालिटी में किससे खरीदेंगे, इस बारे में आपने कोई जिक्र नहीं किया है।

साथ ही साथ आपने कहा है कि सन्देह होने पर, शिकायत प्राप्त होने पर हम जांच करते हैं। तो कितनी बार, कितनी शिकायतें आपको पिछले वर्षों में प्राप्त हुईं और उन शिकायतों में कितनी जांच में गुणवत्ता खराब पाई गयी, अच्छी पाई गयी, क्या आपके पास कोई रिपोर्ट है ?

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा गुणवत्ता की जांच के बारे में, इसकी शिकायत विभाग को अब तक कोई नहीं मिली है। हमारी जो क्रय प्रक्रिया है, हम खुदरा व्यापारियों से सामान नहीं खरीदते हैं। स्टाकिस्ट या जो बड़े व्यापारी होते हैं, जिनके पास स्टाक होता है, बाजार में अच्छे कम्पीटीशन से, अच्छी कम्पनियों से सामान खरीदते हैं। जब हमारे पास अच्छा माल होगा तभी हमारे पास उपभोक्ता आएगा। यदि हमारे पास माल मार्केट से हल्की क्वालिटी का होगा तो हमारे भण्डार पर कोई खरीदने नहीं आएगा।

इसलिये अच्छी क्वालिटी के सामान हम मार्केट से खरीदते हैं। जब उपभोक्ता को हमारे पास से फायदा होगा तो हमारे पास खरीदने आएगा। कोई शिकायत इस तरह की उपभोक्ताओं की नहीं आयी है इसलिये हमने कोई जांच नहीं करवाई है। यदि कोई शिकायत आएगी तो हम जांच कराने को तैयार हैं।

श्री आर. पी. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं साफ प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि क्या पिछले 3 वर्षों में क्वालिटी के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ? जिन्होंने यह प्रश्न पूछा है श्री शैलेन्द्रजी जोशी, वे यहां पर हैं नहीं; उनका यह कहना है कि पिछले समय में बार-बार आर.सी.सी.एफ. में इस बात के लिये शिकायतें आती रही हैं कि माल खराब खरीदा गया है । मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि आपके पास जो स्टाक है, उस स्टाक में जो पुराना माल है, वह यूजेबल नहीं है, उसमें डेड स्टाक है । क्या आप इस बात की गारन्टी देते हैं कि 31-3-98 को या 31-3-99 को जो स्टाक है; वह पूर्ण स्टाक क्वालिटी सहित है ? उसमें कोई खराब माल नहीं है, कोई खराब माल नहीं खरीदा गया, मंत्रीजी, यह कहने में आप सक्षम हैं क्या ? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप कृपया जांच करवाएं ।

मैं आपको निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि इस तरह का माल खरीदा गया है जिसकी क्वालिटी खराब है जिसकी सेल्स वैल्यू बिलकुल नहीं है । क्या आप जांच करवाने की कृपा करेंगे कि स्टाक सर्विसेबल है; यूजेबल है, उसकी मार्केट वैल्यू पूरी है ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सहकारिता मंत्री) : माननीय सदस्य, कौन-कौन से आइटम की क्वालिटी खराब है और किसने शिकायत की, यह बता दें तो मैं जांच कराने को तैयार हूं ।

श्री आर. पी. शर्मा : आप यह कह रहे हैं कि आपका पूरा माल सही है, क्या आप इस बात के लिये सर्टिफिकेट दे रहे हैं ?

क्या आप इस सदन को यह बात कह रहे हैं कि उसमें कोई भी माल खराब नहीं हुआ ? आप यह कह सकते हैं कि 'पूरा माल सही है ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप स्पेसिफिक प्रश्न पूछिये दवाइयों के बारे में पूछना चाहते हैं, दालों के बारे में पूछना चाहते हैं; कण्ट्रोल आइटम्स के बारे में पूछना चाहते हैं, किस आइटम के बारे में पूछना चाहते हैं ? प्रश्न तो स्पष्ट कर दें ताकि मैं उसके आधार पर उसका उत्तर दे सकूं ।

श्री आर. पी. शर्मा : जनरल सर्विसेज के गुड्स हैं, मेडीसन्स हैं, उसमें टाइम बार्ड मेडीसन्स भी हैं । जो हमारा जनरल स्टाक है उसमें भी टाइमबार्ड स्टाक है अपने पास जो यूजेबल नहीं है । क्या आप इसकी जांच कराकर इस बात की संतुष्टि करेंगे कि हमारे पास माल खराब नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : स्पेसिफिक प्रश्न ही पूछिये ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, जहां तक दवाइयों का सवाल है; कम्पनी से जो होल सेल एजेन्ट हैं उनसे एक एग्रीमेंट होता है । जो दवाइयां हमारे काम आती हैं उन दवाइयों को तो हम रखते हैं

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

और साल के अन्त में वे दवाइयां भी उनको लौटा देते हैं। डेट अगर निकल जाती है वे भी होल सेल एजेंट से हमारा एग्रीमेंट है, दवाइयां हम उनको लौटा देते हैं, यह हमारी प्रक्रिया है।

बाकी जो दालें हैं, चीनी है, बाजार में चार–पांच बड़े-बड़े स्टाकिस्ट होते हैं, एक परचेजिंग कमेटी बना रखी है, वह मार्केट में जाती है, माल को देखती है और उसके आधार पर माल परचेज करती है। अब तक का सिस्टम यह रहा है। फिर भी मैंने इस प्रश्न को देखने के बाद यह फैसला किया है कि यहां एक लेबोरेटरी है जो आई. एस. आई. मार्क की है, मैं भविष्य में दो बार माल की चैकिंग उस लेबोरेटरी के माध्यम से कराने का आदेश दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : दालों के ऊपर कैसे लगाएंगे आई. एस. आई. ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : दाल तो मिलों की आती है। जो स्टाकिस्ट हैं उनसे हम ज्यादातर पैक्ड माल ही खरीदते हैं। हम ज्यादातर पैक माल खरीदते हैं, हम कोई खुदरा माल नहीं खरीदते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री करण सिंहजी।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैंने डिबेट में भी इस बात को कहा था कि दवाइयों के मामले में जो उपभोक्ता संघ की खरीद-फरोख्त है उसमें बड़े भारी प्रश्न चिन्ह हैं। मैं सदन के ध्यान में इस बात को लेकर आया था कि खुले मार्केट में जो ग्लूकोज की बोतल तीस रुपये में बिकती है वह उपभोक्ता संघ की दुकानों में 29 रुपये में बिकती है, जिसे हम लोगों ने सवाई मानसिंह अस्पताल में लाइफ–लाइन के माध्यम से दस रुपये में बेचना शुरू किया सात रुपये में खरीद कर। उसको चालू करने के कुछ दिनों बाद उपभोक्ता संघ ने उन्हीं बोतलों को आठ आना कम करके साढ़े नौ रुपये में बेचना शुरू कर दिया। अब कहां तो वे 27 रुपये में बेच रहे थे और कहां साढ़े 9 रुपये में बेच रहे हैं। यह इतना बड़ा मुनाफे का जो गैप है यह पिछले सालों में कहां जाता रहा ?

मैं एक बड़ा सीधा प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि उपभोक्ता वस्तुओं में और दवाइयों में जो मैक्जिमम रिटेल प्राइस है यह तय कौन करता है? आप इसके बारे में मुझे बताइये कि रिटेल प्राइस हम तय करते हैं या इस रिटेल प्राइस को तय करने की कोई गवर्नमैंट एजेन्सी है ?

जहां तक मेरी जानकारी है, इन रिटेल प्राइसेस को कैमिस्ट एसोसिएशन तय करती है। वह दवा विक्रेताओं को, बड़ी कम्पनियों को कहती है कि इसके ऊपर मैक्सिमम रिटेल प्राइस अगर आप 35 रुपये लिखेंगे तो हम इस चीज को बाजार में बेचेंगे, चाहे चीज पांच रुपये की हो। जो दवा कम्पनी उस बात के लिए एग्री नहीं करती, उसकी दवा को मार्केट में नहीं आने देते।

(डा. करण सिंह यादव)

बिलकुल यही हाल उपभोक्ता वस्तुओं पर है। जिस कोलगेट ट्यूब की कीमत पर हम सत्रह रुपये या बीस रुपये लिखकर समझते हैं कि वह मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, उसमें मिनिमम रिटेल प्राइस क्यों नहीं हो सकता ? मैक्सिमम रिटेल प्राइस में टैक्स एडेड होता है और टैक्स देश में जहां सबसे ज्यादा दिया जा रहा है उस टैक्स को एड करके उसकी प्राइस की जाती है।

मेरा खास तौर पर ध्यान यही दिलाना है कि आपकी जो खरीद-फरोख्त करने वाली कमेटी है क्या उसमें दवा खरीदने वाली में कोई डाक्टर है, इस विषय का ट्रेण्ड आदमी जो फार्मेसी ट्रेण्ड हो, जो यह राय दे सके कि किस दवा की क्या कीमत हो, क्योंकि इनमें बड़ा भारी मुनाफा है ?

मैं यह जानना चाहूंगा जो मैं आपके ध्यान में लाया कि ग्लूकोज की बोतल और दवाइयों की कीमतों के बारे में कोई जांच आप करवा रहे हैं ?

दूसरा, क्या आपने खरीद-फरोख्त वाले में किसी विशेषज्ञ डाक्टर की नियुक्ति की, और नहीं, तो क्या आप भविष्य में कोई नियुक्ति करेंगे ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय एक मैं भी पूछ लूं, इसी के साथ है, अगर आपकी इजाजत हो तो ?

श्री अध्यक्ष : हां, पूछिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) : माननीय मंत्री महोदय, आपने जैसा कहा कि दवाइयां स्टाकिस्ट से लेते हैं और वर्ष के अन्त में जो नहीं बिकती है उनको वापस दे देते हैं, एक्सपाइरी डेट वालों को भी दे देते हैं, यह खतरा आप क्यों मोल लेते हैं ? वे तो उस पर लेबल लगाकर फिर किसी को भी दे देंगे। आप उन्हें डेस्ट्राय क्यों नहीं करते ? उन्हें डेस्ट्राय करना चाहिए। एक्सपायरी डेट की सारी दवाइयां आपको डेस्ट्राय करनी चाहिए बजाय उनको देने के। आप यह खतरा मोल क्यों लेते हैं ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जहां तक बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य का प्रश्न है, परचेज कमेटी में चिकित्सा विभाग के मनोनीत एक विशेषज्ञ डाक्टर को हमने रखा हुआ है और उनकी सलाह के आधार पर ही हम दवाइयां परचेज करने का फैसला करते हैं कि कौनसी कम्पनी की दवाइयां ठीक रहती हैं, कौनसी कम्पनी की ठीक रहेंगी।

इसी तरह से आयुर्वेद की जो दवाइयां खरीदते हैं उसमें भी हमने आयुर्वेद विभाग के अधिकारी को रखा हुआ है, उनकी सलाह से हम माल खरीदते हैं जहां तक....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : झुंझुनूं से।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जहां तक झुंझुनूं से आने वाले...(व्यवधान) माननीय सदस्या का प्रश्न है, मैं बोल रहा हूं। मैं

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

इतना ध्यान रखता हूं कि आप कहां से मैम्बर हैं।

श्री परसादी लाल मीणा : पिलानी से नहीं बोलेंगे।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जहां तक झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या का प्रश्न है कि जो दवाइयां टाइमबार्ड हो जाती हैं ऐसी दवाइयों को डेस्ट्राय करनी चाहिए, ऐसी दवाइयों को डेस्ट्राय करने के लिए निश्चित रूप से आपका सुझाव उचित है।

मैं विभाग को आदेश दूंगा कि ऐसी दवाइयां जो टाइमबार्ड हो गयी हैं, जिनसे हमने खरीद का एग्रीमेंट किया, उसमें यह एग्रीमेंट किया जाऐगा कि अगर वे दवाइयां टाइमबार्ड हो जाएंगी तो उन दवाइयों को हम निश्चित रूप से डेस्ट्राय करने के अधिकारी होंगे। ऐसा फैसला हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री मदन दिलावर।

कृषि उपज मंडी, कोटा का बन्द द्वार

526. श्री मदन दिलावर (अटरू) (श्री प्रताप सिंह सिंघवी के स्थान पर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि भामाशाह कृषि उपज मण्डी, कोटा द्वारा प्रस्तावित इन्द्र-प्रस्थ इण्डस्ट्रीज एरिया के रोड नम्बर 7 पर खुलने वाले मण्डी के द्वार को बन्द किया हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत) : जी नहीं। कृषि उपज मण्डी, कोटा में रोड नम्बर 7 के सामने मुख्य गेट खुला है।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, रोड नम्बर सात पर कितने गेट हैं, उनमें से कौन–कौनसा गेट खुला हुआ है तथा कौनसा गेट बन्द है, यह बताने की कृपा करें। (व्यवधान) मुख्य द्वार नहीं खुला हुआ है और ये मुख्य द्वार दूसरे को मान रहे हैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि कुल कितने गेट हैं, उसमें से कौन-कौनसा गेट खुला हुआ है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ही गेट है, वही खुला रहता है।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ही गेट नहीं है उस पर; उस पर दो गेट हैं। यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप जानकारी कर लें, वहां दो गेट हैं और यह मुख्य द्वार बन्द किया हुआ है। किसी व्यक्ति विशेष को लाभ देने की दृष्टि से इस गेट को बन्द किया है और दूसरे गेट को खोला हुआ है इसलिए आपके पास सूचना नहीं आयी है। आप सूचना प्राप्त कर इस मुख्य गेट को खुलवाने की कोशिश करें।

श्री अध्यक्ष : अब आप जानकारी प्राप्त कर लेना।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : नहीं, जानकारी है।

श्री अध्यक्ष : बताइये, क्या जानकारी है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मूल प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य आज पधारे नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैंने अनुमति दी है उनको।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अनुमति से ही ये बोल रहे हैं, मैं तो यह मान रहा हूं लेकिन इस गेट के सम्बन्ध में माननीय सदस्य को भी जानकारी नहीं है। जो पूछने वाले थे वे हैं नहीं और इनको जानकारी जो उन्होंने दी है ये उतनी ही पूछ रहे हैं। मैं स्पष्ट कर दूं....

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोटा में ही रहता हूं, मेरे को इसकी पूरी जानकारी है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मैं स्पष्ट कर देता हूं।

श्री मदन दिलावर : अब मैं धारीवालजी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, इन्हीं का पर्सनल इण्ट्रेस्ट है, उसमें। इसमें धारीवाल जी का ही पर्सनल इण्ट्रेस्ट है।

श्री सांवर लाल : आपको तो पूरी जानकारी है न ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपके लिए तो गेट बन्द ही है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, उस सड़क पर जिस पर माननीय सदस्य पूछ रहे हैं, केवल एक गेट है और वह गेट खुला है। उस गेट के अन्दर जो मुख्य मार्ग है उस पर डिवाइडर लगे हुए हैं।

एक ही गेट से आवागमन है और सुरक्षा की दृष्टि से एक ही गेट रखा गया है। एक ही गेट खुला रखते हैं जिससे कि लीकेज की सम्भावना नहीं हो। वहां चौकी भी लगी हुई है, जहां परमानेंट स्टाफ बैठता है। इसलिए माननीय सदस्य को मैं जानकारी दे दूं कि एक ही गेट है, वह खुला है, कहीं किसी प्रकार का बन्द नहीं है। दूसरा,....

श्री मदन दिलावर : गेट अभी एक ही है, एक खुला हुआ है और एक बन्द कर दिया आपने।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : एक ही गेट खुला हुआ है, कोई गेट बन्द नहीं किया गया है। गेट ही एक है तो बन्द कहां से कर दिया ?

श्री सांवर लाल : एक गेट खुला है और एक गेट बन्द है तो इसका मतलब एक गेट और है। आपने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से खुला रखा जाता है, इसका मतलब गेट और है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : एक ही गेट है। ऐक गेट खुला है, कोई गेट बन्द नहीं किया गया है।

श्री सांवर लाल : आपने कहा अभी कि एक ही गेट सुरक्षा की दृष्टि से खुला रखा जाता है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : एक ही गेट है और एक ही गेट रखते हैं खुला।

श्री सांवर लाल : आपने ही कहा है यह।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : जिससे कि दूसरा गेट खोलें तो लीकेज नहीं हो, इसलिए दूसरा कोई गेट नहीं है।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार दो गेट हैं और एक गेट को इन्होंने बन्द कर दिया है और एक गेट को खुला रखा हुआ है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : एक ही है।

श्री मदन दिलावर : मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपके माध्यम से कि यदि उनके पास सूचना नहीं है तो सूचना प्राप्त कर अवगत करा दें। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब अगर माननीय सदस्य अधिक पूछना चाहते हैं तो मैं खुलासा कर देता हूं। शायद इनको यह गलतफहमी है कि उसमें कोई दूसरा गेट है।

वास्तविकता यह है कि सीनियर टाउन प्लानर ने जो नक्शा बनाया था तो एक गेट और चिन्हित किया था कि यहां भी गेट रखा जाए तो ठीक है। वह गेट कभी न तो खुला, दीवार खिची हुई है, गेट कभी बना नहीं। दूसरा कारण, माननीय सदस्य को यदि यह आवश्यकता हो कि दूसरा और गेट खुलाने से उसके सामने वाली दुकानों को लाभ देना चाहते हों, व्यक्तिगत आपका कोई इन्ट्रेस्ट हो तो मुझे चैम्बर में बता दें, उस पर मैं विचार कर सकता हूं।

श्री मदन दिलावर : व्यक्तिगत लाभ किसका है, वह तो आप जानते हैं। और दूसरा गेट क्यों नहीं बनाया, यह भी आप जानते हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : केवल एक गेट है और वह खुला है। दूसरा गेट आप जो खुलने की बात करते हो, वहां गेट नहीं है। वहां कुछ दुकानदार हैं जो आप पर प्रैशर क्रिएट करते होंगे और लाभ लेना चाहते होंगे। उस दृष्टि से आपने क्वेश्चन रखा होगा। चूंकि मूल प्रश्नकर्ता दूसरे हैं, आपको पूरी जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : दूसरा गेट नहीं बनाया इसका मतलब एक गेट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री वृद्धि चन्द जी जैन।

नगर निगम / नगरपालिकाओं को बिक्रीकर पर अधिभार से आय

527. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

(1) गत पांच वर्षों से नगर निगम/नगर पालिकाओं को चुंगी से कितनी आय हुई ? वर्षवार नगर निगम एवं नगर पालिकावार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) चुंगी हटाने के बाद बिक्री कर पर सर चार्ज लगाने से कितनी आय हुई ? अप्रेल, 1998 से 31 जनवरी, 1999 तक की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त निर्णय से नगर पालिकाओं/नगर निगमों की आय में बड़ी कमी आयी ? उक्त हानि का सरकार किस प्रकार पुनर्भरण कर रही है ?

(4) क्या उक्त निर्णय से व्यापारियों को लाभ पहुंचा ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शांतिकुमार धारीवाल) : (1) गत पांच वर्षों में नगर निगम/परिषद/पालिकाओं को चुंगी से अर्जित आय की सूची नगर पालिका एवं वर्षवार सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) चुंगी हटाने के बाद बिक्री कर पर सरचार्ज 1 अगस्त, 1998 से लागू किया गया है। 1 जनवरी, 1999 तक लगभग 64.85 करोड़ की आय होने की जानकारी वित्त विभाग ने दी है।

(3) चुंगी समाप्ति के निर्णय को पालिकाओं की आय की कमी होने के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जा सकता है। चूंकि तत्कालीन सरकार ने प्रति वर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ क्षतिपूर्ति की भरपाई का निर्णय लिया था, सरकार माहवारी किश्तों में क्षतिपूर्ति का पुनर्भरण कर रही है। पालिकाओं की क्षति की राशि के लिये उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 1997-98 में प्राप्त चुंगी की आय को आधार बनाया गया था।

(4) चुंगी कर की समाप्ति का प्रदेश का व्यवसायी वर्ग भी पक्षधर था, इसलिए व्यापारी वर्ग को इस कर की समाप्ति से सुविधा तो हुई है लेकिन आर्थिक दृष्टि से इससे किस पक्ष को लाभ हुआ, इसका आकलन सामयिक दृष्टि से संभव नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, चुंगी कर के हटने से और बिक्री कर पर सर चार्ज लगाने से राज्य सरकार पर कितना वित्तीय भार पड़ा है ? दूसरा प्रश्न यह है कि ऐसी भी नगरपालिकाएं एवं नगर निगम हैं जिनके कर्मचारियों को तनख्वाह चुकानी भी मुश्किल होती थी, उनकी अब क्या स्थिति है ? उनकी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये आप क्या प्रयास कर रहे हैं ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, चुंगी की समाप्ति के बाद राज्य

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

सरकार ने 1-8-98 के बाद ही मासिक तौर पर नगर पालिकाओं, नगर परिषदों एवं नगर निगमों को आर्थिक सहायता देना चालू किया। कुल 265 करोड़ रुपये साल के राज्य सरकार इनको दे रही है, जो कि मासिक किश्तों के रूप में 24 करोड़ 29 लाख 20 हजार रुपया करीब-करीब पड़ता है। जितनी चुंगी आती थी 1997-98 तक उसको आधार मानतें हुए यह तय किया गया कि जितनी चुंगी जिस नगर पालिका में आती थी उसका हर साल 10 परसेंट बढ़ाकर उनको मासिक किश्त के बतौर दे दी जाए।

जहां तक माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि चुंगी समाप्त करने के बाद नगर पालिकाओं की आर्थिक स्थिति डगमगा गयी है, निश्चित तौर पर सरकार की मान्यता यह है कि चुंगी समाप्ति के बाद नगर पालिकाओं की आर्थिक स्थिति में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा।

उसका कारण यह है, अध्यक्ष महोदय, यों नहीं पड़ा कि जितनी चुंगी वे प्राप्त करते थे उससे 10 परसेंट बढ़ाकर सरकार उनको मासिक किश्त के बतौर दे रही है। जबकि चुंगी वसूली में उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा आता था, छपाई का आता था, गाड़ी-घोड़े दौड़ते थे, वे और खतम हो गये, उनसे और उनकी बचत हुई है। (व्यवधान) मुझे जवाब दे लेने दो आप। मुझे पूरा जवाब दे लेने दो फिर आप एक-एक पूछ लेना।

श्री अध्यक्ष : जवाब दे रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दूसरा आपने सवाल पूछा है कि पालिकाओं की तनख्वाह बाबत पहले की क्या स्थिति थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चुंगी समाप्ति के पूर्व करीब 41 नगर पालिकाएं ऐसी थीं विशेष तौर पर कमजोर स्थिति जिनकी मानी जाती थी और करीब 87 नगर पालिकाएं ऐसी थीं जिनकी आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर थी।

राज्य सरकार को इनमें से कई नगर पालिकाओं की तनख्वाह चुकाने के लिये चुंगी समाप्ति के पूर्व भी राशि देनी पड़ती थी, आर्थिक मदद देनी पड़ती थी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, चुंगी वसूली में जो कर्मचारी लगे हुए थे वे कर्मचारी अब बिलकुल निठल्ले हैं और उनकी सेवाओं का कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में आप क्या कदम उठा रहे हैं?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, चुंगी के लिये नगर पालिकाओं में रेवेन्यू इंसपेक्टर, असिस्टेंट रेवेन्यू इंसपेक्टर, नाकेदार, सब–नाकेदार, नाका गार्ड और लिपिक वगैरह कई लोग रहते हैं। कुल–मिलाकर राजस्थान भर की यह हालत है कि 6,300 के करीब कर्मचारी चुंगी की वसूली में लगे हुए थे। निश्चित तौर पर यह समस्या तो सामने आयी ही है, लेकिन

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

सरकार ने इन कर्मचारियों के उपयोग के लिये और उपयोग ही नहीं बल्कि समुचित उपयोग के लिये वैकल्पिक उपाय सुझाये हैं।

जैसे फायर ब्रिगेड का मामला है, तो फायर ब्रिगेड की ट्रेनिंग दिलवाकर कुछ लोगों को फायर ब्रिगेड की सेवा के बतौर रखा जा सकता है। अभी हालत यह है कि छह या आठ घण्टे के लिये फायर ब्रिगेड उपलब्ध रहती है।

लेकिन कुछ लोगों को राजस्थान में ही ट्रेनिंग दिलवाकर, देवली में ट्रेनिंग होती है फायर फाइटिंग की, 24 घण्टे फायर ब्रिगेड की सर्विसेज उपलब्ध करायी जा सकती है। इस प्रकार के और भी कई सुझाव हैं। समुचित विद्युत प्रवाह के लिये, पानी की समस्याओं के लिये, सफाई वगैरह के कामों के लिये राज्य सरकार ने पालिकाओं को निर्देश दिये हैं कि इन लोगों का समुचित उपयोग वहां पर किया जाए।

इसके साथ-साथ ही राजस्थान सरकार के दूसरे विभागों में भी ऐसे व्यक्तियों की सूची मांगी गयी है जो कि उनके यहां खप सकते हैं। जैसे पंचायत विभाग है, पंचायत विभाग ने एक सूची मांगी है। 400-500 व्यक्तियों की हमने सूची तैयार की है, इनको भेजेंगे। ग्राम सेवक वगैरह के लिये जहां पर भी ये रखना चाहते हैं, समायोजित करना चाहते हैं, वहां पर समायोजित करेंगे।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि सुझाव प्रस्तुत किए, परन्तु उनकी सेवाओं का उपयोग अभी तक नजर नहीं आ रहा है। वे बिलकुल निठल्ले हो रहे हैं और नगर पालिका भी कोई कार्य नहीं देती है। जल्दी से जल्दी कब तक इनकी सेवाओं का किस प्रकार उपयोग करेंगे, इस संबंध में जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपने तो कैसे आश्चर्य किया जाएगा, प्रश्न नहीं पूछा है। आपने यह प्रश्न पूछा है ? प्रश्न में कहीं नहीं पूछी यह बात।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : अध्यक्ष महोदय, अभी आपने जैसा बताया कि जो चुंगी से आय होने वाली थी, प्रति वर्ष 10 परसेंट की बढ़ोतरी के साथ उनकी भरपाई की जाएगी। माननीय मंत्री महोदय, 1 अप्रेल से नया वर्ष चालू हो गया है, इस बार आप जो सहायता देंगे नगर परिषदों को वह पिछली बार जो मासिक किश्त आ रही थी उससे 10 परसेंट बढ़ाकर देंगे ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं पहले ही कह चुका हूं। आप मेरे जवाब को समझे नहीं।

श्री ज्ञानचन्द पारख : नहीं, नया वर्ष चालू हो गया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नया वर्ष हो या पुराना वर्ष हो, बात तो वही की वही है, 10 परसेंट बढ़ाकर देंगे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : आपकी आज्ञा हो तो पूछ लूं ?

श्री अध्यक्ष : हां, पूछिये ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 41 नगर पालिकाओं का जिक्र किया जिनकी हालत खराब है । अतिरिक्त सहायता आप उनको पहले देते आये थे । चुंगी अब समाप्त हो गयी और चुंगी समाप्त होने के बाद आप की ओर से पैसा मिल रहा है, लेकिन जो अतिरिक्त राशि आप पहले देते थे वह भी देते रहेंगे या नहीं, क्योंकि उनकी हालत खराब है ?

आप तो कह देंगे हम महीने में पैसे भेज रहे हैं, लेकिन अतिरिक्त राशि से सरकार मदद करती थी उनको तनख्वाह बंटवाने में या दूसरे किसी काम में, वह उसको भविष्य में देने का विचार रखते हैं या नहीं रखते ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि चुंगी हटाने के पश्चात सेल्स टैक्स पर सरचार्ज लगाया और इसके साथ नई सरकार ने एण्ट्री टैक्स और लगा दिया, क्या आप उस सेल्स टैक्स को हटाने का विचार रखते हैं ?

नम्बर दो, आपने यह कहा कि बड़ी संख्या के अन्दर ऐसे लोग हैं जो नगरपालिका में कार्यरत थे उनको फायर ब्रिगेड और दूसरी जगह आप तैनात कर रहे हैं। आपने खुद 87 नगर पालिकाओं की सूची बता दी जो अपनी तनख्वाह नहीं चुकाना चाहतीं । उनको सरकार हमेशा विशेष तौर पर एड देती है, सहायता देती है । क्या उन लोगों को आप दूसरी नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में खपाकर उनको जो सहायता राशि देते हैं, उसको बढ़ाने का विचार रखते हैं या नहीं रखते ? और एण्ट्री टैक्स वाली बात बताइये ।

श्री अध्यक्ष : एण्ट्री टैक्स की बात इससे सम्बन्धित नहीं है; इसका उत्तर वित्त मंत्री जी दे सकते हैं ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसी से सम्बन्धित है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एण्ट्री टैक्स पास तो करवा दो । पहले तो एण्ट्री टैक्स पास करवाओ आप यहां, उसके बाद बात करेंगे ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब दीजिये 48 नगरपालिकाओं का । जो अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराते हो आप, उनको उपलब्ध कराएंगे कि नहीं कराएंगे ?

श्री अध्यक्ष : क्षतिपूर्ति का आधार उन्होंने पूछा था, 10 परसेंट जो इन्क्रीज है ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अतिरिक्त मदद काहे के लिए चाहते हैं आप ?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : पहले थी ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह तो निश्चित तौर पर जितनी भी नगरपालिकाएं हैं उनकी आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के बाद में जो नगरपालिकाएं विशेष रूप से आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं उनके लिए कुछ अलग से प्रोविजन रखा जाएगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मासिक जो आप दे रहे हो उसके अलावा ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उसके अलावा कई स्कीम के तहत पैसा दिया जाता है, सहभागी योजना में, स्वर्ण जयंती योजना में दिया जाता है।

श्री ज्ञानचन्द पारख : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं। (व्यवधान)

प्रश्न संख्या-528

श्री अध्यक्ष : नहीं, बहुत हो गया।

नेक्स्ट क्वेश्चन। सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत।

(अनुपस्थितस्व स्थगित)

प्रश्न संख्या-529

श्री रामसिंह कस्वां।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री राधेश्याम गंगानगर।

जिला श्रीगंगानगर में नये राशन कार्ड

530, श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर जिले में नये राशन कार्ड बनाने हेतु सर्वे करवाया गया था ? यदि हां, तो सर्वे के उपरांत राशन कार्ड क्यों नहीं दिये जा रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में राशन कार्ड बनवाने के लिए कितनी राशि मंजूर की गयी है ?

(3) राज्य में राशन कार्ड बनाने की क्या नीति/नियम निर्धारित हैं ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री रामकिशन वर्मा) : (1) श्रीगंगानगर जिले में वर्ष 1993 में सर्वे कराया गया था। सर्वे के उपरांत नये राशन कार्ड वितरित करवाये गये थे। राशन कार्ड एक अनवरत प्रक्रिया है, जब भी व्यक्ति स्थान छोड़कर जाते हैं या नये व्यक्ति आते हैं तो तदनुसार राशन कार्ड निरस्त किये जाते हैं व नये राशन कार्ड बनाये जाते हैं।

(2) राशन कार्ड राजकीय मुद्रणालय से मुद्रित कराकर प्रेषित किये गये हैं। पृथक से राशि स्वीकृत नहीं की गयी।

(श्री रामकिशन वर्मा)

(3) राज्य में राशन कार्ड बनाने के सम्बन्ध में जारी आदेश, 1976 के पार्ट–III की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री राधेश्याम गंगानगर : अध्यक्ष महोदय, बड़ी विडम्बनापूर्ण बात है कि राशन कार्ड चार साल से हैं ही नहीं और आप कह रहे हैं कि उनके पास राशन कार्ड हैं। गंगानगर में राशन कार्ड हमारे किसी भी आदमी को अभी तक वितरित नहीं हुए। जो नये राशन कार्ड बनने थे, 1993 में आपने राशन कार्ड बनाये उसके बाद उन को समाप्त कर दिया। अब नये राशन कार्ड बन कर तैयार हो गये और वे राशन कार्ड वितरित नहीं हुए। इसका कारण मैंने इसमें पूछा है वह आपने नहीं बताया।

श्री रामकिशन वर्मा : गंगानगर के अंदर राशन कार्ड बनाने के लिए जो सर्वे कराया गया वह नगर परिषद द्वारा कराया गया था और वह सर्वे उन्हीं के पास है, हमारे पास वह नहीं पहुंचा। अगर वह हमारे पास पहुंचेगा तो राशन कार्ड बना दिये जाएंगे।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अध्यक्ष महोदय, 1993 में सर्वे हुआ और आज क्या चल रहा है, यह आपको विदित है। आज तक भी राशन कार्ड यदि नहीं मिले तो गरीब आदमी कहां से राशन लेंगे? इसकी व्यवस्था कौन करेगा? 1993 में आपने सर्वे कराया और वह सर्वे रिपोर्ट आज तक हमारे पास नहीं पहुंची, तो कब पहुंचेगी?

आप कह रहे हो कि नगर पालिका ने कराया, मेरे ख्याल से तो ड्यूटी जिसकी भी आप लगाते हैं वही करवाता है। सर्वे 1993 में हो गया, राशन कार्ड तैयार हो गये और आज तक राशन कार्ड किसी को प्राप्त नहीं हो रहे। तो वह राशन किस को जा रहा है? जो भी आपकी राशन की दुकानें हैं, उन पर जो राशन है वह कौन ले रहा है? आप यहां से सप्लाई कर रहे हैं तो आप यह तो जानकारी करें कि वह राशन कहां जा रहा है।

किसी भी गरीब आदमी को, किसी भी नागरिक को राशन नहीं मिल रहा; इसके कारण की आप जानकारी दें। यह जवाब आपको बिलकुल गलत दिया गया है, आप कृपा कर इस जवाब को पूरा देखें और अधिकारियों की खिचाई करें।

श्री रामकिशन वर्मा : 1993 के सारे कार्ड जो बने थे वे बांट दिये गये हैं। अगर इसके बावजूद भी आप कहते हो कि जवाब गलत दिलवाया गया है तो जिन्होंने जवाब गलत दिया है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करूंगा और उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह बात तो आपकी बिलकुल उचित है लेकिन साथ में एक निवेदन मैंने और किया है उसका जवाब

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

आपने नहीं दिया। जो राशन वहां इतने सालों से जाता है, आप से राशन की दुकानें माल उठाती हैं वह माल कहां बिकता है, कहां जाता है जब राशन कार्ड हैं ही नहीं ?

जब राशन कार्ड ही नहीं हैं तो वह राशन कहां जाता है ? यह पिछली सरकार की गड़बड़ की हुई है, आप उसको सुधारने का कोई इरादा रखते हैं या नहीं ?

श्री रामकिशन वर्मा : इसकी जांच करवा लेंगे और जांच में जो भी होगा उसकी कार्यवाही कर लेंगे। आप से भी सुझाव ले लेंगे और नये राशन कार्ड वाली कार्यवाही जल्दी कर देंगे।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : यह सख्त कार्यवाही की डेफिनिशन क्या है, यह बताओ आप।

श्री जगमाल सिंह यादव : आपने बैरल पाइंट की तो जांच करा ली क्या ?

श्री रामकिशन वर्मा : जांच चल रही है, शिकायतें भी आ रही हैं। यह अलग से प्रश्न है इसलिए इसका जवाब कभी अलग से देंगे।

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं, आपने एक घोषणा की थी कि जांच कराऊंगा। हर मामले में आप जांच कराते हैं। पहले सत्र चालू हुआ था तब कहा था। बैरल पाइंट की जांच कराऊंगा। करा ली क्या जांच आपने ? जवाब में तो नहीं कहा आपने।

श्री रामकिशन वर्मा : जांच चल रही है, मैंने आप से कहा न और जांच के बाद जो भी अनियमितता पायी जाएगी, जो गलत होगा उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे उसे निरस्त भी करेंगे।

श्री हीरालाल बिश्नोई (सांचोर) : यह जांच चलती रहेगी या जांच पूरी भी होगी? (व्यवधान) टाइम बाउंड तो होगा, कब तक पूरी होगी यह जांच ?

श्री जगत सिंह दायमा : यह सख्त कार्यवाही क्या करते हो आप लोग, कुछ बताओ तो सही। हर बार यही होता है, अध्यक्ष महोदय।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : आप से बात कर लेते हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : पिछली बार यही कहा, सख्त कार्यवाही होगी। सख्त कार्यवाही कुछ करके दिखाओ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि कब तक इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी ? आप का जवाब संतोषजनक है कि आप इसकी इंक्वायरी करा लेंगे और इंक्वायरी बैठा देंगे, लेकिन यह कब तक हो जाएगी ?

श्री रामकिशन वर्मा : जल्दी ही।

श्री जगमाल सिंह यादव : पांच साल में।

श्री रामकिशन वर्मा : नहीं, पांच साल नहीं, जल्दी ही होगा, प्रतिशीघ्र।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अध्यक्ष महोदय, यह बी.जे.पी. ने इसलिए किया था कि गंगानगर से राधेश्याम....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आप कृपा कर जिनको राशन नहीं मिलता उनकी तुरन्त व्यवस्था करें।

श्री रामकिशन वर्मा : गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य को पूर्ण सन्तुष्ट करेंगे और जल्दी से जल्दी कार्यवाही करेंगे।

श्री जगमाल सिंह यादव : सदन को नहीं करेंगे ?

श्री रामकिशन वर्मा : गंगानगर का प्रश्न है।

प्रश्न संख्या-531

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री रतन लाल जी ताम्बी।

(अनुपस्थित एवं स्थगित)

श्री नन्दलाल मीणा।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में विद्युतीकरण पर व्यय राशि

532. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र के लिए वर्ष 1998-99 में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राज्य मद से एवं विशेष केन्द्रीय सहायता तथा संस्थागत वित्त तथा केन्द्रीय परिवर्तित योजना मद से कितनी-कितनी राशि का प्रावधान किया गया था ?

(2) उक्त प्रावधान के अनुसार प्रत्येक पंचायत समिति पर कितने-कितने गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है ? गांवों की पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री बनवारी लाल बैरवा) : (1) जनजाति उपयोजना के लिए वर्ष 1998-99 में 100 गांवों के विद्युतीकरण एवं 800 कुओं के ऊर्जीकरण के लिए राज्य आयोजना मद में रुपये 1281.32 लाख का प्रावधान किया गया है। विशेष केन्द्रीय सहायता, संस्थागत वित्त एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत इस मद में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(2) माह फरवरी, 1999 तक जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 100 गांवों के लक्ष्य के विरुद्ध 24 गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है तथा 800 कुओं के

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

ऊर्जीकरण के विरुद्ध 608 कुओं का ऊर्जीकरण कर दिया गया है।

विद्युतीकृत गांवों की पंचायत समितिवार सूचना निम्न है :-

क्रम सं.	जिला	पंचायत समिति	संख्या	गांव का नाम
1	2	3	4	5
1.	उदयपुर	धरियावद	3	1. थोगारी 2. पासमोडी 3. केली
2.	बांसवाड़ा	पीपलखूंट	4	1. लूणजीपेमा 2. बेतकिया 3. जीश्रा 4. मानपुर
	"	कुशलगढ़	2	1. उमराजोक 2. रतनमाल
3.	डूंगरपुर	डूंगरपुर	8	1. पाठियों का भामां 2. माण्डवा की मोचली 3. गोठ 4. पादरा चोबिसान 5. दड़ा 6. नया टापरा 7. बिकासोर 8. बानदड़ा
	"	बिच्छीवाड़ा	1	1. चकमहुडी

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

क्रम सं.	जिला	पंचायत समिति	संख्या	गांव का नाम
	डूंगरपुर	धासपुर	2	1. सीताखेड़ा 2. सुन्देलखेड़ा
	,,	सागवाड़ा	3	1. चकवोखना 2. पदमपुरा 3. बनखंड कैंतल
4.	चित्तौड़गढ़	भरनोद	1	1. अचलपुरा

ऊर्जीकृत कुओं की जिलेवार संख्या निम्न प्रकार है :–

क्रम सं.	जिला	ऊर्जीकृत कूप संख्या
1.	उदयपुर	147
2.	डूंगरपुर	317
3.	बांसवाड़ा	127
4.	चित्तौड़गढ़	12
5.	सिरोही	5
	योग	608

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, 1998-99 के बजट में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में आने वाली 14 पंचायत समितियों के लिए 100 ग्रामों का विद्युतीकरण करना था और उसकी एवज में केवल 24 गांव अब तक विद्युतीकृत किये गये हैं, 24 परसेंट है।

श्री अध्यक्ष : वह तो रिप्लाई में ही दे रहे हैं तो आप प्रश्न क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री नन्दलाल मीणा : जिन पंचायत समितियों का हवाला जिला वाइज माननीय मंत्री महोदय ने इस प्रश्न के उत्तर में दिया है उसमें उदयपुर जिले की केवल धरियावद, डूंगरपुर जिले की डूंगरपुर, बिच्छीवाड़ा, आसपुर और सागवाड़ा तहसीलें हैं। इसमें चित्तौड़गढ़ जिले की प्रतापगढ़, सिरोही जिला और उदयपुर जिले की अधिकांश पंचायत समितियों के नाम नहीं हैं।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जिन 100 गांवों का पिछले वित्तीय वर्ष में विद्युतीकरण करना था उनमें से क्या वे पंचायत समितियां जिनका हवाला इसमें नहीं है, उनका एक भी गांव स्वीकृत नहीं किया गया था ? यदि नहीं किया गया था तो इसके क्या कारण थे ? और अगर 100 में 24 गांवों को ही विद्युतीकृत किया गया तो इसके क्या कारण रहे ?

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, गांवों की जो योजना बनवायी गयी थी वह पिछली सरकार के दौरान बनायी गयी थी। पिछली सरकार ही जिम्मेदार है जो 100 गांवों के लिए योजना बनायी गयी है उसके लिए। जब से नयी सरकार आयी है हमारा सोच उसके अन्दर बदलाव हुआ है और जिन गांवों के लिए हमने यह योजना बनवायी है उसको हम पूरा करवाएंगे।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय अजीब-सा जवाब दे रहे हैं। 100 गांवों का लक्ष्य पिछली सरकार ने रखा था उसकी एवज में 24 गांवों को विद्युतीकृत किया गया है। 76 प्रतिशत गांव लक्ष्य के आधार पर विद्युतीकृत होने चाहिए थे, नहीं हुए।

आपको यह मालूम है कि सरकारी बजट सितम्बर महीने से प्रारम्भ होता है और 26 सितम्बर से इलेक्शन कमीशन ने प्रतिबन्ध लगा दिया था। उसके बाद दिसम्बर में आपकी सरकार आयी जिसको चार महीने हो गये। चार महीने में आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसमें से कितने गांवों में बिजली पहुंचाई है, बता दीजिए आप ?

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी काम हुए हैं वे इसी दौर में हुए हैं और जो शेष रहे हैं उनको शीघ्र ही करवाया जाएगा।

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार में आप खुद ही मंत्री थे, आप खुद ने ये कार्यक्रम किये हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : कह रहा हूं न

(श्री नन्दलाल मीणा)

में। मैं तो यह कह रहा हूं कि आपकी सरकार के आने के बाद....

श्री शंकर लाल अहारी : तो अभी तो इनको चार महीने ही हुए हैं। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : इस आदिवासी क्षेत्र में एक भी पंचायत समिति के किसी भी एक गांव को विद्युतीकृत किया हो तो उसका नाम बताइये आप। नहीं, तो मैं यह मानूंगा कि आदिवासी क्षेत्र की उपेक्षा की गयी है।

अध्यक्ष महोदय, अफसोस की बात यह है कि आज आदिवासी क्षेत्र के नुमाइन्दे यहां पर बैठे हुए हैं परन्तु आदिवासी क्षेत्र के विकास का लाभ राजस्थान की कांग्रेस हुकूमत में उस क्षेत्र के रहने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया है। नतीजा यह आया है कि केवल 24 प्रतिशत गांव आदिवासी इलाके में विद्युतीकृत हुए हैं।

श्री शंकर लाल अहारी : अध्यक्ष महोदय, इसीलिए तो आदिवासी क्षेत्र से आप ही अकेले चुनकर आये हैं कि कोई काम नहीं किया।

श्री नन्दलाल मीणा : बिजली पहुंचानी थी 800 में, 600 कुओं को बिजली पहुंचायी गयी।

आदिवासी क्षेत्र के लिए विशेष योजना भारत सरकार से स्वीकृत हुई है। वह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, यदि कुओं को समय पर बिजली मिलती तो आर्थिक स्थिति सुधरती। दिसम्बर के बाद आपने आदिवासी क्षेत्र में कितने गांवों और कुओं को विद्युतीकृत किया ?

श्री अध्यक्ष : आप भाषण मत दीजिए, प्रश्न पूछिए।

श्री नन्दलाल मीणा : किस-किस पंचायत समिति में कितने–कितने कुओं को बिजली का कनेक्शन दिया गया, यह बताइये। अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे एक कारण है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, प्रश्नकाल है। जीतमलजी, आप ?

श्री नन्दलाल मीणा : नयी सरकार के आने के बाद दिसम्बर के बाद से कितने गांवों को बिजली पहुंचायी गयी; कितने कुओं को बिजली दी ?

श्री अध्यक्ष : आपने यह पूछ लिया है क्वेश्चन। नहीं, रिपीट मत कीजिए। पूछा है आपने यह।

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बी. जे. पी. की गवर्नमेंट में कोई भी खामियां रहीं या हमारे साथ भेदभाव बरता गया, वह तो ठीक है। लेकिन वर्तमान में भी हमारे उदयपुर संभाग के आदिवासियों को बिजली के घरेलू हों चाहे कृषि कनेक्शन, अब तक नहीं मिलने के कारण ये रहे हैं कि हम गरीबी रेखा से नीचे

(श्री जीतमल खांट)

जीवन यापन करने वाले लोग हैं। उन लोगों को अब तक पिछली सरकार द्वारा दस हजार रुपये अतिरिक्त अनुदान दिया जाता रहा लेकिन वर्तमान सरकार ने दस हजार की अनुदान राशि देने का जो प्रावधान था वह वर्तमान में बन्द कर दिया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा....(व्यवधान)

श्री दयाराम परमार (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : वह आर्डर बताओ।

श्री बनवारी लाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, वह बन्द नहीं किया गया है, वह यथावत दिया जा रहा है।

श्री जीतमल खांट : अगर बन्द नहीं किया है तो वह आपको....(व्यवधान) चाहे आपने बन्द किया चाहे और किसी ने भी बन्द किया, अगर यह बन्द किया है तो उसको वापस चालू करने का इरादा रखते हैं? हो सकता है इनके समय में इन्होंने बन्द कर दिया हो लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि यह दस हजार की अनुदान राशि जो बन्द कर दी है, उसको वापस प्रारम्भ करना चाहते हैं या नहीं?

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कुएं विद्युतीकृत किये गये हैं इस दौर के अन्दर किये गये हैं, इस राज में किये गये हैं। उस दौर के अन्दर उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। जो प्रश्नकर्ता हैं वे स्वयं टी.ए.डी. के मंत्री थे; अगर इन्होंने रुचि ली होती उस क्षेत्र के विकास में तो आज नक्शा बदला हुआ होता।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह जवाब है क्या आपका?

श्री बनवारी लाल बैरवा : जहां तक बिजली का सवाल है, जो अव्यवस्था हुई थी उस सबको ठीक किया जा रहा है।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : मान्यवर; राशि बन्द नहीं की गयी है।

श्री नन्दलाल मीणा : दिसम्बर,1998 से लेकर 31 मार्च, 1999 तक आदिवासी क्षेत्र में किस-किस पंचायत में कांग्रेस की हकूमत आने के बाद विद्युत कनेक्शन दिये गये कुओं के और ग्रामीणों के विद्युतीकरण के, यह आप स्पेसिफिक जवाब दे दें। आपने क्या किया है? हमने तो बन्टाधार कर दिया, आपने क्या किया? आप बता दो, एकाध किया हो तो। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : कांग्रेस का शासन तो इस बजट से शुरू हुआ है। आप आठ साल में डुबो गए सारे मामले को।

श्री नन्दलाल मीणा : बजट में प्रावधान था, 31 मार्च तक आपको 1288 करोड़ रुपये मिले थे। आपने चार महीने में

(श्री नन्दलाल मीणा)

कितना रुपया खर्च किया उसको बता दें और कितने कुओं और गांवों को विद्युतीकृत किया ?

श्री जीतमल खांट : माननीय मंत्री महोदय, मेरे पास में दूसरा कोई आंकड़ा नहीं सिर्फ एक ही आंकड़ा है। 16 मार्च को उदयपुर संभाग में सी.एम.साहब ने जो बैठक ली थी उस बैठक में उनका दिया हुआ एक प्रतिवेदन है, मात्र इतना ही पढ़ूंगा।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जनजाति विकास विभाग द्वारा प्रति कनेक्शन दस हजार रुपये की अनुदान की राशि जो पिछले वर्षों में स्वीकृत थी वह फिलहाल राज्य सरकार ने बन्द कर दी है। उसे वापस चालू करवाया जाए जिससे जनजाति कृषक कनेक्शन ले सकें। यह सी.एम.साहब की जो बैठक हुई 16 मार्च को उदयपुर संभाग में, उसके प्रतिवेदन की प्रति है। अब वह बन्द किसने किया, क्या नहीं है लेकिन चालू करवाएं। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रतिवेदन किसकी तरफ से था ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : यह प्रतिवेदन किसी व्यक्तिगत रूप से हो सकता है। दस हजार रुपये की अनुदान राशि आज भी चालू है, वह बन्द नहीं हुई है।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं। दिसम्बर, जनवरी, फरवरी और मार्च....

श्री राधेश्याम गंगानगर : आपने ही बन्द किये हैं और आप ही प्रश्न कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : बजट के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृतियों में किसी प्रकार की कोई कमी होती है, कार्य अधूरे रहते हैं और बजट में प्रावधान हैं तो पूरे किये जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि दिसम्बर, 1998 से 31 मार्च, 1999 तक आदिवासी क्षेत्र के कितने गांवों को इस नयी हुकूमत ने बिजली पहुंचायी और कितने आदिवासी कुओं को कनेक्शन दिया गया ? सीधा-सा सवाल है।

श्री शंकर लाल अहारी : अध्यक्ष महोदय, आपको जो करना था वह करके आप पधार गये। अब तो हम आदिवासी क्षेत्रों में महाराष्ट्र पैटर्न लागू कर रहे हैं इसलिए सभी प्रकार के आदिवासियों के विकास के लिए किसी प्रकार का अभाव नहीं रखा जाएगा। (व्यवधान) पिछली सरकार ने नवम्बर में अनुदान राशि बन्द कर दी थी। (व्यवधान) लागू हो चुका है, कमेटी बन चुकी है। धन्यवाद।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) मंत्री महोदय उत्तर देंगे। इनको मालूम नहीं है, मंत्री महोदय उत्तर दें।

श्री बनवारी लाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, जैसी कि हमारे पूर्व मंत्री चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं, अब इनको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। आपने जो दुर्व्यवस्थाएं की थीं उनको सुधारा जा रहा है और तमाम व्यवस्थाओं को आमूलचूल ठीक किया जाएगा।

श्री नन्दलाल मीणा : दिसम्बर, 1998 से 31 मार्च, 1999 तक आपने क्या किया ? आपने एक भी गांव को और एक भी कुएं को बिजली दी हो तो बताइए। हमने तो बिगाड़ दिया, आप कब तक सुधार रहे हो ?

श्री बनवारी लाल बैरवा : ये सब हमारे दौर में हुए हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नकाल है या क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं, दिसम्बर से 31 मार्च तक का पूछ रहा हूं कि कितने गांवों को और कुओं को बिजली दी है।

श्री अध्यक्ष : आपने गांवों के विद्युतीकरण का पूछा, जो लक्ष्य था उसके अगेंस्ट 24 गांवों का विद्युतीकरण हुआ। कुओं का आपने पूछा, 800 में से 608 कुओं का विद्युतीकरण हुआ। अब आप पीरियड को ग्रेस्प करना चाहते हैं। जब कांग्रेस का शासन आया तो यह अलग सूचना आपके पास नहीं होगी।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक सवाल और पूछा है कि पंचायत समितियों में जैसे धरियावद है तीन गांवों को विद्युतीकृत किया है, पीपलखूंट में चार को किया है और कुशलगढ़ है दो को किया गया है, डूंगरपुर में आठ को किया गया है, बिच्छीवाड़ा में एक, आसपुर में दो, सागवाड़ा में तीन और सरनोद को एक। इनके मुकाबले में यहां पर स्वीकृत गांव कितने थे, यह भी सवाल पूछा था मैंने।

मंत्री महोदय उसका जवाब दे दें। उनके लक्ष्य क्या थे ? पंचायत समितियों में उनके मुकाबले में आपने इन गांवों को ही बिजली पहुंचाई, उसके क्या कारण हैं ? सालभर का दे दें।

श्री बनवारी लाल बैरवा: अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि जो ऊर्जीकृत किये गये हैं गांव वे इस दौर के अन्दर ही किये गये हैं, पहले नहीं किये गये हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह क्या जवाब है ?

श्री बनवारी लाल बैरवा : यही पूछ रहे हो। आप विस्तार से उसका जवाब चाहते हो तो मैं विस्तार से उसका जवाब भिजवा दूंगा।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, सदन की परिपाटी है। ये मुझे भिजवा देंगे ...

श्री अध्यक्ष : परिपाटी सदन की है।

श्री नन्दलाल मीणा : ये पड़ौस में रहते हैं, मैं इनके घर पर चला जाऊंगा और पूछ लूंगा, यह कोई सवाल नहीं होता,

(श्री नन्दलाल मीणा)

है। सीधा-सा स्पेसिफिक सवाल है। मैंने यह नहीं पूछा कि दिसम्बर या अप्रेल से 31 मार्च तक क्या हुआ है। पूरे वित्तीय वर्ष का सवाल है, उसमें सीधा पूछा है। गांवों का इन्होंने यह भी बताया कि गांव केवल 24 किये हैं लक्ष्य था 100 का।

मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में या अलवर में लक्ष्य कितने का था और उसकी एवज में क्या किया इन्होंने ? उदयपुर जिले में लक्ष्य क्या था, डूंगरपुर में क्या था, बांसवाड़ा में क्या था, सिरोही में क्या था और उसकी एवज में क्या किया ?

श्री अध्यक्ष : लक्ष्य तो 100 ग्रामों के विद्युतीकरण का था 24 गांव हुए। लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है। अब आप क्या पूछना चाहते हो ?

श्री नन्दलाल मीणा : मैं यह चाहता हूं कि किस-किस पंचायत में लक्ष्य हो गया ? या उसे विधिवत समझते हो क्या ?

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से 1281, 32 करोड़ में से 24 परसेंट पैसा खर्च हुआ, बाकी पैसा सब लैप्स। वर्तमान में जो केवल 24 परसेंट हुआ और 76 परसेंट बाकी गांव हैं, क्या 1999–2000 में इसका एडिशनल प्रावधान रखेंगे ?

श्री जीतमल खांट : अध्यक्ष महोदय, 24 के अलावा जो गांव वंचित रहगये हैं क्या उनको अगले वित्तीय वर्ष में शामिल किया जाएगा या विद्युतीकृत किया जाएगा, माननीय मंत्री महोदय यह भी बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, आप सन्तुष्ट हो गये क्या इस सवाल से ?

श्री बनवारी लाल बैरवा : उनको निश्चित रूप से विद्युतीकृत किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न था।

श्री नन्दलाल मीणा : आप इसको स्थगित कर दीजिए। मंत्री महोदय तैयारी करके आएं।

श्री अध्यक्ष : देखिये, मैंने दो मिनट आगे दिये हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : आप इसको स्थगित कर दें। मंत्री महोदय जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष : 2 मिनट प्रश्न आवर बढ़ाया है।

श्री देवीसिंह भाटी : इनको तो हिदायत दें, आगे तैयारी करके आएं मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए
कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

किसानों को अस्थाई कृषि कनेक्शन

523. श्री मदन लाल वर्मा(डग) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि किसानों को अस्थाई कृषि कनेक्शन देने की योजना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक कनेक्शन दिए जायेंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। अस्थाई कनेक्शन उन परिस्थितियों में ही दिया जाता है जहां कनेक्शन कुछ समय के लिये या निर्माण कार्य के लिये ही चाहिए और उसके बाद उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाये। कृषि कनेक्शन की आवश्यकता कुछ समय बाद समाप्त नहीं होती है और अगर अस्थाई कनेक्शन दिया जाये, तो उसके लिए बिछाये गये विद्युत तंत्र (33 के.वी. लाइन, सब-स्टेशन, ट्रांसफार्मर) आदि पर विद्युत मण्डल का निवेश निष्फल हो जायेगा तथा इससे विद्युत मण्डल को अतिरिक्त हानि होगी। इसके अतिरिक्त अस्थाई कनेक्शन देने से लम्बे समय से इन्तजार करने वाले किसानों में असंतोष होगा।

जिला उदयपुर के केरल पाइंट

524. श्री खेमराज कटारा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत पांच वर्षों में जिला उदयपुर में कितना केरोसीन तेल किन-किन कम्पनियों द्वारा सप्लाई किया गया ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में उदयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कहां-कहां केरल प्वाइंट स्थापित किये गये ?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में जिला उदयपुर में जिन-जिन तेल कम्पनियों द्वारा जिस मात्रा में केरोसीन तेल सप्लाई किया गया है, की वर्षवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) गत पांच वर्षों में उदयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 59 केरल पाइन्ट स्थापित किये गये हैं, का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

राजगढ़(चूरू) के अविद्युतिकृत ग्राम

529. श्री रामसिंह कस्वां (सार्दुलपुर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत पांच वर्षों में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के उपखण्ड राजगढ़ जिला चूरू में कितने ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित किया गया है ? वर्षवार एवं ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1998-99 में इस उपखण्ड के कितने ग्रामों को विद्युतीकृत करने हेतु

(श्री रामसिंह कस्वां)

इस वर्ष के फेस प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है और कौन-कौन से ग्राम विद्युतीकृत हो चुके हैं तथा कौन-कौनसे ग्राम शेष हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अब शेष बचे ग्रामों का कब तक विद्युतिकरण कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जिला चूरू के उपखण्ड सादुलपुर (राजगढ़) के अन्तर्गत पंचायत समिति, राजगढ़ में गत पांच वर्षों (वर्ष 1993-94 से 1997-98) में कुल 27 गांवों को विद्युतीकृत घोषित किया गया है, जिनकी वर्षवार, ग्रामवार, सूची परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1998-99 के वार्षिक ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायत समिति, राजगढ़ के 17 ग्राम विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित किये गये थे जिनमें से माह मार्च, 1999 तक निम्न 9 ग्रामों को विद्युतिकृत घोषित किया जा चुका है जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं	ग्राम का नाम	कोड नं.	पंचायत समिति	विद्युतीकरण की दिनांक
1.	खेमाणा	3/2/108	राजगढ़	2/99
2.	खुडी	59	राजगढ़	2/99
3.	न्यागली	71	" "	2/99
4.	गगोर	107	" "	31/3/99
5.	झुगली	109	" "	31/3/99
6.	ढाणी बडी	6	" "	31/3/99
7.	बास कांजणा	30	" "	31/3/99
8.	मुन्दीताल	119	" "	31/3/99
9.	साखलाण छोटी	72	" "	2/99

(ऊर्जा मंत्री)

विद्युतीकरण हेतु शेष रहे 8 गांवों को वर्ष 1999-2000 के फेज प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है जिसकी सूची परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) शेष बच्चे ग्रामों का विद्युतीकरण निर्धारित नीति एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार किया जायेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सुशीलपुरा कालोनी सोडाला जयपुर की सीवर लाइन

666. श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सुशीलपुरा कालोनी सोडाला अजमेर रोड, जयपुर को सीवर लाइन से जोड़ने की पूर्व में योजना बनाई गई थी ? यदि हां, तो अब तक इस कालोनी को सीवर लाइन से नहीं जोड़े जाने के क्या कारण हैं ? उक्त कालोनी को अब कब तक सीवर लाइन से जोड़ दिया जावेगा ?

उत्तर

नगर निगम, जयपुर द्वारा सोडाला रांकड़ी क्षेत्र की सीवर लाइन योजना बनाकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को स्वीकृति हेतु भेजी गई है। सुशीलपुरा की सतह काफी निचाई पर होने के कारण उक्त योजना में सुशीलपुरा कालोनी को सम्मिलित नहीं किया जा सका है।

अध्यक्ष नगरपालिका नागौर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच

667. श्री हरीश चन्द (नावां) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अध्यक्ष नगरपालिका नागौर के विरुद्ध शिकायती प्रकरण विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या सरकार ने जिला कलक्टर नागौर से उक्त अध्यक्ष के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच करवाई थी ? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन जिला कलक्टर, नागौर द्वारा सरकार को कब भेजा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक जांच रिपोर्ट सरकार को भिजवा दी जावेगी।

उत्तर

(1) जी हां। अध्यक्ष नगरपालिका नागौर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों को दिनांक 22-6-98 से समय-समय पर जांच हेतु जिला कलक्टर, नागौर को भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

(2) जी हां। जांच प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है। जांच रिपोर्ट शीघ्र

(स्वायत्त शासन मंत्री)

मंगवाये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। जिला कलक्टर को शीघ्र रिपोर्ट भेजने हेतु फिर लिखा जा रहा है।

अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका राजगढ़ (अलवर) के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

668. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका राजगढ़ (अलवर) के विरुद्ध शिकायतें निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग व जिला विकास अधिकारी जयपुर को प्राप्त हुई है? शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त शिकायतें विकास कार्यों की निविदाओं से या अन्य किसी प्रकरणों से सम्बन्धित हैं? क्या प्राप्त शिकायतों पर जांच कराई गई हैं? यदि हां, तो किससे? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, राजगढ़ (अलवर) के विरुद्ध इस विभाग को प्राप्त शिकायतों की प्रति संलग्न है। अन्य विभागों को प्राप्त किसी शिकायतों की जानकारी नहीं है।

(2) जी हां। उक्त शिकायतें विकास कार्यों की निविदाओं एवं अन्य प्रकरणों से सम्बन्धित है, जिनकी जांच उप निदेशक प्रथम, स्थानीय निकाय एवं क्षेत्रीय उप निदेशक स्थानीय निकाय, जयपुर से करवाई जा रही है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कोटा शहर का अवरुद्ध गुलाब बाड़ी नाला

669. श्री मदन दिलावर (अटरू): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कोटा शहर में गुलाब बाड़ी नाला क्यों अवरुद्ध हुआ तथा नाले से पानी की निकासी पर किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि व्यय हुई?

(2) उक्त नाला अवरुद्ध हुआ उस दिन से प्रतिदिन क्या-क्या निर्णय हुए तथा उस पर क्या कार्यवाही हुई?

(3) क्या गुलाब बाड़ी में मेगजीन स्कूल के खेल के मैदान व गढ़ पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है? यदि हां, तो क्यों? उनके नाम और पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त क्षेत्र का पुराना नाला साफ

(श्री मदन दिलावर)

करने हेतु स्थानीय ठेकेदार को कितनी राशि में ठेका दिया था तथा इस नाले को साफ करने हेतु कोटा शहर से बाहर की फर्मों ने कितनी राशि की मांग की थी ?

(5) काफी सस्ते में ठेका देने पर भी ठेकेदार को भुगतान में देरी क्यों की जा रही है ? अब ठेकेदार को कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) गुलाब बाड़ी का नाला पुराने लेण्टर के टूटकर गिरने एवं मलवा भर जाने से अवरुद्ध हुआ। नाले से पानी की निकासी पर नगर निगम, कोटा के मद से नाले के अवरुद्ध भाग की सफाई व मरम्मत पर 30,000,नियन्त्रण कक्ष व्यवस्था व श्रमिकों के खाने के पैकेटों पर 33,270रु., पम्प सैटों के किराये पर 23,775 रु. कुल87,045 रु. का भुगतान नगर निगम, कोटा से किया जा चुका है। मरम्मत के पेटे 20,000 रु. के बिल का भुगतान की प्रक्रिया जारी है।

(2) नाले के अवरुद्ध होने के दिन से इस समस्या के निदान के लिए कार्य करने वाले विभागों के अधिकारियों की समय-समय पर रात्रि को औपचारिक बैठकें वहीं स्थल पर करके कार्य की रूप-रेखा बनाई जाती थी उसके अनुसार नाले के स्थल की खोज, नाले को आर-पार खोलने, मरम्मत, मलवा व लेण्टर आदि हटाने, वांछित मशीनों की उपलब्धता आदि के लिए विचार विमर्श कर उसे क्रियान्वित किया जाता था।

(3) जी हां। मेगजीन स्कूल व बुर्ज पर अतिक्रमण की जानकारी एकत्रित करने के लिए नगर निगम, कोटा को निर्देश दिये गये हैं। विवरण प्राप्त करके नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही कार्यवाही सम्भव होगी।

(4) बुर्ज के नीचे स्थित नाले के 12 फुट लम्बाई में अवरुद्ध भाग की सफाई एवं मरम्मत कराने के लिए 50 हजार रुपये में ठेका दिया गया था। 12 फुट लम्बाई के अवरुद्ध के अतिरिक्त शेष नाले की मरम्मत का ठेका बी.एस.आर. 1998 की दरों से 50 प्रतिशत अधिक पर दिया गया था। इस पर निगम के अनुसार 12 हजार रुपये के लगभग व्यय होंगे। पुराने नाले को 12 फुट लम्बाई के अवरुद्ध हिस्से में 2 फुट व्यास के स्टील पाइप डालकर नाले को चालू करने के कार्य के लिए उर्मी एन्टरप्राइजेज जो गुजरात की फर्म बताई जाती है ने कुल 4,20,000 रुपये की मांग की थी परन्तु यह ठेका उन्हें नहीं दिया गया। अभी तक दिए गए ठेके स्थानीय व्यक्तियों के हैं।

(5) ठेकेदार को 30,000/- रु. अग्रिम के रूप में भुगतान किये जा चुके हैं, शेष 20,000 रुपये का भुगतान शीघ्र किया जा सकेगा।

नगरपालिका राजगढ़ (चूरू) के अपूर्ण कार्य

670. श्री रामसिंह कस्वां (सादुलपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका राजगढ़, जिला चूरू द्वारा सहभागी योजना में सड़कों, खरंजों व नालियों का निर्माण करवाया गया है ? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़कें, खरंजे व नालियां कितनी-कितनी राशि की बनाई गई ? इनकी स्वीकृतियां कब जारी की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त योजना के स्वीकृत कार्यों में नगरपालिका राजगढ़ (चूरू) ने कितनी-कितनी राशि जमा कराई ?

(3) क्या उक्त सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं ? यदि नहीं, तो कौन-कौन से कार्य किन-किन कारणों से बकाया हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । नगरपालिका राजगढ़ (चूरू) द्वारा सहभागी योजना के अन्तर्गत करवाये गये निर्माण कार्यों का विवरण संलग्न है । जिसमें कार्यों एवं राशि की जारी स्वीकृतियों का ब्योरा भी अंकित है ।

(2) उक्त योजना में स्वीकृत कार्यों में नगरपालिका द्वारा जमा करवाई गई राशि का विवरण भाग संख्या 1 में संलग्न सूची में अंकित है ।

(3) उक्त कार्यों में से 8 कार्य पूर्ण हो चुके हैं । 2 कार्य अपूर्ण हैं, जिनका विवरण संलग्न है, जिसमें कार्य अपूर्ण रहने के कारण भी अंकित हैं ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

नगरपालिका (सिरोही) के निर्माण कार्यों में अनियमितताएं

671. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या नगरपालिका मण्डल सिरोही के विरुद्ध भ्रष्टाचार/अनियमितताओं की कोई शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त नगरपालिका के कितने पार्षदों के विरुद्ध भ्रष्टाचार/अनियमितताओं की शिकायतें सरकार के विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । प्राप्त शिकायत को जांच के लिए जिला कलक्टर, सिरोही को भेजा गया है । जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है । रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) उक्त नगरपालिका के अध्यक्षा श्रीमती उषा किरण शाह एवं श्री मोहम्मद युसूफ, सदस्य के विरुद्ध शिकायतें विचाराधीन है।

वैशाली नगर जयपुर के एफ ब्लाक नाले की सफाई

672. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि वैशाली नगर के एफ ब्लाक के नाले की सफाई प्रति-वर्ष कराई जाती है ? यदि हां, तो गत 3 वर्षों में उक्त नाले की सफाई का ठेका किस-किस को कितनी-कितनी राशि का दिया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अवधि में ठेकेदारों द्वारा एक बार भी नाले की सफाई पूर्ण रूप से नहीं की, जिसके कारण स्थानीय निवासियों को भारी असुविधा होती है एवं अनेकों तरह की बिमारियां भी फैलती हैं ?

(3) क्या सरकार स्थानीय नागरिकों की मांग के आधार पर उक्त नाले की ठीक ढंग से सफाई करवाकर उसे पाटने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वैशाली नगर के एफ ब्लाक के नाले की पिछले 3 साल में सफाई नहीं कराई गई है।

(2) जी हां। इस नाले की सफाई शीघ्र कराने हेतु निर्देश दिये जा रहे हैं।

(3) नाले की शीघ्र सफाई कराने हेतु निर्देश दिये जा रहे हैं, परन्तु उक्त नाले को पाटने के संबंध में बजट की उपलब्धता के आधार पर ही कार्यवाही संभव होगी।

आवास विकास संस्थान के अधिशेष कर्मियों का समायोजन

673. श्री रमजान खान(पुष्कर), श्रीमती पूनम गोयल (लाडपुरा) एवं श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि आवास विकास संस्थान को बंद कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

(2) क्या उक्त संस्थान में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को जिनकी सेवाएं 5 वर्ष से भी अधिक की हो चुकी है, को अन्य विभागों में समायोजित करने का निर्णय हुआ है ? यदि हां, तो निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त संस्थान के बंद कर दिये जाने पर अधिकारियों को ही अन्य विभागों में समायोजित किया जायेगा ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री रमजान खान)

(4) क्या यह भी सही है कि कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत सेवा मुक्त कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस भेद-भावपूर्ण निर्णय को बदलने का विचार रखती है ?

(5) क्या यह सही है कि इस संस्थान के गबन, घोटालों व अनियमितताओं के बहुत बड़े मामले विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से, किन-किन के विरुद्ध, कब-कब से ? अब उन का निस्तारण कब तक किस प्रकार से किसके द्वारा किया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार ने दिनांक 10-3-99 को संस्थान की वित्तीय स्थिति को देखते हुये आवास विकास संस्थान का अवसायन किये जाने का निर्णय लिया है। तत्पश्चात आवास विकास संस्थान की दिनांक 26-3-99 को साधारण सभा की विशेष बैठक में लिये गये निर्णयानुसार संस्थान को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया गया।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) आवास विकास संस्थान में हुई विभिन्न अनियमितताओं के 9 मामले विचाराधीन हैं। सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है। अब इनका निस्तारण संस्थान की साधारण सभा की विशेष बैठक दिनांक 26-3-99 के निर्णयानुसार अवसायन समिति द्वारा किया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

स्वर्ण जयंती पार्क विद्याधर नगर जयपुर की भूमि पर अतिक्रमण

674. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विद्याधर नगर जयपुर के सैक्टर 8 में बस स्टेण्ड पर स्थित मस्जिद के पीछे अमानीशाह नाले पर स्वर्ण जयंती पार्क की सीमा की खाली जमीन पर कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने प्लाट बनाकर अतिक्रमण कर रखा है ? यदि हां, तो कितनी भूमि पर मकान बना चुके हैं तथा कितनी भूमि खाली है ?

(2) क्या सरकार उक्त अतिक्रमणों को नियमित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो सरकार अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कब तक करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विद्याधर नगर जयपुर के सैक्टर 8 में बस स्टैण्ड पर स्थित मस्जिद के पीछे अमानीशाह नाला पर स्वर्ण जयन्ति पार्क की सीमा की खाली जमीन पर संलग्न सूची

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

अनुसार 31 व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखे हैं। खाली कोई भूखण्ड नहीं है।

(2) जी नहीं। अतिक्रमियों के विरुद्ध एफ. आई. आर. संख्या 156/97 विद्याधर नगर पुलिस थाने में दर्ज करवायी हुई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

प्रश्न सं. 676 (अतारांकित)

बैंक कालोनी महेश नगर जयपुर विस्तार "बी" की क्षतिग्रस्त सड़क

676. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि बैंक कालोनी महेश नगर विस्तार 'बी' जयपुर की सड़कें खराब होने के कारण उन पर गन्दा पानी भरा हुआ है जिसकी वजह से आये दिन दुर्घटनायें होती हैं ? क्या सरकार सड़कों की मरम्मत एवं नालियों को ठीक करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां, बैंक कालोनी व इसके आस पास की सभी योजनाओं में नालियां नहीं होने के कारण सड़कों पर पानी जमा होता है। इस क्षेत्र की योजनाओं हेतु अब जयपुर विकास प्राधिकरण मुख्य निस्तारण नालियों का निर्माण करवा रहा है। चूंकि इस योजना को प्रशासनिक स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई है और इसका विकास शुल्क जमा नहीं हुआ है। इस कारण आन्तरिक नालियां निर्माण कार्य नहीं कराया जा सकता है।

प्रताप नगर योजना सांगानेर के आवंटियों को आवास का कब्जा

677. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रताप नगर योजना (सांगानेर) में किन-किन आवंटियों से एक मुश्त राशि जून, 1997 में आवास आवंटन हेतु कितनी-कितनी राशि, किस-किस आवेदन से किस आधार पर जमा की गई ? जमा करने की तिथि, जमाकर्ता का नाम, राशि एवं किस संख्या के आवास के आवंटन हेतु राशि जमा की, विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त आवंटियों को आवास का स्वामित्व दिये बिना ही लीज मनी की राशि की मांग की जा रही है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत एवं किस-किस आवंटी से लीज मनी की राशि वसूलने के नियम की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि आवास संख्या 114/48 का स्वामित्व अभी भी आवेदनकर्ता को नहीं दिया गया है जबकि उनके द्वारा समस्त दस्तावेज मय राशि के जमा करवा दिये गये हैं ?

(श्री रमेश खींची)

(4) क्या यह सही है कि उक्त योजना के आवंटियों को लीज मनी के नोटिस भी भेजे गये हैं ? यदि हां, तो किस आधार पर ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या सरकार उक्त आवंटी द्वारा जमा राशि पर साधारण ब्याज का भुगतान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? अब सरकार कब तक आवंटी को उक्त आवास का कब्जा देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रताप नगर योजना (सांगानेर) में जून, 97 में एक मुश्त राशि आवंटित आवास हेतु मंडल के आवंटन पत्रानुसार आवेदक श्री अशोक कुमार बनसिया ने अपने विकल्प दिनांक 13-8-96 (परिशिष्ट 'अ') के अनुसार नगद भुगतान विकल्प पर आवास चाहने हेतु एक मुश्त राशि जमा करवाई; जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	नाम जमाकर्ता	मकान संख्या	राशि	जमा कराने की तिथि
1.	श्री अशोक कुमार बनसिया	114/48	93,414/-रु.	9-6-97

(2) जी हां, यह सही है कि उक्त आवंटी से आवास का स्वामित्व दिये बिना ही लीजमनी एक वर्ष की (अग्रिम) आवंटन पत्र में मांग की गई है । इस हेतु नियम राजस्थान आवासन मण्डल (लागत नियम) (संशोधित) वर्ष 1993 के बिन्दु संख्या 21.04 के अनुसार है । जिसकी प्रति परिशिष्ट 'ब' (1-3) संलग्न है । उपरोक्त उत्तर संख्या 1 में वर्णित आवंटी से लीजमनी राशि की अग्रिम किश्त ली गई है ।

(3) जी नहीं । आवेदक द्वारा आवंटन पत्र (परिशिष्ट 'स') में मांगी गई राशि रुपये 93,414/- समयावधि में दिनांक 9-6-97 को जमा करादी गई थी । लेकिन चालान की प्रति एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये । इसी क्रम में पत्र क्रमांक 4003, दिनांक 24-12-97 (परिशिष्ट 'द') की मांग पर आवंटी द्वारा आवश्यक दस्तावेज नोटेरी से 27-1-98 को प्रमाणित कराने के पश्चात जमा कराये गये । इसके पश्चात कार्यालय के पत्र क्रमांक 4816 दिनांक 2-3-98 (परिशिष्ट 'क') द्वारा आवंटी को दिनांक 14-3-98 तक लीज राशि की किस्त जो जनवरी, 98 माह में देय थी, मय ब्याज के जमा कराकर कब्जा प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया था । आवासीय अभियन्ता,

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

खण्ड चतुर्थ की दिनांक 13-4-99 (परिशिष्ट 'ख' 1-2) की सूचना के अनुसार आवंटी मकान का कब्जा प्राप्त करने हेतु खण्ड कार्यालय में सम्पर्क नहीं किया है। आवंटी को सम्पदा प्रबन्धक, वृत प्रथम के पत्र क्रमांक : 19, दिनांक 13-4-99 (परिशिष्ट 'ग') द्वारा कब्जा लेने हेतु आवासीय अभियन्ता खण्ड-चतुर्थ से सम्पर्क करने हेतु सूचित किया जा चुका है। आवंटी द्वारा मण्डल के नियमानुसार बकाया देय लीज राशि कब्जा लेने की तिथि तक मय ब्याज जमा कराने के पश्चात कब्जा दे दिया जाएगा।

(4) जी नहीं।

(5) मण्डल नियमानुसार आवंटियों की जमा राशि पर आवंटन पत्र जारी करने की दिनांक तक नियमानुसार ब्याज देते हुये जमा राशियों का समायोजन किया जाता है। नियमानुसार उक्त आवंटी को भी आवंटन पत्र जारी करने तक की दिनांक का उसके द्वारा जमा राशि पर ब्याज दिया गया है। मण्डल द्वारा उक्त आवंटित आवास की पुनः कीमत निर्धारित नहीं की जावेगी इस कारण आवंटी की जमा राशि पर नियमानुसार ब्याज देय नहीं है। आवंटी का आवंटित आवास का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु सूचित कर दिया गया है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला जैसलमेर की सेवण घास

678. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जैसलमेर में वन विभाग के पास कितने हैक्टर भूमि चारागाह विकास हेतु आवंटित है ?

(2) उक्त चारागाहों में प्रति वर्ष कितने टन सेवण घास काटा जाता है ?

(3) उक्त चारागाहों पर कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ?

(4) क्या उक्त जिले में फोडर बैंक की योजना है ?

(5) उक्त क्षेत्र में वर्तमान में कितने टन सेवण घास स्टाक में है ?

(6) क्या सरकार उक्त घास क्षेत्र के निजी पशुपालकों को आवंटित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला जैसलमेर में वन विभाग को 6182.26 हैक्टर भूमि चारागाह विकास हेतु आवंटित है।

(2) आवंटित चारागाह भूमि से घास प्रति वर्ष नहीं काटा जाता है।

(राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण)

(3) वर्तमान में उक्त चारागाहों पर 8 कर्मचारी कार्यरत हैं।

(4) जी नहीं।

(5) जिले में अकाल की स्थिति के कारण राज्य स्तर पर हुये निर्णय के अनुसरण में जिला कलक्टर, जैसलमेर के आदेश दिनांक 7-9-98 के द्वारा चारागाह स्थानीय मवेशियों के लिये निशुल्क चराई हेतु खोले गये हैं। अतः घास स्टॉक में होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(6) उक्त चारागाह स्थानीय पशुओं के चराई हेतु खोले जा चुके हैं। अतः आवंटन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

ग्राम माणकसर (डीडवाना) का विद्युतीकरण

679. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम माणकसर, खण्ड डीडवाना को विद्युतीकृत किया हुआ है? यदि हां, तो कब से और विद्युत लाइन कहां से दी गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि इस गांव को एल.टी.लाइन से ही विद्युतीकृत किया गया है? यदि हां, तो क्यों तथा एल.टी. लाईन की वी.आर. की पूर्ण क्षमता कितनी दूरी तक होती है?

(3) क्या उक्त गांव के पास तक 11 के.वी.ए. की लाइन लाई जायेगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या उक्त गांव के घरों में जो कनेक्शन हैं उनके वी.आर. सही हैं? यदि नहीं, तो क्या इस का सत्यापन किसी अधिकारी ने किया है?

उत्तर

(1) जी हां। माणकसर मूलग्राम चौलूखां से अलग होकर दिनांक 22-11-1985 को राजस्व गांव घोषित हुआ है। विद्युतिकृत घोषित गांव से अलग होकर बना गांव भी विद्युतिकृत माना जाता है। मूलगांव चौलूखां दिनांक 16-11-1971 को विद्युतिकृत घोषित किया गया था। अतः माणकसर भी दिनांक 16-11-1971 से विद्युतिकृत माना गया है। इस गांव को मोटियावट से एल.टी.लाइन दी गई है।

(2) जी हां। उक्त गांव में केवल घरेलू कनेक्शन दिये हुये हैं, जिनके लिये वी.आर. की गणना नहीं की जाती है।

(3) उक्त गांव में कृषि, उद्योग हेतु आवेदन प्राप्त होने पर उनको कनेक्शन देने के लिये तकनीकी साध्यता होने पर 11 के.वी.लाइन खींचने पर विचार किया जावेगा।

(4) घरेलू कनेक्शन हेतु वी.आर. का आंकलन नहीं किया जाता है अतः इसके सत्यापन की आवश्यकता नहीं थी।

उप/कनिष्ठ अभियन्ता की वेतन श्रृंखला में अन्तर

680. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या विद्युत मंडल में उप-अभियंता एवं कनिष्ठ अभियन्ता-द्वितीय के कार्य प्रणाली एवं योग्यता में अंतर है? यदि नहीं, तो दोनों के पदनाम, सुविधाएं एवं वेतन श्रृंखला में अन्तर के क्या कारण हैं?

(2) वर्ष 1994 के बाद कितने कनिष्ठ अभियंता (डिग्री एवं डिप्लोमाधारी) नियुक्त किये गये हैं? वर्तमान में मंडल में कार्यरत डिग्रीधारी एवं डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियंता पृथक-पृथक कितने हैं? क्या मंडल द्वारा निर्धारित अनुपात 50:50 की अनुपालना की जा रही है?

(3) वर्ष 1994 के बाद मंडल में सिविल शाखा में डिप्लोमाधारियों को कनिष्ठ अभियता-द्वितीय के पदों पर कितनी संख्या में नियुक्ति दी गई तथा विद्युत अभियान्त्रिकी में डिप्लोमाधारियों को कनिष्ठ अभियंता-द्वितीय के पद पर न लेकर निम्न वेतन श्रृंखला के उप-अभियंता पद पर रखे जाने के क्या कारण हैं? इस भेद भाव को समाप्त करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में उप–अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता–II के पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता समान है लेकिन उनकी कार्यप्रणाली भिन्न है। उप-अभियन्ता का पद मूलतः प्रसारण एवं निर्माण शाखा हेतु सृजित किया गया है क्योंकि मण्डल द्वारा यह महसूस किया गया कि जिन कनिष्ठ अभियन्ता-II को प्रसारण एवं निर्माण शाखा में पदस्थापित किया जाता था वे अपना स्थानान्तरण परि. एवं संधा.शाखा में करवा लेते थे इसलिए इस समस्या के निराकरण हेतु प्रसारण एवं निर्माण शाखा के लिये उप-अभियन्ता का संवर्ग अलग से सृजित किया गया जिससे कि 132 के.वी. जी.एस.एस./220 के.वी. जी.एस.एस. का उचित रखरखाव व देखभाल हो सके। कनिष्ठ अभियन्ता-II का पद सभी शाखाओं के लिए है। उप-अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता-II के वेतनमानों में अन्तर का कारण यह है कि राज्य सरकार में कनिष्ठ अभियन्ता का वेतनमान 5000-8000 है इसलिए उप-अभियन्ता का पद उसी वेतनमान में सृजित किया गया है।

(2) वर्ष 1994 के बाद कनिष्ठ अभियन्ता-I (डिग्री) के पदों पर 878 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। 1994 के बाद डिप्लोमाधारी को कनिष्ठ अभियन्ता-II के पद पर नियुक्ति नहीं दी गई है। मण्डल में अनुमानतः निम्न प्रकार के पद रिक्त हैं:-

(ऊर्जा मंत्री)

क.सं.	विवरण	रिक्त पद
1.	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत एवं यान्त्रिकी)	215
2.	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	22
3.	कनिष्ठ अभियन्ता (पीएलसीसी)	6
4.	कनिष्ठ अभियन्ता (अग्नि शमन)	7

वर्तमान में मण्डल में कार्यरत डिग्री एवं डिप्लोमाधारी अभियन्ताओं की संख्या अनुमानत: निम्न प्रकार है:--

क.सं.	विवरण	कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता	
		डिग्रीधारी	डिप्लोमाधारी
1.	कनिष्ठ अभि. (E&M)	1497	930
2.	कनिष्ठ अभि. (सिविल)	112	36
3.	कनिष्ठ अभि. (PLCC)	29	5
4.	कनिष्ठ अभि. (Fire)	1	1

(3) जी नहीं। 1994 के बाद मण्डल में सिविल शाखा में डिप्लोमाधारी अभियन्ताओं को कनिष्ठ अभियन्ता-II के पद पर नियुक्ति नहीं दी गई है। विद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमाधारी को कनिष्ठ अभियन्ता-II के पद पर नियुक्ति न देकर निम्न वेतन श्रृंखला में उप अभियन्ता के पद पर लिये जाने का कारण उपरोक्त प्रश्न-1 के उत्तर में स्पष्ट है। जहां तक इस सम्बन्ध में इस भेद को समाप्त करने का प्रश्न है, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में विद्युतीकरण

681. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में वर्ष 1977 से 1980 तथा 1985से 1999 तक कौन से गांव विद्युतीकृत हुए ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1985 से 1999 तक सरकार द्वारा 33/132/220 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कराया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में 1990 से फरवरी, 1999 तक कौन-कौन से ट्रांसफार्मर कितनी कितनी लागत के कहां-कहां लगाये गये ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में वर्ष 1977 से 1980 तथा वर्ष 1985 से 1999 तक विद्युतिकृत घोषित गांवों की संख्या सूची निम्न प्रकार है:-

1. अप्रेल, 1977 से मार्च, 1980- 49 ग्राम
2. अप्रेल, 1985 से मार्च, 1999- 87 ग्राम

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1985 से वर्ष 1999 तक एक 132 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन व चार 33 के. वी. सब स्टेशन का निर्माण कराया गया है; जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

क.सं.	सब-स्टेशन/जी.एस.एस. का नाम	संख्या
1.	132 के.वी. जी.एस.एस. छोटी सादड़ी।	1
2.	33 के.वी. सब-स्टेशन कुनेरा	1
3.	33 के.वी. सब-स्टेशन लसड़ावन	1
4.	33 के.वी. ,, जावदा	1
5.	33 के.वी. ,, गादोला	1

उक्त सब-स्टेशन के अलावा एक 220 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन निम्बाहेड़ा व एक 33 के. वी. सब-स्टेशन काकरिया का कार्य निर्माणाधीन है।

(3) उक्त क्षेत्र में वर्ष 1990 से वर्ष 1999 तक 33/11 के.वी. के 7 तथा 132 के.वी. के 3 ट्रान्सफार्मर लगाये गये; जिनका विवरण मय लागत निम्न प्रकार है:-

(ऊर्जा मंत्री)

क्र.सं.	जी.एस.एस/सब-स्टेशन का नाम	ट्रांसफार्मर की क्षमता (एमवीए में)	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
1.	132 के.वी.जी.एस.एस.छोटीसादड़ी	10/12.5	46.11
2.	,, ,, निम्बाहेड़ा	20/25	52.10
3.	,, ,, ,,	10/12.5	54.40
4.	33 कि.वो. सब-स्टेशन मांगरोल	3.15	10.00
5.	,, ,, बाड़ी	5.00	14.00
6.	,, ,, लसडाऊन	3.15	10.00
7.	,, ,, कनेरा	3.15	10.00
8.	,, ,, जावदा	3.15	10.00
9.	,, ,, गाढ़ोवा	3.15	10.00
10.	,, ,, सियाखेड़ी	1.6	4.00

ग्रामीण वृत्त जयपुर क्षेत्र के किसानों से वसूली जा रही राशि

682. श्री अमराराम (धोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर वृत्त ग्रामीण में पूर्व में एक दो पोल योजना में दिये गये कृषि कनेक्शनों में किसानों से अब हार्स पावर चार्ज की राशि बकाया किस कारण से निकाली जा रही है ? क्या यह कार्यवाही नियम विरुद्ध है ?

(2) क्या अभी भी नर्सरी योजना में बिलिंग हो रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के जयपुर जिला वृत्त कार्यालय के अधीनस्थ एक/दो पोल योजना में जारी किये गये विद्युत कनेक्शनों के किसानों से मुख्य अभियंता (ग्रावि)रा.रा.वि.मं.; जयपुर के आदेश पत्र संख्या 473 दिनांक 24-5-1995 के

(ऊर्जा मंत्री)

अनुसार 1250/- रुपये प्रति हार्स पावर मांग पत्र के साथ लिये जाते थे तथा रुपये 600/- प्रति हार्स पावर कनेक्शन जारी होने के पश्चात 12 महीनों में बराबर किश्तों में बिलों के साथ लिये जाते थे। लेकिन जिन उपभोक्ताओं के द्वारा 600/- रुपये प्रति हार्स पावर की राशि 12 माह की किश्तों में कनेक्शन होने के पश्चात बिलों के साथ जमा नहीं कराये गये; उनको नोटिस जारी किये गये, परन्तु उसके पश्चात भी राशि जमा नहीं कराने के कारण बकाया राशि वसूली की कार्यवाही मण्डल के नियमानुसार की गई।

(2) जी हां, लेकिन मण्डल के नियमानुसार नर्सरी श्रेणी में जारी विद्युत कनेक्शनों में यदि कोई बकाया राशि न हो तो दो वर्ष पश्चात उसे कृषि श्रेणी (फ्लेट रेट) में परिवर्तित कर दिया जाता है। जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन जारी हुए दो वर्ष पूर्ण हो चुके हों और उन पर बकाया राशि हो तो बिलिंग नर्सरी श्रेणी में की जाती है, जो नियमानुसार सही है। शहरी क्षेत्रों में जारी नर्सरी कनेक्शनों की बिलिंग नर्सरी श्रेणी में ही की जाती है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में जारी नर्सरी कनेक्शनों को कृषि श्रेणी में बदलने के मण्डल के आदेश नहीं हैं। जो डोम्ड नर्सरी कनेक्शन चल रहे हैं उनकी बिलिंग भी नर्सरी श्रेणी में हो रही है।

विद्युत मण्डल में मंत्रालयिक कर्मियों के रिक्त पद

683. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या वर्ष 1980 से विद्युत मण्डल में विभिन्न तकनीकी श्रमिकों/ मंत्रालयिक कर्मचारियों की नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है? यदि हां, तो उक्त प्रतिबन्ध कब तक जारी रहेगा? उक्त अवधि के दौरान नियुक्त कर्मियों की सूची पदवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध से अब तक रिक्त हुए तकनीकी/ मंत्रालयिक वर्ग के पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1980 से विद्युत मण्डल में सामान्यतया विभिन्न तकनीकी श्रमिकों/मंत्रालयिक कर्मचारियों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है, परन्तु जहां मंत्रालयिक कर्मचारियों/श्रमिकों की अत्यधिक कमी महसूस की गयी, वहां विभागीय कर्मचारियों में से तथा भर्ती पर लगे प्रतिबन्ध को शिथिल करते हुए, विभिन्न पदों पर भर्ती की गयी। उक्त अवधि के दौरान नियुक्त कर्मियों की पदवार सूची परिशिष्ट 'क' के रूप में संलग्न है।

(2) जैसा कि प्रश्न संख्या-1 के उत्तर में स्पष्ट किया गया है कि सीधी भर्ती के

(ऊर्जा मंत्री)

कोटे के जो भी पद रिक्त हैं, उन्हें केवल कार्य की आवश्यकतानुसार व मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए, भर्ती की कार्यवाही की जावेगी। जहां तक पदोन्नति के कोटे के रिक्त पदों को भरे जाने का प्रश्न है, ऐसे पदों को भरने हेतु मण्डल में नियमानुसार पदोन्नति की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें)

जिला चूरू में विधायक कोटे से विद्युतीकरण

684. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विद्युत मण्डल चूरू जिले के किस किस नगर परिषद नगरपालिका व ग्राम पंचायतों में कितनी कितनी बिल की बकाया राशि मांगता है ? विद्युत बिल का भुगतान नहीं किये जाने पर किस-किस नगर परिषद/नगरपालिका/ग्राम पंचायत की स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन काटा गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधायक कोटे से चूरू के वार्ड 1 भूनियावास नई कालोनी के विद्युतीकृत हेतु राशि स्वीकृत हुई तथा स्वीकृत राशि अनुसार 15 विद्युत पोल लगने थे और तेरह विद्युत पोल खड़े कर दिये गये ? क्या शेष दो विद्युत पोल अभियन्ता ने जानबूझकर खड़े नहीं किये ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार कनिष्ठ अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक ?

(3) क्या यह भी सही है कि विधायक कोटे से स्वीकृत राशि से प्रस्तावित विद्युतीकृत होने वाली वार्ड नं. 1 चूरू की कालोनी को अभी तक विद्युतीकृत नहीं किया गया है तथा ना ही नागरिकों के आवेदन पत्र के आधार पर विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? अब सरकार कब तक आवेदकों को विद्युत संबंध देने का विचार रखती है ?

(4) विधान सभा क्षेत्र चूरू के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत मीटर खराब होने की कितनी शिकायतें कब-कब प्राप्त हुई, कितने मीटर बदले गये एवं कितने मीटर बदलने प्रस्तावित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) चूरू शहर/ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी शिकायतें विद्युत पोल टूट जाने या गल जाने की कब–कब प्राप्त हुई ? कितने विद्युत पोल बदले गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त जिले में विद्युत मण्डल में कितने हैल्परों के विभिन्न श्रेणियों के पद कब से रिक्त थे ? सूची सदन की मेज पर रखें। अब रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) चूरू जिले की 16 नगरपालि-

(ऊर्जा मंत्री)

कार्मो/ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइट के कनेक्शनों के बिलों की बकाया राशि व काटे गये कनेक्शनों की सूची परिशिष्ट 'अ' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। अतिरिक्त कलक्टर(विकास) चूरू ने आदेश संख्या निबंन्ध/98/7288-7300 दिनांक 22-8-98 के द्वारा चूरू के वार्ड 7-1 मुनियावास नई कालोनी के विद्युतीकरण हेतु 0.83 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की थी। इसके अनुसार उपरोक्त कार्य में 15 पोल लगाने थे। स्वीकृति अनुसार 15 पोल लगाकर दिनांक 12-4-99 को कार्य पूर्ण कर दिया गया है। चूंकि कार्य स्वीकृति अनुसार पूर्ण हो गया है। अत: कनिष्ठ अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) जी नहीं। विधायक कोटे से स्वीकृत राशि के अनुसार दिनांक 12-4-99 को कार्य पूर्ण कर दिया गया है। उपरोक्त कालोनी में घरेलू कनेक्शन हेतु दिनांक 18-3-99 को 18 आवेदन प्राप्त हुए हैं, आवेदकों को कनेक्शन देने की प्रक्रिया जारी है, जिसके पूर्ण होने पर कनेक्शन दिए जा सकेंगे।

(4) विधान सभा क्षेत्र चूरू के अन्तर्गत शहरी व ग्रामीण उपखण्ड में जनवरी, 99 से मार्च, 99 तक मीटर खराबी सम्बन्धित कुल 143 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें से 47 मीटर बदल दिए गए हैं तथा शेष 96 मीटर बदलने की कार्यवाही की जा रही है। प्राप्त शिकायतों का विवरण परिशिष्ट 'ब' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(5) चूरू के शहरी व ग्रामीण उपखण्ड क्षेत्रों में पोल टूटने की चार शिकायतें विभिन्न दिवसों में प्राप्त हुई थी। सारी जगह पोल बदल दिए गये हैं। प्राप्त शिकायतों की दिनांक व बदले गये पोलों का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	वार्ड/गांव का नाम	शिकायत प्राप्ति की दिनांक	पोल बदलने की दिनांक
1.	वार्ड नं. 35	23-3-99	16-4-99
2.	चलकोई	30-4-98	15-3-99
3.	भामासी	15-2-99	16-2 99
4.	रतन नगर	10-1-99	13-1-99

(6) चूरू जिले में विद्युत मण्डल कार्यालयों में हेल्परों के कोई पद रिक्त नहीं हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

भारत सरकार से अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु प्राप्त अनुदान राशि

685. श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकास निगम भारत सरकार नई दिल्ली

(श्री गोविन्द सिंह)

द्वारा कितनी धन राशि राज्य सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु प्राप्त हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्राप्त राशि को राज्य सरकार ने किस प्रकार किस-किस को वितरित की है ? उक्त राशि प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 189.01 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई।

(2) राज्य सरकार द्वारा वितरित राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' पर अवलोकनीय है। उक्त राशि प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम भारत सरकार नई दिल्ली को समय-2 पर प्रस्ताव भिजवाये गये। जिन व्यक्तियों को इस योजना के अन्तर्गत लाभांवित किया गया है की सूची परिशिष्ट 'ख' प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला धौलपुर में प्रस्तावित नये छात्रावास

686. श्री जसवन्त सिंह (बाड़ी) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला धौलपुर में अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने छात्रावास कहां-कहां पर स्थापित हैं ? उक्त छात्रावासों में कुल कितने छात्र हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त जिले में इस वर्ष नये छात्रावास खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त जिले के विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में अनुसूचित जाति/जनजाति की सर्वाधिक संख्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कारण उपखण्ड बाड़ी में नये छात्रावास खोलेगी ?

उत्तर

(1) जिला धौलपुर में 6 छात्रावास अनु. जाति के तथा 1 छात्रावास स्वच्छकार योजना का कुल 7 छात्रावास हैं। छात्रावासों की सूची मय पते व छात्र संख्या के निम्नानुसार है—

क्र.सं.	नाम छात्रावास	स्वीकृत छात्र सं.	प्रवेशित छात्रसं.
1	2	3	4
1.	राज.अनु.जाति छात्रावास धौलपुर।	40	40

(समाज कल्याण मंत्री)

1	2	3	4
2.	राज.अनु.जाति छात्रावास बाड़ी।	30	24
3.	,, ,, राजाखेड़ा	25	24
4.	,, ,, सैंपऊ	25	20
5.	राज.अनु.जाति कन्या छात्रावास धौलपुर।	25	12
6.	राज.अनु.जाति बालक छात्रावास मनियां	25	25
7.	स्वच्छकार छात्रावास धौलपुर।	25	23

(2) वर्ष 1998–99 में सरमथुरा में अनु. जाति कन्या का एक छात्रावास स्वीकृत किया गया है।

(3) जी हां। यह सरकार के पास वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

बेगूं (चित्तौड़गढ़) में छात्रावास भवन का निर्माण

687. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) एवं श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 16-9-98 को बेगूं में छात्रावास भवन (छात्र) का शिलान्यास किया गया था? यदि हां, तो भवन निर्माण की स्वीकृति कितने रुपये की और कब हुई थी?

(2) क्या उक्त निर्माण कार्य चालू है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) अब कब तक उक्त भवन बनकर पूर्ण हो जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि बेगूं में छात्रावास भवन (छात्र) का शिलान्यास किया गया था। भवन निर्माण हेतु विभाग द्वारा 29.73 लाख रुपये की स्वीकृत कर आवास विकास संस्थान को दिनांक 11-9-98 को आवंटित किये गये।

(2) आवास विकास संस्थान द्वारा उक्त छात्रावास हेतु भूमि को अनुपयुक्त बताते हुये मात्र नींव खोदकर बंद कर दिया गया।

(3) उक्त छात्रावास का भवन निर्माण का कार्य आवासन मण्डल द्वारा प्रारम्भ किया जा रहा है, जिसे शीघ्र ही पूर्ण करवा दिया जायेगा।

अन्य पिछड़ी जातियों के छात्रावास

688. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अन्य पिछड़ी जातियों को सरकार द्वारा क्या सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं ? आदेश/नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रावास हेतु कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है ?

(3) उक्त जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रावास में रहने का खर्चा आदि कितना दिया जा रहा है ? गत तीन वर्षों में राजकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे छात्रावासों में छात्र/छात्राओं को कितना खर्चा दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) अन्य पिछड़ी जाति एवं स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा छात्रावास चलाने पर सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

(5) अन्य पिछड़ी जातियों के छात्र/छात्राओं के कल्याणार्थ सरकार की भावी क्या योजनाएं/कार्यक्रम हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) अन्य पिछड़े वर्ग को राज्य सरकार द्वारा निम्न सुविधायें प्रदान की जा रही हैं:—

1. राज्य सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती में 21 प्रतिशत आरक्षण ।

2. विश्वविद्यालय के अध्यापकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों पर 21 प्रतिशत आरक्षण ।

3. सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के सम्बन्ध में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रोस्टर बिन्दुओं का निर्धारण किया गया है ।

4. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग विकास एवं वित्त निगम से अन्य पिछड़े वर्गों को ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जन जाति वित्त एवं विकास निगम को चैनेलाइजिंग एजेन्सी नियुक्त किया गया है ।

5. राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) में अन्य पिछड़ी जातियों के अभ्यार्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाकर 35 वर्ष निर्धारित की गई है एवं विभिन्न सेवाओं में भर्ती हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों को 2 वर्ष की छूट उच्च आयु सीमा में दी गई है ।

6. पंचायती राज अधिनियम की धारा 15(3) के अन्तर्गत प्रत्येक स्तर पर पंचायत राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया है । इसी तरह उक्त अधिनियम की धारा 16(3)

(श्री अमराराम (धोद))

द्वारा एलोपेथिक दवाइयां उपलब्ध न होने पर पेंशनर्स को अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र जारी करने की व्यवस्था करने सम्बन्धी आदेश जारी किए गए थे, जिससे अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र के आधार पर पेंशनर अधिकृत निजी दुकानों से दवा क्रय कर सके ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) यदि हां, तो अब तक उक्त व्यवस्था लागू न होने के क्या कारण रहे हैं और सरकार अब कब तक उक्त व्यवस्था लागू करने का विचार रखती है ?

(3) क्या उपभोक्ता संघ की हर दुकान द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र जारी करने की व्यवस्था इस आदेश में लागू की गई है ? यदि नहीं, तो क्या यह अनिवार्यता शीघ्र लागू की जावेगी और नहीं, तो क्यों ?

(4) जिन कस्बों आदि में उपभोक्ता संघ की दुकानें नहीं हैं, क्या सरकार उन कस्बों आदि में सरकारी कर्मचारी को दवा लेने पर भुगतान करने की जो व्यवस्था है उन्हीं दुकानों से पेंशनर्स द्वारा दवा क्रय करने पर भुगतान करने की अथवा उन स्थानों के अस्पतालों से दवा मुफ्त देने की व्यवस्था की जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । आदेश की प्रति परिशिष्ट 'एक' पर संलग्न है।

(2) पर्याप्त रिवाल्विंग फण्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण अब तक उक्त व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी है किन्तु बोर्ड आफ ट्रस्टी 'राजस्थान स्टेट पेंशनर्स मेडिकल कन्सेशन स्कीम, राजस्थान जयपुर' की बैठक दिनांक 29-1-99 में किये गये निर्णय के अनुसार प्रारम्भ में प्रायोगिक तौर पर जयपुर में 2 दुकानें चालू करने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। इस हेतु दिनांक 26-3-99 को निजी दुकानों के दवा विक्रेताओं से टेण्डर आमंत्रित किये गये थे, किन्तु मात्र एक ही दुकानदार का प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण टेण्डर फाइनल नहीं किये जा सके तथा पुनः अब दिनांक 15-4-99 को निजी दवा विक्रेताओं से टेण्डर चाहे गये हैं।

(3) जी हां। उपभोक्ता संघ की हर दुकान द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र जारी करने की व्यवस्था उक्त आदेश में लागू की गई है।

(4) जिला स्तर पर जिला सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डारों द्वारा राज्य कर्मचारियों/पेंशनर्स को मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है तथा दौसा, शिवगंज (सिरोही), विजयनगर (अजमेर), श्रीमाधोपुर (सीकर), जहाजपुर (भीलवाड़ा) एवं फलौदी (जोधपुर) में उक्त सुविधा क्रय विक्रय सहकारी समितियों द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। दूरस्थ

(सहकारिता मंत्री)

क्षेत्रों में जहां उक्त सुविधा उपलब्ध नहीं है, वित्त विभाग ने आदेश दिनांक 12-5-98 (परिशिष्ट–एक) के बिन्दु संख्या 4 डी में पेंशनर्स को 100/– रुपये प्रति माह की दर से बाह्य चिकित्सा भत्ता दिये जाने का अथवा डायरी के आधार पर मेडिकल सुविधा प्राप्त करने का विकल्प दिया गया है ।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

भूमि विकास बैंक झुंझुनूं का प्रशासनिक व्यय

691. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) झुंझुनूं भूमि विकास बैंक को वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 में ब्याज से कितनी धन राशि प्राप्त हुई तथा कितना ब्याज का देना पड़ा ? इस अवधि में बैंक का प्रशासनिक व्यय यथा वेतन भत्ते, किराया, जीप गाड़ी, डीजल आदि पर कितना हुआ ? इस अवधि में बैंक प्राप्तियां तथा प्रशासनिक व्यय का क्या अनुपात रहा ?

(2) क्या बैंक द्वारा वसूली करने जाने के सम्बन्ध में भी कोई धनराशि ऋणी से वसूल की जाती है ? यदि हां, तो उक्त अवधि में कितनी धनराशि इस में वसूल की गई ?

उत्तर

(1) झुंझुनूं भूमि विकास बैंक को वर्ष 1997-98 व 1998-99 में क्रमशः ब्याज से 371.60 लाख रुपये एवं लगभग 353.70 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है तथा बैंक को वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 में क्रमशः 270.18 व 215.60 लाख का ब्याज के देने पड़े ।

इस अवधि में चाहे अनुसार प्रशासनिक व्यय निम्न है :–

क्र.सं.	नाम मद	वर्ष 1997-98	वर्ष 1998-99
1.	वेतन भत्ते	34.68	46.91
2.	जीप डीजल	3.73	4.38
3.	जीप किराया	5.01	5.16

(सहकारिता मंत्री)

लम्बी अवधि तक निलम्बित रखे जाने के बारे में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जांच रिपोर्ट में सिरोही केन्द्रीय सहकारी बैंक के तत्कालीन प्रबन्ध संचालक श्री एन.आर.खंगार व श्री आर.सी.माथुर को उत्तरदायी ठहराया गया है। उक्त दोनों अधिकारियों का नियुक्ता क्योंकि राज्य सहकारी बैंक है। अतः राज्य सहकारी बैंक को इनके विरुद्ध बैंक के सेवा नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

(3) व्यवस्थापकों के सेवा नियमों के अन्तर्गत केन्द्रीय सहकारी बैंक, सिरोही द्वारा उक्त व्यवस्थापक को दिनांक 27-7-90 को बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में प्रस्तुत रिट याचिका भी दिनांक 23-2-99 को खारिज हो चुकी है।

(4) जी नहीं, सक्षम न्यायालय द्वारा इन्हें दोषमुक्त नहीं पाया गया है।

शांति नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर द्वारा की गई अनियमितताएं

695. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या शांति नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर द्वारा शिक्षक विहार व जगतपुरा में आवासीय एवं वाणिज्यिक भूखण्डों का आवंटन किया गया था? यदि हां, तो कब किस-किस को? उक्त कालोनी के प्लान एवं भूखण्ड संख्या सहित नाम एवं पतेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या भूखण्ड संख्या 100 से 120 तक के भूखण्डधारियों को भूखण्डों का विधिवत कब्जा दे दिया गया? यदि हां, तो किस-किस को कब-कब और नहीं, तो क्यों? उक्त भूखण्डों के साइड प्लान एवं पट्टे की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जिन भूखण्डधारियों को विधिवत कब्जा नहीं दिया उनको कब्जा दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार को उक्त समिति द्वारा की गई अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति द्वारा क्या-क्या शिकायतें? प्राप्त शिकायतों की प्रति एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त समिति को ब्लेक लिस्टेड कर दोषियों को दण्डित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) शांति नगर गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर के पूर्व पदाधिकारियों

(सहकारिता मंत्री)

द्वारा पंजीयक, सहकारी समितियां द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी तथा विभाग द्वारा नियुक्त अंकेक्षक एवं राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त प्रशासक को समिति का कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने के कारण प्रश्न से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है।

(2) क्योंकि गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा किसी भी प्रकार का अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया। अतः वांछित विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है।

(3) प्रश्न के भाग "दो' के अनुसार।

(4) जी हां। शांति नगर गृह निर्माण सहकारी समिति के विरुद्ध पंजीयक, सहकारी समितियां को प्राप्त शिकायतें तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट '1' के अनुसार संलग्न है। प्राप्त शिकायतों की प्रतियां परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

(5) सहकारी नियमों के अंतर्गत सहकारी संस्था को काली सूची में डालने का कोई प्रावधान नहीं है, किन्तु राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत शिकायतों के अनुसार अधिनियम की धारा 36 में प्रशासक की नियुक्ति, धारा 132 (3) में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति दी जा चुकी है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

तहसील लाडनूं एवं डीडवाना में ओलावृष्टि

696. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1999 में हुई वर्षा में ओले पड़े और फसल नष्ट हुई ? यदि हां, तो तहसील लाडनूं व डीडवाना जिला नागौर में कौन-कौन से गांव में ओलों से नुकसान हुआ ?

(2) क्या किसी अधिकारी ने इस नुकसान का मूल्यांकन किया ? यदि हां, तो कब तथा किसने और इसमें कितने काश्तकारों की कितने-कितने क्षेत्रफल की कितनी-कितनी फसल नष्ट हुई ?

(3) क्या उक्त नुकसान के लिये काश्तकारों को मुआवजा भी दिया गया ? यदि हां, तो किस हिसाब से कितना-कितना और कब ?

(4) क्या सरकार इस प्रकार से नुकसान भरपाई के लिये दिये जा रहे अनुदान को पर्याप्त मान रही है? यदि हां, तो कैसे और नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षणार्थी संख्या	प्रशिक्षण अवधि
1. राजस्थान राज्य सेवा प्रशिक्षण (मुख्य)	06	1 सितम्बर, 98 से 31 दिसम्बर 98 तक
2. राजस्थान राज्य सेवा प्रशिक्षण (प्री.)		
उदयपुर केन्द्र	12	15 जनवरी, 99 से लगातार
बांसवाड़ा केन्द्र	38	15 जनवरी, 99 से 15 मार्च, 99 तक
डूंगरपुर केन्द्र	24	15 जनवरी, 99 से 15 मार्च, 99 तक
प्रतापगढ़ केन्द्र	22	15 जनवरी, 99 से 15 मार्च, 99 तक
3. विस्तारित कोचिंग योजना (X & XII)		
(अ) दशहरा-दीपावली अवकाश	1757	माह अक्टूबर-नवम्बर, 98
(ब) परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश	600	1 मार्च, 99 से 15 मार्च, 99
4. कम्प्यूटर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (पी.जी.डी.सी.ए.)	26	1 दिसम्बर, 98 से लगातार

संस्थान में प्रवेश के लिए प्रस्तावित नियमों का प्रारूप परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(प्रारूप के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

ग्राम मुहाना (जयपुर) में प्रस्तावित कृषि उपज मण्डी

699. श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर जिले के मुहाना ग्राम में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिये मण्डी विकास परि–योजना प्रस्तावित की गई है ? यदि हां, तो इसकी प्रस्तावित लागत क्या थी ? अब तक इस पर कृषि विपणन बोर्ड एवं कृषि उपज मण्डी द्वारा किस–किस मद में कितनी राशि व्यय की गई है ?

(2) क्या उक्त परियोजना के लिये भूमि अवाप्त कर ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या मुआवजे व वास्तविक कब्जे की कार्यवाही में कोई बाधा है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। संदर्भित परियोजना का प्रारूप निर्धारित प्रक्रियाधीन है, जिस पर अनुमानित व्यय 120.08 करोड़ रुपये प्रस्तावित है । इसमें भूमि की कीमत शामिल नहीं है। अब तक भूमि अवाप्ति पर 4.99 करोड़ एवं चार दीवारी निर्माण पर 0.21 करोड़ कुल 5.20 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है।

(2) परियोजना हेतु प्रथम चरण में 100.73 हैक्टर भूमि अवाप्त कर ली गई है तथा द्वितीय चरण में 44.93 हैक्टर भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) प्रथम चरण में अवाप्त भूमि का कब्जा ले लिया गया है । इस भूमि के मुआवजे का निर्धारण भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा हो चुका है । एक खातेदार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ जयपुर में एक याचिका दायर की गई है जो विचाराधीन है। द्वितीय चरण में अवाप्ताधीन 44.93 हैक्टर भूमि का भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा मुआवजा राशि निर्धारित नहीं किये जाने के कारण कब्जा नहीं लिया जा सका है।

हरनावदा शाह जी व कबाई का मण्डी प्रांगण

700. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला बारां की गौण मंडी हरनावदा शाहजी एवं कबाई के मंडी प्रांगण का निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

बारां जिले के गौण मंडी हरनावदा शाहजी में हाट बाजार बना हुआ है जहाँ कि मण्डी का कारोबार चलता है एवं गौण मण्डी कबाई जो भी कृषि उपज मण्डी समिति छबड़ा के अधीन है, के मण्डी प्रांगण हेतु स्थान चयन नहीं हुआ है। स्थान चयन

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

कर भूमि अवाप्ति होने पर ही गौण मण्डी प्रांगण बनाने पर विचार किया जा सकेगा।

प्रश्न संख्या–701

(स्थगित)

स्थगन प्रस्ताव पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :—

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील जयपुर में जानलेवा बुखार डेंगू के फैलाव को समय रहते रोकने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री रामसिंह कस्वां, सदस्य, विधान सभा की ओर से चूरू जिले में हो रही निरन्तर चोरियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बूंदी की तहसील इन्द्रगढ़ की ग्राम पंचायत बाबई में किये गये सैटलमैंट के कार्य में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में।

(3) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सिरोही में 400 के.वी. विद्युत जी.एस.एस. का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री गणेशीराम मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जालौर जिले की पंचायत समिति जालौर के नबी गांव में पहुंचने के लिए सड़क का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुंझुनूं जिले के ग्राम कैरोठ में पीने के पानी की समस्या के सम्बन्ध में।

(6) डा. समरजीत सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के गांव धुम्बडिया व बागोड़ा के मार्ग पर रपट बनाने के संबंध में।

(7) श्री अमराराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नये क्रय की गयी भूमि पर खोदे गये कुओं पर विद्युत कनेक्शन स्थानांतरित करने पर लगायी गयी 2 वर्ष की पाबन्दी को हटाये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री ललित भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर के डबोक स्थित लोकमान्य तिलक शिक्षा महाविद्यालय को

ग्राम मुहाना (जयपुर) में प्रस्तावित कृषि उपज मण्डी

699. श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर जिले के मुहाना ग्राम में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिये मण्डी विकास परियोजना प्रस्तावित की गई है ? यदि हां, तो इसकी प्रस्तावित लागत क्या थी ? अब तक इस पर कृषि विपणन बोर्ड एवं कृषि उपज मण्डी द्वारा किस-किस मद में कितनी राशि व्यय की गई है ?

(2) क्या उक्त परियोजना के लिये भूमि अवाप्त कर ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या मुआवजे व वास्तविक कब्जे की कार्यवाही में कोई बाधा है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। संदर्भित परियोजना का प्रारूप निर्धारित प्रक्रियाधीन है, जिस पर अनुमानित व्यय 120.08 करोड़ रुपये प्रस्तावित है । इसमें भूमि की कीमत शामिल नहीं है । अब तक भूमि अवाप्ति पर 4.99 करोड़ एवं चार दीवारी निर्माण पर 0.21 करोड़ कुल 5.20 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है ।

(2) परियोजना हेतु प्रथम चरण में 100.73 हैक्टर भूमि अवाप्त कर ली गई है तथा द्वितीय चरण में 44.93 हैक्टर भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) प्रथम चरण में अवाप्त भूमि का कब्जा ले लिया गया है । इस भूमि के मुआवजे का निर्धारण भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा हो चुका है । एक खातेदार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ जयपुर में एक याचिका दायर की गई है जो विचाराधीन है । द्वितीय चरण में अवाप्ताधीन 44.93 हैक्टर भूमि का भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा मुआवजा राशि निर्धारित नहीं किये जाने के कारण कब्जा नहीं लिया जा सका है ।

हरनावदा शाह जी व कवाई का मण्डी प्रांगण

700. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला बारां की गोण मंडी हरनावदा शाहजी एवं कवाई के मंडी प्रांगण का निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

बारां जिले के गोण मंडी हरनावदा शाहजी में हाट बाजार बना हुआ है जहां कि मण्डी का कारोबार चलता है एवं गौण मण्डी कवाई जो भी कृषि उपज मण्डी समिति छबड़ा के अधीन है, के मण्डी प्रांगण हेतु स्थान चयन नहीं हुआ है । स्थान चयन

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

कर भूमि अवाप्ति होने पर ही गौण मण्डी प्रांगण बनाने पर विचार किया जा सकेगा।

प्रश्न संख्या–701

(स्थगित)

स्थगन प्रस्ताव पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :—

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील जयपुर में जानलेवा बुखार डेंगू के फैलाव को समय रहते रोकने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री रामसिंह कस्वां, सदस्य, विधान सभा की ओर से चूरू जिले में हो रही निरन्तर चोरियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बूंदी की तहसील इन्द्रगढ़ की ग्राम पंचायत बाबई में किये गये सैटलमैंट के कार्य में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में।

(3) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सिरोही में 400 के.वी. विद्युत जी. एस.एस. का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री गणेशीराम मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जालौर जिले की पंचायत समिति जालौर के नबो गांव में पहुंचने के लिए सड़क का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुंझुनूं जिले के ग्राम कैरोठ में पीने के पानी की समस्या के सम्बन्ध में।

(6) डा. समरजीत सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के गांव धुम्बड़िया व बागोड़ा के मार्ग पर रपट बनाने के संबंध में।

(7) श्री अमराराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नये क्रय की गयी भूमि पर खोदे गये कुओं पर विद्युत कनेक्शन स्थानांतरित करने पर लगायी गयी 2 वर्ष की पाबन्दी को हटाये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री ललित भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर के डबोक स्थित लोकमान्य तिलक शिक्षा महाविद्यालय की

(श्री अध्यक्ष)

बी.एड डिग्री की मान्यता समाप्त करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री भंवरसिंह शेखावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा पी. ऐम.टी. प्रवेश परीक्षा में राजस्थान मूल के निवासी विद्यार्थियों को सम्मिलित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री राम प्रताप, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 125 आयुर्वेद चिकित्सकों को नियुक्ति नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मैंने भी दिया था।

श्री अध्यक्ष : कल आ जाएगा।

श्री सांवर लाल : 4-5 दिन हो गये, मेरा स्थगन प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : कल वाले लिये नहीं जा सके, सदन में कुछ अव्यवस्था हो गयी इसलिए कल देखेंगे।

श्री हीरासिंह चौहान : या तो पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : वह कल देखेंगे।

श्री हीरासिंह चौहान : पढ़ा हुआ मानने के तो आप आदेश दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : आज नहीं। मेरे सामने आ गये हैं उनके बारे में कल व्यवस्था दूंगा।

श्री हीरासिंह चौहान : कल ले लिया जाए।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, पूर्व मंत्री चन्द्रशेखरजी की दुर्घटना में मृत्यु हो गयी उसके लिए आपसे शोक व्यक्त करने के लिए आग्रह है।

श्री अध्यक्ष : यूं बीच में नहीं।

श्री रामसिंह कस्वां।

(अनुपस्थित)

श्री रामगोपाल बैरवा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बूंदी जिले की तहसील इन्द्रगढ़ में सैटलमैंट की अनियमितता

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत बूंदी जिले की तहसील इन्द्रगढ़ में सैटलमैंट की अनियमितता से हो रही परेशानी के सम्बन्ध में उल्लेख है कि गत वर्षों में बूंदी जिले की तहसील इन्द्रगढ़ की ग्राम पंचायत बाबई व

(श्री रामगोपाल बैरवा)

आस-पास के क्षेत्रों में जो सैटलमैंट का कार्य किया उस समय उसमें अनियमितताएं हुई जिसमें एक किसान की जमीन को दूसरे किसान के खाते लगा दिया व दूसरे व्यक्ति के खाते की जमीन को सिवायचक में दर्ज कर दिया, जिसमें किसान आज भी परेशान है। जमीन किसी व्यक्ति की है तो रिकार्ड दूसरे व्यक्ति का, जिसमें आपस में किसानों के लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं।

अतः किसानों के हितों व समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए कैम्प लगाकर उनका निराकरण करने का श्रम करें।

(12.06 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

सिरोही में 500 के.वी.ए.जी. एस. एस. का निर्माण

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत मैं निम्नांकित महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सिरोही जिला मुख्यालय पर वर्तमान में 220 के.वी. विद्युत क्षमता का जी.एस.एस. है जिसके जरिये सिरोही जिले में विद्युत आपूर्ति की जाती है। इसके माध्यम से 132 के.वी. लाइन की पिंडवाड़ा, आबू-रोड, रेवदर, जारपार व सुमेरपुर विद्युत आपूर्ति जुड़ी हुई है।

भीनमाल एवं बालोतरा में एक-एक 220 के.वी. जी.एस.एस. है एवं पिंडवाड़ा में इसका कार्य लगभग पूरा होने को है। इस क्षेत्र में पर्याप्त वोल्टेज व बेहतर व स्थिर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था तथा संचरण छीजत में कमी लाने के लिए सिरोही में 400 के. वी. ई. एच. वी. जी. एस. एस. के निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है। कुछ समय पहले मण्डल के स्तर पर इस सम्बन्ध में प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं प्रस्ताव भी तैयार किया गया था। अब इस प्रस्ताव के अति-शीघ्र क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

सिरोही जिले के कालिन्दी क्षेत्र में सिरोही-जावाल-कालिन्दी रामसीण 33 के.वी. लाइन के जरिये विद्युत आपूर्ति की जा रही है। इस तरह इस लाइन पर काफी भार है और यह लम्बी भी है। सिरोही–भीनमाल 132 के.वी. लाइन कालिन्दी 33 के वी. सब स्टेशन के बिलकुल पास से गुजर रही है। अतः कालिन्दी में 132 के. वी. जी.एस.एस. का निर्माण कर कालिन्दी, जावाल एवं मेर माण्डवाड़ा क्षेत्र की विद्युत समस्या का समाधान किया जा सकता है। कालिन्दी में 132 के.वी. जी. एस.एस. का निर्माण कर बेहतर वोल्टेज एवं विद्युत आपूर्ति में स्थिरता प्रदान की जा सकती है और संचरण छीजत में कमी लाई जा सकती है।

मैं ऊर्जा मंत्री से आग्रह करना चाहूंगा

(श्री संयम लोढ़ा)

कि सिरोही व कालिन्दी के उक्त प्रस्तावों को स्वीकृत करवाने का कष्ट करें। सिरोही जिले के अधीक्षण अभियंता. (प्रो.एण्डएम.) पाली व जालौर जिलों के अधीक्षण अभियंता (प्रो.एण्डएम.) को जोधपुर के अधीन रखा गया है। विद्युत मंत्री से आग्रह है कि सिरोही में अधीक्षण अभियंता (प्रो. एण्ड एम.) का कार्यालय खोलने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गणेशी राम मेघवाल।

जालौर पंचायत समिति के नबी गांव तक सड़क निर्माण

श्री गणेशी राम मेघवाल (जालौर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व ग्राम नबी, पंचायत समिति जालौर के लिये कस्बा-बागरा एवं जालौर जिला मुख्यालय पर पहुंचने हेतु नियम 295 राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया अन्तर्गत सड़क निर्माण के क्रम में। आपके माध्यम से श्रीमान मंत्री महोदय सार्वजनिक निर्माण विभाग का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि जालौर जिले की जालौर पंचायत समिति में नबी नामक राजस्व गांव है। इस गांव के ग्रामीणों के लिये समीपस्थ बागरा कस्बा एवं जालौर जिला मुख्यालय पर पहुंचने का कोई सुरक्षित मार्ग नहीं है। नबी से नागनी तक के सम्पूर्ण मार्ग का साधन नाला ही है। वर्षा ऋतु में पानी चलता है।

अतः राज्य सरकार से निवेदन है कि नबी से नागनी पहुंचने हेतु पहाड़ के सहारे प्रथम 4 किलोमीटर ग्रेवल सड़क बनाकर राहत पहुंचायी जा सकती है। वर्षा ऋतु में नाले वाला रास्ता बन्द हो जाता है एवं इसमें पानी बहता है। ग्रामीणों का आवागमन बंद हो जाता है। बीमारी एवं प्रसवकाल में बागरा अस्पताल पहुंचने में भयंकर कठिनाई आती है। अतः 4 किलोमीटर की ग्रेवल सड़क पहाड़ी के सहारे बनाकर ग्राम की समस्या का समाधान करने का कष्ट करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

झुन्झुनूं जिले के ग्राम कैरोठ में पेयजल समस्या

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत झुन्झुनूं जिले के ग्राम कैरोठ में पीने के पानी की समस्या के महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं। झुन्झुनूं जिले की उदयपुरवाटी तहसील के ग्राम कैरोठ में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। ग्राम की आबादी करीब 1500 है। झुन्झुनूं जिले में आखिरी छोर पर यह गांव बसा हुआ है। पठारी भूमि है, पानी की सतह नीची है। कुछ हैण्ड पम्प लगे हैं जो कामयाब नहीं हैं। इतनी गहराई पर पानी होने से हैण्ड पम्प कामयाब हो भी नहीं सकते। लोगों को पीने का पानी दूर-दूर से लेकर जिले के गांव से लाकर पीना पड़ता है जो दो-तीन किलोमीटर से कम नहीं है। कुछ समय पहले इस गांव की पानी की समस्या के निवारण हेतु ट्यूबवैल बनाकर पानी देने की योजना मंजूर की गयी थी लेकिन वह

(श्री शिवनाथ सिंह)

मूर्त रूप नहीं ले पायी। इस गांव की समस्या का निराकरण या तो ट्यूबवैल बनाकर या पड़ौसी गांव पापड़ा की पानी की योजना से जोड़कर पाइप लाइन द्वारा करेठ तक पानी पहुंचने से हो सकता है।

अतः जलदाय विभाग मंत्री का ध्यान इस समस्या के निराकरण हेतु आकर्षित करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : डा. समरजीत सिंह। (अनुपस्थित) श्री अमराराम चौधरी।

नये कुए पर कृषि विद्युत कनेक्शन के हस्तान्तरण पर लगी रोक

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : राज्य विद्युत मण्डल द्वारा कृषक उपभोक्ताओं को नयी क्रय की गयी भूमि पर खुदे हुए कुए पर कृषि विद्युत कनेक्शन स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध से सन्दर्भ नियम 295 के अन्तर्गत माननीय उपाध्यक्ष के माध्यम से सरकार का ध्यान निम्न प्रकार से आकर्षित करना चाहता हूं:–

1. यह कि राज्य विद्युत मण्डल द्वारा कृषक उपभोक्ताओं की नयी क्रय की गयी भूमि पर खुदे हुए कुए पर कृषि विद्युत कनेक्शन स्थानान्तरित करने पर दो वर्ष के लिये रोक लगी हुई है जो अव्यावहारिक एवं किसान के हितों के विरुद्ध है।

2. यह कि एक किसान उस ग्राम की सीमा में अपने पूर्व के कुए का खारा पानी होने पर मीठे पानी का कुआ खोद कर उस पर अपने पुराने कुए का कनेक्शन स्थानान्तरित (शिफ्टिंग) करना चाहता है, उस पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं होनी चाहिये। लेकिन राज्य विद्युत मण्डल के आदेश संख्या 879/22-7-1998 के अनुसार दो वर्ष के लिये पाबंदी लगा दी गयी है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि किसान एक ईमानदार व निष्ठावान अन्नदाता है। वह दूसरा मीठा पानी का कुआ खोदने और अपने खारे पानी के कुए की भूमि में खेती करने के लिये पाइप लाइन लगाने में लाखों रुपये खर्चा करता है। फिर नये मीठे पानी का कुआ जो क्रय की भूमि में है, उस पर कनेक्शन स्थानान्तरित करने के लिये दो वर्ष की पाबंदी किसी सूरत में नहीं होनी चाहिये। किसान दो वर्ष तक बिना पानी कैसे फसल तैयार करेगा? यह दो वर्ष की पाबंदी किसानों के हितों के खिलाफ है जिसको शीघ्र ही समाप्त किया जाना चाहिये।

श्रीमान से निवेदन है कि इस सम्बन्ध में सरकार को आवश्यक निर्देश दिलाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललित भाटी।

(अनुपस्थित)

श्री भंवर सिंह शेखावत।

(अनुपस्थित)

श्री रामप्रताप।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित आयुर्वेद चिकित्सकों की नियुक्ति

श्री राम प्रताप (हनुमानगढ़): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 125 आयुर्वेद चिकित्सकों को नियुक्ति दिये जाने बाबत विशेष उल्लेख करना चाहता हूं कि पिछले 215 दिनों से लोक सेवा आयोग से चयनित आयुर्वेद चिकित्सक स्टेच्यू सर्किल पर धरना दे रहे हैं।

इस संदर्भ में मेरा निवेदन है कि दिनांक 27-12-95 को लोक सेवा आयोग से चयनित 718 व्यक्तियों में से 506 व्यक्तियों को आयुर्वेद चिकित्सक के पद पर नियुक्ति हुई। इस सूची में 212 व्यक्ति ऐसे थे जो दिनांक 5-5-90 से पहले के सेवारत थे और उन्हें विभागीय जांच समिति द्वारा स्थायी कर दिया गया था। राज्य सरकार ने दिनांक 27-5-96 को लोक सेवा आयोग से आरक्षित सूची मंग-वायी और उस सूची में से 313 व्यक्तियों को नियुक्ति देने का मानस बनाया।

इसी क्रम से 299 व्यक्ति जो विभाग में तदर्थ रूप से लगे हुए थे और उन्हें लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित करने से मना कर दिया था, उनको सरकार ने स्थायी करने का निर्णय लिया। इस प्रकार से चयनित व्यक्ति सड़क पर बैठे हैं और सभी प्रकार से अचयनित व्यक्ति राज्य सरकार में सेवा कर रहे हैं।

माननीय आयुर्वेद राज्य मंत्री महोदया के ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा कि 313 व्यक्तियों की आरक्षित सूची में 78 व्यक्ति वे हैं जो तदर्थ रूप से नियुक्त 299 व्यक्तियों में शामिल हैं, जिन तदर्थ व्यक्तियों को स्थायी करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया।

इसी प्रकार 313 व्यक्तियों की आर-क्षित सूची में 110 व्यक्ति वे हैं जो दिनांक 5-5-90 से पूर्व होने की वजह से विभागीय जांच समिति द्वारा स्थायी कर दिये गये हैं।

इसी प्रकार से 313 व्यक्तियों की आरक्षित सूची में से उपरोक्त वर्णित 78 व्यक्ति एवं 110 व्यक्ति (कुल 188 व्यक्ति) कम होने के पश्चात 125 व्यक्ति ही चय-नित आयुर्वेद चिकित्सक आरक्षित सूची में शेष बचे हैं, जिनको राज्य सेवा से वंचित रखा हुआ है। जबकि विभाग के पास 200 से अधिक आयुर्वेद चिकित्सकों के पद रिक्त हैं।

अतः मैं माननीय आयुर्वेद मंत्री महो-दया का इन 125 लोक सेवा आयोग से चयनित आयुर्वेद चिकित्सकों को जो आर-क्षित सूची में शेष बचे हैं, नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में मैं विशेष उल्लेख करता हूं।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, यह ललित भाटी का जो नाम पुकारा है उसमें हमारा भी एक है। इसमें हम बोल देते हैं, ललित जी नहीं बोले तो।

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ ?

श्री जगत सिंह दायमा : इसमें मुझे बोलने दो, मेरा नाम है इसमें।

श्री उपाध्यक्ष : कहां है नाम ?

श्री जगत सिंह दायमा : दस्तखत किया है, साहब। यह अनुसूचित जाति, जनजाति का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : होगा, लेकिन आपका नाम कहां है इसमें ?

श्री जगत सिंह दायमा : मुझे पढ़ने की छूट दे दीजिये और कुछ बोलना नहीं चाहता हूं मैं। इसमें कोई राजनीति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं।

श्री जगत सिंह दायमा : विद्यार्थियों को मारा गया है, पीटा गया है....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये प्लीज।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला ऐसा है जो अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़ा हुआ है।

याचिका का उपस्थापन

बलाड़ा ग्राम पंचायत स्थित माध्यमिक विद्यालय की क्रमोन्नति

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर सांवर लाल, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे। ....(व्यवधान) बिराजिये, बिराजिये।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम पंचायत बलाड़ा में स्थित माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री हीरासिंह चौहान : मैंने उपाध्यक्ष जी, जीरो आवर में एक पर्ची दी थी और निवेदन किया था आपसे....

श्री उपाध्यक्ष : तो फिर आपको कल के लिये कह दिया ना अध्यक्ष महोदय ने।

श्री हीरासिंह चौहान : कल के लिये कह दिया ?

श्री उपाध्यक्ष : कहा ना कल का अभी आपको अध्यक्ष महोदय ने।

श्री हीरासिंह चौहान : ठीक है, कल बुला दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : पर्चियां आज लीं नहीं, कल आएंगी तो ले लेंगे।

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं, आज मैंने आपके सम्मुख दी थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि आप जब बैठे थे अध्यक्षजी के चैम्बर में उस समय दी थी। दो मिनट में निपटा देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या निपटा देते हो ?

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से दो मिनट बोल लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो। नहीं मैं निपटना नहीं चाहता हूं।

श्री हीरासिंह चौहान : तो आपको थोड़े ही निपटाऊंगा मैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री बनवारी लाल बैरवा : अनुसूचित क्षेत्र में प्रायोगिक रूप से 13 विभागों में लागू करने तथा इस प्रणाली के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों के समाधान हेतु सहकारिता मंत्री श्री गुलाब सिंह शक्तावतजी के संयोजन में दो अन्य मंत्रियों को सम्मिलित कर एक समिति के गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की है।

इस समिति की दो बैठकें हो चुकी हैं तथा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्य मंत्री महोदय को प्रस्तुत किये जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय के निर्णय के पश्चात इस मामले पर अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है।

डा. रघुवीर सिंह (सराड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहूंगा मंत्रीजी से। पहला तो मंत्री महोदय यह बताएं कि महाराष्ट्र पैटर्न है क्या? उसकी मूल भावना क्या है? आप आदेश दें तो एक-एक प्रश्न पूछूं और आप आदेश दें तो जो भी प्रश्न पूछने हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आप जो पूछना है पूछ लें।

डा. रघुवीर सिंह (सराड़ा): दूसरा, क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को समय-समय पर ये निर्देश जारी किये कि महाराष्ट्र पैटर्न हूबहू लागू किया जाए? तीसरा प्रश्न, जैसा कि महाराष्ट्र पैटर्न में भावना है जनजाति के विकास की; उसके अनुरूप राज्य सरकार मूल रूप से राजस्थान में लागू कर रही है? यदि हां, तो किस रूप में और नहीं, तो क्यों?

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फरवरी, 1995 एवं फरवरी, 1996 में गोहाटी और दिल्ली में कल्याण मंत्रियों की और उनके सैक्रेटरीज की मीटिंग हुई थी और उसमें यह बात तय की गयी थी कि महाराष्ट्र पैटर्न अच्छा पैटर्न है, वह हूबहू लागू किया जाए। लेकिन देखने में यह आया कि प्रत्येक राज्य ने अपने–अपने हिसाब से उसको मोडिफाई किया हुआ है इसलिए सभी जगह पर थोड़ा उसमें भेद हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र पैटर्न क्या है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : मैं वह भी बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र पैटर्न क्या है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : महाराष्ट्र पैटर्न के जो मेन फीचर्स हैं वे मैं आपको निवेदन करता हूं। राज्य उप योजना मद से उप योजना हेतु एक निश्चित राशि जन-जाति विकास विभाग को आवंटित की जाएगी जो राज्य में जनजाति जनसंख्या यथा 9 प्रतिशत से कम नहीं होगी। 1993–94 में यह राशि 7 प्रतिशत होगी जिसे आगामी वर्षों में 9 प्रतिशत तक

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

बढ़ाया जाएगा। महाराष्ट्र पैटर्न के जो मेन फीचर्स हैं वे मैं आपको सुना रहा हूं। जनजाति विकास विभाग उप योजना क्षेत्र के लिए विभिन्न विभागों की प्राथमिकताएं निश्चित करके सम्बन्धित विभागों को सूचित किया जाएगा। जनजाति विकास विभाग प्रशासनिक विभागों से विचार-विमर्श करके यह निश्चित करेगा कि उनके द्वारा चुने हुए कौनसे कार्य जनजाति के लिए महत्वपूर्ण हैं।

उप योजना क्षेत्र में योजनाओं के निर्धारण का समस्त अधिकार जनजाति विकास विभाग को होगा। उप योजना क्षेत्र में आवंटित राशि का 75 प्रतिशत भाग व्यय किया जाएगा तथा शेष 25 प्रतिशत राशि उप योजना क्षेत्र के बाहर बचे जनजाति के कल्याण हेतु व्यय की जाएगी। आवंटित राशि में 60 से 70 प्रतिशत लागत की योजनाएं जिला स्तर पर बनायी जाएंगी।

इसी आधार पर जिलों की वार्षिक उप योजना बनायी जाएगी। इसकी स्वीकृति जनजाति विकास विभाग द्वारा की जाएगी।

जनजाति विकास विभाग द्वारा धन-राशि का आवंटन खण्डवार और जिलेवार किया जाता है। उप योजना निर्माण का कार्य मुख्यतः खण्ड पर गठित समितियों द्वारा किया जाता है जिसका अध्यक्ष क्षेत्र का जनजाति विधायक होता है। जिला स्तर आयोजना समिति, खण्ड से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर जिले के लिए उप योजना तैयार करती है।

इस समिति का अध्यक्ष जिले का प्रभारी मंत्री होता है। जिला समिति से प्राप्त प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु राज्य स्तर पर एक विशिष्ट अधिकार प्राप्त समिति (एम्पावर्ड कमेटी) का गठन किया गया है जिसमें वित्त सचिव, आयोजना सचिव, जनजाति विकास सचिव और सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के सचिव सदस्य होते हैं। इस समिति के अनुमोदन के पश्चात प्रस्ताव आयोजना या वित्त विभाग को भेजने की आवश्यकता नहीं होती है।

समन्वित जनजाति विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु भारतीय प्रशासनिक या भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को परियोजना अधिकारी नियुक्त किया गया है। समन्वित जनजाति विकास परियोजना में पदस्थापित अन्य सभी अधिकारी/कर्मचारी परियोजना अधिकारी के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं तथा परियोजना अधिकारी को समस्त विभागों के प्रशासनिक अधिकार; अतिरिक्त कलक्टर और मुख्य कार्यकारी, अधिकारी, जिला परिषद के भी अधिकार दिये गये हैं। परियोजना अधिकारी कम से कम 3 वर्षों के लिए पदस्थापित किया जाएगा।

मान्यवर, मूल रूप से यह महाराष्ट्र पैटर्न है। जैसा मैंने मेरे मूल उत्तर में जवाब पेश किया, हम लोग राजस्थान के अंदर महाराष्ट्र पैटर्न को ही पूर्ण सक्षम मानते हैं और मानते हैं कि जनजाति क्षेत्र का विकास इस प्रणाली के माध्यम से बहुत तीव्र गति से हो जाएगा। इसलिए हमने इस पैटर्न को स्वीकार किया है।

डा. किरोड़ी लाल : स्वीकार कर लिया?

श्री बनवारी लाल बैरवा : जहां तक कोई बात हुई है वहां तक बात की है मैंने। वह मूल रूप से मान ली है।

डा. रघुवीर सिंह (सराड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि आपने 13 विभागों का अभी जो फैसला किया है, क्या यह महाराष्ट्र पैटर्न की भावना के अनुरूप है? क्या सोच कर आपने 13 विभाग महाराष्ट्र पैटर्न लागू करने के लिए किए हैं?

श्री बनवारी लाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, हम इस विचारधारा के हैं, इस तरीके का सोच रहा है कि इसको चरणबद्ध तरीके से रखा जाए ताकि उसके परिणाम अधिक सक्षम तरीके से आ सकें। 13 विभागों की जो प्रवाहित राशि है उसे एकत्रित करके कोष बनेगा और फिर उस विभाग द्वारा ही वह चैनलाइज होगा कि कौन-कौन सी योजनाएं, किस-किस विभाग के अंदर रखी जाएं।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र पैटर्न चार राज्यों के अध्ययन के पश्चात राजस्थान में लागू हुआ। इसकी सारी प्रक्रिया मंत्री महोदय ने सदन को अवगत कराई। माननीय मंत्री महोदय ने पहले 11 विभाग और आज 13 विभाग जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, उनका पैसा ट्राइबल डवलपमैंट डिपार्टमैंट को ट्रांसफर करने की बात कही।

मैं यह जानना चाहूंगा कि वे 13 विभाग कौनसे हैं जो आदिवासी क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए, शैक्षणिक विकास के लिए, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए लाभकारी हैं, उनकी आप सूची बताएं।

दूसरा मेरा सीधा सवाल है कि जब आप पहली बार मंत्री बनकर उदयपुर गए थे; आपने ट्राइबल रिसर्च इन्स्टीट्यूट में एक सभा करके यह बात दोहराई थी कि यह जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग आज का ही नहीं है, यह जनजाति कल्याण विभाग....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज कम टू योर क्वेश्चन।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, पहले आश्वस्त करके आए हैं मंत्री जी के भाषण के बारे में।

श्री उपाध्यक्ष : पहली बात तो आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं है, फिर भी मैं आपको अलाउ कर रहा हूं तो आप पाइण्टेड क्वेश्चन पूछ लीजिए। यहां भाषण देने की आवश्यकता नहीं है, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए।

श्री नन्दलाल मीणा : हां, भाषण नहीं। आपने वहां पर कहा था कि जनजाति कल्याण विभाग है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि ट्राइबल सब प्लान एरिया एक शिड्यूल्ड एरिया है और जनजाति कल्याण विभाग पूरे राजस्थान

(श्री नन्दलाल मीणा)

के लिए होगा, क्या ट्राइबल सब प्लान एरिया का पैसा जो विशेष केन्द्रीय सहायता से भारत सरकार से आता है, उस पैसे को राजस्थान की जनजातियों पर खर्च करने की मंशा रखते हैं? महाराष्ट्र पैटर्न में कौनसे विभाग हैं जो जनजाति क्षेत्र में समाज कल्याण की योजनाओं के लिए काम करेंगे राजस्थान में, उनकी सूची आप बताएं।

श्री उपाध्यक्ष : आप महाराष्ट्र पैटर्न लागू करवाना चाहते हैं कि नहीं लागू करवाना चाहते हैं, आप बताइए? आप उसके फेवर में हैं क्या, यह बोलो?

श्री नन्दलाल मीणा : मंत्री महोदय ने कहा है कि मैं चार राज्यों के जन-प्रतिनिधियों के साथ घूमकर आया हूं और इसका गहनता से अध्ययन किया है। इसके पीछे मंशा यही है कि जो विलम्ब राजस्थान में उप योजना क्षेत्र के विकास में हो रहा है, वह जनजाति विकास विभाग स्वयं यह पैसा अपने हाथ में लेकर स्थानीय आधार पर योजना बनाकर व्यय करे।

इसके लिए मैं जानना चाहता हूं कि वे 11 या 13 विभाग कौनसे हैं जो आदिवासियों का आपके नेतृत्व में भविष्य में भला करने जा रहे हैं? उन विभागों के नाम बताएं और कल्याण विभाग का आपका क्या तात्पर्य है?

श्री उपाध्यक्ष : लागू कर रहे हैं।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि सरकार महाराष्ट्र पैटर्न लागू करना चाह रही है और जल्दी लागू कर रही है तो क्या उस क्षेत्र में जो जनजाति के विधायक हैं उनकी कभी कोई मीटिंग इस बारे में बुलाई है आपने? यदि नहीं बुलाई है तो क्या आगे इसको बुलाएंगे। आप विश्वास में लेकर, सलाह लेकर कोई काम करना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जवाब आने दीजिए।

श्री बनवारी लाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से माननीय विधायकों की एक कमेटी है उसको बुलाकर, उनको विश्वास में लेकर काम चालू किया जाएगा। इसमें 13 विभाग जो इन्क्लूड किए गए हैं, उनका मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं। कृषि विभाग, उद्यान विभाग, भू-संरक्षण विभाग, जल संग्रहण विकास विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, सहकारिता विभाग, वन विभाग, पर्यावरण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, परिवार कल्याण विभाग, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, लघु सिंचाई योजना विभाग, विद्युत विस्तार योजना, ये 13 विभाग हैं।

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं, महाराष्ट्र पैटर्न जो आप लागू करने जा रहे हैं यह तो बिलकुल ठीक है परन्तु महाराष्ट्र पैटर्न के अनुसार स्वायत्तता शासन संस्था का गठन करेंगे?

(श्री शंकर लाल अहारी)

फिर महाराष्ट्र पैटर्न के अनुसार आयुक्त विभाग हैं हमारे, वे ही चलाएंगे ?

हम यह चाहते हैं कि आप स्वायत्त शासन का गठन करें और इसके माध्यम से वह पैसा हमको दे दीजिए ताकि हम उसको चलाएं। क्या यह मंशा रखते हैं आप ? आप अगर लागू करने जा रहे हैं तो कौनसे वर्ष से लागू करेंगे, यह बताने की कृपा करें ?

श्री बनवारी लाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, वे सब अभी विचाराधीन है, कि कौनसी एजेन्सी होगी, क्या व्यवस्था होगी क्योंकि अभी पहले विभाग तय हुए हैं। उसके बाद उसकी प्रक्रिया तय करेंगे और वह सब लोगों को विश्वास में लेकर ही तय करेंगे। जब ये सब बातें तय हो जाएंगी तब उसको लागू करेंगे।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जैसा कहा, एक कमेटी का गठन किया गया है और श्रीमान् गुलाब सिंह शक्तावत उसके चेयरमैन हैं, उस कमेटी ने माननीय मुख्य मंत्रीजी को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। उस रिपोर्ट का भाव यही है जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं या जो महाराष्ट्र पैटर्न है वही उसका भाव है जरा उसकी जानकारी सदन को बताएंगे। यह तो कम से कम आपको जानकारी होगी।

श्री उपाध्यक्ष : कमेटी की रिपोर्ट अभी आपको कैसे बता सकते हैं ? It has been submitted to the Government. कमेटी की रिपोर्ट ऐसे ही थोड़े बता दें, कमेटी की रिपोर्ट गवर्नमेंट को गई है, उन्होंने कहा है।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : रक्षा विभाग का मामला तो है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने यह कहा है कि कमेटी ने रिपोर्ट मुख्य मंत्रीजी के समक्ष पेश की है। लेट इट कम, फाइनल होगी तब बताएंगे, इट इज अण्डर कन्सीडरेशन।

श्री बनवारी लाल बैरवा : मैंने यह निवेदन किया है कि कमेटी की रिपोर्ट विचाराधीन है।

डा. रघुवीर सिंह (सराड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि वार्षिक बजट का आठ प्रतिशत, हमारी मांग तो यह थी कि 12.44 प्रतिशत पैसा दे देना चाहिए। वार्षिक योजना का चाहे आप आठ प्रतिशत ही लागू कर रहे हैं, तो चलो एक बार आठ प्रतिशत ही सही पर वार्षिक योजना का आठ प्रतिशत पैसा तो दे रहे हैं ? या कम दे रहे हैं ? असल में आठ प्रतिशत ही दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप ये सब बातें पूछ रहे हैं जैसे सब कुछ फाइनल हो गया। अभी तो कमेटी की रिपोर्ट आई है, गवर्नमेंट के पास आयेगी। क्या आज

(श्री उपाध्यक्ष)

ही सारी की सारी बातें मंत्रीजी से उगलवाना चाहते हैं ? यह सम्भव नहीं है।

डा. रघुवीर सिंह (सराड़ा) : मैं यही कह रहा हूं कि आप इसे किस रूप में लागू करना चाह रहे हैं, वह रूप बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : वह बता दिया न उन्होंने।

डा. रघुवीर सिंह (सराड़ा) : अगर लागू करना चाह रहे हैं तो कब तक करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : आप इन बातों को समझने की चेष्टा कीजिये, कमेटी की रिपोर्ट गवर्नमैंट के अण्डर कन्सीडरेशन है इसलिए लैट इट कम, उसके बाद बात करेंगे।

श्री नन्दलाल मीणा : सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, समाप्त कीजिए।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरः स्थापन

राजस्थान राज्य महिला आयोग विधेयक, 1999

श्रीमती जकिया, प्रभारी मंत्री, राजस्थान राज्य महिला आयोग विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी।

श्रीमती जकिया (महिला एवं बाल विकास मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य महिला आयोग विधेयक, 1999 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगी।

श्रीमती जकिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य महिला आयोग विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री खेतसिंह राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव के विधेयक को प्रस्तुत करेंगे।

सदन की कार्यवाही

दिनांक 24 अप्रेल, 99 हेतु कार्य का विन्यास

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी

(श्री खेतसिंह राठौड़)

अनुमति से सदन के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य महिला आयोग विधेयक, 1999 को विचारार्थ एवं पारित करने हेतु दिनांक 24 अप्रैल, 1999 की कार्य सूची में सम्मिलित कर लिया जाए।

एक माननीय सदस्य : यह काम कब से करने लग गए।

श्री उपाध्यक्ष : ये पार्लियामैन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं और इन्होंने आज्ञा चाही है बिल को इण्ट्रोड्यूस करने की।

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री खेतसिंह राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

डा. करण सिंह यादव।

श्री दिग्विजय सिंह (वनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया इसके ऊपर बोलने के लिए संशोधन प्रस्ताव कब करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : बिल आएगा। आप समझे ही नहीं।

श्री दिग्विजय सिंह : या उस पर भी पार्लियामैंटरी अफेयर्स मिनिस्टर जल्दी से कह देंगे इसको भी पारित कर दो ?

श्री उपाध्यक्ष : वह आएगा जब बात करेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : यह तो नहीं करेंगे ना आप ?

श्री उपाध्यक्ष : उसको आने तो दो।

श्री दिग्विजय सिंह : आप इसी सत्र में पारित कराएं तो कल आप यह कह दो कि बगैर बोले ही पारित कर दो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप हाइपोथेटिकल बात क्यों कर रहे हो ? माननीय सदस्य, बिराजें। डा. करण सिंह।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 1999

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : माननीय उपाध्यक्ष जी, एप्रोप्रिएशन बिल के सपोर्ट में अपने विचार व्यक्त करते हुए मैं सदन को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस साल का बजट सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय पिछड़ों, दलितों, गरीबों, निराश्रितों, महिलाओं के प्रति समर्पित है। यह बजट महात्मा गांधी के उस विचार को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया है कि उस गरीब को देखो जो दूर बैठा हुआ है, उस निराश्रित को देखो।

उस बजट पर इस तरह की प्रतिक्रियाएं सदन में सुनने को मिलें कि इस बजट

(डा. करण सिंह यादव)

पर माननीय वित्त मंत्री जी अथवा माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान नहीं था, यह बजट तो किसी ब्यूरोक्रेट का बनाया हुआ है, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स का बनाया हुआ है जो पिछले पांच सालों से बी. जे. पी. शासन के प्रति; उनकी विचारधारा के प्रति समर्पित रहे हैं; मैं समझता हूं यह हमारे वित्त मंत्रीजी एवं मुख्य मंत्रीजी को कमजोर आंकना है, उनका एक तरह से अपमान है।

जो बजट सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से, चिकित्सा क्षेत्र में पहली बार आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए समर्पित हो, जिसमें दवाओं का बजट दुगना कर दिया जाए; जिसमें भोजन का बजट दुगना कर दिया जाए, जिसमें मेडिकल कालेजेज के रख-रखाव के लिए करोड़ों रुपये की राशि आवंटित कर दी जाए, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों के लिए विशेष प्रावधान कर दिया जाए, जिसमें जिला मुख्यालयों के आपरेशन थियेटरों को सुधारने के लिए कार्य किया जाए, ऐसा सोच हमारे माननीय वित्त मंत्री जी का है, हमारी सरकार का है, हमारे मुख्य मंत्रीजी का है।

यह कहना कि इस बजट में किसी ने दिमाग एप्लाई नहीं किया, सही नहीं है। यह बहुत सोच–समझकर दिया हुआ बजट है और यही कारण है कि आज राजस्थान के चिकित्सा जगत में एक धारणा फैल गई है कि नयी सरकार चाहती है गरीबों को इलाज देना, उनकी तकलीफें दूर करना। मैं कहना चाहूंगा; माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी सदन में विराजमान हैं, अगर हमें चिकित्सा के ढांचे में परिवर्तन करना है तो हमको नीचे से शुरुआत करनी होगी। उन गांवों को देखना होगा जिनमें 10-10, 15-15 मील की दूरी के अंदर....

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करना चाहूंगा, एप्रोप्रिएशन बिल पर चर्चा हो रही है तो आप हिदायत दें कि वित्त मंत्री जी हाउस में विराजें। मुख्य मंत्रीजी यहां पर विराज नहीं रहे हैं, कोई कारण से दिल्ली गए हुए हैं, लेकिन कम से कम वित्त मंत्रीजी को यहां बैठना चाहिए। माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करते हैं, सुझाव देते हैं तो उसको कोई गंभीरता से लें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। तीन केबिनेट मंत्रीजी बिराजे हैं। वैसे आपको यह मालूम है कि आज सारे हाउस में क्लोज सर्किट टी. वी. हैं, वित्त मंत्रीजी चाहे कहीं भी हों आपके भाषण सुन रहे हैं, आप चिन्ता मत करो।

श्री देवीसिंह भाटी : टी. वी. हैं तो घर बैठे हुए ही अपन असेम्बली चला सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : घर बैठे नहीं चला सकते। घर बैठे नहीं चल सकती।

श्री हीरासिंह चौहान : ऐसे ही होगा यह तो।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो अनुरोध है इस सदन की परम्पराओं को....

श्री उपाध्यक्ष : अभी आ जाएंगे । आप को भी थोड़ा लिबरल होना चाहिए कि he must be preparing.

श्री देवीसिंह भाटी : थोड़ी गंभीरता रहे, इनको लगे कि कोई हमारे विचार सुन रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : वे इस तैयारी में लग रहे हैं कि आपको अच्छे जवाब दें । विराजें।

श्री देवीसिंह भाटी : आप भी मंत्री रहे हैं, मैं भी रहा हूं, और भी रहे हैं, प्रोसिडिंग्स कौन पढ़ता है, कौन बाद में इसके ऊपर डिस्कसन करता है ? कम से कम कानों में जैसे भी हो बात तो पहुंच जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : पहुंच रही है । डा. करण सिंह ।

डा. करण सिंह यादव : जिस तरह से प्राथमिक शिक्षा के प्रति हम चिंतित हैं उसी तरह हमें प्राथमिक चिकित्सा की ओर भी चिन्ता करनी होगी । दूर-दराज के उन गांवों को देखना होगा जहां सब-सेंटर पिछली सरकार ने खोले, लेकिन व्यवस्था नहीं कर पाए वहां पर ए.एन.एम्स. की, नर्सेज की, डाक्टरों की ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को देखना होगा कि वहां पर दवाइयों की समुचित व्यवस्था है, वहां के उपकरण ठीक हैं, वहां के डाक्टर समय पर आते हैं, वहां के डाक्टर मुख्यालय पर रहते हैं । बजट प्रावधान करना अपने आप में एक बात है, लेकिन बजट का सही उपयोग हो, आम जनता को उसका फायदा हो इस बात को सुनिश्चित करना होगा इस नयी सरकार को ।

हमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मूलभूत सुविधाएं, जच्चा-बच्चा कार्यक्रम, इम्युनाइजेशन के प्रोग्राम भी देखने होंगे । समय पर बच्चों को टीके लग सकें तो आधी बीमारियों को तो हम वहीं दूर कर देंगे । आज जैसलमेर से और कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि मलेरिया का प्रादुर्भाव चालू हुआ है, आज डेंगू के बारे में सदन में चर्चा की गई, हमारा तन्त्र वहां ऐसा हो जो बीमारी होने से पहले वहां की परिस्थितियों को देख सके कि यहां के वातावरण में कहीं बीमारी के कीटाणु तो नहीं फैल रहे हैं, यहां की जलवायु ऐसी तो नहीं है कि यहां पर एपिडेमिक होगा ।

हम पहले से चालू करें । ऐसा नहीं कि जब मरने की खबरें आने लग जाएं, जब वहां पर 5-10 मौतें हो जाएं, सदन में और अखबारों में वे उजागर हो जाएं उसके बाद में सरकार चेते । यह व्यवस्था छोड़कर हमें इस बात पर प्रिवेंटिव एक्शंस लेने पड़ेंगे कि इस तरह की बीमारी हो ही नहीं ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे जीवाणु फैल गए हैं।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : हेपेटाइटिस–बी के टीकाकरण के लिए कह दो, वाटर बोर्न हो, सब जगह करें।

डा. करण सिंह यादव : अभी पिछले दिनों में हेपेटाइटिस-सी का खानपुर क्षेत्र में प्रकोप हुआ। गंगानगर क्षेत्र में अनेकों जगह हैं, पिछले साल सादुलशहर में हुआ। पानी की वजह से, पानी के प्रदूषण की वजह से, यहां जो हेपेटाइटिस फैल रही है उसके ऊपर हम चिन्ता करें, हेपेटाइटिस–बी के बारे में लोगों को जागरूक बनाकर रखें।

मैं माननीय वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बार उन्होंने कैंसर की दवाइयों के अलावा हेपेटाइटिस-बी के टीके के ऊपर भी टैक्स को वापस लिया है जिससे यह टीका लोगों के लिए सुलभ उपलब्ध हो सके और आम आदमी अपनी रक्षा कर सके इन बीमारियों से।

मैं कहना चाहूंगा कि खास तौर पर मेडिकल डिपार्टमेंट में मेडिकल आडिटिंग नाम की कोई चीज नहीं है। बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं, बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं जहां पर डाक्टरों की पूरी तादात है और मरीजों की संख्या बहुत कम है। हमको देखना होगा कि एक सी.एच.सी. है जहां पर 10 डाक्टर बैठे हुए हैं, स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, लेकिन मरीजों की संख्या बहुत कम है।

हम डिपार्टमेंट में ऐसा सैल कायम करें जो जगह–जगह जाकर इस बात का आकलन करे, अपने स्तर पर सरकार आकलन करे कि वाकई में उस शहर में, उस गांव में, उस कस्बे में, उस सी.एच.सी. में डाक्टर मरीज का अनुपात सही है। आज खेजड़ोली चौमूं का बड़ा कस्बा है, एक डाक्टर है। गोविन्दगढ़ उससे शायद छोटा कस्बा है वहां आठ डाक्टरों की सी एच.सी. है और आउटडोर बहुत छोटा है। आधी पोस्टें खाली पड़ी रहने के बावजूद भी वहां पर डाक्टर अपनी पर्याप्त सेवाएं नहीं दे पाते। वहां इतना काम नहीं है। तो जहां काम नहीं है वहां पर लोगों को रखने की बजाय उनको ऐसे सेंटर्स पर भेजा जाए जहां ज्यादा उनकी उपयोगिता हो।

मैंने मेडिकल शिक्षा के गिरते हुए स्तर के बारे में अपनी चिन्ता प्रकट की थी। मैं महसूस करता हूं कि यदि हमें मेडिकल डिपार्टमेंट को सुधारना है तो हमें मेडिकल शिक्षा को मजबूत करना पड़ेगा। शिक्षा के लिए अलग से मेडिकल यूनिवर्सिटी बने जो समय पर परीक्षाएं ले। अलग से मेडिकल एजुकेशन का डाइरेक्ट्रेट बने।

आपके पास में स्कूल एजुकेशन का डायरेक्टरेट है, प्राइमरी एजुकेशन का डायरेक्टरेट है, कालेज एजुकेशन का डायरेक्टरेट है, पशु एजुकेशन का डायरेक्टरेट है लेकिन मेडिकल एजुकेशन के लिए कोई सैपरेट डायरेक्टरेट नहीं होने की वजह से यह विषय काफी पीछे जाता जा रहा है। खास तौर से पैरा-मेडिकल फोर्सेज हैं, नर्सिंग टेक्नीशियन्स हैं, लेबोरेटरी, टेक्नीशियन्स हैं, एक्सरे टेक्नीशियन्स हैं,

(डा. करण सिंह यादव)

आप्टोशियन्स हैं, ऐसे अनेक पैरा–मेडिकल फोर्सेज हैं जिनकी आवश्यकता सब–सेण्टर्स में, गांवों में पड़ती है। उन फोर्सेज को भी ढंग से चलाया जा सके। नर्सिंग कालेज की संख्या बढ़ाई जा सके, ए.एन.एम. ट्रेनिंग की संख्या बढ़ाई जा सके, जनरल नर्सेज ट्रेनिंग की संख्या बढ़ाई जा सके इसके लिए सैपरेट विभाग हो, उनका डायरेक्टरेट हो जो इस प्रशिक्षण को देखे तभी हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।

आज राजस्थान में जितने नर्सेज और टैक्नीशियन प्रोड्यूस होते हैं उससे कई ज्यादा नर्सेज और टैक्नीशियन्स बैंगलोर व बिहार से और साउथ इण्डिया की अनेक-अनेक सिटीज से पढ़कर और अपनी डिग्रियां लेकर यहां पर आते हैं। तो क्यों नहीं हम यहां पर अपनी शिक्षण-संस्थाओं को बढ़ा सकते हैं?

माननीय मंत्री महोदय, आज जब टैक्सेज की बात चल रही है, मैं इस बात का बड़ा पक्षधर हूं कि क्यों नहीं हम हायर एजुकेशन, टैक्नीशियन एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन को कास्टलियर बना दें। आज पहली क्लास में पढ़ने वाले, दूसरी क्लास में पढ़ने वाले, नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे की फीस ज्यादा है जबकि मेडिकल कालेज में पढ़ने वाले लड़के की फीस कम है। इसका कतई यह मतलब नहीं है कि अनुसूचित जाति को, जनजाति को या पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों को शिक्षा मंहगी दी जाए। आप सवाई मानसिंह कालेज में जाकर सुबह खड़े होकर देखिए, शहर के बड़े-बड़े धन्नासेठों के लड़के, बड़े-बड़े व्यापारियों के लड़के, बड़े-बड़े डाक्टरों के लड़के, बड़े–बड़े इंजीनियरों के लड़के लम्बी-लम्बी गाड़ियों में आते हैं, वे भी वही फीस देते हैं 600 रुपये साल के और नत्थू धोबी का लड़का भी वही फीस 600 रुपये देता है।

यही कारण है कि आज एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि विश्वविद्यालय जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक के लिए सब में पास कर देगा। एक एम.ए. कर लीजिए, फिर दूसरी एम.ए. कर लीजिए, फिर लेबर लॉ में डिप्लोमा कर लीजिए, फिर उस लॉ में डिप्लोमा कर लीजिए। उसका नतीजा होता है कि अच्छे घरों से या मैं यह कहूं कि साधन-सम्पन्न घरों से आये हुए बच्चे सिर्फ अपना समय पास करने के लिए यहां आते हैं क्योंकि उन्हें यूनिवर्सिटी के अन्दर कोई लम्बी-चौड़ी फीस जमा नहीं करानी पड़ती।

उसी का नतीजा है कि यूनिवर्सिटी में जब जब भी कोई काण्ड हुए हैं चाहे वो छात्रावास के अंदर मोलेस्टेशन का कांड हो या रेप का कांड हो या मर्डर का कांड हो, उन लड़कों का अगर बैकग्राउण्ड देखेंगे तो पता लगेगा कि ये लोग साधन सम्पन्न परिवारों से हैं जिन्होंने बी.ए. भी कर ली, एम.ए. भी कर ली और दूसरी बार एम.ए. में एडमीशन ले लिया। इस शिक्षा को आप मंहगी कीजिए, कॉस्टली कीजिए और प्राइमरी एजुकेशन चीप कीजिए, प्राइमरी

(डा. करण सिंह यादव)

एजुकेशन का स्टैन्डर्ड ऊपर कीजिए । हायर एजुकेशन को कास्टली कीजिए ताकि जो डिजर्विंग आदमी है वही उस एजुकेशन में आ सके । इस बात की सरकार चिंता करे, ऐसा मैं निवेदन करना चाहूंगा ।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा । कल माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि यह किसी ब्यूरोक्रेट का बनाया हुआ बजट है, उनको पुनः कहना चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी के प्रति उदार दृष्टि कोण अपनाइये । वरना कोई वित्त मंत्री का पुराना बजट देख लीजिए, एस.टी., एस.सी. ओ.बी.सी. के लिए, विकलांगों के लिए जो प्रावधान इस बजट में किए गए हैं 50 नये छात्रावास अनुसूचित जाति के लिए, 7 नये छात्रावास ओ.बी.सी. के लिए, जिला मुख्यालयों पर पहले कभी नहीं खुले । कल सदन के अंदर के जगमाल सिंह जी के कथन को मैं दोहराता हूं कि अगर बी.जे.पी. आरक्षण की बात सोच सकती है तो ऊंट रेलगाड़ी में बैठ सकता है ।

मैं पिछले 5 साल से ओ. बी. सी. के आरक्षण की बात को लेकर सरकार से सतत् संघर्ष करता रहा हूं और ओ. बी. सी. के रिप्रजेंटेटिव से सदन के अन्दर भी कई बार हंगामे और हल्ले हुए हैं लेकिन पिछली सरकार ने तो उसमें सोच तक नहीं किया । और आज उस सरकार को पुराने मंत्री महोदय, एम. एल. ए. बनकर सदन में धरना देकर यह जांच करने लगें कि भारतीय जनता पार्टी समझती है कि वह अदर बैकवर्ड क्लासेज की सबसे बड़ी संरक्षक है, आरक्षण दिलाने के लिये सबसे ज्यादा मुहिम भारतीय जनता पार्टी ने छेड़ रखी है, यह बात देखकर निश्चित रूप से हंसी आती है । आम आदमी इस बात को कहता है कि यह तो सिर्फ पोलिटिकल गिमिक है ।

आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं । वरना आप अगर ईमानदारी से आरक्षण के पक्षधर होते तो कौनसा कारण था कि आपने आज तक एजुकेशन के अन्दर, एजुकेशन इन्स्टीट्यूशन्स में, मेडिकल कालेज में, इन्जीनियरिंग कालेज में, टेक्नीकल कालेज में, नर्सिंग कालेज में आपने दिया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

लेकिन बाकी की जितनी शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें आरक्षण की बात नहीं की । जिनसे रोजगार डवलप हो सकता है उन संस्थाओं में आज तक आरक्षण की बात आपने नहीं सोची, आज अचानक लट्ठ लेकर हाउस में खड़े हो गए कि आरक्षण दो, आरक्षण दो, आरक्षण दो । बड़ी खुशी की बात है अगर आपकी नीति में परिर्तन आ गया है, अगर आपकी सोच भी सामाजिक न्याय से जुड़ रही है । आज हमारे मेनीफेस्टो को देख कर आपके मन में भी यह भावना गलत उठ रही है तो यह ... (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : पूर्व जनता दल के हम सदस्य हैं, हमारे नेता उस समय वी. पी. सिंह जी हुआ करते थे, उन्होंने मंडल आयोग लागू करके आप सबको लाभान्वित किया है, धन्यवाद दो आप उन्हें। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : जब राज में रहते हैं तो इन्हें आरक्षण याद नहीं आता, जब इस कुर्सी पर आ जाते हैं तो आरक्षण याद आ जाता है। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : भाटी साहब, राजस्थान में आज भी जनता दल है। हम तीन-तीन बार आए हैं, जनता दल खत्म नहीं हुआ; जिन्दा है जनता दल। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : बण्टाधार किया है आपने।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए बिराजिए जीतमल जी।

डा. करण सिंह यादव : अदर बैकवर्ड क्लासेज के लिए जब यहां मंडल आयोग लागू हुआ तब एक बात की सरकार ने घोषणा की यहां पर कि एक निगम बनाया जाएगा और उस निगम के माध्यम से पिछड़ी जाति के काश्तकारों को ऋण दिया जाएगा। एक पैसा सरकार उसकी गारन्टी के लिए जमा नहीं करा सकी। ओ. बी. सी. के एक आदमी का एग्जाम्पल आप नहीं दे सकते जिसको आपने उसमें दिया हो।

इस सरकार ने कमिटमैंट किया है और उसके लिए अनुसूचित जाति, जनजाति निगम को चैनलाइजिंग एजेंसी नियुक्त किया है। अनुसूचित जाति, जनजाति निगम का जो बजट पहले 9 करोड़ का था इस बार उसकी गारन्टी भी 27 करोड़ कर दी है। इस बार ओ. बी. सी. के लिए सैपरेट वित्त निगम की घोषणा की गई है। इस बार अल्पसंख्यकों के लिए सैपरेट वित्त निगम की घोषणा की गई है जिससे अल्पसंख्यक लोग अपने युवा लोगों को ऋण दिलवा सकें रोजगार के लिए। इस तरह का सोच कभी किसी आदमी का नहीं था। यह सोच किसी गांधीवादी का ही हो सकता है, किसी ब्यूरोक्रेट का नहीं हो सकता।

मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य आज यहां सदन में मौजूद नहीं हैं, मुझे उनकी बात से पीड़ा हुई है। हो सकता है उनके दिमाग में कहीं कोई राजनीतिक ठेस कभी पहुंची हुई हो, लेकिन यह सोचकर वे इस बात को इस बजट का... (व्यवधान) ऐसा बजट जिसने पहली बार अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए स्कालरशिप को 450 से 675 किया है, जिसने कोचिंग की राशि जो 200 मिलती थी जयपुर में उसे 1000 रुपये किया हो; यह सरकार के उस निर्णय को परिलक्षित करता है कि यह सरकार सब वर्गों के लिए संवेदनशील है जिन्होंने विरासत बुजुर्गों को.... (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : आप सारे गीत गा रहे हैं लेकिन हाउस में ओ.बी.सी. की कमेटी बना रहे हैं क्या ? आपने कहा निगम भी बना दिए, सब कुछ बना दिए लेकिन जिस तरह से एस. टी., एस.सी. की कमेटी उनके हितों को वाच करती है, ओ. बी. सी. की कमेटी आप कहो ना बनाएं । नहीं, बनाएंगे, नहीं, बनाएंगे, कमिटमैन्ट मत करो । (व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : जरूर बनाएंगे, जगमाल सिंह जी, जरूर बनाएंगे, नहीं बनाने का कोई कारण नहीं है । (व्यवधान) तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य इस सरकार का नेतृत्व ओ. बी. सी. के, मुख्य मंत्रीजी कर रहे हैं ।

श्री जगमाल सिंह यादव : अगर सच्चे मायने में, ओ. बी. सी. का हित चाहते हैं तो मुझे इसका चेयरमैन बना देना । (व्यवधान) सच्चे मायने में ओ. बी. सी. का हित चाहते हो तो ।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय जगमाल सिंह जी, मैं आपके विचार से सहमत हूं, मेरा इतना ही निवेदन है कि इस हाउस में इस विषय के ऊपर दलितों को बांटो मत, एक रहने दो ताकि यूनिटी दिखे हाउस की । (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : हजारों-हजारों साल हमारे पुरखे आपके जूते खाते आए हैं, अपमान सहते आए हैं अब कुछ आप भी सहें । आप हमें हक देकर देखें, आपका हम अपमान नहीं करेंगे । हम आपको फिर भी शिरोधार्य करके देखेंगे । आदर ही देंगे आपको, अपमान नहीं करेंगे । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर, जगमाल सिंह जी ।

श्री दिग्विजय सिंह : 50 साल हो गए, भूल गये होंगे बात को ।

(13.00 बजे)

डा. करण सिंह यादव : 50 साल निकल गये पर जो बात अब मिलने को आई है भूलेंगे कैसे ? एजूकेशन में रिजर्वेशन करवाइये, ओ. बी. सी की कमेटी बनाइये, जो इसका इम्प्लीमैंटेशन प्रापर हो इस बात का ध्यान रखें ।

पिछली सरकार से आज तक कहते रहे, आपको मैंने पिछले दिनों भी बताया था कि वे और तो और, क्रीमी लेयर की सीमा को तय नहीं कर पाए । जो एक लाख रुपये की धारणा 1993 में हुआ करती थी, अब वे कमीशन्स बन गये और आप उसको रिवाइज नहीं कर पाये ।

ऐसे-ऐसे आदेश पिछली सरकार ने निकाल दिये कि जो ओ. बी. सी के अभ्यर्थी नोकरियों में लगे हुए हैं और अगली नोकरी में जाना चाहते हैं या जो टेम्परेरी लग गये उनको भी उन्होंने क्रीमी लेयर की श्रेणी में मान लिया ।

तो यह तो सर्वविदित है, राजस्थान की सारी जनता जानती है कि बी. जे. पी. कभी

(डा. करण सिंह यादव)

ओ.बी.सी. की या एस.सी.,एस.टी. की पक्षधर नहीं थी। अगर पक्षधर होती तो ये सारी बातें आज इस सदन में नहीं होतीं। आज यह सारी हमको मिली हुई होती और मुझ जैसे आदमी को....

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : हम लोग पाकिस्तान से आये थे, हमको कोई रिजर्वेशन नहीं दिया फिर भी तरक्की करके आज सब तरह से, सब पोस्टों पर, पदों पर, बिजनस के काम में हैं। सिर्फ आरक्षण की भीख मांगकर कोई ऐसा.... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : भीख नहीं मांग रहे हैं, अधिकार है हमारा। यह हमारा मौलिक अधिकार है। भीख नहीं है, यह अधिकार है हमारा। (व्यवधान) आपको +++ आनी चाहिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पिछड़े हुए लोगों को जो दिया गया है वह उनका अधिकार है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और महिलाओं के....(व्यवधान) इन्होंने अपमान किया है, यह वर्ड कार्यवाही से निकाल दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को मालूम नहीं कि.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोलना नहीं है इस सम्बन्ध में। आपको इस डिबेट में बोलना ही नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह भीख मांगने की बात कह कर अपमान किया गया है। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : आज बी.जे.पी. का चेहरा +++कल मांग क्या कर रहे थे ? उपाध्यक्ष महोदय, कल मांग कर रहे थे... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगमाल सिंह जी, बिराजिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : ...उनकी बात क्या है, वह आज आपके सामने.... (व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : यह सारी बी.जे.पी. की है। (व्यवधान) कल यहां धरना दे रहे थे और आज अपनी सही मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये ।

डा. करण सिंह यादव : दो मिनट में ही खतम करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप 35 मिनट ले चुके हैं ।

डा. करण सिंह यादव : मेरी पार्टी के लोगों का टाइम मिलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी पार्टी के लोग तो बहुत बाकी हैं । एक ही थोड़े हो आप ।

डा. करण सिंह यादव : मैं समाप्त करता हूं । तो मेरा निवेदन यह है कि आप इस पर ध्यान दें ।

वूमेन एजुकेशन पर निश्चित रूप से ध्यान दिलाने की बात करूंगा । अगर आपको वाकई समाज को आगे लेकर जाना है तो स्त्री शिक्षा की तरफ खास तौर से ध्यान देना होगा । वूमेंस के कालेज कस्बों के अन्दर होने चाहिए । इसके लिए बजट का प्रावधान कीजिये ।

हम लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं । जहां ज्यादा जागृति है, अपनी बिल्डिंगें बनाएंगे, आपको साल भर के लिए खर्चा देंगे लेकिन आप स्त्री शिक्षा के लिए जितना काम करेंगे उतना ही ज्यादा स्वास्थ्य और दूसरी सेवाओं के ऊपर असर पड़ेगा, जनसंख्या नियंत्रण पर असर पड़ेगा और बाकी सामाजिक गतिविधियों पर असर पड़ेगा ।

इन्हीं शब्दों के साथ एक बात अंत में कहना चाहता हूं कि सारा बजट बहुत अच्छा है, नीतियां सारी अच्छी हैं, लेकिन नीतियों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आम सरकारी कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी से लेकर ऊपर तक निडर हो गया । उसको मन में यह रहता है कि उसका तो कोई बाल बांका कर नहीं सकता ।

आज आप किसी दफ्तर में जाकर देखिये, कहेंगे कि क्यों लेट आया तो कहेगा कि साहब मेरी गाड़ी पंक्चर हो गयी थी, मैं बच्चों को दिखाने के लिए गया था । किसी भी दफ्तर में जाकर देखिये । प्राइवेट सेक्टर के आफिस में जाकर देखेंगे तो सारे बाबू टेबलों पर फाइलें लिये हुए बैठे हैं और आप अपने दफ्तरों में जाकर देखिये तो कोई आदमी काम करता हुआ नहीं मिलेगा ।

यही करण है कि हमारी प्रोग्रेस नहीं है । कहीं न कहीं हमको इस व्यवस्था को सुधारने के लिए सोचना पड़ेगा ताकि लोगों में भय महसूस हो, लोगों को महसूस हो कि यह सरकार अनुशासन चाहती है । ऐसी कोई व्यवस्था करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती पूनम गोयल ।

श्रीमती पूनम गोयल (लाडपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने व्यवसाय कर को वापस कर यह प्रमाणित कर दिया

(श्रीमती पूनम गोयल)

कि वह एक जनहितकारी और संवेदनशील सरकार है जो जनता की मांग पर तुरन्त विचार करती है और जनहित में किसी भी प्रश्न को प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं बनाती है। मैं इसके लिए अपनी तरफ से व राजस्थान की जनता की ओर से आपका आभार प्रकट करती हूं।

मैं वित्त मंत्रीजी की भी आभारी हूं कि राजस्थान जैसे अशिक्षित प्रदेश में जहां पर अशिक्षा सबसे बड़ी समस्या है, इस बजट में सर्वाधिक प्रावधान कर शिक्षा का उजाला फैलाने का कार्य किया है। इसके लिए राजस्थान की जनता आपको कभी नहीं भूलेगी। आप दोनों का नाम राजस्थान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। मैं इस सम्बन्ध में आपसे यह निवेदन करना चाहूंगी कि जो नये प्राथमिक स्कूल खोले जाएं, वे कम से कम आधे बालिकाओं के लिए होने चाहिए। महिला शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान पिछड़े राज्यों में से एक है और आज भी गांवों में लोग अपनी बच्चियों को लड़कों के स्कूल में भेजने में हिचकिचाते हैं। अतः अलग से बालिका स्कूल होने से बालिकाओं की शिक्षा में प्रगति होगी।

मैं माननीय वित्त मंत्रीजी का ध्यान लाडपुरा क्षेत्र की बालापुरा लिफ्ट इरिगेशन की ओर दिलाना चाहती हूं। यह योजना छह वर्षों से जयपुर में स्वीकृति के लिए धक्के खा रही है। इसकी लागत 175 लाख रुपये से बढ़ते-बढ़ते 414 लाख रुपये हो चुकी है। इस योजना के बन जाने से 1900 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी और छह गांव के 602 काश्तकार लाभांवित होंगे। आशा है, मेरे क्षेत्र की इस जीवनदायी योजना को आप अवश्य ही स्वीकार करेंगे।

मान्यवर, कोटा राजस्थान की औद्योगिक राजधानी है और राजस्थान की प्रगति में इसका बहुत बड़ा योगदान है परन्तु पिछले वर्षों में यहां पर लगातार बंद होते उद्योगों की तादाद बढ़ती जा रही है जिसके कारण बेरोजगारी का संकट मजदूरों को परिवार सहित बरबादी और मौत के रास्ते पर धकेल रहा है।

जे.के. उद्योग की छह इकाइयों से संबंधित मालिकों ने जबरन तालाबन्दी कर दी और मजदूरों की बकाया तनख्वाह ही नहीं, पी एफ. और दूसरा भुगतान भी नहीं किया है। रोजगार के साधन नहीं होने से लगभग चार हजार परिवार आज भुखमरी के कगार पर हैं। उनमें से कई लोग भुखमरी और आर्थिक परेशानी से त्रस्त होकर आत्महत्या जैसी कार्यवाही करने का प्रयास कर चुके हैं।

इस सम्बन्ध में सर्वाधिक दुःखद पहलू यह है कि श्रम विभाग के स्पष्ट निर्देश हैं कि तालाबन्दी नहीं की जाए, किन्तु कम्पनी प्रबन्धकों ने मनमानी करके तालाबन्दी कर दी। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि यह उद्योग तुरन्त चालू किया जाए।

एक मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगी कि राजस्थान आवासन बोर्ड के मकानों की रजिस्ट्री

(श्री देवीसिंह भाटी)

सदस्य टोक दें। गरीब में और मध्यम वर्ग में यह परेशानी थी कि महंगाई बढ़ रही है और उसके लिए इन्होंने राज करते ही एक अभियान चलाया कि जो भी होर्डर्स हैं, ऐसे व्यापारी हैं जो सीमा से ज्यादा अनाज या खाद्य तेल या अन्य पदार्थ काबू किये बैठे हैं, उनके ऊपर रेड्स की जाए। ऐसा सामान बाहर लाया जाए और एक मैसेज दिया जाए।

मुझे बहुत खुशी हुई कि उसकी शुरूआत की। लेकिन हुआ क्या, उपाध्यक्ष महोदय? दो दिन बाद में तुरन्त प्रेशर में आ गये। यह नहीं कि कोई इच्छा बदल गई है लेकिन लोगों का दबाव पड़ा और दबाव पड़ते ही हमारे खाद्य आपूर्ति मंत्री ने आदेश जारी कर दिया कि इस प्रकार की कोई रेड्स की नहीं जाए। अच्छे काम की हम निश्चित रूप से तारीफ करेंगे लेकिन इच्छा होते हुए भी इच्छा शक्ति का यदि अभाव रहेगा तो शासन करने में बड़ी दिक्कत और कठिनाइयां आएंगी।

उन्होंने इच्छा जाहिर की, मुझे बहुत खुशी हुई, कि जन प्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए चाहे वह वार्ड पंच हो, चाहे वह एम.एल.ए. हो या एम.पी. हो। अफसर इस बात को सोच ले कि किसी भी जन प्रतिनिधि का अपमान हुआ और उसको सम्मान नहीं मिला तो उसे हर हालत में चाहे कैसे भी हो, नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी और मैसेज दिया जाएगा। लेकिन अब हमारे सत्ता पक्ष के साथियों को जो बातें दूसरों के माध्यम से आती हैं उसमें वे धीरे-धीरे महसूस करने लग गये हैं कि अफसरशाही हावी है और मैं इस बात को निश्चित तौर पर ताईद करूंगा।

बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य, जो बहुत अच्छे सोच-विचारक हैं, हमारे बीकानेर के रहने वाले हैं। मेडिकल कालेज में जब ये विद्यार्थी थे तब से ही हर बात को बुलंदगी से उठाते रहे हैं और काम भी करते रहे हैं, उन्होंने भी यह महसूस किया, चाहे वे सेवा में थे तब और चाहे अब जन प्रतिनिधि के नाते, कि अफसरशाही हावी है, काम टालने की प्रवृत्ति बन गई है। तो इसके ऊपर अंकुश कौन लगाएगा, उपाध्यक्ष महोदय? जब तक इच्छाशक्ति नहीं होगी, यह होना मुश्किल लगता है।

इसलिए मैं युवा मुख्य मंत्री से यह अपेक्षा करूंगा कि थोड़ी इच्छाशक्ति बताएं, दबाव में न आएं। जैसे कि हमारे वित्त मंत्री बड़े जोर-शोर और बुलंदगी के साथ कहते हैं कि जो मैंने कह दिया, होगा, अब किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं हटूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कोई हो। और फिर होता क्या है? जब दबाव पड़ता है, चारों तरफ से घेराबंदी होती है, मैं जनहित में मेरे शब्द, मेरा निर्णय वापस लेता हूं। कहां जाती है आपकी इच्छाशक्ति? चाहे आपको पद छोड़ना पड़े, पद छोड़ देते, लेकिन अपने वचन पर कायम रहते वित्त मंत्री महोदय तो हमें खुशी होती कि हां, निश्चित तौर पर ऐसा कर्मठ हमारा राज-

(श्री देवीसिंह भाटी)

नैतिक कार्यकर्ता है जिससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए।

लेकिन हमें तकलीफ होती है इसलिए कि हम राजनैतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग थोड़ा दबाव में आकर अपनी सोच बदल लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि आप व्यवसाय कर लगाएं, आप कोई अन्य सेल्स टैक्स लगाएं, एन्ट्री टैक्स लगाएं, कुछ भी लगाएं, चारों तरफ से घेरबंदी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोच-समझ कर कीजिये।

इस प्रकार बगैर सोचे-समझे, सिर्फ आंकड़ों से वित्त मंत्रालय नहीं चला करता है, उपाध्यक्ष महोदय। आर्थिक सोच चाहिए, उसका अनुभव चाहिए। आपका पिछला जितना भी अनुभव रहा है, जितने भी शासन काल में आप वित्त मंत्री रहे हैं, हर बार आपकी नीति का विरोध हुआ है और आपका जो राजनीतिक जो दल है उसको पूरे को भुगतान पड़ा है आपके कारण से।

इसलिए सबसे राय लीजिये जो कंज्यूमर है उससे राय लीजिये, जो व्यापारी है उससे राय लीजिये, जो जन प्रतिनिधि है उससे राय लीजिये और राय लेकर फिर कीजिये। सिर्फ अधिकारियों से राय करके नहीं हो सकता है, बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा है कि किसी ने यहां हाउस में कहा था कि अधिकारियों ने ही बजट की तैयारी की है और उन्होंने तैयार करके वित्त मंत्री जी को दिया है।

मैं नहीं जानता लेकिन हम हकीकत यह जानते हैं कि मूल रूप से वे तैयार करते हैं, आंकड़े उनके द्वारा आते हैं। लेकिन हमें तो अपना सोच लागू करना है, उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। आप कर लगाएं, पूर्व में भी बहुत कर लगे हुए हैं।

हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि जो हमने आज तक कर लगाये हैं, क्या हम वह सही तरीके से वसूल कर पा रहे हैं या नहीं। उसके लिए प्रयास कीजिये। उसके लिए कोई प्रयास नहीं होता। वर्षों से लोग कहते हैं, आम आदमी कहता है, व्यापारी कहता है, दूसरे कहते हैं कि साहब, इंस्पेक्टर राज है, इंस्पेक्टर राज है।

जब आप विरोध में होते हैं तब आलोचना करते हैं इंस्पेक्टर राज की। हम विरोध में बैठे हैं तो हम इंस्पेक्टर राज का विरोध कर रहे हैं। आम आदमी है वह भी इंस्पेक्टर राज का विरोध कर रहा है। तो आखिर कौन है जो इसको रोक रहा है? ज्यादा से ज्यादा दखलंदाजी यदि सरकार की होगी तो सरकार सही रूप से नहीं चल सकती, सही सोच नहीं लागू कर सकती।

यह अफसरशाही हावी है उसकी मैं बताऊं, मैं खुद भुक्तभोगी हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना सुझाव दे रहा हूं, अगर आपको सही लगे तो यह राज्य हित में होगा, जन हित में होगा और बगैर मतलब

(श्री देवीसिंह भाटी)

की कागजी कार्यवाही, आरोप-प्रत्यारोप भी नहीं होंगे।

मैं शासन में रहा तो मैंने तीन साल तक कोशिश की। सीमेंट की चोरी होती है, काफी ऐसे मामले भी पकड़े गये। बार-बार चर्चा होती है, हमारा आई जी एन पी प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, उसके लिए समय-समय पर होता रहा। तो मैंनें एक सुझाव दिया कि हमारे सीमेंट बैग्स जो भी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों के काम में आतें हैं, उनके ऊपर एक तो राजस्थान सरकार का ठप्पा लगा दिया जाए, यह उसके ऊपर छप जाए और दूसरे इस सीमेंट का रंग हरा कर दिया जाए। अब इसमें कहां अड़चन आ रही थी ?

तीन साल मैंने कोशिश कर ली वित्त विभाग से। कि साहब, यह कौन डील करता है ? कि साहब, उसके द्वारा टेण्डर होते हैं। सारी प्रक्रिया वित्त विभाग के द्वारा। हमारे पूर्व मुख्य मंत्री जी थे उन्होंने अलग से इसके लिए मीटिंग ली, तय हो गया, लेकिन मैं कोशिश कर-करके हार गया, और वह लागू नहीं हो सका। मेरा एक सुझाव है कि इसे आप लागू करें हर सरकारी विभाग में, कोई दिक्कत नहीं है, सीमेंट बैग के ऊपर छप कर आ जाए। जिसको भी अपना माल बेचना होगा वह निश्चित तौर पर छापकर देगा। उसके ऊपर 'राजस्थान सरकार के उपयोग के लिए' लिख दिया जाए और सीमेंट का रंग हरा कर दिया जाए। कहीं भी अगर किसी ने चोरी करके सीमेंट ली है तो दस साल बाद में भी उसको पकड़ा जा सकता है कि हरे रंग की सीमेंट आती ही नहीं है, तू कहां से लेकर आया।

अगर इस प्रकार का हम सोच डवलप करें, आम लोगों से राय लें और जो पूर्व में हमने कर लगा रखे हैं वे सही तरीके से वसूल कर लें तो निश्चित तौर पर इस प्रदेश का भला होगा। बार–बार इस प्रकार के कर लगाने से शायद ज्यादा ही परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, सब तरफ से राय आती है, यहां माननीय सदस्य खड़े होते हैं, अपने-अपने क्षेत्र की बात करते हैं, वैसे तो सदियों से पेयजल संकट झेलते आये हैं लेकिन पेयजल संकट के लिए हमने जल्दबाजी में यह कर लिया कि हम स्वच्छ जल सारे गांवों को पहुंचाएंगे। पी.एच.ई.डी. की स्कीम बना ली, जी. एल. आर. बना लिये, डिक्कियां बना लीं, 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर तक लाइन डालकर हमने गांव जोड़ दिये लेकिन पानी वहां आता नहीं।

मूल रूप से हमें सोचना यह पड़ेगा कि सदियों से हमारे गांव की व्यवस्था ने, इस समाज ने जो अपनी एक आत्मनिर्भरता की शैली और जीवन अपना रखा था कम से कम वे तालाब, कुए, बावड़ियां तो सुरक्षित रह जाएं। जो अब तक नष्ट हो गये, जिनके पायतन कैचमैंट है कब्जे हुए, छोड़ो उनको, लेकिन जो कुछ बच गया है, कम से कम वह तो उपलब्ध हो जाए पशुओं के

(श्री देवीसिंह भाटी)

पानी पीने के लिए। यह सोच नहीं होता।

और इसके लिए बहुत संसाधन चाहिए कि पायतन कैचमैंट के लिए, तालाब के लिए तारबंदी करें, क्या करें। मैंने सुझाव दिया था, मैं उस समय सरकार में था, उसके लिए मैंने काफी कोशिश की कि नगरपालिका, नगर निगम, नगर परिषद का जो क्षेत्र है उसमें अब कोई भी नये मकान की स्वीकृति ले तो उसकी छत का पानी है, बरसात का पानी है, उसका उपयोग हो और मकान के अन्दर कुण्ड का प्रोविजन कर दिया जाए नक्शे में।

शहरों में आजकल आम तौर पर जिस प्रकार की बसावट हो गई है, बाढ़ आ जाती है। तो कम से कम बाढ़ की स्थिति तो नहीं आएगी। यह पानी पिएं नहीं तो कम से कम इमरजेंसी में उपयोग ले लें, कपड़े धो लें, अन्य काम में ले लें।

लेकिन तंत्र हमारा ऐसा हो गया है कि किसी प्रकार का ऐसा कोई प्रयास हो तो उसके लिए कतई परवाह नहीं होती। तो इसलिए सवाल यह है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, कैसा सोच हम डवलप कर रहे हैं हमने क्या दिया और क्या लिया, यह हमारे सामने है, उपाध्यक्ष महोदय। जहां हमारा गांव ईमानदार था, सच्चा था, किसी से कोई उसका लेना-देना नहीं था, आज हमारे गांवों को बदनाम कर दिया गया। किस ने किया? गांव का आदमी बेइमान कहलाने लग गया, उसके मन में आने लग गई?

गांव का आदमी यह सोचता था कि मैं कर्जा लेकर नहीं मरूं। मरते-मरते भी बच्चे से कहता था कि मरने से पहले मेरी इतनी तो तू कर दे कि मेरा कर्जा तू निपटा दे, नहीं तो मैं नर्क में जाऊंगा। हमारा यह सोच था, हमारे आपस में पड़ौसियों से, परिवारों में भाईचारा था।

एक आदमी आता था, अगर वह एक परिवार में जंवाई होता था तो पूरे गांव का जंवाई होता था। एक का भानजा होता था तो पूरे गांव का भानजा होता था। वह सारा सोच खत्म करके आज गांव का आदमी मागता है, मस्टर रोल लाओ, मेरा नाम लिखाओ, दो आदमी मेरे एक्स्ट्रा लिखा दो। कर्जे के लिये आज भागते हैं कि जैसे-तैसे मुझे बैंक से लोन दिला दो, सब्सिडी दिला दो, आधी आप रख लो, आधी मैं रखूं। गांवों में यह स्थिति क्यों बनती जा रही है, कौन इस बारे में सोचेगा, इसके लिये निश्चित तौर पर विचार होना चाहिए। इस बात को भी सोचिये, बहुत गम्भीर बात है जिसको मैं निवेदन करना

(13.30 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

चाहूंगा, सभापति महोदय। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं कर रहा;

श्री सभापति : फरमाइये आप।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं एक व्यवस्था की बात कर रहा हूं, सभापति महोदय। इस राजस्थान में कितने जंगल थे, वे सारे कट गये। क्यों कटे? जैसी भी परिस्थिति बनी, कट गये। बहुत बड़ा गुनाह हुआ। लेकिन इस बात को हम सब तो सोचें कि लोगों में यह सोच पैदा होना चाहिए। यह नहीं कि हम वन विभाग के आंकड़े दिखा दें, हम कोशिश करके लोगों को ले जाकर बता दें।

कम से कम बच्चे में संस्कार ये होने चाहिए कि यह पौधा मेरा है, यह पेड़ मेरा है, ये वन मेरे हैं। मुझे खुद याद है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, वन महोत्सव मनाने के लिए पौधे लगाये जाते थे। तो हम यह करके कि मेरा है, यह पौधा उखाड़ा, दो-चार मैंने उखाड़े, पांच उसने उखाड़ दिये, दस उसने उखाड़ दिये। क्योंकि वह सोच नहीं था।

सभापति महोदय, यदि हमें वन रखने है, गांवों को सुरक्षित रखना है तो हमें वह सोच बनाना होगा। जब तक हमारे संस्कार अच्छे नहीं होंगे, सभापति महोदय, न तो यह समाज अच्छे राजनीतिक दे पाएगा, न अच्छे वकील होंगे, न अच्छे डाक्टर से हमें कोई उम्मीद होगी। यह समाज किस दिशा में जा रहा है, इसे संस्कारित कौन करेगा, इसके लिये हमें निश्चित तौर पर सोचना चाहिये। ये नल, ये बल्ब, ये सड़क, ये नाली, सभापति महोदय, मेरा यह मानना है कि यह कोई विकास का रास्ता नहीं है। यह तो एक विकास की सतत् प्रक्रिया है, यह चलती रहेगी।

जब चुनी हुई सरकार नहीं हो, राष्ट्रपति शासन हो तब भी यह काम चलता रहता है। यह तो खजाने से पैसा निकलना है, टैक्स वसूल होना है और लगना है। मोटी बात है कि यह संस्कार कौन डाले। संस्कार हमारे इस प्रकार के पड़ गये कि गांव में चाहे वह किसान है, चाहे वह मजदूरी करने वाला है, शहरी बाबू है या डाक्टर है, कोई भी हो, सबको पता नहीं क्या पकड़ में आ गई है, मेरे भी पूरे परिवार में 'पापा और मम्मी'। अब क्या मतलब है पापा और मम्मी का?

हम नकल करने में ऐसे लग गये हैं कि हम अपने पिता को बाप, ताऊ या जो भी कहते हैं, मां को मां कहने में हमें शर्म आने लग गई है। हमें इस बात के लिये सोचना चाहिये। सिर्फ आंकड़े दे दें हम हर साल, निरन्तर अपनी प्रगति दे दें, बिजली-पानी वाला दे दें, सभापति महोदय, इससे यह न होगा जब तक हमारे अन्दर अच्छे संस्कार पैदा नहीं होंगे, जिसकी आज आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं अलवर, भरतपुर इन जिलों में गया, इतने थिकली पापुलेटेड गांव हैं, बड़ी शर्म आती है। वहां जाकर देखते हैं तो महिलाओं को वहां निमटने के लिये जगह नहीं मिलती। महिलाएं सड़क पर आकर बैठती हैं। इसके लिये हम चिंता नहीं करते, हमें तो आंकड़े बताने हैं।

(श्री देवीसिंह भाटी)

एक योजना है कोई कि हमने वहां इतने तहारत बना दिये। लेकिन इस बात के लिये यहां डिसकस होना चाहिये कि क्या हमारे समाज की मोटी-मोटी दिक्कतें हैं जिनका समाज के विभिन्न वर्गों को सामना करना पड़ रहा है।

श्री सभापति : यह आप वाली चिंता सबसे पहले चौधरी चरण सिंहजी ने की या आज आप कर रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : बहुत अच्छी बात है। वे भी गांव के जाये जन्मे थे और सही किसान सोच रखने वाले हमारे नेता थे। इस बात के लिये सोचना चाहिये, निश्चित तौर पर बहुत बड़े गांव हैं। हमारे तो छोटे छोटे रेगिस्तानी गांव हैं, उसमें ऐसी अभी समस्या नहीं है, लेकिन इतने बड़े-बड़े गांव हैं उसके लिये कोई चिंता नहीं कर रहा।

दिन में यदि उस महिला को निमटने के लिए जाना पड़ जाए, पेट खराब हो जाए और जो गरीब परिवार हैं उनका तो बिलकुल दस-दस गज के बाड़े हैं उसमें तो कहीं जगह ही नहीं है बैठने को। किसी को अगर निकलना पड़े तो पूरा गांव जो आज एक-एक, दो-दो मील बस गया, उसको पार करके बाहर निमटने जाना पड़ता है।

सभापति महोदय, इन बातों के ऊपर हमें सोचना चाहिये। इस प्रकार का समाज को खुला छोड़ दिया है, उसके नतीजे जैसे आज मैं अखबार पढ़ रहा था। सबने पढ़ा होगा कि अमरीका में दो विद्यार्थियों ने सेमी आटोमेटिक हथियार लेकर विद्यार्थियों को भून डाला।

आज यह संस्कृति बन रही है और हम भी उसी दिशा में जा रहे हैं, अंधी दौड़ दौड़ रहे हैं। इनके क्या परिणाम आ रहे हैं, इस बारे में इस सदन में भी और अलग-अलग फोरम के ऊपर विचार-विमर्श होना चाहिये। यदि इस प्रकार....

श्री सभापति :आप दो कुछ क्रांतिकारी सुझाव।

श्री महेश जोशी : अमरीका का विषय तो बी.पी. सिंहजी का है।

श्री देवीसिंह भाटी : मुझे तो ध्यान नहीं किस ने क्या कहा या नहीं, पर यह हकीकत है। मैं आपको सही बता रहा हूं मुझे जो महसूस होता है। सभापति महोदय, आज से तीन साल पहले कोटा के अन्दर एक कालेज की लड़की पढ़ कर आ रही थी, और उसको एक जीप वाले ने कुचल कर वहां डाल दिया। वह तड़फड़ाती रही, चिल्लाती रही, वह मदद के लिये याचना करती रही। यह अखबार में आया है, सबने पढ़ा होगा। पूरा बाजार मूक-दर्शक बने देखता रहा, कोई भी उसकी मदद के लिये नहीं गया।

क्या यह हमारे लिये शर्म की बात नहीं है ? उसके बाद रोष में आई सारी महिलाओं ने पूरे बाजार को हाथ पकड़ कर घेराबंदी की। प्रशासन दौड़ कर आया

(श्री देवीसिंह भाटी)

कि हमारे से कोई गलती हो गई हो तो हम माफी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई, या आपके प्रति कोई रोष नहीं है।

हमें रोष इस बात का है कि हमारे भाई, परिवार वाले ही ये सारे दुकानें लगाये बैठे हैं बाजार में, कोई भी हमारी सहेली की मदद के लिये नहीं आया और उसने तड़प-तड़प कर जान दे दी। इसी प्रकार के संस्कार हो रहे हैं, पता नहीं कौन क्या कर रहा है।

अभी हाल ही में दो महीने पहले मध्यप्रदेश में एक यूनिवर्सिटी में कुछ उच्छृंखल विद्यार्थी जीप में चढ़कर आये और वहां की एक पढ़ने वाली स्टूडेंट थी, उसके पीछे जीप दौड़ा-दौड़ा कर उसको कुचल दिया यूनिवर्सिटी के कैम्पस में। ये हमारे समाज के संस्कार बन रहे हैं, सभापति महोदय। इन बातों के ऊपर निश्चित तौर पर गौर करना चाहिये।

मैं नई सरकार से यह अपेक्षा करूंगा, आप अपने राजनीतिक दल को मजबूत करो, उसमें और ज्यादा मजबूती आए; कोई दिक्कत, परेशानी नहीं है लेकिन प्रयास तो करो आप सही दिशा में। सिर्फ शार्टकट से राजनीति हम करना चाहें, पद हासिल करना चाहें, इससे किसी का भला नहीं होगा। आप पूरे समाज के लोगों को साथ लो।

हमारे मंत्रीगण लोगों के बीच जाकर बैठें, अधिकारियों को सामने बैठाएं, मौका देखना है तो मौके पर जाएं रूबरू बात हो।

कई मंत्री साथियों ने देखा होगा कि गांव का अनपढ़ आदमी अगर वह बुजुर्ग है, हम तो एक बात को एक्सप्लेन करने के लिये पूरा एक पैराग्राफ भर दें और वह एक लाइन में उस समस्या का समाधान बता देता है। यदि हम उनके पास में जाएंगे तो निश्चित तौर पर हम लाभान्वित होंगे।

आखिर में, सभापति महोदय, मैं इस नई सरकार से यह अपेक्षा रखूंगा कि बगैर सोचे-समझे हम टैक्स न लावें। लोगों से राय लें, पूर्व में हमने जो टैक्स लगा रखे हैं उनको देखें। हमने जो कानून बना रखे हैं, ब्रिटिश टाइम से बने हुए हैं।

सभापति महोदय, बीकानेर में हमारे यहां एक कच्ची बस्ती से शिकायत आई कि यहां एक जाति के लोग हैं, वे बगैर लाइसेंस यहां गोश्त काटते हैं और हमारे घरों के अंदर चील, कव्वे, कुत्ते हड्डियां लेकर आ जाते हैं।

मैं उप प्रशासक को और वहां जो भी अधिकारी लगे हुए थे, सबको साथ लेकर मौके पर गया। जाकर पकड़ा, बरामद कर लिया और चालान कर दिया। पैनल्टी कितनी? पांच रुपये। मोहल्ले वाले तो राजी हुए कि आज कार्यवाही होगी, ठीक है।

(श्री देवीसिंह भाटी)

दूसरे दिन फिर वे लोग आये और कहने लगे कि साहब, वह तो कह रहा है मेरे पांच रुपये पैनल्टी लगी है; मैं तो फिर करूंगा, पांच रुपये और भर दूंगा। इस प्रकार के जो पुराने कानून हैं, उन पर यहां हाउस में डिस्कशन होना चाहिये।

सभापति महोदय, हम वर्षों से देख रहे हैं, वह तो खत्म होता जा रहा है। कैसे तो हमारे कानून बने हुए हैं; क्या इस समाज की नई आवश्यकता है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं और एक दूसरे पर हम आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। सिर्फ अपने विधान सभा क्षेत्र तक समिति हो गये हैं। यह सारा आज निजी परिवार बनता जा रहा है। सिकुड़ कर कहां आ गये हैं हम? खुद पति, पत्नी, बेटा-बेटी और ससुराल पक्ष, यह समाज रह गया है, यह देश रह गया है।

सभापति महोदय, यह सोच कहां से डवलप हो रहा है? हमें सोचना चाहिये कि देश भक्ति के बारे में कैसे हमारी भावना पैदा हो। यह पड़ोसी मेरा है, राजनीतिक दल के विरोधी साथी ये भी मेरे हैं। द्वेष न हो।

लेकिन वह सोच डवलप नहीं कर रहे हैं। पता नहीं समाज एक कौनसे अंधे कुए की ओर दौड़ रहा है। इसके लिये निश्चित तौर पर यहां चर्चा करें और कुछ नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करें तो निश्चित तौर पर लाभ होगा।

आखिर में, हमारे वित्त मंत्री जी के पास राजस्थान केनाल आई. जी. एन. पी. विभाग भी है, उस पर कहना चाहूंगा।

मैंने पूर्व में आपको निवेदन किया था इसी हाउस में कि पंजाब वाले मनमानी करते हैं क्योंकि उनका अपर हैण्ड है। उन्होंने केन्द्रीय सरकार को भी कभी नहीं मानी; चाहे बी.बी.एम.बी. हो, चाहे कैसे भी हो। उन्होंने एक नीयत तिथि मांगी थी और उसमें रिपेयर नहीं कर सकते थे।

अब 30 तक पानी छोड़ने की बात आयी है, वह फिर इसको बढ़ा सकता है तो इसलिए उच्च स्तरीय प्रयास होना चाहिए। हमारे मुख्य मंत्री जी पंजाब के मुख्य मंत्री जी से बात करें, दबाव डालें लेकिन एक स्थिति तो सामने आए। यह आज नहीं तो 10 साल बाद, 50 साल बाद हमको फेस करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल हो जाएगी बाड़मेर, जैसलमेर के लोगों के लिए कि हम वहां नियत पानी दे न सकेंगे। इसके लिए चाहे आज एजीटेशन करना पड़े; चाहे कोई विरोध करना पड़े। यह कोई बात नहीं है कि इस देश का कोई भी प्रदेश केन्द्र की नहीं माने और आपस में इंटर स्टेट जो हमारे रसूखात हैं वे खत्म हो जाएं।

इसके लिए मैं निश्चित तौर से चाहूंगा कि आप प्रयास करें कि समय पर किसानों को पानी मिले। पेयजल का संकट तो है, साथ में, लोगों ने भरोसे के ऊपर कुछ काश्त भी कर रखी है; कुछ लोगों ने फ्रूट प्लांट भी लगा रखे हैं। ये सारे जलकर राख हो जाएंगे इसलिए मैं चाहूंगा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि इसके ऊपर

(श्री देवीसिंह भाटी)

निश्चित तौर पर सरकार सीरियस प्रयास करे। धन्यवाद ।

श्री समापति : पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय सभापति जी, आज मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने गरीब को रोटी, कपड़ा और मकान का वादा किया था लेकिन राजस्थान में जो गरीब आदमी चप्पल पहनता है उसके ऊपर 12 प्रतिशत टैक्स लगाया है जबकि अन्य स्टेट्स में 3 और 4 परसेंट के ऊपर कहीं भी नहीं है।

आज राजस्थान में चप्पल फैक्ट्रियों में मजदूरों की संख्या 20 हजार से ऊपर है। अगर सरकार ने यही 12 परसेंट टैक्स रखा तो 20 हजार वर्कर बेरोजगार हो जाएंगे और फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी अन्य स्टेट्स से रबड़ की चप्पलें आकर बिकने लग जाएंगी। माननीय वित्त मंत्री जी ने प्लास्टिक के ऊपर टैक्स माफ किया है। प्लास्टिक की चप्पल, माननीय मंत्री जी, राजस्थान में कोई नहीं पहनता है। बिहार में पहनते हैं और बिहार का कानून राजस्थान में लागू करना उचित नहीं है।

आज राजस्थान में जिसके पास जूती के पैसे नहीं होते हैं, वह गरीब आदमी चप्पल पहनता है। करोड़ों आदमी चप्पल पहनते हैं। चप्पल के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है, यह राजस्थान के गरीब के साथ बहुत बड़ा अन्याय है।

आज राजस्थान सरकार 23,533 करोड़ रुपये घाटे में है, बड़े दुःख की बात है, मगर यह घाटा कोई चप्पल के टैक्स से पूरा नहीं होगा। आज सुविधाशुल्क जगह-जगह लग रहा है, और स्टेट में अन्य टैक्स बढ़ाने से सुदृढ़ पोजीशन हो सकती है। लेकिन चप्पल का टैक्स बढ़ाने से गरीब के ऊपर भार आएगा।

पूर्ववर्ती सरकार ने टैक्स लगाया था लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने तो .. (व्यवधान) पैसे लेकर नहीं, इन्होंने बी. जे. पी का बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया था तो माभड़ा जी ने बुलाकर कह दिया कि यह सम्मेलन का खर्चा आप दोगे और उस खर्चे का पैसा लेकर खत्म कर दिया था। हमारे वित्त मंत्री जी ऐसे तो नहीं हैं, ईमानदार हैं, इस बात को तो हम मानेंगे लेकिन दयावान भी हैं।

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह टैक्स 12 प्रतिशत से हटाकर अन्य स्टेट्स की तरह 3 परसेंट, 4 परसेंट करें जिससे यहां का मजदूर बेरोजगार न हो और गरीब को चप्पल मिले। सरकार संवेदनशील है, जवाबदेह है, उत्तरदायी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए चप्पलों का टैक्स 3 परसेंट किया जाए, यही मेरी आपसे विनती है।

कृषि पर, माननीय मंत्री जी, आपने 278 करोड़ रुपये की राशि रखी है जो बहुत कम है। मैंने पूर्व में भी आपसे

(श्री श्रवण कुमार)

निवेदन किया था, अनुदान राशि 20 हजार फव्वारों की रखी है जबकि किसान को पानी की महती आवश्यकता है।

अगर पानी किसान के खेत में नहीं जाएगा तो बिजली का कोई उपयोग नहीं होगा इसलिए 40 हजार फव्वारों को कम से कम सब्सिडी दी जाए जिससे किसानों को अनुदान मिल सके और फव्वारों के द्वारा सिंचाई की जा सके।

झुंझुनूं जिले और सीकर जिले के कृषि सम्बन्धी सभी आफिसरों को जयपुर आना पड़ता है इसलिए एक उप निदेशक, कृषि का कार्यालय सीकर में खुलवाया जाए और किसानों को फल, सरसों, चना आदि क्रय विक्रय समितियों के माध्यम से बेचने की सुविधा दी जाए जिससे उनको उचित मूल्य मिल सके और किसान की बाजार में जो ठगाई हो जाती है उस ठगाई से भी बचा जा सके।

एक बात मैं आपको, मान्यवर, निवेदन करना चाहता हूं कि डी.आर.डी.ए. के माध्यम से जो विधायक कोटे के पैसे यूज किये जाते हैं, उनको 25 लाख रुपये आपने किया, धन्यवाद, परन्तु 5 लाख रुपये की राशि मेंटिनेंस के लिए रखी जाए। कुछ गांवों में टंकियां, स्कूलों के भवन क्षतिग्रस्त हो गये हैं। उसमें क्या होता है कि एक लाख रुपये की टंकी है, उसकी छत गिर गयी, अब पंचायत समिति में जाते हैं तो पंचायत समितियों के लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है और विधायक कोटे में सुविधा नहीं है।

टंकी के ऊपर छत टूट जाने से मिट्टी, मरे हुए जानवर, कबूतर गिर जाते हैं, पानी में बड़ी गंदगी फैल जाती है और गांव में बीमारी फैलने का डर रहता है। स्कूल के अंदर छत गिर जाती है फर्श टूट जाता है तो बच्चों के बैठने के लिए जगह नहीं होती है हम नये कमरे बना सकते हैं लेकिन 10 हजार रुपये नहीं दे सकते।

इससे क्या होगा कि पुराने जो मकान हैं वे तो क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे और नये मकानों को बनवाने में पैसा अधिक खर्च होता है। सवा लाख रुपये देने के बजाय वही मकान 10 हजार रुपये में ठीक हो सकता है और यूज किया जा सकता है। इसलिए पुराने मकान को ठीक कराने की प्रवृति नहीं डालोगे तो नये मकान बनते जाएंगे और आपकी व्यवस्था एकदम चरमरा जाएगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आपको कम से कम 5 लाख रुपये की मेंटिनेंस की सुविधा देनी चाहिए।

मान्यवर, शिक्षा का स्तर दिन प्रति-दिन गिरता जा रहा है। गांवों में आठवीं और दसवीं क्लास के बच्चे जो इंगलिश स्कूल खोलकर बैठे हैं, उनमें चार सौ बच्चे मिलेंगे और जहां बी.ए., बी. एड. अध्यापक हैं वहां मात्र 20 बच्चे मिलेंगे। इसका कारण यह है कि उस पर नियंत्रण नहीं है। पंचायत समितियों के माध्यम के स्कूलों में जो अध्यापक हैं उनकी स्थिति यह है कि वे स्कूलों में जाएं तो जाएं, नहीं जाएं तो

(श्री श्रवण कुमार)

उन पर कोई अंकुश नहीं है । एस. डी. आई. जो आपने लगा रखे हैं, वे कभी स्कूल में आकर यह नहीं देखते हैं कि हमारी यह ड्यूटी है और हमें चैक करना चाहिए । इसका नियंत्रण जो पूरा रखना चाहिए, वह एकदम खत्म हो गया है ।

मैं निवेदन करूंगा कि शिक्षा का स्तर जो गिर रहा है, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा । पूर्ववर्ती सरकार ने शिक्षा को बेचा । स्थिति यह हो गयी कि वही गांव स्कूल खुलवा सकते थे जिन गांवों में पैसा अधिक होता था ।

इस वर्ष इस सरकार ने जो चार सौ सैकण्डरी स्कूल और दो सौ सीनियर सैकण्डरी स्कूलों का प्रावधान रखा है, वह बहुत सराहनीय है और गांवों के लोगों में मैसेज अच्छा गया है । गांवों के लोगों के दिमाग में आया है कि यह सरकार गरीब के प्रति भावना रखने वाली सरकार है ।

इसलिए मैं चाहूंगा कि शिक्षा में अध्यापकों की कमी है उसकी पूर्ति की जाए । सब्जैक्ट में कभी हिन्दी का टीचर नहीं है, कभी गणित का टीचर नहीं है, कभी इंग्लिश का नहीं है । इससे क्या होता है कि स्कूल खुल जाते हैं पर स्टाफ की कमी रहती है । जहां स्टाफ की कमी रहती है वहां स्कूल की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो सकती, सही रूप से नहीं चल सकती । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि स्कूलों में अध्यापकों की संख्या पूरी की जाए और सब्जैक्ट जो खोला है उसके साथ वह अध्यापक भी लगा दिया जाए ।

पशुधन का अब की बार राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया सौ नये हास्पिटल खोलने का । पूर्ववर्ती सरकार ने पूरे पांच साल में मुश्किल से खोले होंगे । हमें तो मालूम भी नहीं कि खोले । हमें तो पांच साल में केवल एक उप स्वास्थ्य केन्द्र दिया था, वह भी गांव का नाम गलत कर दिया । पूरे पांच साल में मालूम ही नहीं कि उप स्वास्थ्य केन्द्र भी खोले जाते हैं ।

लेकिन अब की बार हमारे वित्त मंत्रीजी ने बजट दिया और 100 का प्रावधान रखा है । मैं निवेदन करूंगा कि पशुधन राजस्थान की बहुत ही महती आवश्यकता है और पशु जिन्दा रखना मानव के जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है । इसलिए इसे बढ़ाकर 150–200 कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी । । डेढ़ सौ से कम करेंगे तो किसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय होग । 400 उप स्वास्थ्य केन्द्रों की बात हुई है, ये भी कम से कम 600 होने चाहिए । बड़े-बड़े गांवों में जहां एक उप स्वास्थ्य केन्द्र है, एक कम्पाउण्डर रहता है, छोटे-मोटे इलाज किये जा सकते हैं । आदमी बस में बैठकर जा सकता है, कार लेकर जा सकता है लेकिन पशु नहीं जा सकता है, इसलिये पशु का औषधालय बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

इसलिये मेरा निवेदन है कि डेढ़ सौ हास्पिटल और 600 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का कष्ट करें । मेरी आपसे बिनती है कि भ्रमणशील चिकित्सालय की सुविधा भी की जाए क्योंकि कई ऐसे पशु

(श्री श्रवण कुमार)

हैं जो चल नहीं सकते। जहाँ छोटे-छोटे गांव हैं वहाँ अगर भ्रमणशील चिकित्सालय की सुविधा हो जाए तो स्वयं डाक्टर वहां जाकर उसका इलाज कर सकता है।

एक गोपाल कार्यक्रम की तरफ उचित ध्यान दिया जाय। झुन्झुनूं जिले में....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, आप घण्टी बजाने लग गये, आज ही तो मौका मिला है।

श्री सभापति : आज आपकी पार्टी की तरफ से बहुत बोलने वाले हैं इसलिये चीफ व्हिप साहब ने सुझाव रखा है कि 10-10, 15-15 मिनट का समय दिया जाए।

श्री श्रवण कुमार : पानी की बहुत दुर्दशा है। आज राजस्थान में दिन-प्रतिदिन इसका स्तर नीचे गिरता जा रहा है।

मैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने पैसा बहुत खर्च किया था पर वह भी सही इम्पलीमेंट नहीं हुआ। 10 लाख की टंकी बन गयी, 5 लाख का ट्यूबवैल बन गया लेकिन केवल 200 पाइपों के लिये वह टंकी बंद पड़ी है। आपकी सरकार उसका यह इलाज नहीं कर रही है कि 200 फुट पाइप लगाकर उस टंकी को चालू कर दे जिससे गांव के अन्दर पानी मिल सके।

आज जो आपकी खरीददारी है वह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। वे मोटरें खरीदी जाती हैं जिनका गांव में यूज नहीं होता है। डबल हैड की मोटरें खरीदते हैं। डबल हैड की मोटरें मात्र एक महीने चल सकती हैं। एक महीने के बाद मोटर खराब हो जाती है और कम्पनी के नाम पर जयपुर में बनकर ठप्पे लग जाते हैं और कोई उसका यूज नहीं होता है। आपने जो डबल हैड की मोटरें झुन्झुनूं और सीकर जिले में भेज रखी हैं, अगर वह मोटर 5000 की भी खरीदी जाती है तो भी उसका कोई यूज नहीं है।

आज टैक्समो, बोकम जैसी मोटरें सीकर, झुन्झुनूं जिले में बहुत ही सफल हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि टैक्समो मोटर, बोकम मोटर खरीदी जाएं। डबल हैड की मोनो-ब्लाक्स खरीदी जाती हैं, इनका कोई यूज नहीं है। इनका एक महीने में हैड खराब हो जाता है उसके बाद वे चलने के योग्य नहीं हैं। इसलिये जो फर्जी खरीददारी हो रही है, जो भ्रष्टाचार से दूर नहीं है, उसको दूर किया जाए।

सभापति महोदय, हैड क्वार्टर पर एक एक्स. ईएन. को 20 रुपये का सामान खरीदने की पावर नहीं है। अकसमात कोई पी.एच.इ.डी. की स्कीम बन्द हो जाए तो वह कहता है कि मेरे बस की बात नहीं है, आप चीफ इंजीनियर से बात करें। अगर कुछ राशि हजार, 2 हजार, 5 हजार की लोकल पर्चेजिंग की सुविधा दी जाए तो वे तुरन्त उसको शुरू कर सकते हैं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि पानी की जो सुविधा है जैसे कुएं पर

(श्री श्रवण कुमार)

कनेक्शन हो गया, मोटर भी लग गयी परन्तु 5 हजार रुपये के सामान के लिये वह बन्द पड़ा है और हजारों रुपया आपके बिजली का चढ़ गया है, कनेक्शन लग गया है, कुआ चल नहीं रहा है लेकिन 5-10 हजार रुपये के सामान के पेटे वह कुआ बन्द पड़ा है और 1-2 लाख बिजली के, कनेक्शन के, दे दिये हैं।

इसलिये मैं चाहूंगा कि इस तरह के जो ट्यूबवैल बन्द पड़े हैं, जो कनेक्शन बन्द पड़े हैं उनको दिखवाया जाए और चालू करवाया जाए। जैसे पाइपों के पेटे गांवों में सप्लाई नहीं होती है। टंकी भी बन गयी, कुआ भी बन गया लेकिन गांवों में पानी की सप्लाई ही नहीं है। गांवों में पानी की सप्लाई जब तक नहीं होगी टंकी और कुओं से, गांव वालों को कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिये पाइपों की महती आवश्यकता है, गांवों में सप्लाई की महती आवश्यकता है। पहले उसको सुदृढ़ किया जाए और पाइप बिछवाकर उनको पानी दिया जाए, यह मेरी आपसे बिनती है।

माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से सड़कों के बारे में कहना चाहता हूं कि राजस्थान में सड़कों की दुर्दशा पूर्ववर्ती सरकार ने इस कदर कर दी है कि बिहार की सड़कों के बाद दूसरे नम्बर पर राजस्थान आ गया। सड़कें या तो मध्य प्रदेश की गड़बड़ थीं या फिर राजस्थान का नम्बर आ गया। गुजरात और महाराष्ट्र की सड़कें बहुत अच्छी हैं। मैं चाहूंगा कि अबकी बार सरकार नई सड़कों का निर्माण करने की बजाय इन्हीं सड़कों का मेंटिनेंस करे।

जो 1350 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करने की बात आयी है, उन सड़कों की बजाय जो पूर्व में ग्रेवल सड़कें बनी हैं, उनको पक्का करवाया जाए, टूटी हुई सड़कों को ठीक करवाया जाए। आज गांव-गांव में जो सड़कों से जोड़ने का अभियान चल रहा है, उसके बजाय जो बनी हुई हैं उनका डामरीकरण करवा कर उनको सही करवाया जाए, यह मेरी आपसे बिनती है।

सभापति महोदय, आज थानों की दुर्दशा देखकर बड़ा दुःख होता है। अगर कोई गरीब आदमी थानों में रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है तो पहले कहते हैं कि पैन लाओ, कापी लाओ, पेंसिल लाओ। नवम्बर, 1998 में 2 लाख बच्चों की एप्लीकेशन्स लेकर नई भर्ती करने का प्रावधान रखा। 1989 के अन्दर जो रूल बना हुआ था उसको बी. जे. पी. सरकार ने एक मिनट में खत्म करके केबिनेट का फैसला ले लिया कि सिपाही की भर्ती कलक्टर करेगा। 6 महीने से 2 लाख 25 हजार एप्लीकेन्ट अधरझूल में पड़े हैं कि हमारी भर्ती होगी।

मैं निवेदन करूंगा कि जो 2 लाख एप्लीकैन्ट आज इस बात के विचाराधीन हैं कि हमारी भर्ती नहीं हुई। मैं निवेदन करूंगा कि उनकी भर्ती करवाई जाए और उन बच्चों को इस बात का मालूम हो कि हमारी भर्ती अप्रेल में होगी या मई में होगी। उनके विचार में तो यह हो गया कि 6 महीने हो गये एप्लीकेशन्स लिये हुए,

(श्री श्रवण कुमार)

तो भर्ती भी होगी कि नहीं होगी । इसलिये मैं चाहूंगा कि नये रूल में कलक्टर की बजाय जिस तरह पहले एस. पी., डी. आई. जी., डी. जी. भर्ती करता था, उसी तरह भर्ती करवा कर इसका निवारण करवाया जाए ।

मान्यवर, गांवों में हमने देखा है कि विद्युत की लाइनें इतनी ढीली पड़ी हैं कि कई बार आदमी बस में चढ़कर जाता है तो भिड़ जाता है और कोई दर्दनाक मौत हो जाती है । मैं चाहूंगा कि आप कोई एल. टी. स्कीम बनाएं छोटे-छोटे रूप में कि 100 का ट्रांसफार्मर हटाकर 40 और 25 का ट्रांसफार्मर लगा दिया । छोटी स्कीमें लेने से हजारों खम्भों की बचत हो सकती है, तार बच सकते हैं और जो दुर्घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, उनको रोका जा सकता है । 100 का ट्रांसफार्मर जल जाता है तो 10 कुए वाले प्रभावित हो जाते हैं ।

अगर 25 का ट्रांसफार्मर जलता है तो मात्र दो कुए वाले प्रभावित होंगे 40 का जलेगा तो 3 प्रार्थी प्रभावित होंगे, 60 का चलेगा तो 6 प्रार्थी प्रभावित होंगे । लेकिन अगर 100 का जल जाता है तो 10 आदमी दुःखी होते हैं । इसलिये आपको एल. टी. स्कीम बनाकर छोटे रूप में 60-40-25 के ट्रांसफार्मर लगाकर स्कीम को सुदृढ़ करना चाहिए और जितनी तार ढीले पड़े हैं गांवों में, उनको टाइट किया जाए ।

बिजली की चोरी क्यों हो रही है ? इसका मेन कारण यह है कि नियम बन गया है । पूर्ववर्ती सरकार ने फैसला लिया कि उसी जिले का जे. ईएन. उसी जिले का ए. ईएन. वहां रहेगा तो चोरी होगी । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस जे. ईएन. ए. ईएन. से चोरी नहीं होती है । अगर वहां का जे. ईएन. वहां का ए. ईएन. होगा तो काम अच्छा करेगा । क्यों कि वह जानता है, उसको शर्म होती है । बाहर का आदमी होता है उसमें काम करने की इच्छा शक्ति नहीं होती है ।

इसलिये पूर्ववर्ती सरकार का जो फैसला लागू किया है, वह गलत है । जे. ईएन. कोई चोरी कराता है, यह गलत है । चोरी जे ईएन. नहीं कराता है । पूरे हिन्दुस्तान में चोरी इसी बात की हो रही है, आदमी की जब आवश्यकता पूरी नहीं होती है तो चोरी करता है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो आपने फैसला लिया है इस फैसले को बदला जाए और ए. ईएन. तथा जे. ईएन. को जो बाहर जिले में स्थानान्तरण किया जा रहा है उसको अपने जिले में रखने की प्रवृत्ति पुनः लागू की जाए ।

(14.00 बजे)

अन्त में मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने अबकी बार जो बजट पेश किया है, वह सराहनीय है, राजस्थान के किसान के लिए हितैषी है ।

(श्री श्रवण कुमार)

मैं पुनः वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आज आपकी वाह-वाही के साथ यह चप्पल वाला जो टैक्स है, यह कम नहीं करोगे तो सारा का सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। आज गरीब के पैर से जो चप्पल निकाली गयी है, इससे हर आदमी दुःखी होता है।

राजस्थान में आप एक ईमानदार वित्त मंत्री हो, भाभड़ाजी ने तो बी.जे.पी. का कंवशन बुलाकर दूर कर दिया था, आपको कोई फंक्शन बुलाने की जरूरत नहीं है, आप तो शाम को डिक्लेयर कर दो कि जो 12 परसेंट टैक्स लगाया गया है, वह टैक्स तीन परसेंट लगाया जाता है। इससे गरीब का दिल चौड़ा हो जाएगा और आपकी वाहवाही हो जाएगी। राजस्थान के अन्दर एक मैसेज जाएगा कि चन्दनमलजी बैद जिनका नाम टोडरमलजी रखा गया था, वह सही है और राजस्थान के आप बहुत ही अच्छे वित्त मंत्री हैं।

मैं आपको पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारी बात पर ध्यान दें। धन्यवाद।

श्री सभापति : ब्यावर से निर्वाचित माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सभापति : नहीं, नहीं। कौनसे नियम के तहत ? नहीं–नहीं, कोई नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, आज यह सदन अधूरा-अधूरा लग रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं लग रहा है। माननीय श्री के.सी. चौधरी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और अधूरा इसलिए लग रहा है, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है ....(व्यवधान)

श्री सभापति : श्री के.सी. चौधरी।

डा.के.सी. चौधरी (ब्यावर) : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस ऐप्रोप्रिएशन बिल पर अपने विचार रखना चाह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज बिराजिये। आप क्या कह रहे हो ? बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, आज यह सदन इसलिए अधूरा लग रहा है कि आज सदन के साक्षी रहने वाले हमारे पत्रकार नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बहुत अनुभवी सदस्य हैं। माननीय सदस्य, आप मंत्री रहे हैं, बहुत अनुभवी हैं। कोई नियम नहीं है यहां पर ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, नहीं, मैं दो मिनट में अपनी बात करना चाहता हूं।

श्री सभापति : प्लीज नो । नहीं, नहीं, कृपा कर...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है....(व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, नहीं, कोई नियम नहीं है । मैं अलाउ नहीं कर सकूंगा आपको । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सभापति महोदय....

श्री सभापति : नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि आज सदन इसलिए अधूरा है कि सदन के साक्षी रहने वाले पत्रकार आज हड़ताल पर हैं । उनकी न्यायसंगत बातों के बारे में यह सदन विचार करे । सभापति महोदय, वे हड़ताल पर इसलिए हैं कि एक मणिसाना वेतन बोर्ड बना था....(व्यवधान)

श्री सभापति : अब आप विराजिये ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पांच वर्ष पूर्व, सभापति महोदय, यह वेतन बोर्ड बना ।

डा. के.सी. चौधरी : यह हड़ताल पूरे हिन्दुस्तान में है, राजस्थान से कोई मतलब नहीं है । (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री के.सी. चौधरी ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज तक उस वेतन बोर्ड की सिफारिशें आयी नहीं और वह वेतन बोर्ड .. (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजिये । अब आप ज्यादा मत करिये ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सभापति महोदय, आज अगर हम लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के सम्बन्ध में चिन्ता नहीं करेंगे तो....

डा. के.सी. चौधरी : माननीय सदस्य, यह हड़ताल पूरे हिन्दुस्तान में है इससे राजस्थान का क्या मतलब ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं सदन का समय खराब नहीं करना चाहता । मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के बारे में क्या हम चिन्ता प्रकट नहीं करेंगे ? यह सदन चल रहा है और सभापति महोदय, पूरे राष्ट्र के, पूरे राजस्थान के जिस माध्यम से वित्त मंत्रीजी जो भी बात कहने वाले हैं, वह दूरस्थ गांवों में जाएगी, आज वे हड़ताल पर हैं । (व्यवधान)

श्री सभापति : आपको पता है कि उन्होंने..(व्यवधान)नहीं, प्लीज। है तो उसमें आप क्या करेंगे ? आपका उसमें कोई सम्बन्ध नहीं है । इस विधान सभा से क्या ताल्लुक है ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सम्बन्ध है, सभापति महोदय ।

श्री सभापति : इस विधान सभा का उससे क्या सम्बन्ध है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, अगर लोकतंत्र में चौथे स्तम्भ के साथ सम्बन्ध नहीं होगा तो क्या होगा ? इसलिए ..(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अपनी भावना पहुंचाना चाहते हैं। यह गम्भीर मामला है।

श्री सभापति : आपका काम हो गया, आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : निश्चित तौर पर, मैं निवेदन करूंगा कि यह सदन इस बात पर चिन्ता प्रकट करे। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपका काम हो गया, आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और हमारी सिफारिशों के साथ यह मणिसाना कमीशन जो बना है, इनके वेतन बोर्ड के बारे में...

श्री सभापति : माननीय सदस्य का भाषण अंकित नहीं किया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य का भाषण अंकित नहीं किया जाए। माननीय सदस्य श्री के.सी. चौधरी।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं एक मिनट में निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, नहीं।

डा. के.सी. चौधरी : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस विनियोग विधेयक पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, इतने +++ नहीं बनें।

श्री सभापति : +++ की बात नहीं है, नियमों की बात है।

डा. के. सी. चौधरी : मैं सर्वप्रथम इस नयी सरकार को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा और बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि वर्तमान हालत में....(व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजिये। बहुत गम्भीर मामला है, राजस्थान के बजट पर विचार-विमर्श हो रहा है। माननीय मंत्रीजी उत्तर देंगे। अब कितना महत्वपूर्ण सुझाव आ रहा है। माननीय के सी. चौधरी। आप बैठिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : सभापति महोदय, आप तो उत्तर दे ही देंगे लेकिन वह ... (व्यवधान)

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

डा. के.सी. चौधरी : जिस प्रकार की आर्थिक परिस्थितियां माननीय वित्त मंत्री जी को मिली थीं, उनमें इससे अच्छा बजट राजस्थान के सर्वहारा वर्ग के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, निराश्रितों के लिए, अपंग बच्चों के लिए, एस.सी., एस.टी. के लिए, ओ.बी.सी. के लिए प्रस्तुत नहीं कर सकते थे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह इस विषय से महत्वपूर्ण है। के.सी. चौधरी जी। मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा, एक मिनट। (व्यवधान) एक बात आपसे कहना चाहता हूं, माननीय सदस्य, मेरी प्रार्थना सुनिये। माननीय सभापति महोदय, इस विषय का सम्बन्ध ....(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय के.सी. चौधरी के अलावा और किसी की कोई बात अंकित नहीं की जाएगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

डा. के.सी. चौधरी : मैं माननीय वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान में जो क्रांतिकारी परिवर्तन किये जा रहे हैं, सामाजिक क्रांतिकारी परिवर्तन किये जा रहे हैं, जिसमें महिला आयोग के गठन का फैसला किया गया, वह सराहनीय है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री श्रीचन्द कृपलानी : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री जगमाल सिंह यादव : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव : ×××

डा. के. सी. चौधरी : मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। सूचना के अधिकार को व्यापक बनाया जा रहा है। (व्यवधान) मैं महिला आयोग के बारे में सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें सख्ती से महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोका जाए। नाते की आड़ में औरतों के खरीदने-बेचने का जो घृणित व्यापार चल रहा है, उसे रोकने के ठोस प्रयास किये जाने चाहिए। कस्टम और रीति-रिवाज की आड़ में पुलिस हस्तक्षेप नहीं करती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री जगमाल सिंह यादव : ×××

डा. के. सी. चौधरी : राजस्थान में पुलिस को इन सामाजिक कानूनों पर और

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(डा. के. सी. चौधरी)

ध्यान देना होगा। बाल विवाह है, महिलाओं पर अत्याचार है, मृत्युभोज है, आदि-आदि सामाजिक कानूनों पर पुलिस को एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत होगी। (व्यवधान)

मैं माननीय वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने राजस्थान के संगठित क्षेत्रों की मांग को ध्यान में रखते हुए और नये क्षेत्रों की मांग को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय कर को वापस लिया है। व्यवसाय कर को वापस लेने का राजस्थान में सर्वत्र स्वागत हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री श्रीचन्द कृपलानी : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव : ×××

श्री जगमाल सिंह यादव : ×××

श्री सभापति : माननीय के.सी.चौधरी के अलावा और किसी का भी अंकित नहीं किया जाए।

डा. के. सी. चौधरी : मैं टैक्स की रियायतों के बारे में माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में कुल मिलाकर दस से बारह हजार पावरलूम काम करते हैं। पावरलूमों की वर्तमान आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। पावरलूमों का व्यवसाय सारा का सारा मंद पड़ा हुआ है। इससे व्यापार मंद पड़ा है। इस व्यापार पर माननीय मंत्रीजी दो परसेंट सेल्स टैक्स इस बार और लगाया है।

मेरा निवेदन है कि राजस्थान में कपड़ा बनाने की साठ पैसे मीटर कीमत ज्यादा आती है तमिलनाडु और महाराष्ट्र के मुकाबले में। तो यहां का कपड़ा मालरेडी मंहगा है और इस टैक्स से और महंगा हो जाएगा। हमारे किशनगढ़ और ब्यावर के पावरलूम श्रमिकों ने, पावरलूम मालिकों ने आपसे निवेदन किया है, कृपया ग्रे–कपड़े पर...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

डा. के. सी. चौधरी : राजस्थान में पावरलूम्स पर टैक्स माफ करने की कृपा करिये। ऐसी–ऐसी पावरलूम हैं जो तीस रुपये, चालीस रुपये, पचास रुपये का कपड़ा बनाती हैं। माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटा–छोटा रेडीमेड कपड़ा बनता है। तीस, चालीस, पचास रुपये का जो कपड़ा बनता है ग्रामीण क्षेत्र

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(डा. के. सी. चौधरी)

में रेडीमेड का, माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन है कि उसको टैक्स फ्री रखा जाए। इनका कारोबार बहुत छोटा है, माननीय वित्त मंत्रीजी, इससे आपको कोई विशेष लाभ भी नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

डा. के.सी. चौधरी : ग्रीन चैनल पहले से प्रचलित था उसी को चालू रखा जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री जगमाल सिंह यादव : ×××

डा. के. सी. चौधरी : मैं चूरू से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि बात पत्रकारों की हो रही थी ....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री जगमाल सिंह यादव : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

डा. के.सी.चौधरी : मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों से यहां पत्रकारों की आप बात करिये, पर जो छोटे पत्रकार हैं, मध्यम श्रेणी के पत्रकार हैं, वे भी इस बी.बी.सी....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री जगमाल सिंह यादव : ×××

डा. के.सी.चौधरी : पत्रकारों की जो राज्य-स्तरीय लड़ाई हुई है.... (व्यवधान) बंद पड़े हैं, बहुत स्थिति खराब है। (व्यवधान) मुझे यह बताइये कि छोटे पत्रकार और मध्यम श्रेणी के पत्रकारों की स्थिति आपकी सरकार ने क्या की आपसी लड़ाई में ? दो बड़ी कम्पनियां कर दीं। बाकी सारे पत्रकारों की स्थिति खराब हुई है। इन पत्रकारों की स्थिति को बचाने के लिए क्या किया ? क्या यह सही नहीं है कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने राजस्थान में....(व्यवधान) फोन करके एक विशेष अखबार को सपोर्ट करने के लिए कहा गया ?

क्या यह सच नहीं है कि आपसी लड़ाई में सिर्फ दो ही अखबार बच गये ? राजस्थान के बाकी अखबारों का क्या हुआ? बाकी भी ढेर सारे अखबार राजस्थान में थे, इन सबकी स्थिति दयनीय आपने करवायी है। उनकी स्थिति आपने इतनी बुरी कर दी है कि वे बोलने लायक नहीं रहे।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(डा. के. सी. चौधरी)

तो खाली आप वाहवाही लूटने के लिए पत्रकारों को साथ ले जा रहे हैं। हजारों पत्र आपके टाइम में बंद हो गये और वे पब्लिकेशन नहीं दे सके। सिर्फ इसलिए कि एक तरफ भैरोंसिंहजी थे और एक तरफ रामदासजी अग्रवाल थे। दोनों की ही आपस में लड़ाई थी। (व्यवधान)

मगरमच्छी आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। इन पत्रकारों का ध्यान हमारी सरकार रखेगी और अच्छी तरह रखेगी। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री श्रीचन्द कृपलानी : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य बोल रहे हैं, आप विराजें।

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री जसवन्त सिंह यादव : ×××

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। सरकारी मुख्य सचेतक। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, यह सच्चाई है कि समाचार जगत पूरे संसदीय लोकतंत्र का एक आवश्यक अंग ही नहीं, जहां पहले इसको चौथा खम्भा कहा करते थे, अब प्रथम खम्भा ही कहो। इसमें कोई शक नहीं। पत्रकारों को कोई लाभ मिले, इस बात में सदन में मतभेद नहीं हो सकता।

अब जो भी कमीशन बैठा, 1996 तक उसकी रिपोर्ट आ जानी चाहिये थी, वह रिपोर्ट नहीं आयी है। अब सदन सिवाय अपनी भावनाएं पत्रकारों के पक्ष में अभिव्यक्त करने के कि वह रिपोर्ट आनी चाहिये ... (व्यवधान) निश्चित रूप से प्रजातंत्र के ... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप जानते हैं पत्रकार होते क्या हैं? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पत्रकारों के बारे में भी जानते हैं और +++ के बारे में भी जानते हैं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : प्रजातंत्र के इस आवश्यक और मजबूत खम्भे के खिलाफ अगर कोई कार्यवाही या उनके पक्ष में कोई निर्णय लिया गया तो

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।
+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हरिसिंह (महुवा))

रूप से इस सदन में कहीं कोई विरोधाभास हो नहीं सकता और न होने की गुंजाइश है। इसमें न कोई पहल करने वाली बात है, न किसी की बात है। अगर हमारे सदन के अभिमत से इनको कोई लाभ मिलता है तो निश्चित रूप से हमारे सदन की भावनाएं इनके साथ हैं। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यही बात है।

श्री जगमाल सिंह यादव : यही हम निवेदन कर रहे थे। आपका कहना कि राजस्थान विधान सभा... (व्यवधान) राजस्थान विधान सभा पत्रकारों के लिये और कोई फायदा नहीं दे....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय सचेतक महोदय, हमारी सरकार तो.....(व्यवधान) सरकार है। आपने हमारे मन की भावना दिखाई है; बहुत अच्छा।(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, सारे समाज का कोई वर्ग....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : निश्चित रूप से उनके बारे में विचार किया जाएगा।

श्री सभापति : प्लीज स्थान ग्रहण करें। आज विनियोग विधेयक पर सब माननीय सदस्य विचार व्यक्त कर रहे हैं और सरकार की तरफ से वित्त मंत्री महोदय का उत्तर आएगा। इस दरम्यान बहुत-से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं सभी पक्षों की तरफ से। 6 माननीय वक्ता हैं बी.जे. पी. की तरफ से और 8 हैं कांग्रेस पक्ष की तरफ से, दो कांग्रेस की तरफ से और हैं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हम कर देंगे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : एक लाइन का प्रस्ताव पास कर दीजिये। पत्रकारों की जो मांगें हैं....(व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज विराजिये, माननीय। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : एक लाइन का प्रस्ताव पास कर दें। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : समय जाया करने का इरादा नहीं है। मुख्य सचेतक महोदय एक प्रस्ताव रख दें और सदन पत्रकारों की चिन्ता में अपना समर्थन जुटा दें। केवल दो मिनट लगेंगे। समय जाया करने का इरादा नहीं है। एक प्रस्ताव कि हम पत्रकारों की चिन्ता से सहमत हैं और उनको.... (व्यवधान) हम प्रस्ताव करते हैं।

श्री सभापति : आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमको बोलने का अवसर दिया जाना चाहिये। हम सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहते भाषण देकर।

श्री जगमाल सिंह यादव : सदन में जो कार्यवाही चल रही है....(व्यवधान) तो फिर उस....(व्यवधान)

श्री सभापति : मेरी सुनिये आप। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : यह है किसलिए फिर ? इसी बात के लिये है। इसी सदन के लिये....(व्यवधान)

श्री सभापति : मेरी भी सुनेंगे कि नहीं आप ? (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : ऐसी महत्वपूर्ण बात है। (व्यवधान) पत्रकार हैं किसलिए ? इसलिए ही हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपकी बात सुन ली गयी, विराजिये आप। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : जो कार्य हम कर रहे हैं विधान सभा में बैठकर, अगर वह ग्रामीण क्षेत्र में नहीं जाएगी तो इसका आखिर हमको क्या फायदा मिलेगा ? (व्यवधान)

श्री सभापति : इस बीच में अगर आप कोई बात कहना चाहते हैं तो आज का जो बिजनस शिड्यूल है उसके अंदर इसकी कोई व्यवस्था नहीं है....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम समय नष्ट नहीं करना चाहते। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप सुनिये तो सही। आप सुनियेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप जल्दी से प्रस्ताव पास कराइये कि जो कमीशन है, उस कमीशन की रिकमंडेशन जल्दी लागू कर दें। चीफ व्हिप साहब, आप प्रस्ताव तो लाइये। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप सुनिये। (व्यवधान) आप सुनिये तो सही। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय सदस्य, जरा ध्यान से सुनो, पत्रकारों के हितों की बात के लिये बोल रहे हैं। आप सुनिये ध्यान से, हमारी सरकार पत्रकारों को देना चाहती है। ध्यान से सुनो। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, शायद प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य बिना बात के उत्तेजित थे और उद्वेलित थे और उन्होंने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। मैंने कहा यह सदन चिन्तित है और उनकी भावनाओं के साथ हमारी पूर्ण सहमति है। इसमें क्या बात है और कौनसा अनौपचारिक प्रस्ताव लाना चाह रहे हैं ? अनौपचारिक प्रस्ताव आपको देंगे नहीं। (व्यवधान) यह बात इतनी हो गयी फिर शेष क्या रह जाता है ? शेष कौनसा रह जाता है ? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : न्यायोचित वेतन देने वाली बात है। हम तो इतना-सा चाहते हैं कि जो उनकी जायज मांगें हैं, भारत सरकार के श्रम मंत्री के लिए एक प्रस्ताव पारित करके भेजें। आज केवल पत्रकार ही नहीं, आज दूरदर्शन के लोग, आकाशवाणी के लोग....(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : पत्रकारों के लिये चार लाइन का प्रस्ताव नहीं ला सकते। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सारी न्यूज एजेन्सियों के लोग और प्रेस से जुड़े हुए सारे लोग यह चाहते हैं। इतने लोगों के जीवन-मरण और लालन-पालन का सवाल है। अगर हम एक प्रस्ताव एक लाइन का पास कर दें तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा (जोधपुर) : मुख्य सचेतक अपनी चिन्ता जाहिर कर चुके हैं सरकारी पक्ष की ओर से, अब प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य इस बात पर क्यों विवाद कर रहे हैं ? सदन की भावना पत्रकारों के साथ है, मुख्य सचेतक महोदय इस बारे में अपनी चिन्ता जाहिर कर चुके हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : पत्रकारों की जायज मांगों का सवाल है। मार्च को जो रिपोर्ट सब्मिट हो जानी चाहिये थी, वह रिपोर्ट अब तक सब्मिट नहीं हुई है। जो गलत रिपोर्ट दी गयी है, उसमें अमैंडमैंट किया जाए और पत्रकारों की न्यायोचित मांगों के लिये यह सदन सर्वसम्मति से अपना समर्थन व्यक्त करे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मुख्य सचेतक महोदय, आप ही प्रस्ताव रख दें। (व्यवधान) मुख्य सचेतक महोदय आप ही प्रस्ताव रख दें।

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, माननीय सभासदों, सत्ता पक्ष....(व्यवधान) एक मिनट सुनिये आप। सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक और इधर से आप माननीय स्पीकर महोदय के चेम्बर में बैठकर कोई व्यवस्था आप कराकर लाएंगे, मुझे कोई एतराज नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : सचेतक महोदय ने बहुत अच्छी बात कही है। दुबारा वे साफ बता दें कि हमारी सरकार इनके प्रति संवेदनशील है और निश्चित रूप से मांगों पर विचार कर रहे हैं। पुनः सचेतक महोदय कुछ कहना चाहते हैं। आप ध्यान से सुनिये। सचेतक महोदय कुछ कहना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : सभापति महोदय, इस हड़ताल का संबंध राजस्थान सरकार से भी है क्योंकि एक मांग इस हड़ताल के अन्दर सीधा संबंध राजस्थान सरकार से रखती है। आज जिस कमीशन की रिपोर्ट को अमैंड करने के लिये वर्किंग जर्नलिस्ट ने जो हड़ताल कर रखी है उसमें एक मांग यह भी है कि बाछावत कमीशन जिसकी पहले रिपोर्ट आयी थी। और जिसकी रिपोर्ट को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके वह रिपोर्ट सब जगह लागू हो गयी, वह राजस्थान में लागू नहीं हुई। आप लोगों के शासन में लागू नहीं हुई। आप आज बहुत हमदर्दी जता रहे हैं। (व्यवधान) आप लोगों के शासन में वह रिपोर्ट लागू नहीं हुई और राजस्थान सरकार ने...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : व्यासजी, आप करवा दो। (व्यवधान)

श्री सभापति : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, आप नई बहस को शुरू कर रहे हैं और फिर आपके बाद दूसरे लोग बोलना शुरू कर देंगे । इतना समय थोड़े ही है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, सवाल नहीं है ....(व्यवधान)

श्री सभापति : यदि आप इस पर चर्चा करना चाहते हैं बीच में, तो अध्यक्ष महोदय से मिल लीजिये । दो इधर से और दो उधर से । आप कोई व्यवस्था करके ले आएं ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं एक लाइन बोल रहा हूं । (व्यवधान)

श्री सभापति : तब तक मैं यह जो बिजनस है इसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकूंगा ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप मेरी बात सुनकर जो आदेश देंगे, जो आप निर्णय करेंगे, वह सर्वमान्य है । एक तो इस वजह से राजस्थान सरकार से यह संबंध रखती है कि राजस्थान सरकार ने श्रम विभाग पर या इंडस्ट्रीज डिपार्टमैंट में कहीं से कोई प्रयास इस बात का नहीं किया कि बाछावत कमीशन की रिपोर्ट लागू हो सके और पत्रकारों को उसका लाभ मिल सके । दूसरी बात, सभापति महोदय, कल.... (व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : डिबेट शुरू हो रही है ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : डिबेट नहीं हो रही है, वित्त मंत्रीजी । कल यह तय हुआ था । नहीं, नहीं, जर्नलिस्ट ....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठिये प्लीज । आप विराजिये । (व्यवधान) आप विराजिये । (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : राजस्थान के.... (व्यवधान) सभापति महोदय, एक सेंटेंस .. (व्यवधान)

श्री सभापति : अब आप विराजिये, माननीय सदस्य । आप नई बहस चालू मत करिये ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : I want to bring a fact to your kind notice. I will not deliver a speech.

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

सभापति महोदय, यह तय हुआ था जर्नलिस्ट...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : इसको राजनीति में नहीं लेकर मिल-जुलकर चलो । हर बात में राजनीति ले आते हो । हम तैयार हैं करने के लिये । हर बात में राजनीति ले आते हो । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : विरोधी हैं पत्रकारों के...(व्यवधान)आप विरोधी हैं पत्रकारों के। हम कहां हैं ? (व्यवधान) गलत करते हो आप, रुकवाना चाहते हो । (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, राजस्थान के पत्रकार इस सदन को पूरा कवर करना चाहते हैं, पूरा सहयोग विधान सभा के माननीय सदस्यों के साथ और सरकार के साथ कर रहे हैं।

श्री सभापति : बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : और कल उन्होंने विरोध किया कि....(व्यवधान)

श्री सभापति : अब आप बैठिये, माननीय सदस्य। आप नई बहस प्रारम्भ कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पत्रकारों की हड़ताल है और...(व्यवधान)

श्री सभापति : आपका यह कार्यक्रम आज के बिजनस में नहीं है, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह तय हुआ था... (व्यवधान)

श्री सभापति : यदि आप बोलेंगे तो मुझे यह कहना पड़ेगा कि आपके भाषण को अंकित नहीं किया जाए।

एक माननीय सदस्य : यह अंकित हो या नहीं हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं जब भाषण दूं आप अंकित मत करना, सभापति महोदय, लेकिन मैं जो फैक्ट्स आपकी नालिज में लाऊंगा वे अंकित कर लीजिये आप। भाषण कतई अंकित मत करिये। क्या यह कल तय हुआ था ?

आज माननीय वित्त मंत्रीजी का बहुत महत्वपूर्ण जवाब है, पूरे समाचार पत्रों में जाना चाहिए। समाचार पत्र के तमाम सम्पादक लोग और अखबार वाले लोग चाहते हैं, जर्नलिस्ट चाहते हैं कि माननीय वित्त मंत्रीजी का भाषण कवर करें इसलिए जो 23 और 24 का बिजनस है वह आज रख दिया जाए और आगे...(व्यवधान)

श्री सभापति : यह वित्त मंत्रीजी के देखने की बात है; आप विराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या कल यह तय हुआ था...(व्यवधान)

श्री सभापति : इसकी उनको भी चिन्ता है, बैठिये आप। आप उनकी चिंता मत करिये, आप विराजिये; माननीय सदस्य। माननीय श्री के.सी. चौधरी। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं हुआ ?

श्री जगमाल सिंह यादव : मुझे नहीं लगता कि सदन और सरकार को कोई एक नये पैसे का भी नुकसान होने जा रहा है। केवल मामला इतना है कि मुख्य सचेतक या सरकारी पक्ष एक प्रस्ताव रख दे कि हम पत्रकारों की चिंताओं में अपनी चिंता को शामिल करते हैं और इसको सदन पास कर दे। क्या कहना है आपको ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य, आप हमेशा

(श्री सभापति)

सदन को डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं। सदन आपकी मर्जी से नहीं चलेगा, माननीय सदस्य, विराजें आप।

श्री जगमाल सिंह यादव : मेरा भाषण आप अंकित न करें लेकिन, सभापति महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि सरकार के हित में भी यही है।

श्री सभापति : आप विराजें।

श्री जगमाल सिंह यादव : जब तक विधान सभा में क्या होगा...(व्यवधान)

श्री सभापति : सरकार का है, सरकार देखेगी, आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : सरकार अच्छी तरह जानती है, माननीय सदस्य।

श्री जगमाल सिंह यादव : एप्रोप्रिएशन बिल पर क्या स्टेटमैंट है, सरकार का, क्या घोषणाएं सरकार कर रही है, जब तक राजस्थान के लोगों को यह पता नहीं लगेगा, क्या अर्थ होगा इस जवाब का ?

श्री सभापति : सरकार अपना हित जानती है, आप बैठिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : कौन-कौन आदमी विनियोग विधेयक को पढ़ेगा ? आम आदमी अखबार पढ़ता है, यह जानना चाहता है कि डे टु डे क्या हो रहा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, ये चाहे जब खड़े हो जाते हैं, यह इनकी सम्पत्ति थोड़े ही है। हमारे नेता महोदय को बोलने दें।

डा. किरोड़ी लाल : हमारे नेता महोदय बोल रहे हैं। (व्यवधान) यह क्या बात है ?

श्री जगमाल सिंह यादव : अगर इसको पत्रकारों ने नहीं लिखा तो, सभापति महोदय, यह प्रजातंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है, यह इस सदन के लिए भी अच्छा नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, हमारे नेता महोदय खड़े हैं बोलने के लिए।

श्री जगमाल सिंह यादव : और मेरी समझ में यह नहीं आता कि नाक का बाल क्यों बनाये हुए हैं। इसमें कुछ जा रहा है क्या ? सरकार कुछ देना चाह रही है ? (व्यवधान) ये कोई पैसा मांग रहे हैं ? केवल इतना चाहते हैं कि हमारी चिंताओं में सदन के लोग भी चिंतित हो जाएं तो इनकी एक आवाज उठ जाएगी। इससे ज्यादा चाह नहीं रहे।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, पत्रकारों का सम्मान होना चाहिये, इसमें कहीं कोताही नहीं बरतनी चाहिये, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ठीक है, हो गयी आपकी बात ? सभापति

(श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल))

महोदय, मामला बहुत सरल है, कोई विवादास्पद नहीं है।

श्री सभापति : क्या गम्भीर है, क्या गम्भीरता है ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक सैकण्ड, मैं निवेदन करता हूं। माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने भी कहा कि सारा सदन पत्रकारों की समस्या से सहमति प्रकट करता है, सहानुभूति प्रकट करता है।

श्री सभापति : वह कह दिया मुख्य सचेतकजी ने।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, करते हैं न। एक सैकण्ड।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): आप क्या चाह रहे हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक छोटा-सा प्रस्ताव ले आइये।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : आप विराजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक छोटा प्रस्ताव ले आइये आप.... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : आप विराजें। मैं आप से एक निवेदन कर रहा हूं, आज तीन दिन से यह इश्यू चल रहा है। मणिसाना रिपोर्ट के सम्बन्ध में कुछ माननीय पत्रकारों ने अध्यक्षजी के चेम्बर में-प्रतिपक्ष के नेता भी थे, कांग्रेस से भी हमारे संसदीय कार्य मंत्री थे और कुछ वहां व्यक्ति थे, कहा था कि हमारा इस इस प्रकार से संघर्ष है और इस कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की है इसलिए हम आज के दिन के लिए बहिष्कार करेंगे। यह बात आपकी जानकारी में थी, प्रतिपक्ष के नेता की जानकारी में भी थी शून्य काल में आपने मामला नहीं उठाया। आप का भी नाम हो गया राजनीति का, सिर्फ एक स्टंट खड़ा करने के लिए।

श्री मदन दिलावर : क्या मतलब है, सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): और कोई कारण नहीं है। (व्यवधान) आपने कल तक क्यों नहीं दिया ? आप सिर्फ श्रेय लेने के लिए यह बात कर रहे हो। (व्यवधान) जब मैंने अपनी तरफ से यह बात कह दी कि पत्रकारों की चिंता से हम चिंतित हैं....

श्री मदन दिलावर : +++ (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : उस दिन गहराई से बात हुई।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप प्रस्ताव लाना चाहते हैं कि नहीं ? सीधी बात करो न।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : उस दिन गहराई से वेश्म में बात हुई। पत्रकारों की चिंता में अगर चिंतित थे तो प्रतिपक्ष के नेता वहीं थे...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप प्रस्ताव लाना चाहते हैं ?

मोहम्मद माहिर आजाद : एक लाइन का प्रस्ताव केन्द्रीय श्रम मंत्रालय को भेजना था; आप इसको विवाद का मुद्दा बना रहे हैं। इतनी देर में तो प्रस्ताव ही पास हो जाता। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अगर आप नहीं लाना चाहते हैं तो इसके विरोध में हम लोग वाक आउट करते हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

एक माननीय सदस्य : एक घंटा खराब हो गया।

श्री संयम लोढ़ा : मुख्य सचेतक महोदय अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं पत्रकारों के साथ में, अब + ++ करने की जरूरत नहीं है, प्रति पक्ष के माननीय सदस्यों।

श्री सभापति : श्री के. सी. चौधरी।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक लाइन का प्रस्ताव केन्द्रीय श्रम मंत्रालय को भेज दिया जाए कि हम पत्रकारों की मांगों का समर्थन करते हैं। इसमें क्या बात थी ?

श्री सभापति : आप भी पधारिये, इनके साथ आप भी जाइये।

श्री जगमाल सिंह यादव : ये तो नहीं जा रहे, मैं जा रहा हूं।

श्री सभापति : आप भी जाइये।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, अगर सत्तारूढ़ पार्टी का, सत्ता पक्ष का यही रवैया है कि पत्रकारों की हमदर्दी में नहीं शामिल होना चाहते हैं तो मैं बायकाट करता हूं।

(राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सदस्य, श्री जगमाल सिंह यादव द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री जुगल काबरा : माननीय सदस्य, सरकारी पक्ष ने अपना विवरण दे दिया है; मत स्पष्ट कर दिया है कि हम....

××× शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं ... (व्यवधान)... मैंने स्वयं ने पत्रकारों की समस्या के प्रति अपनी चिंता प्रकट की है, पूरे सदन की चिंता प्रकट की है और यह कहा है कि हमारी इनके साथ सहमति है, सहानुभूति है। इनके पूर्ण संघर्ष के साथ हमारी सहमति है। फिर और कौनसा प्रस्ताव चाह रहे हैं? एक राजनीतिक स्टंट खड़ा करना है और राजनीतिक स्टंट खड़ा करने के लिए, सिर्फ प्रदर्शन करने के लिए बहिष्कार किया गया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, यह सही है।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : सहमति व्यक्त कर दी, संघर्ष में साथ देने की बात कर दी, सदन की तरफ से सहमति करने की बात कर दी फिर कौनसी बात रह जाती है, कौनसा प्रस्ताव बाकी रह जाता है? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिलकुल ठीक है।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक लाइन का प्रस्ताव ले आइये बस, क्या है इसमें?

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : यह सिर्फ एक दिखावा मात्र है, सिर्फ कोकोडाइल टीयर्स हैं इससे ज्यादा कुछ नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : पत्रकार हमारे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक लाइन का प्रस्ताव भेज दीजिये सर्वसम्मति से।

श्री रामस्वरूप : पत्रकारों का जरूर हित होगा, हमारी सरकार जरूर हित करेगी। हम पत्रकारों के साथ हैं।

श्री संयम लोढ़ा : एक लाइन का प्रस्ताव रख दें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य सचेतकजी से सहमत हूं। मैं प्रस्ताव नहीं कह रहा हूं।

श्री सभापति : श्री व्यासजी, हो गयी बात अब। श्री के.सी.चौधरी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सुनिये, सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ यह निवेदन कर रहा हूं कि बाछावत कमीशन की रिपोर्ट राजस्थान में लागू नहीं की गयी, आप इसको लागू करवाएंगे? यह राज्य सरकार से सम्बद्ध है। इतनी-सी बात आप कह दें।(व्यवधान)

श्री सभापति : विराजें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप रिपोर्ट लागू करवाएंगे कि नहीं?

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, पत्रकारों की अनदेखी बिना कारण से हो रही है। कोई कारण नहीं है आपके पास।

(डा. के. सी. चौधरी)

माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, सदन से निवेदन करूंगा कि कभी विचार करें कि उनको कैसे जिन्दा रखा जाए।

लोकतंत्र के चार स्तम्भ हैं। एक की जिम्मेदारी मुख्य मंत्री पर, एक की जिम्मेदारी विधायिका पर, एक की जिम्मेदारी चीफ जस्टिस पर है। और चौथे स्तम्भ की जिम्मेदारी किस पर है? डी.पी.आर. को तो ताकत ही आपके हिसाब से बहुत कमजोर है, इस चौथे स्तम्भ को जिन्दा रखने की।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, इस सदन से निवेदन करूंगा कि इस पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करें कि क्या पत्रकारिता में दो या चार अखबार ही आएंगे या छोटे पत्रकारों को भी जिन्दा रखने की जिम्मेदारी इस सदन की होगी, सरकार की होगी?

अब मैं माननीय सिचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे ब्यावर क्षेत्र में कोटड़ा-काबरा फीडर के नाम से सन् 1990 में एक योजना करीब-करीब पास हो गयी थी जिसको पिछली सरकार ने वापस बर्फ में डाल दिया।

माननीय सभापतिजी, आपकी मार्फत मैं मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उस योजना से ब्यावर शहर में पीने के पानी की समस्या का समाधान होगा और सिचाई के मामले में उस क्षेत्र की यह सबसे बड़ी योजना होगी। यह योजना सम्पूर्णतया तैयार है और सैल्फा प्रोजेक्ट के अन्तर्गत यहां स्वीकृति के हेतु पड़ी हुई है। कृपया इसकी स्वीकृति दिलाने की मेहरबानी करें।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और मेडिकल के क्षेत्र में पिछली बार भी बात हो चुकी थी कि छहों मेडिकल कालेजेज को शिक्षा के क्षेत्र में अपग्रेड करना है। आल इण्डिया कम्पीटीशन में बराबर लाना है तो राजस्थान में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी की बहुत जबर्दस्त आवश्यकता है जिसको माननीय मंत्रीजी बुनियादी तौर पर स्वीकार करते हैं कि यह चाहिए।

हमारे यहां ब्यावर शहर में काफी सालों से लॉ की क्लासेज चला करती थीं। लॉ क्लासेज के लिए एक ए.डी.जे. कोर्ट की आवश्यकता होती थी, वह ए.डी.जे. कोर्ट ब्यावर में है। मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि पिछले आठ-नौ सालों से लॉ क्लासेज बन्द हैं। उसके पहले चालू थीं। माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि विधि कक्षाएं इसी सत्र में ब्यावर शहर में चालू कराने की कृपा करें।

ब्यावर में 1979 तक नगर सुधार न्यास कार्यरत था, आज भी उसकी सम्पत्तियां ब्यावर शहर में हैं। माननीय सभापति महोदय, ब्यावर शहर का जिस किस्म से विकास इन दिनों हुआ है, बड़ी इण्डस्ट्रीज वहां लगी हैं श्री सीमेन्ट वहां लगी हुई है, डी.एल.एफ की इण्डस्ट्री वहां लगी हुई है, तो अब ब्यावर का जब टेक आफ आया है, बहुत अच्छी गति से ब्यावर शहर का एक्सटेंशन हुआ है, वहां यू.आई.टी. की

(डा. के. सी. चौधरी)

कमी बहुत बुरी तरह अखरती है।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ब्यावर शहर में यू. आई. टी. खोलने की व्यवस्था करायी जाए।

ब्यावर शहर में पांच ऐसी चौकियां हैं, जो पिछले आठ साल से अस्थायी तौर पर चल रही हैं। उन चौकियों को स्थायी कराने की व्यवस्था इसी बजट में करायी जाए, यह मेरा निवेदन है।

पुलिस से रिलेटेड एक सुझाव जिस पर माननीय गृह मंत्रीजी विचार करें कि यह एक फैशन बन गया है कि क्राइम को प्रोव करते हैं, चाहे करप्शन का हो, चाहे कोई-सा भी क्राइम हो। लेकिन यहां क्राइम के प्रीवेंशन के लिए मशीनरी नहीं है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, पूरा सदन अच्छी तरह जानता है कि पिछले आठ सालों में हमारे पूर्व मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत ने ब्यावर शहर में 20बार घोषणा की कि इस बजट में ब्यावर शहर को जिला बनाया जाएगा, इस बजट में ब्यावर को जिला बनाया जाएगा। राजस्थान का 11 वां नम्बर का शहर होते हुए भी ब्यावर जहां सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जिले की, आज तक क्यों उपेक्षित रहा, नयी सरकार कृपया इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। जन-जन की वहां आवाज है कि ब्यावर जिला बनना चाहिए। अजमेर का जो दूसरा एण्ड है ब्यावर के आगे टाडगढ़, वह करीब 130 किलोमीटर पड़ता है; तो एडमिनिस्ट्रेटिवली अब मैनेजेबल नहीं है। अजमेर जिला बहुत बड़ा हो चुका है।

मैं शुक्रगुजार हूं रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य का, पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य का और भीम से आने वाले माननीय सदस्य का कि आप अजमेर के समस्त विधायकों ने यूनेनिमसली ब्यावर को जिला बनाने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है।

मैं सभापति महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर जोर देकर यह बात बतायी जाए कि ब्यावर जिला बनना चाहिए। ब्यावर से जितने छोटे शहर थे वे सारे जिले बन चुके हैं तो ब्यावर वालों को यह लगता है कि हमने क्या किया है। सिरोही है, जालौर है, नागौर है, बूंदी है, राजसमन्द है, दौसा है और करौली है, सारे के सारे हर लिहाज से ब्यावर से छोटे हैं। ब्यावर शहर बहुत बड़ा है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : राजस्थान में 13वां नम्बर का बड़ा शहर है। भौगोलिक स्थिति से भी यह जिला बनना बहुत जरूरी है।

श्री जगत सिंह दायमा : ब्यावर बने, इससे पहले कोटपूतली बनना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : कोटपूतली तो बहुत छोटा है। कोटपूतली के बीच में ....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उसके पहले डीग बनना चाहिए।

श्री अमरा राम चौधरी (पचपदरा) : बालोतरा पहले बनना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री मोहन लाल मोदी : सभापति महोदय, नीम के थाने के अन्दर बड़ा एजीटेशन हो रहा है। नीम के थाने को जिला बनाया जाना चाहिए। पुराने जमाने के अन्दर....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : नीम के थाने को कोटपूतली में लगा देना।

श्री मदन दिलावर : अटरू को भी जिला बनाया जाए। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : बागीदोरा से बांसवाड़ा बहुत दूर है इसलिए...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी :...पहले राजाओं के टाइम पर कोटपूतली एरिया नीम के थाने में शामिल था; सारे नीम का थाना आते थे। डाबला रामगढ़ तक का एरिया नीम का थाना में आता था। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : चेयर की व्यवस्था को चैलेंज नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : ....बहरोड़, कोटपूतली ये सब नीम का थाना के ही नीचे थे।

श्री सभापति : ठीक है। आपका टाइम आए जब बोल लेना।

डा. के. सी. चौधरी : मुझे यह कहते हुए खुशी है कि ब्यावर को जिला बनाने.... (व्यवधान) पिछली सरकार ने कुछ दिया था और इसी विधान सभा में यह बात डिस्कशन पर आयी थी। माननीय न्यायाधीश श्री वी.पी. वेरी साहब की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति बनी थी ब्यावर को जिला बनाने हेतु, इस पर आगे कार्यवाही नहीं हुई। इसी सदन में इस समिति की घोषणा की गयी थी।

मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत गम्भीरता से अजमेर के एक्सटेंशन को ध्यान में रखते हुए, वहां के ट्यूरिज्म को ध्यान में रखते हुए हवाई अड्डा बनाने की स्वीकृति दी गयी है, लेकिन हवाई अड्डा बनाने का काम जिस गति से होना चाहिए उस पर अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि तत्परता से अजमेर शहर में हवाई अड्डा बनाने के लिए कार्यवाही की जाए।

अजमेर शहर में नया पोलीटैक्निक कालेज बनाने की जो सरकार ने इस साल घोषणा की है, मैं उसका तहेदिल से स्वागत करता हूं। इंजीनियरिंग कालेज और पोलीटैक्निक कालेज दोनों अलग-अलग तरीके से चलेंगे, यह अजमेर शहरवासियों के लिए बहुत सुखद चीज है।

जहां तक यूनिवर्सिटी का सवाल था, बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने

(डा. के. सी. चौधरी)

भी यह सवाल उठाया था। माननीय सभापति का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, आप देखिए, पिछली बार चुनाव प्रक्रिया चालू हो चुकी नवम्बर में। सबको पता है कि छः नवम्बर को लास्ट डे था नोमीनेशन भरने का। नौ नवम्बर को अजमेर यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू कन्डक्ट किये जाते हैं चुपचाप से और नौ तारीख को ही चुनाव प्रक्रिया को सबको नकारते हुए एक जाति विशेष और एक विचारधारा विशेष के लोगों को अपाइंटमैंट दे दिया जाता है। क्या वह जायज है? हम सरकार से निवेदन करेंगे कि इस प्रकार की गम्भीर अनियमितता की गयी, इसकी अपने स्तर पर अच्छी तरह से जांच करा ली जाए।

मैं माननीय पर्यटन मंत्रीजी से पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि ब्यावर के पास में टाडगढ़ एक अत्यन्त रमणीय स्थान है, बहुत अच्छी हिस्ट्री के साथ है। कर्नल टाड ने वहां बैठकर राजस्थान की हिस्ट्री पर सबसे ज्यादा लिखा है। वहां राजस्थान का शायद सबसे पुराना चर्च है। धार्मिक पर्यटन की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। माउन्ट आबू के बाद Temperature-wise also Todgarh comes at number two. एक बहुत अच्छा एरिया है। हर किस्म की पर्यटन की सुविधाएं वहां मौजूद हैं।

माननीय मंत्रीजी उसका सर्वे करवा लें, पर्यटन के हिसाब से आप यह देखेंगे कि अजमेर से निकलकर उदयपुर तक दूसरी कोई अच्छी जगह ही नहीं होगी। एक रिसोर्ट वहां बनवा दीजिए, ट्यूरिज्म वहां अपने आप डवलप हो जाएगा। यह नेशनल हाई वे से पांच किलोमीटर अंदर पड़ता है। बहुत ज्यादा दूरी भी नहीं है। कर्नल टाड की इतनी सारी चीजें, उसी में चाहो तो बिल्डिंग मिल जाएगी। बहुत अच्छी जगह है।

श्री हीरासिंह चौहान : बहुत बढ़िया स्थान है।

डा. के. सी. चौधरी : मैं पुलिस विभाग से कुछ निवेदन करना चाह रहा था। पुलिस की डिमांड पर उस दिन कोई बात ही नहीं हो पाई थी। पुलिस सोशल लैजिस्लेचर पर ध्यान ही नहीं दे पा रही है, उसकी वजह से राजस्थान की प्रतिष्ठा हिन्दुस्तान में कुछ अलग ढंग से देखी जाती है जैसे बाल विवाह, मृत्यु भोज, सती को महिमा मंडित करने का काम, महिलाओं पर अत्याचार। मेरे वहां यह अजीब-सा प्रश्न है नाते जाने का और नाते भेजने का। (व्यवधान) बाल विवाह आज भी है, मृत्यु भोज आज भी है, गांवों में बहुत होते हैं।

माननीय सभापति महोदय, जो चाहिए वह यह कि पुलिस अपनी इफैक्टिविटि बढ़ाए। जो सामाजिक कानून पास कर दिये गये हैं उनको पुलिस खाली एक कस्टमरी लॉ समझती है और they just allow them to happen. We need them somewhere, कि रोका तो जाए। यह मैसेज जाए। ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की पैट्रोलिंग आलमोस्ट निल है। तो

(डा. के. सी. चौधरी)

माफिया शहरों से हटकर शहरों के जो पेरिफेरल विलेजेज हैं उनमें नये माफिया पैदा हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के इलाके के अन्दर शराब का माफिया पैदा हो रहा है, गैर कानूनी काम करने वालों का माफिया पैदा हो रहा है। चूंकि वे जानते हैं पुलिस का उधर कुछ भी नहीं है।

श्री जीतमल खांट : वर्तमान सरकार... (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

डा. के. सी. चौधरी : मैं बात माफिया की कर रहा हूं, दुकानों की नहीं कर रहा हूं। दुकानों और माफिया के बीच में फर्क है, माननीय सदस्य।

श्री सभापति : आप बीच में नहीं बोलें, बोलने दीजिए।

डा. के. सी. चौधरी : मैं चाहता हूं कि पुलिस आम पब्लिक को दोस्त नजर आनी चाहिए, दुश्मन नहीं। Police should appear as a friend not as a foe. हर तकलीफ वाला आदमी पुलिस वाले के पास जाता है और उस पर उसको भरोसा नहीं होता है तो उसकी तकलीफ डबल बढ़ जाती है। जनता का सहयोग पुलिस को मिलता नहीं है। ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि पुलिस लॉ अबाइडिंग सिटीजन से सहयोग ले। लॉ अबाइडिंग सिटिजन तो अपने आपको पुलिस से बहुत दूर महसूस करता है। थाने पर जो सलाहकार समितियां बनी हुई हैं उनको प्रभावी ढंग से बनाया जाए, उनको अच्छे रूप में रखा जाए। पुलिस को अपनी इमेज तो सुधारनी होगी राजस्थान में।

माननीय वित्त मंत्रीजी ने इस बार स्टेशनरी का प्रोवीजन किया, डेफीनिटली पुलिस में थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, थानेदारजी जाते ही यह नहीं कहेंगे जा पैन्सिल ला, दस्ता ला, रबर ला, ये सब चीजें ला, इस सब चीजों से वह अपने को मुक्त पाएगा। उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। मुझे आपने बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : सभापति महोदय, 25 नवम्बर, 1998 को राजस्थान की विधान सभा के चुनाव हुए और उस चुनाव में 150 और बाद में उप चुनाव में 3, 153 की संख्या में प्रदेश के मतदाताओं ने कांग्रेस को जिताकर इस प्रदेश में सत्तारूढ़ किया।

माननीय सभापति महोदय, कई बार सदन में संख्या की बात आती है। यह संख्या का गणित कभी घटता है, कभी बढ़ता है और कभी कभी बराबर भी रह जाता है। आप याद करिये 1962 में, जब राजस्थान विधान सभा की सदस्य संख्या 176 थी। तब 88–88 विधायक पक्ष और विपक्ष के जीते थे।

ऐसी परिस्थिति भी आई 1972 में कि कांग्रेस के 145 सदस्य जीत कर सत्ता-

(मोहम्मद माहिर आजाद)

रूढ़ हुए थे लेकिन 1977 में केवल 41 सदस्य रह गये। 1980 में 133 और 1985 में 113 हुए लेकिन 1990 ऐसा भी आया कि कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश में दूसरे नम्बर की राजनैतिक पार्टी नहीं बल्कि सदस्य संख्या के हिसाब से तीसरे नम्बर पर चली गयी। कांग्रेस के 50 सदस्य जीते थे जनता दल के 55 सदस्य जीते थे।

मैं आपको यह कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, कोई भी धर्म ग्रन्थ हो-चाहे रामायण हो चाहे कुरान हो, चाहे हिन्दू धर्म हो चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो चाहे ईसाई धर्म हो, हर धर्म में अहंकार, घमंड की अवहेलना की गयी है। रावण भगवान राम से ज्यादा शक्तिशाली पराक्रमी, ज्ञानी और योद्धा थे लेकिन उन्होंने अहंकार किया तो आज दशहरे पर हम उनका पुतला जलाते हैं। इस्लाम धर्म में भी इबलीश फरिश्तों का उस्ताद था, फरिश्तों को पढ़ाता था लेकिन जब आदम को पैदा करके सृष्टि का निर्माण किया तो उसको अहंकार आ गया कि मैंने इस आदम को मिट्टी से पैदा किया है इसलिए मैं इसको सजदा नहीं करूंगा। उस अहंकार का कारण है कि आज जब हज जाते हैं तो शैतान के कंकरी मारी जाती है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सदस्य संख्या के अहंकार और घमंड में मत आइये। यह बात हमारे मारवाड़ी में यूं भी कही जाती है कि 'जो होवे घमंडी वो बेगो होवे खंडित।' इसको मतदाता का आदेश मान कर; मतदाता और प्रदेश की जनता की सेवा का अवसर मानकर आपको कार्य करना चाहिए।

वित्त मंत्रीजी माननीय चन्दन मल बैद ने राजस्थान की विधान सभा में जो बजट पेश किया, माननीय सभापति महोदय; इन्होंने 5 हजार करोड़ का बजट प्लानिंग कमिशन के समक्ष पेश किया। और प्लानिंग कमीशन ने 4750 करोड़ का बजट मंजूर किया। यहां आकर इन्होंने घोषणा की कि हमारा बजट 5022 करोड़ का होगा।

आप 200 करोड़ इन्दिरा गांधी की जमीन बेच कर लेंगे, 100 करोड़ कृषि भूमि को रैगुलराइज करके लेंगे और 462 करोड़ रुपये के आपने अतिरिक्त कर लगाये। इन सबको जोड़ लें तो भी 762 होता है। 586 करोड़ के अतिरिक्त कर लगा दिये तब भी 176 करोड़ रुपया बचता है। यह 176 करोड़ रुपया कहां से आएगा? इसके लिए कौनसे अतिरिक्त संसाधन आप जुटाएंगे ? इसके लिए भी कर्जा लेंगे तो क्या एम्प्लायमैंट इन्श्योरेंस फण्ड से लेंगे, बैंकों से लेंगे ? वर्ल्ड बैंक से लेंगे या प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन से लेंगे ?

माननीय वित्त मंत्रीजी ने न तो अपने बजट भाषण में इसको बताया, न बजट स्टेडों में इसका कोई जिक्र किया और न बजट एट ए ग्लांस के अंदर आपने इसका जिक्र किया है। माननीय सभापति महोदय, 1997-98 के प्लान के लिए आपका ऋण 2880 करोड़ था और 1997-98 की योजना का आकार 4259.39 करोड़ था। 1997-98 में आपने जो एक्चुअल

(मोहम्मद माहिर आजाद)

एक्सपेंडीचर किया वह 3987 करोड़ रुपये किया, यानी 1998-99 की योजना का आकार जो ओरिजिनल आउट ले आफ प्लान था वह 4300 करोड़ का था, जिसे घटा कर कांग्रेस सरकार ने 3800 करोड़ का कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, पिछला बजट जिस पर हम बात कर रहे हैं, इसमें 7 माह तो बी.जे.पी. का शासन रहा और 5 माह के करीब–नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी और मार्च कांग्रेस का शासन आ गया। यह संयुक्त रूप से इन्होंने कर्जा लिया है। माननीय चन्दन मलजी ने जब विपक्ष में बैठा करते थे तब इस सदन में एक बात कही थी कि वह बजट जिसमें योजना के आकार से ज्यादा कर्जा हो, उसको अच्छा नहीं माना जा सकता है।

मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, आज आपने अपने प्लान से ज्यादा कर्जा लिया है। 1998-99 के अन्त में आपके श्वेत पत्र के हिसाब से मार्च, 1999 तक का कर्जा 23840.11 करोड़ का और चालू वित्त वर्ष में 7120.70 करोड़ जो बढ़ कर करीब 10,000 करोड़ हो जाएगा। दोनों का टोटल करें तो 30960.81 करोड़ का कर्जा, यानी 8 वर्ष में बी.जे.पी. के शासन के बाद कर्जे का भार 22,000 करोड़ था और आप जब अपने शासन के तीन वर्ष पूरे करेंगे तो यह कर्जे का भार 50,000 करोड़ से भी ज्यादा बन जाएगा।

आज आप श्वेत पत्र जारी कर रहे हैं। जब आपका कर्जे का भार 50,000 करोड़ से ज्यादा बढ़ जाएगा तब बहुजन समाज पार्टी आपके श्वेत पत्र के विरोध में काला पत्र जारी करेगी। बजट एट ए ग्लांस पेज 1 देखिये, आपका कुल कर्जा 2243 करोड़ का है। माननीय सभापति महोदय, अगर इसको 365 से भाग दे दें तो 6 करोड़ 1 लाख पर डे यानि पर कैपिटा इंटरेस्ट पर डे आज राजस्थान का क्या हो गया है ?

माननीय वित्त मंत्रीजी, इस सम्बन्ध में क्या कहना चाहते हैं ? आप कर्जा किसलिये ले रहे हैं ? आपके दो हैड हैं। एक रेवेन्यू एक्सपेंडीचर और एक है पूंजीगत खर्च। आप मंत्रियों की तनख्वाह देने के लिये, आदर्श किशोरजी के भत्ते देने के लिये, अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन चुकाने के लिये कर्जा ले रहे हो।

विकासशील कहलाने वाली सरकार, कल्याणकारी कहलाने वाली सरकार यह पैसा कहां से ला रही है ? विकास के कामों के लिये, स्कूल खोलने के लिये, अस्पताल खोलने के लिये, सड़क बनाने के लिये, लोगों को पानी और बिजली मुहैया कराने के लिये जो मद हैं उनमें तो आप कटौती कर रहे हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडीचर तनख्वाह देने और भत्ते देने के अन्दर आप बढ़ा रहे हैं।

यह स्थिति आज आपकी हो रही है। बी.जे.पी.ने अगर इस देश की और प्रदेश को

(मोहम्मद माहिर आजाद)

आर्थिक स्थिति का सत्यानाश किया तो आप सदा सत्यानाश करने में लगे हुए हो।

माननीय सभापति महोदय, हमेशा ऐसा होता है कि आपका एक साल का जो घाटा है उसको कैरी फारवर्ड करके दूसरे साल में दिखाते हैं।

यहां माननीय वित्त मंत्रीजी ने बड़ी कारीगरी की है। वित्त मंत्रीजी ने की है कि वित्त सचिव जी ने की है, किसने की है, पता नहीं। आपका 1998-99 का घाटा 1202.83 करोड़ और 1999-2000 में 601.59 करोड़ का आपने घाटा दिखाया। टोटल जोड़ 1803.42 करोड़ होता है। अतिरिक्त संसाधनों को जोड़ लें 762 करोड़, तो भी यह 1041.42 करोड़ का होता है। आपने बजट भाषण में जनता को गुमराह करने के लिये केवल 601.59 करोड़ का घाटा दिखाया है।

आखिर यह चतुरता किस लिये दिखायी जा रही है? केन्द्र सरकार आपके इन घाटों को पूरा करने के लिये कितनी राशि देगी, यह भी अभी तक क्लीयर नहीं है। माननीय चन्दन मलजी जब विपक्ष में थे तब अनरियलिस्टिक प्लान साइज की बात की थी। मैं आज पूछना चाहता हूं कि जितनी भी आपने प्लान साइज की घोषणा की है, इतना खर्चा आप करेंगे नहीं। आखिर आप भी कोरी वाहवाही लूटने के लिये ऐसा क्यों कर रहे हैं? माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 4750 करोड़ के प्लान साइज की घोषणा की और वित्त मंत्रीजी ने कोरी वाहवाही लूटने के लिये इसको 5022 करोड़ का प्लान बना दिया।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निहायत अदब के साथ एक बात पूछना चाहता हूं, आपने चुनाव घोषणा पत्र में पेज तीन पर कहा है कि राजस्थान में किसान पर बढ़ा हुआ कर्ज और उसकी उपज के श्रम के अनुपात में अल्प मूल्यों, जल स्तर में गिरावट तथा भूमि का क्षारीय होना और निम्न कोटि के बीज, खादों तथा कीटनाशकों का बोझ अब बढ़ता गया है। उद्योगों में गिरावट आ रही है, व्यापार अवरुद्ध हुआ है और राजस्थान के किसान की माली हालत कमजोर हो गयी है। यह बात आप अपने चुनाव घोषणा पत्र में कह रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, सारे सत्ता पक्ष के लोग पचमढ़ी में जमा हुए 4, 5, 6 सितम्बर, 1998 को और पचमढ़ी संदेश के पेज 19 पर ये कह रहे हैं कि आज समाज का प्रत्येक वर्ग आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गया है। आज उसकी क्रय शक्ति कमजोर हो गयी है, आज उसकी माली हालत कमजोर है, यह बात आप पचमढ़ी में कह रहे हैं। इतना ही नहीं... (व्यवधान) आप सुनिये।

माननीय सभापति महोदय, प्रत्येक वर्ग की आशाओं के अनुरूप हम कार्य करेंगे। यह बात आप पचमढ़ी संदेश के पेज 27 में कह रहे हैं। रामनिवास बाग में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती सोनिया गांधी आयीं 30 तारीख को। उन्होंने अपने भाषण में एक बात कही थी, सारे सत्ता

(मोहम्मद माहिर आजाद)

पक्ष के माननीय सदस्य जानते हैं। उन्होंने यह बात कही थी कि आज इस देश में आदमी की जिन्दगी सस्ती है, बाकी सारी चीजें महंगी हैं और आज लोगों के पास क्रय शक्ति की स्थिति नहीं है। आर्थिक कर्जे में लोग दबे हुए हैं, यह बात सोनिया गांधीजी ने कही।

आपने आर्थिक समीक्षा की एक किताब भी छापी। इस किताब के अन्दर पेज 29 के ऊपर आप स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। इसमें आपने लिखा है, 1998-99 में खरीफ खाद्यान्न के अन्तर्गत अनुमानित 67.36 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल में बुवाई हुई जबकि 1997-98 में खरीफ खाद्यान्न के अन्तर्गत 85.24 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल था, वर्ष 1998-99 में खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन 24.52 लाख टन था जो कि वर्ष 1997-98 में 48.31 लाख टन था जो 49.87 प्रतिशत की भारी कमी को दर्शाता है। आप आर्थिक समीक्षा में यह बात कह रहे हैं कि हमारी जो पैदावार थी वह 48....

श्री परसादी लाल मीणा : बी.जे.पी. के टाइम की थी....

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने दिये हैं ये 49....(व्यवधान) सुनिये, परसादी लालजी, यह कोई तरीका नहीं हुआ। आप मंत्री हैं, थोड़ा तो तमीज सीखिये।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं आपने आर्थिक समीक्षा में यह माना है कि फसल के अंदर 49 यानि करीब 50 प्रतिशत गिरावट आयी है। आप चुनाव घोषणा पत्र में कह रहे हैं कि 8 वर्ष के भाजपा शासनकाल में किसान की हालत कर्जे में डूबने जैसी हो गयी है, किसान की दशा बहुत खराब हो गयी है।

आपकी सोनिया गांधी जी कह रही हैं कि आज लोगों के पास क्रय शक्ति की स्थिति नहीं रही है। आपका पचमढ़ी संदेश कह रहा है कि समाज का प्रत्येक वर्ग आज पिछड़ रहा है, हम सोशलिज्म पैटर्न देंगे, समाज के प्रत्येक तबके की आशाओं के अनुरूप काम करेंगे। आपकी आर्थिक समीक्षा कह रही है कि हमारे यहां खाद्यान्न में 50 प्रतिशत गिरावट आयी है।

मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी से या सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि आपके 4 महिने, 5 महीने के शासनकाल में किसान की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये आपने क्या कर दिया? क्या किसान को कोई लाटरी खुल गयी? या किसान को आपने कोई इनाम दे दिया?

मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपके सारे आंकड़े इस बात को दर्शाते हैं कि किसान की आर्थिक स्थिति उसका कर्जा चुकाने की नहीं है फिर आप किसान के ऊपर इलैक्ट्रिक ड्यूटी बढ़ा रहे हैं। आप कम से कम यह तो सोचो कि वह उस वजन को सहन करने की स्थिति में है या नहीं। या

(मोहम्मद माहिर आजाद)

आप बेवकूफ बनाना चाहते हो इस देश की जनता को ?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके आंकड़े इस बात को दर्शाते हैं, आप खुद यह मानते हो कि आज किसान की हालत अच्छी नहीं है.... .

श्री शंकर लाल अहारी : 8 घंटे बिजली दी है हमने । 8 घंटे बिजली दी है ।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप वित्त मंत्री नहीं हो, बैठ जाओ । यह बजट की बात है, इसको समझने के लिये बुद्धि चाहिये । यह अनपढ़ आदमियों का काम नहीं है । आप शांति रखिये ।

श्री सभापति : प्लीज चालू रखें ।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने आपके ऊपर नहीं कहा, इनके ऊपर कहा है ।

श्री रामचन्द्र सराधना : नहीं, यह भी कही है । ये भी सदस्य हैं । बुद्धि को चैलेंज मत करो । बुद्धि का कोई ठेकेदार नहीं होता, बुद्धि सबकी होती है ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, बोलने दीजिये । बोलने दीजिये । माननीय माहिर आजाद ।

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय सदस्य, बुद्धि को तो चैलेंज मत करो ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, बोलने दीजिये ।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं आपके माध्यम से यही बात कह रहा था । अब आप इस चीज को स्वीकार करते हैं कि किसान की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो मैं अपेक्षा करता हूं कि जिस तरीके से माननीय वित्त मंत्रीजी ने व्यवसाय कर हटाने की घोषणा जन भावनाओं के अनुरूप की है, वे काश्तकार के ऊपर सिंचाई और विद्युत की जो दरें बढ़ायी हैं इसको भी कम करेंगे । 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे ।' जब आदमी के खरीदने के बाट दूसरे और बेचने के बाट दूसरे हों तब क्या होगा ?

माननीय डा. चन्द्रभान मेरे भी मित्र हैं । उनको सब लोग ऊर्जावान मंत्री बता रहे हैं, मैं भी इससे सहमत हूं । आपको याद होगा, जब डा. चन्द्रभान हमारे साथ बैठते थे, तब डा.चन्द्रभानजी ने विद्युत के ऊपर इस सदन में चर्चा हो रही थी, एक बात कही थी । बात यह कही थी कि दिन में टेलीफोन की दर अलग और रात को टेलीफोन की दर कम थर्ड और हाफ हो जाती है ।

सभापति महोदय, आप भी जानते हैं, झुंझुनू से आने वाली माननीय सदस्या भी मंत्री रही हैं, जानती हैं, हमारे फलोदी से आने वाले भी जानते हैं कि बिजली ...

श्री शिवनाथ सिंह : उनको याद मत दिलाओ । वे खोटे दिन बहुत थे, उन को याद मत दिलाओ ।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, मेरी बात को जरा गंभीरता समझिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम दिन में जो बिजली खरीदते हैं उसकी दर अलग होती है और रात में जब हम बिजली खरीदते हैं उसकी दर अलग होती है।

जब हम रात के लिये बिजली सस्ती खरीद रहे हैं तो फिर जिस काश्तकार को आप रात में बिजली मुहैया कराते हैं, जो ठंड में खड़ा रहे, जो जाड़े के अंदर पानी में खड़ा हुआ अपने खेत की सिंचाई करके इस देश और प्रदेश के लोगों के लिये खाद्यान्न पैदा करने का काम करता है, तो आपको टेलीफोन की दरों की तरह रात को किसानों को वन थर्ड और हाफ रेट पर बिजली मुहैया करानी चाहिये। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं..(व्यवधान) किसका ? यह बात ऊर्जा मंत्रीजी कहें तो अच्छी रहेगी। आप को यह बिजली.. (व्यवधान)

श्री सभापति : बोलिये, बोलिये। माननीय सदस्य, जारी रखिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : अब हर अच्छी बात को भी आप इस तरह से लेते हैं।

सभापति महोदय, यह बात वर्तमान ऊर्जा मंत्रीजी ने जब यह हमारे साथ बैठते थे तब कही थी। मैं आज उनसे आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं, भले ही वे यहां नहीं हैं, आज कलम उनके हाथ में है, वे एक काश्तकार के बेटे हैं, उन को चाहिये कि प्रदेश के लाखों किसानों के साथ न्याय करें जो रात में भी बिजली लेकर अपना काम करते हैं। उनको सस्ती दर पर बिजली मुहैया करानी चाहिये।

(15:00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, इन्होंने कहा कि हमने कृषि के ऊपर विद्युत कर नहीं बढ़ाया, सिंचाई के लिए कहा है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या नहरी इलाकों के अंदर सीमान्त किसान, लघु किसान या मध्यम श्रेणी के किसान नहीं रहते हैं ? उन पर भी तो आखिर उसका बोझ पड़ेगा ? आप कह रहे हैं कि हमने बिजली की डोमेस्टिक रेट बढ़ायी है।

याद करिये, जाकर गांव में देखिये उस विधवा को जिसको आप 100 रुपये, 150 रुपये महीना वृद्धावस्था पेंशन देते हैं। क्या उसकी झोंपड़ी में एक चिराग, एक लट्टू जल रहा है ? उसके ऊपर आपके इस बिजली के मार का फर्क नहीं पड़ेगा ?

आपको मैं कहना चाहता हूं कि आप नव उप निवेशवाद की तरफ जा रहे हैं। यह बिजली की रेट जो आपने बढ़ायी, यह आप दूसरी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको खुश करने के लिए कर रहे हैं। आज आपका यह जो बजट है यह डैट ट्रैप की तरफ ले जा रहा है, आप कर्जे के जाल में फंसते जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, वह जमाना गया जब इस देश पर कब्जा करने के लिए ईस्ट इंडिया कम्पनी और सिकन्दर महान

(मोहम्मद माहिर आजाद)

को आना पड़ा था। आज किसी को आने की जरूरत नहीं है, वहां पर ही बैठे-बैठे इस तरह की पालिसी और शर्तें लगा रहे हैं और आप उन शर्तों में फंसकर ईंट ट्रैप की तरफ और नयी आर्थिक गुलामी की तरफ जा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस कर्जे के जाल से बचिये। इसको आपको सोचना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं, आपने बजट भाषण के अंदर घोषणा की थी कि प्रदेश के अंदर टाडा केस जिन अल्पसंख्यकों के ऊपर और दूसरे लोगों पर चल रहे हैं हम 3 महीने के अंदर-अंदर उसका निपटारा कर देंगे।

सभापति महोदय, मेरा मकसद या मेरा उद्देश्य किसी भी कसूरवार को बचाना नहीं है। जिसका प्राइमा फेसी अपराध सिद्ध होता है आप उसको फांसी पर लटकाएं। मैं उसका पक्ष नहीं लेता, चाहे वह किसी भी जाति और किसी भी धर्म का हो। अपराधी का कोई मजहब नहीं होता।

लेकिन, सभापति महोदय, जिन लोगों पर 8–8 साल तक कोई प्राइमा फेसी केस साबित नहीं हुआ उसके बाद भी वे लोग जेलों में सड़ रहे हैं। मैं उनकी वकालत कर रहा हूं कि या तो आप उनका कसूर बनता है तो सज़ा दीजिये वरना निर्दोष लोगों को आप छोड़िये।

सभापति महोदय; आपने प्रदेश के अंदर पिछले सालों में हुए साम्प्रदायिक दंगे और जयपुर शहर में हुए फोगिंग कांड के लोगों को मुआवजा देने की बात अपने चुनाव घोषणा पत्र में कही थी, लेकिन आज 4–5 माह बीतने के बाद भी आपने उस संबंध में क्या किया है; मैं यह माननीय वित्त मंत्री से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

सभापति महोदय, आपने कहा था वक्फ बोर्ड का गठन बहुत जल्दी कर दिया जाएगा और पिछले वक्फ बोर्ड ने जो भी अनियमितताएं की हैं हम उनकी जांच कराएंगे।

आप सदन को कृपया अवगत कराने का कष्ट करें कि क्या आपकी जांच चल रही है। जांच चल रही है तो किस स्तर पर चल रही है? कौन व्यक्ति जांच कर रहा है? क्या उसकी स्थिति है और नये वक्फ बोर्ड का गठन आप कब तक कर देंगे? कई बार वक्फ मंत्री जी ने भी घोषणा की, कई बार मुख्य मंत्री जी ने भी कहा कि तुरन्त वक्फ बोर्ड का गठन किया जा रहा है, आखिर उस तुरन्त को तो डिफाइन करिये कि आपका वक्फ बोर्ड कब बन रहा है।

माननीय सभापति महोदय, पिछले शासन में मेवात विकास बोर्ड जो मेवात क्षेत्र के लोगों के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक जीवन को उन्नत करने के लिए बनाया था, उसका बजट दो करोड़ था। आज आपने उसका बजट एक करोड़ कर

(मोहम्मद माहिर आजाद)

दिया। हमारी मंत्री जी से बात हुई, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अल्प–संख्यक की हितैषी बनने वाली सरकार मेवात विकास बोर्ड का बजट कम कर रही है। आप वक्फ बोर्ड का गठन नहीं कर रहे हैं।

आपने एक झुनझुना पकड़ा दिया कि हम माइनोरिटीज फाइनेंशल कारपोरेशन बनाएंगे। कितना पैसा आपने उसमें दिया ? तीन करोड़। प्रदेश में अल्पसंख्यकों की आबादी कितनी है? उसका हिसाब लगाइये जरा। 10-10 रुपये भी हिस्से में नहीं आ रहे हैं। यह ऊंट के मुंह में जीरा डालकर आप किसको संतुष्ट करना चाहते हो, वित्त मंत्री जी। इस प्रदेश के अल्पसंख्यक अनपढ़ हो सकते हैं, इस प्रदेश के अल्पसंख्यक गरीब हो सकते हैं, लेकिन वे आपकी इस चीज को अच्छी तरह से समझते हैं। हमारी समझदारी उसमें है।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप शिक्षा के मद से दो करोड़ रुपये निकाल लीजिये और मेवात विकास बोर्ड का बजट बढ़ाकर पांच करोड़ कर दीजिये। राजस्थान में दूसरे हिस्सों में अगर आपने शिक्षा केन्द्रों के लिए 40 बच्चों की अनिवार्यता रखी है तो मेवात क्षेत्र के अंदर आप इस संख्या में थोड़ा रिलैक्सेशन देकर 25 कीजिये ताकि अल्प-संख्यक भी शिक्षा अर्जन करके आपके साथ मुख्यधारा में जुड़ सकें। मेवात विकास बोर्ड के बजट में यह पैसा केवल सड़क बनाने में काम आया।

माननीय सभापति महोदय, जो भी विधायक थे उन्होंने अपने गांव में तथा ससुराल में जहां चाहा सड़क बनवा ली। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि आप इसमें एक क्लाज और डालिये, औसत इनकम से नीचे, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले उस क्षेत्र के लोग हैं उनको व्यावसायिक काम करने के लिए, काम-धंधा करने के लिए सस्ती ब्याज दर पर लोनिंग करने का काम अगर मेवात विकास बोर्ड करे तो मैं समझता हूं कि उस क्षेत्र के लोगों का भला हो सकता है और आप कुछ न कुछ उनके लिये कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी यहां विराजमान हैं, वित्त मंत्री जी की तवज्जोह चाहूंगा। जिस रोज इस सदन में पुलिस की डिमांड थी हम उस रोज अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाये। पुलिस बजट के मद में 2 हजार 59 लोक निर्माण कार्य, 058 रख रखाव तथा मरम्मत और 012 महानिरीक्षक पुलिस विभाग के माध्यम से आप करोड़ों रुपये पुलिस के थानों और पुलिस कर्मियों के क्वार्टरों के रख रखाव और मरम्मत के लिए देते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी होता यह है कि यह पैसा एस.पी. को जिलेवार अलाट कर दिया जाता है। एस. पी. जिस रोज थानाधिकारियों की मीटिंग लेता है, पूछता है कि बोलो, तुम्हारे यहां क्या–क्या काम कराना है। वे कहते हैं कि हमारे ये काम कराने हैं। बोले कि तुम्हारे यहां न्यूपिन इंडिया कंपनी है, तुम्हारे यहां प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन है, तुम्हारे यहां फलाने ठेकेदार हैं, उनसे बात करके

(मोहम्मद माहिर आजाद)

इस काम को करा लेना, मैं भी कह दूंगा। और जो खर्चा होता है उसका बिल उससे मांग लेते हैं, पैसा वहीं की वहीं रह जाता है।

मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी को सुझाव देना चाहता हूं कि आप यह पैसा पी.डब्ल्यू.डी. को दीजिये। पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से आप रिपेयर वर्क कराए और न्यू कंस्ट्रक्शन वर्क कराएं तो आपका यह भ्रष्टाचार रुकेगा।

अभी पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य जूते और चप्पलों पर से टैक्स हटाने का जिक्र कर रहे थे। माननीय वित्त मंत्री जी, मैंने भी आपको एक ज्ञापन दिया था। दूसरे लोग यह चाहते हैं कि कर हटाया जाए, लेकिन चप्पल और जूतों के व्यवसाइयों ने वित्त मंत्री जी को और वित्त सचिव को मिलकर एक ज्ञापन दिया है कि आपने यह जो 18 (ए) का नियम लागू किया है, आपने जो टैक्स लगाया है इस टैक्स को न तो आप हटाएं और न इस टैक्स में क्लासिफिकेशन कीजिये।

माननीय सभापति महोदय, क्लासिफिकेशन करने से क्या होगा? मान लो, वित्त मंत्री जी घोषणा कर दें कि 100 रुपये तक की मूल्य की चप्पलों को हम कर मुक्त करते हैं तो होगा यह कि लोग 400 और 500 रुपये का कैनवास का जूता या दूसरी महंगी चीजें भी लाएंगे तो बिल 98 रुपये का, 99 रुपये का बना लेंगे। इससे करप्शन बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा और आपकी रेवेन्यू कम आएगी।

इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो कर लगाये हैं आप उनको यथावत रखें तो आपकी मर्जी, आप उसमें कुछ छूट दें तो आपकी मर्जी। लेकिन कम से कम क्लासिफिकेशन करके कि इतने रुपये मूल्य तक की चप्पलों को छूट या फलां हवाई चप्पल को छूट, ऐसा करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा मत दीजिये। खुद एसोसिएशन के लोग यह चाहते हैं।

इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं। पिलानी से आने वाले सदस्य ने यह बात कही थी इसलिए मैं आपको यह ध्यानाकर्षित कर रहा हूं कि आपने अगर क्लासिफिकेशन कर दिया रेट के हिसाब से तो लोग बिल उसी हिसाब से बना लेंगे।

आपने जो 18 (ए) लगाया है ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर, माननीय सभापति महोदय, होता यह था कि जो अवैध माल आता था, ट्रांसपोर्टर्स जिम्मेदारी ले लेते थे कि आपका माल लाकर आपके घर पहुंचा दिया जाएगा, बोलो कितने पैसे दोगे? एक नम्बर में जो माल आता था उसकी रेट कम ली जाती थी और दो नम्बर में जो माल आता था उसकी रेट ज्यादा ली जाती थी। आपने ट्रांसपोर्टर्स को एक यूनिट मानकर उनके ऊपर जो जिम्मेदारी आयद की है मैं इसका समर्थन करता हूं और इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

साथ में यह अपेक्षा भी करता हूं कि जैसे व्यावसायिक कर आपने किसी दबाव में आकर वापस ले लिया, इस तरह से आप दबाव में आकर कोई छूट मत दीजिये। माननीय सभापति महोदय, देशी घी की बात....

श्री श्रवण कुमार : प्लास्टिक की बात..

मोहम्मद माहिर आजाद : आप अपनी सीट पर जाकर बोलिये। प्लास्टिक की बात नहीं की थी, मैंने तो क्लासिफिकेशन की बात की थी।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, बोलने दीजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्लासिफिकेशन मत कीजिये, क्लासिफिकेशन से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा।

श्री सभापति : बोलने दीजिये। समाप्त कीजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, कनक्लूड कर रहा हूं। अभी तो देर ही थोड़ी-सी हुई है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली बार भी देशी घी के ऊपर आपने कर लगाया, पिछली सरकार ने लगाया और बाद में किसी दबाव में आकर के उसको कम कर लिया। आप कर लगाने के पहले चाहे जितना सोच-विचार कर लीजिये, लेकिन अगर बाद में आप कर लगाकर उससे पीछे हटते हैं या उसमें रिलैक्सेशन देते हैं तो आपके जैसे वित्त मंत्री के लिए शोभा नहीं देता है और इसका मैसेज जनता में दूसरा जाता है।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे चप्पल और जूतों का सवाल हो, चाहे देशी घी का सवाल हो, कर लगाने का मैं पक्षधर हूं। कर लगाया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अगर कर नहीं लगाएंगे तो हम कैसे स्कूल खोल पाएंगे, कैसे अस्पताल खोले पाएंगे, कैसे सड़क बनाएंगे, कैसे लोगों को पानी और बिजली मुहैया कराएंगे ? कर लगाने चाहिए, आपने विलासिता कर लगाया है, आपको खर्च कर भी लगाना चाहिए। आदमी ज्यादा खर्च करे उससे पैसा लेना चाहिए।

आज शादी-ब्याह होते हैं, आप अस्पताल के आगे जो स्टेच्यू सर्कल वाली रोड है, इस पर देखिए या आप कलेक्ट्रेट में जहां यूथ कांग्रेस और सेवा दल का कार्यालय है, उस रोड पर देखिए। ऐसे-ऐसे आलीशान शामियाने लगाकर लोग शादी-ब्याह के अंदर खर्च करते हैं, आप खर्च पर कर लगाइए। कौन मना करता है आपको ?

लेकिन आपने कर लगा दिया फाइव स्टार होटलों पर। आपने सारी होटलों पर लगा दिया छह प्रतिशत। उससे जो टूरिस्ट

(मोहम्मद माहिर आजाद)

आता है, यह मैंने ट्यूरिज्म की मांग के समय भी कही थी, जो पर्यटक जयपुर आते हैं और राजस्थान आते हैं, वे सारे पैसे वाले नहीं होते जो फाइव स्टार होटलों में ठहरें। वे वनस्थली मार्ग पर जो छोटे होटल्स हैं उनमें भी ठहरते हैं। इन पर्यटकों से आटो रिक्शा वालों को, रेस्टोरेण्ट वालों को, स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज वालों को और काटेज इण्डस्ट्रीज वालों को भी फायदा होता है और उससे आपको आय प्राप्ति होती है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप भले फाइव स्टार होटलों पर 15 प्रतिशत कर लगा दें लेकिन आपको सभी होटलों पर जो कर लगाया है इस पर विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी से तीन-चार निवेदन और सुझाव देकर अपनी बात खतम करना चाहता हूं। मेरा पहला सुझाव है कि मेवात विकास बोर्ड का बजट बढ़ाया जाए, चाहे शिक्षा के लिए कर दीजिए उसे निर्धारित, ताकि मेवात क्षेत्र के अंदर शिक्षा का प्रचार-प्रसार बढ़ सके, चाहे केवल महिला शिक्षा के लिए कर दीजिए।

दूसरी बात, आपने माइनोरिटी फाइनेंशल कमीशन बनाया है, उसको तीन करोड़ से बढ़ाकर कम से कम दस करोड़ रुपए रखिए ताकि अल्पसंख्यकों को भी सस्ती ब्याज दर पर लोन मिल सके।

श्री चन्दन मल बैद (वित्त मंत्री) : तीन करोड़ तो कोरपस फण्ड है, वह तो सत्ताइस करोड़ पर पहुंचेगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : बहुत-बहुत धन्यवाद, आज सत्ताइस करोड़ पर पहुंचा रहे हैं। उसमें केन्द्र सरकार का हिस्सा होगा, स्टेट गवर्नमैन्ट का हिस्सा होगा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री सभापति : अब आपको कितना फायदा हो गया, आपको पता ही नहीं है, 27 करोड़ हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : बजट में जितना दिया है, मैं तो यही बात कहूंगा। आज जो यह बता रहे हैं वह वाकई में प्रशंसनीय है, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं। अंत में मैं अपनी बात को कंक्लूड करते हुए यही बात कहना चाहता हूं....

श्री रमजान खान(पुष्कर) : पूर्व में भी घोषणा कर चुके हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति जी, मैं यही बात वित्त मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि चाहे आपको और कठोर कदम उठाने पड़ें, एक तो यह जो डेट ट्रेप की तरफ हमारा प्रदेश का बजट जा रहा है, इस कर्ज के जाल से इसे बचाइए। नव उपनिवेशवाद की तरफ इसको मत ले जाइए, कैसे भी करिए।

कम से कम आपने जो आउट ले प्लान में घोषित किया है, वह विकास कार्यों पर

(मोहम्मद माहिर आजाद)

खर्च हो। एडीशनल चीफ इंजीनियर के इतने सारे पद बना दिए, आई.जी. के बना दिए, इतने सारे चीफ इंजीनियर बना दिए, चार-चार आपने जिला शिक्षा अधिकारी बना दिए प्राइमरी एजुकेशन का अलग, सैकण्डरी एजुकेशन का अलग, एलीमैण्ट्री एजुकेशन का अलग, चाहे इनको कम करना पड़े लेकिन कैसे भी करके यह आप का कर्ज का भार है इसको कम करें ताकि हम विदेशी गुलामी की तरफ, कर्ज के जाल की तरफ न फंस जाएं। इतना कहकर आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री गोपाराम मेघवाल।

श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना) : सभापति महोदय, आपने मुझे पहली बार विनियोग विधेयक पर बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

सभापति महोदय, मैं इस विनियोग विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। पिछले आठ साल के भाजपा के कुशासन की आपने हालत देखी। आठ साल के भाजपा शासन में चाहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओ. बी. सी. हो या माइनोरिटी, इन पर जितने अत्याचार हुए हैं, वे भुलाए नहीं जा सकते। भले ही अनुसूचित जाति के लोगों के दूल्हे को घोड़ी से उतारना हो या उनकी महिलाओं के साथ अत्याचार हो या प्रभावशाली लोगों द्वारा चाहे उनकी जमीन हड़पने का मामला हो या चाहे सरकारी कर्मचारी या अधिकारियों को प्रताड़ित करने का मामला हो, जितने मामले इन आठ सालों में हुए हैं, उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता।

कल मैंने सुना, विपक्ष के लोग हल्ला कर रहे थे कि स्थानांतरण कर दिया, इन आठ सालों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और माइनोरिटी के कर्मचारियों को जितना परेशान किया गया, उतना शायद कभी नहीं किया गया होगा इतिहास में। उनका 15-15 बार स्थानांतरण किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया। इतने से ही काम नहीं चला, उनकी ए.सी.आर. बिगाड़ दी गई, आज दिन तक इसलिए उनका प्रमोशन रोक दिया गया। यह भी आपके राज में हुआ है।

इसका परिणाम यह हुआ कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग, माइनोरिटी के लोगों ने इस भाजपा शासन से कुंठित होकर विधान सभा चुनावों में कांग्रेस के समर्थन में भारी मतदान किया। आपके सामने 153 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत कर आई है और मात्र 33 आदमी सामने विराजमान हैं। भाजपा की गलत नीतियों के कारण जनता ने यह फैसला किया।

इन विधान सभा चुनावों के बाद हमारे माननीय मुख्य मंत्री जो ओ.बी.सी. से हैं, अशोकजी गहलोत के नेतृत्व में इस सरकार का गठन हुआ। यह जो बजट प्रस्तुत किया गया, वास्तव में यह बजट

(श्री गोपाराम मेघवाल)

गरीबों को, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और माइनोरिटी को बहुत ही ध्यान में रख कर बनाया गया और उनकी सुविधाओं के लिए पूरी भावना के साथ आदर करके इस बजट में प्रावधान रखा गया ।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की, चाहे अकाल की, चाहे शिक्षा की समस्या हो, जितनी भी दैनिक जीवन की समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं को देखते हुए और जिस स्थिति में राजस्थान को भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा है, उन परिस्थितियों को देखते हुए हमारे वित्त मंत्रीजी ने न मालूम कैसे विचार करके इन जातियों का ध्यान इस बजट में रखा है और इनकी सुविधाओं का प्रावधान रखा है, यह वास्तव में प्रशंसनीय है ।

शिक्षा के क्षेत्र में मैं वित्त मंत्रीजी का बहुत आभारी हूं कि इन्होंने 16 हजार प्राथमिक शिक्षा केन्द्र का प्रावधान रखा है । मैं समझता हूं कि इसका समुचित लाभ हमारे सीमावर्ती जिले बाड़मेर, जैसलमेर की ढाणियों में जो लोग बसे हुए हैं, जो गरीब बस्तियां हैं, उनको मिलेगा और उन लोगों को प्राथमिक शिक्षा मिलेगी ।

इसके साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि इनके लिए जो 1200 रुपए का प्रावधान रखा है, कृपया इसको आप संशोधित करके 1500 रुपए कर दें तो ठीक रहेगा । उसको रोजगार भी मिलेगा और वह उनके प्रति रुचि के साथ बच्चों को सही ढंग से पढ़ा सकेगा ।

स्वास्थ्य विभाग को भी आपने बहुत कुछ दिया है । स्वास्थ्य विभाग के अंदर आपने पैसे बढ़ाकर दुगने कर दिए जो एक बिस्तर की रेट थी उसको बढ़ाकर दुगना कर दिया, इसके साथ ही प्रति मरीज को खुराक की राशि भी दुगनी कर दी ।

लेकिन, वित्त मंत्रीजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हालांकि वित्तीय संसाधनों की कमी है, इसके बावजूद भी जहां पर जरूरी हो दूर-दराज की ढाणियों में जहां चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इन पांच सालों में लगातार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलते रहें और जो चिकित्सा सुविधाएं हैं उनमें आप बढ़ोतरी करें ।

पेयजल के हिसाब से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 600 ढाणियों को आपने पेयजल योजनाओं से जोड़ने का प्रावधान रखा है । पिछले आठ सालों में ढाणियों और गांवों को जोड़ने की जो प्रक्रिया थी उसमें काफी भेदभाव बरता गया और अनुसूचित जाति जन-जाति की ढाणियों को और बस्तियों को उनसे वंचित रखा गया ।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन ढाणियों को वापस चयनित करने के लिए सरकार के द्वारा एक सप्ताह चलाया जाए और उस सप्ताह के तहत सारी वंचित ढाणियों को फिर से चयनित किया जाए और फिर उनको पानी की योजनाओं से जोड़ने का प्रावधान रखा जाए ।

(श्री गोपाराम मेघवाल)

विद्युत के मामले में मैं कहूंगा कि, विद्युत का आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है। सात सौ गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य आपने रखा है और 30 हजार कृषि कनेक्शन दिए जाने का प्रावधान है।

मुझे विश्वास है कि आप एस.सी.,एस. टी. के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाएंगे। मैं जहां से चुनकर आता हूं, वह बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, वह बिजली के मामले में भी बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी 132 के.वी. का जी.एस. एस. है स्वीकृत है, वह इसी वित्तीय वर्ष में कम्प्लीट हो जाएगा तो किसानों के लिए बहुत ही राहत मिलेगी।

इसके साथ ही 33 के.वी. का जी.एस. एस. भी स्वीकृत है, वह भी इसी वित्तीय वर्ष में कम्प्लीट हो जाएगा तो किसानों को बिजली की सुविधा से बहुत फायदा होगा और काश्तकार सरकार के बहुत अहसानमंद रहेंगे। इसके साथ ही प्रस्तावित जी. एस.एस. हमारे तीन गांवों के हैं, उसमें जूना मीठा खेड़ा, धनवा और मेली, ये तीन 33 के.वी. के जी.एस.एस. हैं। रेगिस्तानी एरिया है और वहां पानी का अभाव है, इनको इसी वित्तीय वर्ष में शामिल कर लें तो वहां पर पानी की समस्या का भी समाधान होगा और बिजली की समस्या का भी निदान होगा। सड़कों के मामले में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर जिले में पड़ता है। वहां सेनाएं हमेशा सर्दी के मौसम में सैन्य प्रशिक्षण के लिए आती रहती हैं और टैंकर वगैरह आकर सड़क को बिलकुल ध्वस्त कर देते हैं। इसलिए मरम्मत के प्रावधान में आपने काफी बजट रखा है, यह बहुत खुशी की बात है।

लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र का विशेष ध्यान रखा जाए। आवश्यकता पड़े तो आप रक्षा मंत्रालय को भी लिख सकते हैं, क्योंकि सैन्य कार्य जब वहां हमारे विधान सभा क्षेत्र में कराये जाते हैं तो सारी सड़कें खराब हो जाती हैं। इसलिए अतिरिक्त धनराशि देकर उन सड़कों की मरम्मत करायी जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा।

समाज कल्याण के मामले में आपने 50 छात्रावास खोलने का प्रावधान रखा और छात्रों की छात्रवृत्ति 450 रुपये से बढ़ाकर 675 रुपये की, यह वास्तव में बहुत प्रशंसनीय है। 10 साल के बाद में आपने यह काम किया है उसके लिए हमेशा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग आपको याद रखेंगे। तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री मदन जी दिलावर कल बहुत-सी बातें कर रहे थे, लेकिन इनसे पूछिए कि पांच साल में किसी ने आपके हाथ नहीं पकड़े थे, आपने इन लड़कों की तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया?

मैं माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन छात्रावासों में जो लड़के रह रहे हैं उनकी निगरानी के लिए और इनके पौष्टिक खाने के लिए, कि उनको पौष्टिक आहार मिल रहा है या

(श्री गोपाराम मेघवाल)

नहीं मिल रहा है और इन पैसों का सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए आप एक कमेटी गठित करें और समय-समय पर चाहे जिला लेवल पर ही हो आप इनका निरीक्षण कराएं ।

इसके साथ ही माननीय समाज कल्याण मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर समाज कल्याण अधीक्षक करीब-करीब 15 साल से वहां जमे बैठे हैं एक-एक होस्टल के अन्दर उसमें कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं । आप यह ध्यान दें कि तीन साल से ज्यादा कोई अधीक्षक वहां नहीं रहे जिससे छात्रों की बराबर देखभाल हो सके और उनको सही व्यवस्था मिल सके ।

अकाल के बारे में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरा बाड़मेर जिला सीमावर्ती जिला है और आज भयंकर अकाल की चपेट में है । इस समय जो श्रमिक सीमा अकाल राहत के तहत बनायी गई है वह 35 हजार ही है, यह नाम मात्र है । 15 लाख की आबादी में केवल मात्र 35 हजार श्रमिक हैं जो अपर्याप्त है ।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे जिले में इसको बढ़ाकर कम से कम डेढ़ लाख या एक लाख तक एक तारीख से श्रमिक सीमा कर जिससे लोगों को राहत मिल सके । इसमें भी मेरा सिवाना क्षेत्र बहुत ही गम्भीर परिस्थिति से गुजर रहा है । लगातार दो-तीन बार अकाल पड़ चुका है, वहां पर लोगों को रोजगार नहीं है ।

इसलिए मेरा निवेदन है कि सिवाना क्षेत्र के अन्दर जो भी सड़कों का कार्य स्वीकृत है, जो सड़कें मंजूर की हुई हैं उन पर श्रमिक लगाए जाएं, 20 से 25 हजार श्रमिक लगाए जाएं । उन श्रमिकों के माध्यम से चाहे सड़क निर्माण के कार्य हों, चाहे बड़े-बड़े तालाब के कार्य हों या खड़ीन के कार्य हों कराये जाएं । बड़े-बड़े सिंचाई के बांध बनाने से हमारे विधान सभा क्षेत्र के कुओं का जल स्तर बढ़ता रहा है, उन बांधों का निर्माण भी कराया जाए तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सिंचाई के अच्छे साधन भी वहां उपलब्ध होंगे ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के जो अधिकारी व कर्मचारी हैं उनका पिछले आठ सालों में बैकलाग नहीं भरा गया है । उस बैकलाग को पूरा किया जाए और बैकलाग को पूरा करके सही समय पर उनको प्रमोशन दिया जाए । राजस्थान के अंदर पिछले आठ सालों में चाहे अनुसूचित जाति के वर्ग के ऊपर, ओ. बी. सी. के ऊपर या माइनोरिटी के ऊपर, जिन लोगों के ऊपर भी अत्याचार हुए हैं उन सबकी निगरानी और जांच के लिए इस सदन के माध्यम से सभी वर्गों के विधायकों की एक कमेटी बना दी जाए ।

यदि प्रशासनिक अधिकारी उन प्रकरणों को सही ढंग से नहीं निपटाते हैं तो उसके लिए विधायकों की कमेटी समय-समय पर देखभाल करती रहे, यह मेरा

(श्री गोपाराम मेघवाल)

निवेदन है। आपने मुझे इस सदन के अन्दर बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । पुन: मैं इस बजट का बहुत-बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ।

श्री सभापति : माननीय श्री हनुमान प्रसाद ।

श्री हनुमान प्रसाद (सूरजगढ़) : माननीय सभापति जी, मैं विनियोग विधेयक के समर्थन में अपने विचार प्रस्तुत करता हूं । वास्तव में मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि कांग्रेस के घोषणा-पत्र के अनुरूप जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह आम आदमी को ध्यान में रखकर किया गया है और यह आम आदमी के उत्थान का बजट है । बजट में कुछ ऐसे प्रावधान रखे हैं जो पिछले कुल सालों से जो अव्यवस्थाएं हुई थीं उन अव्यवस्थाओं को सुधारने का काम करेंगे ।

आज संवेदनशील सरकार स्थापित हुई है, जो घोषणाएं हुई हैं उनमें विशेष तौर से मानवाधिकार आयोग का गठन, महिला आयोग का गठन अन्य पिछड़ी जाति के उत्थान के लिए निगम या बोर्ड, अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए प्रावधान, इसी तरह से पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने का कार्य, महिला उत्थान के अनेकों प्रावधान और अनुसूचित जाति, जनजाति के विकास की जो योजनाएं इस बजट में प्रस्तावित हैं उनको ध्यान में रखें तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यह बजट समग्र समाज में एकरूपता लाने वाला है ।

अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि सबको मिलाकर देखें तो यह जनसंख्या की दृष्टि से 75 प्रतिशत से भी ऊपर जाता है । इस बजट में वृद्धावस्था के व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं उन सबको ध्यान में रखा गया ।

समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, जिस वर्ग को ऊपर उठाने की आवश्यकता है उस सम्पूर्ण समाज को ध्यान में रखकर बजट रखा गया है, उसके लिए माननीय वित्त मंत्रीजी धन्यवाद के पात्र हैं ।

इस अवसर पर मैं बजट के कुछ प्रावधानों की ओर जो सम्पूर्ण समाज, सम्पूर्ण प्रदेश और राष्ट्र को प्रभावित करते हैं, गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता महसूस करता हूं ।

भूमिगत जल का स्तर राजस्थान में करीब-करीब सम्पूर्ण क्षेत्र में नीचे जा रहा है । जबसे यह अनूठी व्यवस्था सिंचाई की हुई, फव्वारा सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन, इससे आपके पास कम मात्रा में उपलब्ध जल साधन से और अधिक क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था, कृषि उत्पादन की व्यवस्था हो सकी । जो रिवोल्यूशन पिछले 15 साल में या 1980-81 के बाद से आया है, खास तौर से तिलहन उत्पादन में, वह इसी व्यवस्था की देन है ।

(श्री हनुमान प्रसाद)

मैं माननीय कृषि मंत्री जी से विशेष तौर से आग्रह करना चाहूंगा कि जिन क्षेत्रों में भूमिगत जल का दोहन अधिक हो रहा है—खास तौर से झुंझुनूं, सीकर, अलवर, भरतपुर, जयपुर ऐसे जिले हैं जिनमें बहुत-सा क्षेत्र डार्क जोन घोषित किया गया है, वहां फव्वारा सिंचाई की व्यवस्था में अधिक अनुदान दिया जाना संभव हो तो उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। यह बहुत अच्छे परिणाम लाएगा। जो 20 हजार फव्वारा सैट पर अनुदान की व्यवस्था रखी गई है, मैं इसे समुचित नहीं मानता और निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम 60 हजार फव्वारा सैट पर अनुदान की व्यवस्था रखी जाए।

एक दूसरी समस्या जो कि सब समस्याओं की जड़ मैं मानता हूं, वह है जनसंख्या वृद्धि। इस पर अनेकों माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए प्रभावी, कारगर कार्यवाही करनी चाहिए। इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की आवश्यकता महसूस करता हूं, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि यदि चुनावों का मुद्दा बनी रही और अबाध रूप से जनसंख्या बढ़ती रही तो जो आधारभूत सुविधाएं एक नागरिक को स्वतन्त्र देश में उपलब्ध होनी चाहिए, उनका लगातार अभाव रहेगा।

जनसंख्या वृद्धि की दर राजस्थान में भारत की जनसंख्या वृद्धि के मुकाबले में अधिक है। यदि उस पर प्रभावी रोक नहीं लगी तो अगले बीस-पच्चीस वर्षों में एक तो पेयजल का बहुत अभाव हो जाएगा और अन्य साधन भी समुचित नहीं रहेंगे। इस पर जो भी कारगर कार्यवाही की जा सके उसकी आवश्यकता महसूस करता हूं।

श्री रमजान खान : 25 साल तो बहुत ज्यादा हैं।

श्री सभापति : प्लीज, बोलने दीजिए। चालू रखिये।

श्री हनुमान प्रसाद : शिक्षा नीति के संबंध में भी बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता महसूस करता हूं। शिक्षा नीति 1996 में लागू हुई, जिसे नयी नीति के नाम से जानते हैं। इस नीति के बाद राजस्थान में शिक्षा जगत में बहुत-से प्रयोग हो रहे हैं और इतने प्रोग्राम चल रहे हैं जिनके संबंध में शिक्षा विभाग भी पूरी तरह से नहीं समझ पाता है। शिक्षक को भी यह पता नहीं है कि कौनसे प्रोग्राम से क्या होने जा रहा है। सम्पूर्ण साक्षरता का एक प्रोग्राम चलता है, उसमें एक मासिक पत्रिका निकलती है "आखर पथ"।

यदि उसके पन्ने देखें, उसकी लिखावट और मोटे अक्षर देखें तो उसकी कीमत? इसके अलावा जो समारोह आयोजित किये जाते हैं स्कूलों में या क्षेत्रीय तौर पर, उन पर भी खर्चा होता है। यानि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में, शिक्षा के प्रसार पर पैसा लगना चाहिए या वह पैसा प्रचार प्रसार पर, विज्ञापन पर और पैरेलल एक ही उद्देश्य वाली बहुत-सी योजनाएं चलाने पर खर्च हो रहा है।

(श्री हनुमान प्रसाद)

मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो एक एप्रोच बतायी है कि समन्वित एप्रोच के आधार पर इस व्यवस्था को सुधारा जाएगा, उसका स्वागत करता हूं और इस बात की पुरजोर मांग करता हूं कि शिक्षा जगत में अनेकों प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है।

शिक्षा कर्मी और अभी जो केन्द्र खोलने वाली योजना है, वह स्वागत योग्य है, लेकिन इन केन्द्रों पर भी यदि प्रशिक्षित व्यक्ति मिलें तो उनको शिक्षक के बतौर तैनात करने की आवश्यकता है। अप्रशिक्षित को 15 दिन का प्रशिक्षण देकर इसमें आप जो अध्यापक लगाने की सोचते हैं वह सम्भवतः प्राथमिक शिक्षा में बिगड़ाव ला सकती है।

जब से प्राथमिक शिक्षा पंचायती राज के तहत की गई, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्यार्थी आगे निकल रहे हैं उनका समुचित रिप्रजेन्टेशन न तो सर्विसेज में हो पाता है और न शिक्षा की गुणवत्ता सुधर-कर आती है। अब यह है कि उच्च प्राथमिक शिक्षा तक भी पंचायती राज में जाए। यह प्रयोग कहीं उलटा न पड़े, इस पर पुन-र्विचार की आवश्यकता महसूस करता हूं।

अनुदानित स्कूल और कालेज चलते हैं जिनमें राज्य सरकार 80 और 90 प्रति-शत तक अनुदान देती है, लेकिन उनके फीस लेने के तरीके पर, एडमीशन और दूसरी चीजों पर राज्य सरकार का सम्पूर्ण नियंत्रण नहीं है।

वास्तव में देखा जाए तो 80-90 प्रतिशत जब अनुदान है तो ये सरकारी तौर पर ही चलने वाले स्कूल, कालेज हैं। इन पर प्रभावी नियंत्रण हो और इनकी जो फीस की स्थिति है उसको भी नियंत्रण में रखा जाए। अभी शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है जिसमें अंग्रेजी स्कूल के नाम पर गांव में भी स्कूल खुल गए। उनमें शिक्षा का स्तर नीचे जा रहा है, लेकिन गांवों के भोले-भाले लोगों को अंग्रेजी पढ़ाने के चक्कर में बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। इस पर भी नियंत्रण की आवश्यकता है, इसके लिए मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं।

जिस जिले से मैं आता हूं वास्तव में देखा जाए तो सेना में सर्वाधिक सैनिक यदि किसी जिले से आते हैं, भारत से तो वह झुन्झुनू जिला है। राजस्थान में सैनिक कल्याण की दृष्टि से जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके संबंध में मैंने जानकारी ली है, वे समुचित नहीं हैं।

इस सम्बन्ध में मैं पुनर्विचार और इसमें सुधार करने की आवश्यकता महसूस करता हूं। इस जिले से खेल प्रतिभा की कमी नहीं है। झुन्झुनू जिला राजस्थान में अनेकों खेलों में अग्रणी है। खास तौर से पश्चिमी राजस्थान का पूरा रेगिस्तानी बेल्ट, इसमें खेलकूद के प्रति लगाव है। अगर उन खिलाड़ियों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाए तो प्रतिभाएं आगे आ सकती हैं। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट झुन्झुनू जिले में

(श्री हनुमान प्रसाद)

स्थापित हो, इसकी मांग करता हूं।

झुन्झुनू जिले के क्षेत्र में तिलम संघ में एक तेल मिल स्थापित होने के साथ ही गांवों में सहकारी समितियां सरसों उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित हुई। मण्डी में जो भाव थे, काश्तकार को उनसे बढ़ावा मिला और तिलम संघ की उपस्थिति से भी बाजार के भाव स्थिर रहे जिससे काश्तकार को लाभ पहुंचा। उसी के कारण आज देखें तो झुन्झुनू, सीकर, चूरू का बहुत बड़ा हिस्सा जहां पहले सरसों नहीं होती थी, वहां आज सरसों पैदा होती है। फव्वारा सिंचाई के कारण तिलम संघ का जो यूनिट है वह बंद होने की बात आई। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तिलम संघ का यह तेल मिल बंद नहीं हो और यह व्यवस्था चालू रहे तो काश्तकार को बढ़ावा मिलेगा।

डेयरी विकास की दृष्टि से भी झुन्झुनू जिला उपेक्षित रहा है। चिलिंग प्लांट 1985-86 में स्थापित होने जा रहा था, बिल्डिंग बन गई, मशीनें आ गई, बाद में आर.सी.डी.एफ. के स्तर पर या जिला दुग्ध उत्पादक संघ के स्तर पर उस चिलिंग प्लांट को कहीं दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया गया। आज करोड़ों रुपये की जमीन और बिल्डिंग बिना उपयोग के पड़ी हुई है।

मैं मांग करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही कर चिलिंग प्लाण्ट जिले में ही स्थापित किया जाए ताकि दुग्ध इकट्ठा कर चिलिंग प्लांट तक पहुंचाने की बात हो सके।

झुन्झुनू जिले का सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र हरियाणा से लगा हुआ है और पिछले 8-10 साल में पूरी तरह से उपेक्षित है। नागरिक को जो आधारभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, उस क्षेत्र के विकास के लिए जो आधारभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए उनकी अवस्था जर्जर हो चुकी है। खास तौर से सड़क के नाम पर तो उस क्षेत्र में एक भी ऐसी सड़क नहीं है जिसे हम आज सड़क कह सकें।

पेयजल की व्यवस्था में भी बहुत व्यवधान है। मैं माननीय पेयजल मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सीकर में समस्याओं को सुना और अधिकारियों को निर्देश दिये लेकिन अब भी क्षेत्र में पूरी तरह से समुचित व्यवस्था नहीं हो पायी है। बहुत–से सामान का अभाव है जिससे छोटे-छोटे काम नहीं होने से कुछ पेयजल की योजनाएं कई गांवों में बन्द पड़ी हैं या अधूरी पड़ी हैं।

मैंने एक सुझाव उस समय दिया था कि इमरजेंसी फण्ड या कंटिन्जेंसी फण्ड जिला स्तर पर जिलाधीश की निगरानी में रहे। जिले में हर सोमवार को इस पर मानीटरिंग हो रही है लेकिन फण्ड के अभाव में और जो सामान है उसके अभाव में बहुत–सी पेयजल की योजनाओं में बाधा है। टी.एस.एस. में गांवों की पंचायत को ही मशीन खराब हो तो उसे ठीक कराना

(श्री हनुमान प्रसाद)

पड़ता है, सब मर्सिबल मोटर तक को ठीक कराना पड़ता है।

सब मर्सिबल मोटर के मामले में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी मरम्मत और रिवाइंडिंग का जो काम विभाग स्वयं करे ताकि 15 या 20 दिन तक जो जल की आपूर्ति बन्द रहती है वह अवस्था इस गर्मी के समय में नहीं आए।

सिघाना एक बड़ा कस्बा बनता जा रहा है। उसकी आबादी 1991 में 13, 600 थी वह आज 20 हजार से ऊपर की आबादी वाला क्षेत्र है। उसकी बगल में ही कापर प्रोजेक्ट का क्षेत्र आता है। कापर का जो इन्फ्लुएण्ट डिस्चार्ज है उसके कारण सिघाना और उसके आस-पास के गांवों में कृषि के कुओं का जल भी खराब हुआ है और पेयजल भी खराब हुआ है। सिघाना, ढाणा, बनवास, ओजन आदि गांवों के क्षेत्र में पानी पीने योग्य नहीं रहा है।

सिघाना में पेयजल के लिए एक प्रस्ताव पी.एच.ई.डी. की फाइनेंशल कमेटी में काफी दिनों से लंबित है जिसमें 10 नलकूप और एक रीजनल पेयजल की योजना बनती है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसे अविलम्ब स्वीकृत किया जाकर इसका कार्य प्रारम्भ किया जाए। कापर प्रोजेक्ट की नजदीकी के कारण कुछ और दुविधाएं उत्पन्न हुई हैं, प्रदूषण तो हुआ ही है। कापर प्रोजेक्ट इस समय एक तरह से बैंकरप्ट होता जा रहा है। वहां पर दो सेण्ट्रल स्कूलें थीं, वे दोनों बन्द कर दी गयी हैं। यह एक तरह से उस क्षेत्र के बच्चे जो इन सेण्ट्रल स्कूलों में शिक्षा पा रहे थे, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इन स्कूलों को बदस्तूर चालू रखा जाए, इसकी व्यवस्था राज्य सरकार करे। मेरे क्षेत्र में बुहाना....

श्री मदन दिलावर : आप तो जोर से चलें, आप तो आर.पी.एस.सी. के चेयरमैन रहे हैं।

श्री हनुमान प्रसाद : मेरे क्षेत्र में बुहाना पंचायत समिति का जो क्षेत्र है....

श्री मदन दिलावर : इनकी योग्यता देखकर हमने बनाया था।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : इनको आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है।

श्री हनुमान प्रसाद : आप मेरी बात पूरी सुन लें।

बुहाना जो क्षेत्र पड़ता है उसमें 25 से 35 किलोमीटर की परिधि में बहुत-सी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। बुहाना एक तरह से झुन्झुनू में क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति में है। बुहाना में तहसील है, पंचायत समिति है, आर.एस.ई.बी. का एक्स.ईएन

(श्री हनुमान प्रसाद)

आफिस अभी स्थापित हुआ है पहले ए. ईएन. था, ए.ईएन.,पी.एच.ई.डी.,पी.डब्ल्यू.डी.सभी हैं लेकिन एक अजीब बात है कि उस क्षेत्र में आज तक कोई बैंक की शाखा नहीं है।

मेरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा सैनिक आते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनको भी 35-40 किलोमीटर दूर जाकर बैंकों की शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करनी पड़ती है। मैंने वैसे एस.बी.बी.जे. और बैंक आफ बड़ौदा को निवेदन किया है और कलक्टर साहब को भी इसका प्रस्ताव भिजवाया है कि बैंक की शाखा वहां पर स्थापित हो।

मेरे क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए कोई कालेज नहीं है। एक मांग आयी थी कि जिला स्तर पर गवर्नमेंट कालेज होना चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूं। झुन्झुनूं जिले की स्थिति ऐसी है कि 80-90 प्रतिशत तक अनुदान पाने वाले कालेज हर 15-20 किलोमीटर पर हैं।

लेकिन जो हरियाणा से मिलता हुआ यह अनुसूचित जाति का विधान सभा क्षेत्र है, यह उपेक्षित रहा है, इसमें कोई कालेज नहीं है। उन लड़कों को या तो खेतड़ी जाना पड़ता है जहां एक गर्ल्स कालेज और एक पी.जी. कालेज है या उनको चिड़ावा आना पड़ता है जहां कि दो कालेज हैं-एक गर्ल्स का और एक बॉयज का या फिर पिलानी या झुन्झुनूं जाना पड़ता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सूरजगढ़ में है न।

श्री हनुमान प्रसाद : सूरजगढ़ तो एक किनारे पड़ता है। उस क्षेत्र को यदि देखें तो सूरजगढ़ कस्बे से ही मेरा क्षेत्र प्रारंभ होता है। (हां से बुहाना का क्षेत्र जिसकी मैं विशेष तौर से बता रहा हूं, इस असंतुलन की स्थिति में उच्च शिक्षा से बहुत-से बच्चे वंचित रह जाते हैं। तो मैं मांग करता हूं कि बुहाना में कालेज स्थापित करने के लिए राज्य सरकार स्वीकृति दे।

इसमें मैं यह भी बता दूं कि यहां पर भूमि उपलब्ध है, भवन बनाने वाले लोग उपलब्ध हैं और भूमि के आवंटन की कार्यवाही पिछले कई सालों से चल रही है लेकिन राजकीय स्वीकृति के बिना आगे कार्यवाही नहीं हो पाती। तो यह जो असंतुलन है विशेष तौर से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, उसको मिटाने के लिए मैं पुरजोर निवेदन करना चाहता हूं कि बुहाना में कालेज की स्थापना की जाए।

इस अवसर पर बजट में जो प्रावधान पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए रखे गये हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं और माननीय वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

सामाजिक न्याय की अवधारणा के तहत मानवाधिकार आयोग के गठन की बात चल रही है। जो कमजोर तबके होते हैं उनके विरुद्ध ही मानवाधिकारों का हनन होता है।

(श्री चन्दन मल बैद)

गयी, 1997-98 में बढ़कर 9356 हो गयी और 1998-99 में एस्टीमेटेड है कि 9819 होगी, 1995-96 में हमारी ग्रोथ हुई 17.44, 1996-97 में हमारी ग्रोथ हुई 9.29, 1997-98 में हमारी ग्रोथ हुई 4.26 और 1998-99 में हमारी ग्रोथ हुई पर-कैपीटा इनकम की 4.95। पर कैपीटा इनकम गवर्नमैंट एम्प्लाइज की टोटल सात लाख को गिनकर मैं ले रहा हूं, एवरेज ले रहा हूं। उसमें बहुत ऊंचे भी हैं और बहुत नीचे भी हैं, सबकी अलग तो नहीं कह सकता लेकिन एवरेज इनकम कह रहा हूं।

जैसे हमारी पर कैपीटा इनकम एवरेज ही है वैसे एम्प्लाइज की भी एवरेज इनकम मैं दे रहा हूं। 1995-96 में जहां हमारी पर कैपीटा इनकम 7523 थी, हमारे कर्मचारियों की पर कैपीटा इनकम थी 47070, 1996-97 में हमारी पर-कैपीटा इनकम थी 8974 और कर्मचारियों की 52380, 1997-98 में हमारी पर-कैपीटा इनकम थी 9356 और कर्मचारियों की 56274 और 1998-99 में हमारी पर-कैपीटा इनकम थी 9819 और कर्मचारियों की 77623। हमारी रेट बढ़ी है 1995-96 में 17.44 और कर्मचारियों की बढ़ी है 14.28, 1996-97 में हमारी रेट बढ़ी है पर-कैपीटा इनकम की 9.29 और उनकी बढ़ी है 11.28, 1997-98 में हमारी रेट बढ़ी है 4.26 और उनकी बढ़ी है 7.43 और 1998-99 में हमारी ग्रोथ है 4.95 और उनकी ग्रोथ है 37.95 तो मैं किसी के विरोध या विपक्ष की बात नहीं कह रहा हूं। मैं न आपको दोष देता हूं और न मेरे को दोष दे रहा हूं, किन्तु जो स्थिति है, जो फैक्ट्स है उन फैक्ट्स को हमें समझना पड़ेगा। उसके प्रति आंख मूंदकर हम नहीं चल सकते।

हम चाहे इस तरफ बैठे हों, चाहे उस तरफ बैठे हों, राजस्थान के हों चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे गुजरात के हों और चाहे बंगाल के हों, किसी भी जगह के हों, कहीं के भी हों, हमको बैठकर सोचना पड़ेगा कि हम कहां जा रहे हैं, हमको कहां जाना है और हमारे सामने फैक्ट्स क्या हैं और क्या फिगर्स हैं। उन फिगर्स और फैक्ट्स के साथ हम निभ सकते हैं या नहीं निभ सकते हैं, यह भी हमको सोचना पड़ेगा।

आज हम सिंचाई के साधनों के लिए पूरा पैसा नहीं दे पा रहे हैं। सिंचाई की जब मांग थी और हमारी माननीय सिंचाई मंत्री महोदया जब सुन रही थीं तो लोग शिकायत इस बात की कर रहे थे कि हमारा बांध है उसकी पूरी मरम्मत नहीं हो रही है, आपने जो सिंचाई का साधन बना रखा है उसकी मरम्मत नहीं हो रही है, पानी पूरा नहीं आ रहा है, अगर मरम्मत हो जाए तो पानी पूरा आ जाए। ये शिकायतें हो रही हैं। क्योंकि जितना पैसा हमको देना चाहिए सिंचाई के साधनों को सुधारने के लिए, हमारे पास उतना पैसा नहीं है।

आज सड़कों की हालत खराब है। मैंने कोशिश की है। इस साल सड़कों की हालत सुधारने के लिए जितना पैसा

(श्री चन्दन मल बैद)

मरम्मत के लिए दिया जाता है हर साल, मैंने उससे 95 करोड़ रुपये ज्यादा दिया है, लेकिन फिर भी क्या राजस्थान की सारी सड़कें सुधर जाएंगी ? हमने सड़कें बना दीं किन्तु उनको सुधारने के लिए, रोजमर्रा की मरम्मत के लिए, मेंटिनेंस के लिए हमारे पास पैसा नहीं है और दूसरी तरफ हमारा धन इस तरह से जा रहा है तो हमको सोचना पड़ेगा ।

आखिर यह जो इतना बड़ा हमने पेराफरनेलिया बना रखा है, यह पेड़ जो इतना बढ़ गया है इतने बढ़े हुए पेड़ की जरूरत है क्या, यह सोचना पड़ेगा । अगर इतने बढ़े हुए पेड़ की जरूरत है तो क्या इतनी बड़ी तनख्वाहों की जरूरत है क्या ?

इकोनोमिक कमेटी हमने बनायी है, उसमें आफिसर–नान आफिसर लोग हैं । अभी सवाल उठा था कि ग्यारह हजार कर्मचारी हमारे रिटायर हुए हैं । हमारे माननीय सदस्य जो मेरे सम्मुख बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा है कि ग्यारह हजार आदमियों को आप निकाल रहे हैं, भर्ती कितनी कर रहे हैं, आपने एक घोषणा पत्र बना रखा है ? मुझे खुशी है इस बात की कि आप अपना घोषणा पत्र नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे घोषणा पत्र को पढ़ रहे हैं, इसके बारे में बोलते हैं ।

मुझे खुशी है लेकिन यह कहना चाहता हूं, मैंने उस दिन भी कहा था कि क्या इरिगेशन में 11 चीफ इंजीनियर्स की जरूरत है ? क्या पी.डब्ल्यू डी. में जितने चीफ इंजीनियर्स आज हैं उतने की जरूरत है ? क्या आई.जी.एन.पी में जितने चीफ इंजीनियर्स हैं उनकी जरूरत है? क्या राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में जितने चीफ इंजीनियर्स हैं उनकी जरूरत है ? रिटायर हुए हैं चीफ इंजीनियर्स । जो कमेटी बनी है, जितना हमें समय मिला है उस समय में हमने बैठकर सोचा है कि इसमें आठ चीफ इंजीनियर्स मय उनके स्टाफ के हम कम कर सकते हैं । उनको हम पदोन्नति नहीं देंगे तो हमारा काम चल सकता है ।

(17.19 बजे)

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

इस तरह से मैं यह नहीं कह रहा हूं कि केवल चीफ इंजीनियर्स रैंक पर ही हम कोई कुठाराघात करना चाहते हैं । हमारी मंशा यह है कि हम पुलिस को, हमारी मंशा यह है कि हम आई.ए.एस. अधिकारी को, हम देखेंगे इस बात को कि आज सैक्रेटेरिएट में इतने सैक्रेटरीज की जरूरत है क्या । हर सैक्रेटरी के पास उतना काम है क्या कि जितना उसके पास होना चाहिए ?

आज हम सैक्रेटरी को 30 हजार रुपया तनख्वाह दे रहे हैं, तीस हजार के लायक हमको काम का आउट पुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यह हमको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा । यह सोच कर, देखकर हमें सारी चीजें करनी पड़ेंगी ।

(श्री चन्दन मल बैद)

अगर हम यह समझ जाएं कि नहीं, जो चल रहा है वही चलने दें तो बहुत दिनों तक तो चलने वाला नहीं है। हो सकता है पांच साल चल जाए।

अगली बार आप आएं या मैं आऊं, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता लेकिन आप आएंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा और हम आएंगे तो हमको भुगतना पड़ेगा। इस वास्ते मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन चीजों पर आम सहमति हमको बनानी चाहिए। सबको साथ मिल बैठकर सोचना चाहिए और सोचकर कोई निर्णय लेना चाहिए। दूसरी बात जिसके बारे में, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : चीफ कंजरवेटर, फोरेस्ट की पोस्ट आपने क्रियेट की...(व्यवधान).... नहीं, नहीं, वह बहुत इम्पार्टेन्ट चीज है।

श्री चन्दन मल बैद : सारी चीजें, माननीय सदस्य, इम्पार्टेन्ट हैं और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आप अपने पिताजी के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। आपके पिताश्री बराबर मुझे सलाह देते थे, बराबर मुझे गाइड करते थे और कम से कम इस मामले में आप अपने पिताश्री के पदचिन्हों पर चल रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस काम को आप आगे भी जारी रखें।

मैंने जब बजट पेश किया तो मैंने पिछले साल का और उससे पिछले साल का जो बजट में घाटा 1201 करोड़ 83 लाख अनकवर्ड छोड़ दिया था मैंने एक अनयूजुअल बात की थी। सबने इसकी आलोचना की। प्रेस ने भी आलोचना की, अखबारों ने भी आलोचना की, सब लोगों ने इस बात की आलोचना की कि यह क्या है, यह किस तरह का बजट आपने बनाया। आपने तो जीरो बजट से शुरू कर दिया और जो घाटा था पिछले साल का वह आपने यूं ही छोड़ दिया।

मैंने कहा था उस समय कि राष्ट्रीय विकास परिषद में यह फैसला हो चुका था कि शार्ट टर्म पर हमारे वेज एण्ड मीन्स एडवान्स को बढ़ाया जाएगा और यह भी फैसला हो चुका था कि 31 मार्च को जो ओवरड्राफ्ट स्टेट्स का होगा उसको ओवरलुक किया जाएगा।

इस बात से मैंने यह जरूरी समझा कि मैं उस घाटे को इस साल के घाटे में नहीं मिला कर उसको कवर करने की कोशिश नहीं करूं जिससे मेरा पिछले साल का जो 1201 करोड़ का घाटा है वह मुझे ओवरलुक हो जाए और उसकी मुझे कोई न कोई राहत मिल जाए। यह मैंने जिसको कहना चाहिए, जुआ खेला एक। बहुत-से लोगों ने कहा कि नहीं देंगे।

मैंने कहा नहीं देंगे तो मैं हूं ही, मुझे जो कुछ करना है मैं करूंगा ही, लेकिन मुझे यह कम से कम जुआ खेलना चाहिए। जब उन्होंने सोलम प्रामिस किया है एन.डी.सी. की मीटिंग में, तो कम से कम

(श्री चन्दन मल बैद)

इसका मुझे फायदा उठाना चाहिए। मैंने इसका फायदा उठाया।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी है इस बात की कि 26 तारीख को हमने बजट पेश किया, 12 तारीख को ही हमने भारत सरकार से बात-चीत की क्योंकि 13 तारीख को मेरे ओवर-ड्राफ्ट का पीरियड खतम हो रहा था।

अगर मैं 12 तारीख को बात नहीं करूं तो हो सकता था कि 13 तारीख को हमें पेमेंट बन्द कर दें। 12 तारीख को बात की और 12 तारीख को हमारे वित्त सचिव वहां पर गये उनसे बात-चीत हुई, 13 तारीख को बात-चीत हुई और हमारे ओवरड्राफ्ट की अवधि को 16 तारीख तक बढ़ाया गया। 16 तारीख को जब फैसला हुआ उसमें 1010 करोड़ रुपये हमें अन्तरिम राहत के तौर पर दिये गये। मैंने कहा मैं नहीं कह सकता कि पिछले साल का जो 1201 करोड़ का हमारा घाटा था वह अकाउण्ट्स में कितना घाटा रहेगा या रिजर्व बैंक के अकाउण्ट्स में कितना घाटा आएगा क्योंकि सारे अकाउण्ट्स अभी बताये नहीं गये हैं।

हो सकता है वह 1100 हो, हो सकता है 1000 ही हो, लेकिन 12 सौ से जरूर कम होगा। तो उन्होंने 1010 को हमको अन्तरिम राहत दी और यह कहा कि हम अन्तरिम राहत इस वास्ते दे रहे हैं कि हमारा बजट पास नहीं हुआ है। जब बजट पास हो जाएगा, उसमें कण्डीशन यह लिखी हुई है कि जब बजट पास हो जाएगा तो यह अन्तरिम राहत हम आपके मीडियम टर्म राहत में बदल देंगे। मीडियम टर्म राहत का मतलब 5 से 10 साल की राहत में बदल देंगे।

मतलब यह हुआ कि हमारा पिछले साल का जो घाटा था और उससे पहले साल का जो घाटा था वह सारा का सारा घाटा हमारा आज साफ हो गया और हमने इस साल जो जीरो बजटिंग शुरू की थी वह जीरो बजटिंग हमारी आगे जाकर के प्लस में रहेगी। उसका हमने इन्तजाम कर लिया।

मैं यह नहीं कहना चाहता कि मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया लेकिन कम से कम इस बात की तो कोशिश मैंने की और बजट का जो घाटा था वह बजट का घाटा खतम कर दिया।

अब मेरे सामने केवल समस्या इतनी ही है कि राजस्व खाते का घाटा है उसकी फिक्र करनी है। उसके लिए भारत सरकार से हमारा समझौता हुआ है, मैमोरेण्डम आफ अण्डरस्टैंडिंग हमारी बनी है। उसमें उन्होंने कहा है कि 2004 तक हम अपने राजस्व खाते के घाटे को पूरा करेंगे। हमने उनसे वायदा किया है कि हम उसको पूरा करेंगे और मेरी पूरी मंशा इस बात की है, मुझे पूरा विश्वास है इस बात का कि 2004 से पहले पहले मैं राजस्व खाते में जो घाटा है उसको बराबर कर दूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वार्षिक

(श्री चन्दन मल बैद)

योजना के बारे में कई लोगों ने शंकाएं जाहिर कीं कि जब आप इतने बड़े घाटे में हैं और इस तरह की आपकी स्थिति है तो 5022 करोड़ की योजना कैसे पूरी करेंगे। योजना आयोग ने तो आपको 4750 की योजना मंजूर की थी और आप आज 5022 करोड़ 18 लाख की योजना बना कर आये हैं, उसका वित्त पोषण आप कैसे करेंगे।

प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने भी मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा था और मैंने उनको जवाब दिया था, वित्त पोषण की सारी डिटेल्स आपको दी थीं। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यह प्रश्न उठाया था कि आप वित्त पोषण कैसे करेंगे।

मैं बताना चाहता हूं; यह सही है बात; गलत नहीं है कि 5022 करोड़ की योजना को पूरा करने के लिए मुझे 6820 करोड़ का ऋण लेना पड़ेगा। सही बात है यह, गलत बात नहीं है और यह पहली बार नहीं है जैसा कि आपने कहा था कि पहली बार योजना से ज्यादा ऋण लिया जा रहा है। 1996–97 में जितनी योजना थी उससे 103.82 प्रतिशत का ऋण लिया गया था और 1998–99 पिछले साल 134.33 परसेंट का ऋण लिया गया था जितनी योजना थी उससे। ये आंकड़े हैं, यह मैं जुबानी नहीं कह रहा हूं, आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं। इस साल ठीक है हमने 135.82 परसेंट ऋण लिया है, इसमें कोई शक नहीं है।

प्रतिपक्ष के नेता महोदय से मैं आज बात कर रहा था उनके कमरे में, मैं उनसे निवेदन कर रहा था कि अभी तक तो मैं आपका ही बजट चला रहा था कांग्रेस गवर्नमेंट का बजट चलाते हुए तो मुझे 21-22 दिन ही हुए हैं। 4 महीने तो मैं आपके ही बजट पर काम कर रहा था, मुझे तो कुल 22 दिन मिले हैं मेरे बजट पर।

मुझे समय दीजिए; मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको, पूरी जितनी भी मेरे को जानकारी है, जो कुछ भी मैं जानता हूं उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि मैं राजस्थान की वित्तीय स्थिति जो आज पटरी से नीचे उतर गयी है उसको मैं पटरी पर लाने की पूरी कोशिश करूंगा और लाऊंगा।

इसके लिए मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं हवा में बात करता तो पिछले साल का बजट का घाटा यों पार नहीं हो जाता। कोई आर्ग्युमैंट दिये होंगे हमने चाहे मैंने दिये हों चाहे मेरे फाइनेन्स सैक्रेटरी ने दिये हों या हम दोनों ने मिलकर दिये हों; हमने कोई आर्ग्युमैंट दिये होंगे जिस आर्ग्युमैंट के आधार पर हमको 1010 करोड़ की अन्तरिम राहत मिली है। इतनी अन्तरिम राहत किसी दूसरी स्टेट को नहीं मिली है। ऐसा नहीं है कि दूसरी किसी स्टेट का रेवेन्यू डेफिसिट कोई हम से कम है। कम नहीं है, काफी है।

मैं जरा थोड़ा-सा बताना चाहता हूं आपको खैर; मुझे मिल जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा।

(श्री चन्दन मल बैद)

तो वार्षिक योजना की बात कर रहा था। मैं बताना चाहता हूं कि हम इसको किस तरीके से पूरा करेंगे। एक सवाल और भी उठा था....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कहा, राजस्व घाटे के लिये सेण्ट्रल गवर्नमेंट से रिलीफ मिली 1022 करोड़। बजटीय घाटे की आपने भारत सरकार से बातचीत की, उन्होंने रिलीफ दी 1010 करोड़। क्या यह बात भी सही है कि यह घाटे की पूर्ति जो की गयी है उसके दो प्रमुख कारण हैं ?

एक प्रमुख कारण तो यह है कि 29 पाइंट प्लस जो सेण्ट्रल रेवेन्यू में हमारा हिस्सा मिलना चाहिये उसके लिये कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट अभी नहीं हुआ और उस कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट होने के बाद में जो राशि हमको मिलने वाली है, उसको अग्रिम भुगतान कर दिया।

दूसरा, बी.डी.आई.एस. की जो रकम है, जो अभी तक हमको पूरी नहीं मिली वह रकम भी इसमें शामिल है।

श्री चन्दन मल बैद : मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं कि अंतरिम राहत है। हमारा जो मैमोरेंडम आफ अण्डरस्टैंडिंग है उसमें उन्होंने यह कहा है कि क्योंकि हमारा बजट पास नहीं हुआ इस वास्ते हमको अंतरिम राहत दे रहे हैं, लेकिन इस अंतरिम राहत को बाद में प्लानिंग कमीशन के साथ बैठकर आपके मिडटर्म राहत में चेंज कर देंगे। 29 परसेंट का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। 29 अगर होगा तो उससे हमको ज्यादा पैसा मिलेगा। वह अलग है।

यह अंतरिम राहत है क्योंकि इनका पूरा बजट पास नहीं हुआ है। आज पूरा बजट जब तक पास नहीं हो जाए तब तक मुझे कोई कहे कि 6 महीने के लिये मुझे फलानी-फलानी राहत दे दो, तो मैं नहीं दे सकता हूं। इस वास्ते वे भी नहीं दे सकते हैं।

उन्होंने यह कहा कि चूंकि हमारा बजट पास नहीं हुआ है, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं, इस वास्ते हम आपको अंतरिम राहत दे रहे हैं और जब बजट हमारा पास हो जाएगा तो हम मिडटर्म में इसको कंवर्ट कर देंगे। यह हमारा जो मैमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग है उसमें लिखा हुआ है और उसमें उनके जाइंट सैक्रेटरी के दस्तखत हैं, हमारे सैक्रेटरी के दस्तखत हैं। उसकी कापी मेरे पास मौजूद है, आप कहेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा।

अब मैं कह रहा हूं राजस्व घाटे की बात दूसरे स्टेट्स की। महाराष्ट्र का राजस्व घाटा इस साल 7972 करोड़ है; उत्तर प्रदेश का 6930 करोड़, पश्चिम बंगाल का 7603 करोड़, मध्य प्रदेश का 1782 करोड़, तमिलनाडु का 2632 करोड़, गुजरात का 1409 करोड़, हिमाचल प्रदेश का 1182 करोड़, हरियाणा का 6 करोड़ 18 लाख, गोवा का 143 करोड़; राजस्थान का 2629 करोड़ 50 लाख।

(श्री चन्दन मल बैद)

यह नहीं है कि दूसरों के घाटे हमसे ज्यादा नहीं हैं, दूसरों के घाटे हमसे ज्यादा हैं लेकिन क्योंकि दूसरों ने इसको इस साल में कवर करने की कोशिश की और मैंने यह गैम्बल किया कि मैं कवर नहीं करूंगा और इस साल को मैं जीरो बजट से शुरू करूंगा, इसलिये हमको फायदा मिला, यह आपको मैं कहना चाहता हूं। आप मानें, ना मानें, आपकी मर्जी है।

अब वार्षिक योजना के बारे में जिक्र कर रहा था। एक पाइंट उसमें यह आया कि हम 23 हजार कुछ करोड़ का पिछले साल का कर्जा बताते हैं और आप कहते हैं कि रिजर्व बैंक की किताबों में 20 हजार कुछ कर्जा है। इसमें फर्क होना जरूरी था। ठीक है, गलत नहीं है। इस बात से ठीक है कि रिजर्व बैंक हमारे आंतरिक ऋणों और बाजार के ऋणों और पी.एफ, इंश्योरेंस के पैसे को ऋण में जोड़ती है। बाकी जो हमारा पर्सनल डिपोजिट अकाउंट है, उसको रिजर्व बैंक नहीं जोड़ती। ए.जी. जोड़ता है। इस वास्ते ए.जी. का जो सिस्टम है वह सिस्टम हमने अपनाया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज तक नहीं जोड़ा गया।

श्री चन्दन मल बैद : हमेशा जोड़ते हैं। हमेशा जोड़ते हैं। ए.जी.जो अकाउंट...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें कहां कर्ज का सवाल पैदा हो गया ?

श्री चन्दन मल बैद : यही इंश्योरेंस में भी है, यही पी.एफ. में भी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, वह पी.एफ, में तो हमारा पैसा है, इंटरेस्ट भी लेते हैं लेकिन पी डी. अकाउंट तो बिलकुल डिफरेंट है।

श्री चन्दन मल बैद : पी.एफ. और इंश्योरेंस भी एक ही बात है लेकिन ए.जी. जोड़ते हैं, इस वास्ते हमने जोड़ा है। रिजर्व बैंक में और हमारे में इस वास्ते से भी यह फर्क आ रहा है।

अब वित्त पोषण की बात आपने पूछी थी। मैं बताना चाहता हूं, स्टेट के अपने रिसोर्सेज हैं 3558 करोड़ 13 लाख। उसमें करेंट रेवेन्यू से बैलेंस है 1925.59 करोड़, प्लस है। दसवें फाइनेंस कमीशन के जो पैसे हमें मिलेंगे वे हैं 99 करोड़ 66 लाख कंट्रीब्यूशन आफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (—) 604.17 करोड़, आर. एस.आर.टी. सी.(—) 40 करोड़ 13 लाख, आर.एस.ई. बी.(—) 740 करोड़ 89 लाख; अदर्स का है (+) 176 करोड़ 85 लाख, प्रोविडेंट फंड्स इनक्लुडिंग इंश्योरेंस 1122 करोड़ 61 लाख, मिसलेनियस कैपीटल रिसीप्टस (—)341.03 करोड़, स्माल सेविंग्स(+)1500 करोड़, मार्केट बोरोइंग 789 करोड़ 37 लाख जो भारत सरकार ने मंजूर किया है प्लानिंग कमीशन में, नेगोशिएटेड लोन्स एण्ड अदर फाइनेंसेज 1617 करोड़ 28 लाख। कुल मिलाकर यह है। 1617 करोड़ में विगत है गवर्नमैंट के 27.5 करोड़ 8 लाख, आर.एस.ई.बी.के 998.39 लाख, आर.एस.आर.टी.सी. के 46 करोड़,

(श्री चन्दन मल बैद)

अदर एंटरप्राइजेज में 307.81 करोड़, डिबेंचर्स आर. एस. ई. बी. 400 करोड़, गवर्नमेंट ग्रू अदर एंटरप्राइजेज 900करोड़, कुल होते हैं यह 1617 करोड़।

इस तरीके से कुल ए.आर.एम. हमारा 762 करोड़ का और सेण्ट्रल असेट्स 1624 करोड़ 96 लाख। इसमें सेंट्रल असिस्टेंस जो है, मामूल है 656 करोड़ एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस फार एक्सीलरेटेड इरिगेशन प्रोग्राम 531 करोड़ 14 लाख, अदर्स के लिये 436 करोड़ 74 लाख। एग्रीगेट रिसोर्सेज5182 करोड़ 59 लाख और प्लान आउट-ले है 5022 करोड़ 18 लाख, सरप्लस रहता है 160 करोड़ 41 लाख, यह हमारा वित्त पोषण है। अब मैं यह बताना चाहता हूं कि किस-किस चीज में हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं।

एग्रीकल्चर एण्ड अलाइड सर्विसेज.... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने प्लानिंग कमीशन से 4750 करोड़ मंजूर कराये और यहां आपने कर दिया 5022 का, इसमें पी.एफ. के पैसे के सिवाय कोई दूसरा पैसा है क्या?

श्री चन्दन मल बैद : क्या फरमाया आपने?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पी.एफ. के पैसे के सिवाय और पैसा है या वही है?

श्री चन्दन मल बैद : समझा नहीं मैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने प्रोविडेण्ड फण्ड का पैसा लिया और....

श्री चन्दन मल बैद : प्रोविडेण्ड फण्ड भी है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन भी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, इस अंतर में पी.एफ. का पैसा आपने बढ़ाया, यही सही है न?

श्री चन्दन मल बैद : नहीं, यह तो सारा ही, मैंने विगम बता दिया आपको। पी.एफ. का भी है, इंश्योरेंस का भी है, सभी है वह तो।

एग्रीकल्चर एलाइड सर्विसेज रिवाइज एलोकेशन जो 98-99 का था वह 330 करोड़ 37 लाख था और 99-2000 का 355.91 करोड़ हो गया। अमाउण्ट इंक्रीज हो गया 25 करोड़ 54 लाख। 7.73 परसेंट की इंक्रीज है। रूरल डवलपमेंट में 273.24 करोड़ था रिवाइज्ड प्लान एलोकेशन में, अब हो गया 357 करोड़ 63 लाख, बढ़ गया 84.39 लाख। परसेंटेज इंक्रीज है 30.88 परसेंट। स्पेशल एरिया प्रोग्राम में घटा है। 57 करोड़ 91 लाख था, हमने किया है 56 करोड़ 97 लाख। यह 0.94 करोड़ कम हुआ है तो यह घटा है .07 प्रतिशत। इरिगेशन एण्ड फ्लड में 569करोड़ 85 लाख था रिवाइज्ड प्लान में और अब हुआ 664 करोड़ 71 लाख, 104 करोड़ 86 लाख बढ़ा है।

इसमें बढ़ोतरी हुई 18.73 प्रतिशत।

(श्री चन्दन मल बैद)

पावर में 846.81 करोड़ था वह बढ़कर हुआ 948 करोड़ 80 लाख, इसमें अमाउण्ट इन्क्रीज हुआ है 101 करोड़ 99 लाख। कुल इन्क्रीज परसेंटेज में है 12.07। इंडस्ट्रीज एवं मिनरल्स में 186.44 करोड़ था अब वह बढ़कर 207 करोड़ 6 लाख हो गया। इन्क्रीज हुआ है 20 करोड़ 62 लाख, 11.06 परसेंट। ट्रांसपोर्ट में 431.14 करोड़ था वह अब बढ़ाकर हमने किया है 653.10 करोड़, ट्रांसपोर्ट में रोड़ भी शामिल हैं। बढ़ोतरी हुई है 221.96 करोड़ की, यानि बढ़ोतरी इसकी हुई है 51.48 परसेंट। सोशल एण्ड कम्युनिटी सर्विसेज में 3.55 करोड़ था अब बढ़कर 4.96 करोड़ हो गया, बढ़ोतरी हुई है 91 लाख की, 25.63 परसेंट बढ़ा है। सोशल एण्ड कम्युनिटी सर्विसेज में 1259 करोड़ 97 लाख थी 1998-99 के प्लान में, अब वह बढ़कर हो गयी 1652 करोड़ 66लाख, 392 करोड़ 69 लाख बढ़ोतरी हुई है 31.17 प्रतिशत की।

मैं यह इस वास्ते कहना चाहता हूं कि सोशल सर्विसेज में बढ़ोतरी हुई है, इरिगेशन में बढ़ोतरी हुई है, पावर में बढ़ोतरी हुई है, ट्रांसपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है। मतलब जो कोर सेक्टर है, सोशल सर्विसेज के सेक्टर हैं उनमें बेतहाशा, जोरदार बढ़ोतरी की गयी है।

यह बात बजट में भी मैंने कही थी कि मेरी मंशा यह है कि पावर, इरिगेशन, सोशल सर्विसेज और टांसपोर्ट; इन सेक्टर्स में ज्यादा बढ़ोतरी करें जिससे हमारे जो साधन बने हुए हैं या साधन जो खराब हो गये हैं उनको हम सुधार सकें और जो हमारी सोशल सर्विसेज स्टार्व हो गयी हैं उनको ठीक किया जा सके। आखिर हो मुझे ऐसा कोई इलहाम नहीं हो गया है कि हजार मिडिल स्कूल क्यों खोलूं; 400 सैकण्डरी स्कूल क्यों खोलूं, 200 हायर सैकण्डरी स्कूल क्यों खोलूं।

मैं जानता था इस बात को कि आज गांव की लड़की मिडल क्लास में पढ़ने के लिए दूसरे गांव में नहीं जा सकती है। इस वास्ते कोशिश यह करूं कि जहां तक हो उस लड़की के नजदीक में मिडल स्कूल हो जाए।

हमारी मंशा यह है कि जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं उनमें अगर बच्चों की संख्या पूरी है तो हम धीरे-धीरे उन सारी प्राइमरी स्कूल्स को मिडिल स्कूल्स में क्रमोन्नत कर दें। हमारी यह भी मंशा है कि अगर बच्चों की संख्या पूरी है तो हर ग्राम पंचायत में एक सैकण्डरी स्कूल हम खोल दें।

अगर बच्चों की संख्या पूरी न हो तो हर पंचायत समिति में इतने हायर सैकण्डरी स्कूल हम खोल दें ताकि उस पंचायत समिति के बच्चों और बच्चियों को इधर-उधर नहीं भटकना पड़े। इस लक्ष्य के साथ हम चल रहे हैं।

इस वास्ते यह मत समझिये। हमारी झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने

(श्री चन्दन मल बैद)

कहा कि पार्लियामेंट के चुनाव देखकर आप यह कर रहे हैं, पार्लियामेंट का चुनाव नहीं होगा तो क्या करेंगे।

मैंने जवाब दिया था अपने बजट विवाद के वक्त में कि इस साल जितना किया है, चुनाव और नो चुनाव, अगले साल सोशल सर्विसेज में इससे ज्यादा करूंगा।

मैं केवल आपका सहयोग चाहता हूं। आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि न केवल सोशल सर्विसेज में बढ़ोतरी दूंगा बल्कि यह भी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं इस खराब हुई वित्तीय स्थिति को वापस ट्रैक पर लाऊंगा। ये दोनों विश्वास मैं सदन को दिलाना चाहता हूं।

इन दोनों विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आप कहेंगे कि आप क्या करेंगे, किस तरीके से इसको करेंगे ? यह मैं आगे बताना चाहता हूं।

श्री जनार्दन गहलोत : यह तो छुपा कर रखा।

श्री चन्दन मल बैद : छिपाकर रखने की कोई बात नहीं है।

पहला पाइंट आप कहेंगे कि आपको क्या भरोसा होगा ? मैंने जितने स्टेट्स के वित्त मंत्री हैं उनको पत्र लिखा है कि 11वां वित्त आयोग आ रहा है, वह सिफारिश करे उसके पहले हम सारे वित्त मंत्री इस बात के लिए अपना मैमोरेंडम उनको दें कि जो भारत सरकार का कर्जा हमारे ऊपर है, भारत सरकार जो हमसे ब्याज ले रही है उसका रिशिड्यूलिंग हो, कुछ माफ हो।

आप कहेंगे कि क्या सम्भव है ? अगर 1010 करोड़ रुपये सम्भव है तो यह भी सम्भव है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। वित्त आयोग ने पहले भी ऐसा किया है। आपको मालूम है, आप तो ज्ञाता हैं इस बात के। अब भी कर सकता है ऐसी बात नहीं है। इसके कारण हैं।

एक कारण यह है कि दसवें वित्त आयोग ने पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश आने वाली थी फिर भी उसको कंसीडरेशन में नहीं लिया। हम कहेंगे कि दसवें वित्त आयोग ने इसको कंसीडरेशन में नहीं लिया इस वास्ते इस पांचवें वेतन आयोग का जो इफैक्ट हमारे ऊपर पड़ा है उसको कंसीडर करें और करके जो हमारे ऊपर जो कर्जा आ गया है सारे स्टेट्स पर, उसको करें। यह लॉबी बना रहे हैं हम।

यह लॉबी बनाने से मैं समझता हूं कि यह जो बात मैं कह रहा हूं उस पर जरूर विचार होगा। यह तो हम 11वें वित्त आयोग से और भारत सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि अगर सारे राज्य मिलकर जोरदार पैरवी करेंगे तो यह मेरे ही फायदे की बात नहीं होगी। ऐसी कोई स्टेट नहीं है जो आज भारत

(श्री चन्दन मल बैद)

सरकार के कर्जे के नीचे न हो और उनके ब्याज के कारण से उनका रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ नहीं रहा हो। सबके साथ है।

मैंने रेवेन्यू डेफिसिट के फिगर्स आपको बताये हैं। सबके रेवेन्यू डेफिसिट इसी कारण से बढ़ रहे हैं। यह नहीं कि हमारा ही रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ा है। हमारा तो कुछ कम बढ़ा है दूसरों के ज्यादा बढ़े हैं, तो सब लोग इससे पीड़ित हैं।

अभी सी. पी. एम. के माननीय सदस्य मौजूद नहीं हैं, असीम दास गुप्ता जी जो वित्त मंत्री हैं वैस्ट बंगाल के, सबसे अनुभवी और सबसे पुराने वित्त मंत्री हैं, 12 साल से बराबर वित्त मंत्री रह रहे हैं वहां पर, मैंने उनको भी पत्र लिखा था। वे नेशनल डवलपमैंट कौंसिल की मीटिंग में मुझे मिले।

उन्होंने कहा कि मैं आपके पत्र से बिलकुल एक–एक शब्द समर्थित हूं, उसका समर्थन करता हूं और मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि आप कलकत्ता आएं, हम दोनों मिलकर इन सारी बातों पर चर्चा करें। मैं ही यह नहीं कहता हूं, कम्युनिस्ट स्टेट भी, बी.जे.पी. के स्टेट भी और दूसरे स्टेट भी एकमत हैं इस बात में। तो मैं समझता हूं कि सभी मिलकर इसका प्रभाव डालेंगे तो इसका जरूर असर होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल यही नहीं कि मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि टैक्स लगा दूं। आपने कहा कि इतने ज्यादा टैक्स आज तक राजस्थान में लगे हो नहीं, ठीक है। आपके अपनी जगह अपने विचार ठीक हैं।

मैं आपसे इस विषय में विवाद नहीं करना चाहता। लेकिन यह भी आप कहेंगे कि नॉन टैक्स रेवेन्यू भी राजस्थान में इतनी ज्यादा बढ़ाने की कभी कोशिश नहीं की गयी। 200 करोड़ रुपये इंदिरा गांधी नहर की जमीन का आवंटन करके, उन नियमों के अनुसार जो नियम आपने बनाये थे। उनके अनुसार 200 करोड़....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो बेचिये।

श्री चन्दन मल बैद : बेचने की बात मैंने नहीं कही है; मैंने आवंटन की बात कही है। जिस तरीके से आवंटन आप कर रहे थे वही आवंटन मैं कर रहा हूं। उस आवंटन से 200 करोड़ रुपये वसूल करूंगा। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि 200 नहीं यह तो 500 करोड़ होंगे।

मैं तो नीचे का फिगर ले रहा हूं। कनवर्जन आफ लैण्ड, बहुत–से लोग आज परेशान हो रहे हैं, एग्रीकल्चर की लैण्ड में मकान बना लिया। आप झोंपड़ी भी नहीं तोड़ सकते, मकान किसका तोड़ देंगे? मकान बना लिया वह चाहता है कि हमने जो मकान बना लिया है उसका पट्टा मिले। हम भी चाहते हैं कि उनको पट्टा मिल जाए, उनकी परेशानी खत्म हो जाए और हमको कम से कम उसकी कुछ रेवेन्यू मिल जाए, कनवर्जन मिल जाए।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के अन्दर ही आपने सारी लाइबिलिटी फिक्स अप कर दी और इस साल बच गए। यह तो सब जानते हैं चन्दन मलजी।

श्री चन्दन मल बैद : वह चतुराई थी, बेइमानी तो नहीं थी?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बेइमानी नहीं की, आपने पेमेंट कर दिया।

श्री चन्दन मल बैद : यह आप मान गए कि आपके पास चतुर वित्त मंत्री नहीं था, यह तो मान गए न आप?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, चतुराई के बारे में नहीं कहता, चतुराई तो यह कोई भी कर सकता है। आप अगले साल की लाइबिलिटी को पिछले साल पर डाल-कर बजटीय घाटा ज्यादा बता दें, यह कोई तारीफ की बात नहीं है।

श्री चन्दन मल बैद : जो चतुराई मैंने की तो मैं भी उसी चूरू जिले का हूं जिसके आपके वित्त मंत्री थे। आप प्रकारांतर से यह कहना चाहते हैं कि आपके वित्त मंत्री चतुर नहीं थे, आप चतुर हैं, धन्यवाद आपको इस कमैण्ट के लिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि चतुराई हो लेकिन उस चतुराई के साथ फाइनेंशल नार्म्स होने चाहिए, आपने फाइनेंशल नोर्म्स का वाय-लेशन किया है।

श्री चन्दन मल बैद : इसकी शिकायत कीजिए भारत सरकार को आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शिकायत करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो आपको कह दिया। आपकी चतुराई के बारे में मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ टैक्सेज के बारे में कहना चाहता हूं। मुझे पढ़कर ही सुनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है।

दिनांक 26 मार्च, 1999 को सदन में बजट प्रस्तुत करने के पश्चात शासन को जन प्रतिनिधियों, विभिन्न व्यापार व उद्योग संघों की ओर से सुझावों के साथ प्रस्तावों के बाबत कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए। इन अभ्यावेदनों का परीक्षण तथा उद्योग व व्यापार संघों तथा सदन में समय-समय पर व्यक्त सुझावों पर विचार विमर्श के उप-रान्त कर प्रस्तावों के सम्बन्ध में मैं निम्ना-नुसार संशोधन प्रस्तावित करता हूं:-

विभिन्न व्यापार व उद्योग संघों द्वारा यह मांग की गई है कि कर की कम्पोजीशन स्कीम को पुनः लागू किया जाए। इस मांग को दृष्टिगत रखते हुए ऐसी व्यवस्था लागू करने का विचार है जिसमें अनावश्यक विभागीय दखलन्दाजी व कारोबार में रुकावट न हो।

अतः खाण्डसारी तथा सर्राफा व स्वर्णा-भूषणों के लिए कर कम्पोजीशन योजनाओं को कुछ संशोधनों के साथ पुनः लागू किया

(श्री चन्दन मल बैद)

जा रहा है। ईंट भट्टों के लिए कम्पोजीशन स्कीम का सरलीकरण किया जा रहा है तथा रत्न और जवाहरात के लिए नई कम्पोजीशन योजनाएं लागू की जा रही हैं। साथ ही यह भी तय किया गया है कि यदि कोई व्यवसाय व उद्योग संवर्ग अपने व्यवहारों के सम्बन्ध में कम्पोजीशन व्यवस्था में आना चाहेंगे तो सरकार उन प्रस्तावों पर खुले दिमाग से विचार करेगी।

वित्त विधेयक के अन्तर्गत यह प्रस्तावित है कि परिवहनकर्ता (ट्रांसपोर्टर) यदि माल के प्राप्तिकर्ता के बारे में सूचना नहीं देता है तो ट्रांसपोर्टर को व्यवहारी मान लिया जाएगा, डीलर मान लिया जाएगा।

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे प्रकरणों में परिवहनकर्ता को केवल उस माल के लिए व्यवहारी माना जाएगा जिसके प्राप्तिकर्ता का पता नहीं बताया जा रहा है। अन्य प्रयोजनों हेतु परिवहनकर्ता को व्यवहारी नहीं माना जाएगा। साथ ही यदि वह ट्रांसपोर्टर उस कन्साइनमैंट के ऊपर देय कर देने को तैयार नहीं होता है तो उस कन्साइनमैंट के माल को आयुक्त, वाणिज्यिक कर नीलाम कर प्राप्त राशि को राज्य खजाने में जमा कर सकेगा।

प्रपत्र 18 (अ) के सम्बन्ध में व्यक्त कठिनाइयों के निराकरण हेतु एक अधिसूचना जारी की जा रही है जिसके अंतर्गत कुछ ऐसी वस्तुएं जो मैन्यूफैक्चरिंग हेतु आवश्यक हैं या जो आम उपयोग की वस्तुएं हैं, उन्हें अधिसूचित वस्तुओं की सूची से हटाया जा रहा है।

इसी प्रकार इण्डिया मिक्स, बुलियन, पावर ट्रांसफार्मर, खादी इकाइयां, एरिअेटेड/मिनरल वाटर इकाइयों तथा स्टेनलैस स्टील इकाइयों के सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकारक अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं ताकि इन वस्तुओं पर करारोपण के सम्बन्ध में भ्रांतियों को दूर किया जा सके।

राज्य से व्यापार पलायन रोकने तथा कर दरों का सुसंगतीकरण करने की दृष्टि से मैं निम्नानुसार प्रस्ताव करता हूं:--

(18.00 बजे)

टायर ट्यूब पर कर दर को 31 मार्च, 2000 तक के लिए 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाए। मोटर पार्ट्स एवं एक्सेसरीज (मय दो पहिया वाहनों के पार्ट्स) पर कर दर को 31 मार्च, 2000 तक के लिए 8 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया जाए। बियरिंग पर कर दर को 31 मार्च, 2000 तक के लिए 6 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया जाए।

प्लास्टिक उत्पाद तथा मोल्डेड फर्नीचर पर कर दर को 31 मार्च, 2000 तक के लिए 12 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया जाए। टैस्टिंग व मेडिकल तथा सर्जीकल इक्विपमैंट्स पर कर दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया जाए। जूतों पर लागू 10 प्रतिशत की कर दर को घटाकर 8प्रतिशत कर दिया जाए।

(श्री चन्दन मल बैद)

रेडिमेड वस्त्रों तथा होजरी पर लागू 4 प्रतिशत की कर दर को घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया जाए। नान फैरस मैटल स्क्रैप पर लागू कर दर को 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया जाए। इसी प्रकार पोस्तदाने पर लागू कर दर को 31 मार्च, 2000 तक के लिए 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया जाए। बिजली के तार व केबल पर लागू कर दर को 31 मार्च, 2000 तक के लिए 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाए। प्रेशर कुकर, आटा चक्की, हैण्ड पम्प, ऐल्यूमिनियम फाइल, मोल्डेड लगेज, ब्रीफकेस, सूटकेस, गद्दे, तकिये पर लागू कर दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाए।

कुटीर उद्योग की महत्ता को देखते हुए तंबाकू रहित चूरी को कर–मुक्त किया जा रहा है। मानसिक रूप से विमंदित बच्चों के काम आने वाली राज्य में ही निर्मित आयुर्वेद औषधि "लरनोल प्लस" को भी करमुक्त किया जा रहा है। अरंडी के बीज को भी पूर्णतया कर-मुक्त किया जा रहा है। ग्रे क्लाथ पर 2 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया था, अब यह प्रस्तावित है कि ग्रे क्लाथ को 31 मार्च, 2000 तक के लिए करमुक्त कर दिया जाए।

पंजीयन एवं मुद्रांक कानून से संबंधित सुझावों के परीक्षण व विचार के पश्चात् निम्नानुसार संशोधन प्रस्तुत हैं :—

राजस्थान सरकार, जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल, नगर विकास न्यास तथा नगर पालिकाओं द्वारा आवंटित/विक्रीत अचल संपत्तियों का पंजीकरण यदि दिनांक 30 सितम्बर, 1999 तक करवा लिया जाता है तो बाजार मूल्य के स्थान पर वास्तव में दी गई राशि के आधार पर मुद्रांक शुल्क की गणना की जाएगी तथा इन पर 6 प्रतिशत की रियायती दर पर ही मुद्रांक शुल्क लिया जाएगा। रीको के संदर्भ में यह रियायत दिनांक 31 मार्च, 2000 तक के लिए लागू होगी।

वित्त विधेयक के अन्तर्गत यह प्रस्तावित किया गया था कि इकरारनामों पर रु. 100/– के स्थान पर भूमि के बाजार मूल्य के 3 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क देय होगा तथा 6 माह के अन्दर पंजीयन करवाने पर सैट आफ देय होगा। अब यह प्रस्तावित है कि बाजार मूल्य के स्थान पर इकरारनामों में तय की गई विक्रय राशि का ही 3 प्रतिशत राशि के बराबर मुद्रांक शुल्क देय होगा। सैट आफ हेतु 6 माह की अवधि को बढ़ाकर 3 वर्ष किया जा रहा है।

मुख्त्यारनामों के संबंध में जारी की गई अधिसूचनाओं को इस प्रकार संशोधित किया जा रहा है कि 6 माह के स्थान पर तीन वर्ष तक की अवधि तक के लिए मुख्त्यारनामों का पंजीयन करवाया जा सकेगा तथा प्रथम श्रेणी के रिश्तेदारों के पक्ष में मुख्त्यारनामे ऐसी सम्पत्ति के बारे में भी पंजीयन हेतु मान्य होंगे जो पंजीयक/

(श्री चन्दन मल बैद)

उप पंजीयक के क्षेत्राधिकार से बाहर हो।

किसी पार्टनर के परिवर्तन के फलस्वरूप की जाने वाली पार्टनरशिप डीड में अब केवल 100-- रुपये मुद्रांक शुल्क ही देय होगा।

26 मार्च, 1999 को एक अधिसूचना जारी की गई थी कि पंजीयन हेतु प्रपत्र प्रस्तुत करते समय सम्पत्ति के बाजार मूल्य के अनुसार देय मुद्रांक शुल्क का कम से कम 75 प्रतिशत भुगतान करना होगा। अब इस राशि को 75 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत किया जा रहा है।

औद्योगिक क्षेत्रों में रीको तथा आर. एफ.सी. द्वारा आवंटित भूखण्डों पर निर्मित भवनों पर भूमि एवं भवन कर की गणना हेतु भवन का मूल्य रीको/आर.एफ.सी. द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।

हालांकि इस वर्ष के बजट प्रस्तावों में भूमि एवं भवन कर की दरों तथा करारोपण प्रक्रिया में कोई संशोधन नहीं किये गये थे फिर भी इस विषय पर अनेकों अभ्यावेदन एवं सुझाव प्राप्त हुए हैं। सुझावों पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि करारोपण प्रक्रिया के सरलीकरण व सुसंगतिकरण हेतु एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाए।

सिंचाई के साधनों का संधारण सुचारू रूप से करने हेतु वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए मेरे द्वारा बजट में सिंचाई दरों में 100 प्रतिशत बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई थी। इस विषय में माननीय सदस्यों द्वारा अपने विचार सदन में रखे गये। अतः उनके सुझावों का आदर करता हुआ और इस भावना से कि काश्तकारों पर अधिक भार एकदम नहीं पड़े, मैंने इस प्रश्न पर विवेचना के उपरांत सिंचाई दरों को व्यावहारिक व सुसंगत बनाने की चेष्टा की है।

अतः चना, जौ, गोचनी, दालें, सब्जी, बाजरा, ज्वार, मक्का, ग्वार आदि पर सिंचाई दर 100 प्रतिशत से घटाकर केवल 50 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही थी कि कोई भी इस बजट पर गर्व नहीं कर सकता। मैं गर्व नहीं कर रहा हूं, मुझे गर्व करने का कोई अधिकार भी नहीं है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सामाजिक सेवाओं में जो बढ़ोतरी दी गई है, समाज कल्याण के क्षेत्र में जो बढ़ोतरी दी गई है, सड़क, बिजली, इरिगेशन के क्षेत्र में जो बढ़ोतरी दी गई है और उसके बावजूद भी बजट को जो संतुलित किया गया है, मैं कहता हूं आने वाले वर्षों के लिए यह बजट मार्ग-दर्शन के रूप में काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसको पारित किया जाए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मंत्रीजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : बैठिए, बैठिए, बीच में नहीं।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) :- आपने कहा था सिंचाई की दरों के बारे में, उसका क्या हुआ ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं । श्रवण कुमार जी, बैठिए । आसन पैरों पर है ।

श्री श्रवण कुमार : किसानों के 20 हजार से 40 हजार करने का क्या हुआ ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

विधेयक का पारण

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या- 4) विधेयक, 1999 को पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 1999 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 1999 पारित किया गया ।

सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक 23 अप्रैल, 1999 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.08 बजे शुक्रवार, 23 अप्रैल, 1999 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(श्री हनुमान प्रसाद)

बाण्डेड लेबर आप कहीं भी देख लें, ज्यादातर अनुसूचित जाति और जनजाति के या पिछड़े वर्ग के मिलेंगे।

इसी तरह से अन्य जो भी घटनाएं मानवाधिकारों के हनन की होती हैं वे इन्हीं जातियों से सम्बन्धित हैं। मानवाधिकार आयोग के गठन में, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन सभी जातियों का उस आयोग में रिप्रजेंटेशन हो ताकि समाज का बहुत बड़ा तबका मूलभूत अधिकारों के उल्लघंन के सम्बन्ध में संवेदनशील हो सके।

इस समय अनुसूचित जाति-जनजाति के कल्याण की जो योजनाएं चल रही हैं डी.आर.डी.ए. के माध्यम से, अनुसूचित जाति-जनजाति वित्त और विकास निगम के माध्यम से, उन योजनाओं में ऐसा लगा मुझे कि जहां क्रियान्वयन है उस स्तर पर औपचारिकता मात्र निभाई जा रही है और जो संदेश जाना चाहिए इस बड़े तबके के उत्थान का; वह नहीं पहुंच रहा है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। खास तौर से अनुसूचित जाति-जनजाति वित्त और विकास निगम को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। निगम में केन्द्रीय सहयोग से विभिन्न योजनाओं के रूप में जो धनराशि उपलब्ध होती है, यदि उसे बैंक में जमा कराकर ब्याज कमाया जाए तथा उससे निगम चले तो बहुत-सी योजनाओं में विलम्ब से बचा जा सकता है।

मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस निगम को राजकीय सहयोग

(15.50 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मिले, जो पहले मिलता रहा है। पिछले कुछ सालों से बंद हो गया है और निगम ऐसी स्थिति में आ गया कि उन्हें जो केन्द्रीय धन राशि मिलती है कार्यक्रमों के लिए, अनुसूचित जाति-जनजाति के कल्याण के लिए, उसे बैंकों में बंधक बनाने की जरूरत पड़ गई। यह जरूरत नहीं रहे, इसके लिए कारगर कार्यवाही की जानी आवश्यक है।

अंत में मैं आरक्षण की व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। यह सदन इस प्रदेश का सर्वोच्च सदन है, इस सदन की गरिमा बनी रहे; सदन में किसी जाति के आधार पर जो व्यवस्थाएं संविधान में हैं, उनका मखौल नहीं उड़ाया जाए, इसके लिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा।

पूर्व में एक माननीय सदस्य ने कहा कि आरक्षण खैरात है। यह बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। आरक्षण किसी भी आधार पर खैरात नहीं कहा जा सकता है। समाज की जो विकृति है, वर्तमान समाज और हमारा जनतंत्र, उसे सुधारने की कोशिश कर रहा है। बहुत कुछ होना

(श्री हनुमान प्रसाद)

चाहिए था, 50 वर्षों में भी आज यह अवस्था है। आज समानता तो दूर रही, जाति के आधार पर तिरस्कार होता है। ऐसी अवस्था में आप यह कहेंगे कि यह खैरात बांटी जा रही है?

इस तरह की जो भावनाएं हैं माननीय सदस्यों की, उसके लिए मैं उनका विरोध करता हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह खैरात नहीं बल्कि यह पिछड़े और उपेक्षित समाज का एक तरह से अधिकार है और उससे भी अधिक होना चाहिए। पिछले कुछ सालों से जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें व्यवधान आया है। खास तौर से सीधी भर्ती और पदोन्नति के मामलों में रोस्टर को विकृत कर दिया गया है, न्यायालयों के निर्णयों के आधार पर जो संभवतः राजस्थान में तो लागू नहीं होते। इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने आरक्षण की नीति में आ रही कठिनाइयों को दूर करने का आश्वासन दिया है। आरक्षण के बारे में यूनिवर्सिटी और कुछ निगमों में पालना नहीं हो रही है तथा किसी कारण से एडहाक नियुक्तियां होने के बाद उन्हें रेगुलर कर दिया जाता है। इस कारण आरक्षण का प्रतिशत एक या दो से ऊपर नहीं उठ पाया है। तो इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

अंत में एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था के लिए घोषणा पत्र में आश्वासन है। पी. एम.टी. में 8 और 6 प्रतिशत अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए आरक्षण है और वेटरिनरी कालेज में 15 और 7½ प्रतिशत आरक्षण है, जो केन्द्र का प्रतिशत देखकर शायद यहां पर लागू किया होगा जबकि राजस्थान में अनुसूचित जाति-जनजाति का आरक्षण 16 और 12 प्रतिशत है। मैं मांग करता हूं कि पी.एम.टी. और वेटरिनरी की शिक्षा में 16 और 12 प्रतिशत का आरक्षण अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए किया जाए।

अंत में एक बात और कहना चाहूंगा। आरक्षण के सिलसिले में अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़े वर्ग की भर्तियों में बहुत बैकलाग चल रहा है अलग-अलग सेवाओं में और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों में कहीं पर पाबन्दी नहीं है कि बैकलाग को स्पेशल रिक्रूटमेंट से नहीं भरा जाए।

मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में अनुसूचित जाति-जनजाति और ओ.बी.सी. का जो बैकलाग है भर्तियों में, उसकी पूर्ति स्पेशल रिक्रूटमेंट के माध्यम से की जाए।

अंत में मैं इस विनियोग विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो प्रावधान एक साधारण व्यक्ति का समाज में स्तर उठाने के लिए

(श्री हनुमान प्रसाद)

रखे हैं, उनके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। आपने समय दिया, उसके लिए आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर किरोड़ी लाल।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने जो अपना मेनिफेस्टो जारी किया था। उस मेनिफेस्टो में....

श्री रतन लाल ताम्बी : गीता है।

डा. किरोड़ी लाल : गीता नहीं, बाईबिल है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, बोलने दो।

डा. किरोड़ी लाल : भा.ज.पा. शासन ने राज्य की अर्थ व्यवस्था को चौपट कर डाला, इसमें पूरा विवरण दिया है। जब ये राज में आ गये, सत्ता में आ गये और एक नहीं 153 प्रचंड मतों को लेकर आ गये तो, उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने श्वेत-पत्र का शोर मचाया कि हम श्वेत-पत्र जारी करेंगे। श्वेत–पत्र की मंशा केवल इतनी थी कि जनता में इस ढंग का मैसेज दिया जाय, इस ढंग का हौवा खड़ा किया जाए कि हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति बिलकुल चरमरा गई है और उस आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने में पूर्ववर्ती सरकार का हाथ है।

यह श्वेत-पत्र जो जारी किया है चन्दन मल जी बैदजी ने, कई बार चूरू से आने वाले माननीय सदस्य कहते रहते हैं कि वे वित्त के कीड़े हैं। इन वित्त के कीड़े ने जिस ढंग का बजट अब तक रखा है, हमने बहुत बड़े-बड़े बजट देखे हैं, मैं 1985 से तो विधान सभा में आ रहा हूं, इनके बजट रखने के बाद में जितना राजस्थान के सब वर्गों में असंतोष पैदा हुआ, अब तक जितने वित्त मंत्रियों ने बजट रखे, मेरे को अन्दाज नहीं है कि इतना जबरदस्त असंतोष राजस्थान की जनता में कभी पैदा हुआ हो।

उपाध्यक्ष महोदय, उसका हुआ क्या ? पहले तो विधान सभा पर प्रदर्शन करने के लिए जौहरी आये, उन जौहरियों को लाठी देकर भगाया। उसके बाद में वकील आये, वकीलों पर लाठी चार्ज किया। घणे ही घायल हो गये। 28 सगठनों के लोग आये, वे भी पिट–पिटाकर चले गये। सबको घायल करके चन्दन मल जी ने अपने अपने घर भेज दिया। इन्होंने तर्क क्या दिया ? जब हमने यहां पर पूछा कि बाहर वकील लोग पिट रहे हैं, लाठियां पड़ रही हैं, वकील लहूलुहान हो रहे हैं तो यहां पर तर्क दिया हमारे राठोड़ साहब ने कि आपके राज में आपने चन्दन मल जी पर लाठियां मारी थीं, इसलिए हम इनका गिन-गिन कर, चुन–चुन कर सबसे बदला लेंगे।

(16.00 बजे)

श्री खेतसिंह राठोड़ (विधि मंत्री) : यह इसलिए तो आपने जोड़ा है, हुजूर। मेरा यह मतलब नहीं था, ऐसा हमने कहा भी नहीं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : ऐसा किसी ने नहीं कहा। ऐसा नहीं कहा गया।

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

(व्यवधान) बिलकुल गलत है, ऐसा बिलकुल नहीं कहा गया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : आपने कहा था उस दिन।

श्री मदन दिलावर : पैरों में घुस करके फोटो खिचवाये थे।

श्री चन्दन मल बैद : यह गलत कह रहे हैं आप, सही नहीं कह रहे हैं। ऐसा नहीं कहा था। यह कहा था कि आपने भी चन्दन मल बैद के लाठियां मारी थीं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : इसीलिए बदला ले रहे हो ?

श्री चन्दन मल बैद : नहीं, इसलिए नहीं कहा था। गलत है यह। गलत बात मत कहिये आप। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, इनके लातें नहीं पड़ी थीं। इन्होंने तो टांगों में घुस करके फोटो खिचवाया था+++ करने के लिए। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : इतना असत्य मत बोलो।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, पहले इन्होंने श्वेत पत्र जारी किया। खेतसिंहजी हां कर रहे हैं। इस श्वेत पत्र को मैं कोई अहमियत नहीं समझता। अहमियत क्यों नहीं समझता ? ये जिस ढंग से श्वेत पत्र पब्लिक के सामने लाये, हमारे सामने लाये उससे ऐसा लगता है कि राजस्थान हाई फिस्कल स्ट्रैस में है, जबरदस्त राजकोषीय दबाव में है। इनके उस श्वेत पत्र से यह भाव उजागर होकर आता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : श्वेत पत्र में तो सिर्फ फिगर्स लिखे हुए हैं। श्वेत पत्र में यह थोड़े ही लिखा है कि फाइनेंशल स्ट्रैस में है या नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल : व्यासजी, मैं बता रहा हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह ठाकुर भैरोंसिंहजी ने जहांनशीं आपको मुकर्रर कर दिया है, कंवर साहब श्री, आप वहां विराजे हुए हैं टांग पर टांग डालकर...

मोहम्मद माहिर आजाद : यह सीट तो देवेन्द्र सिंह जी की, माननीय उपाध्यक्षजी की थी।

डा. किरोड़ी लाल : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा था....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : डाक्टर साहब, एक सैकण्ड। खेतसिंह साहब....

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : खेतसिंह साहब, आप आज किरोड़ी लालजी को अगर गुस्सा न करने दो तब तो आपकी कामयाबी है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : खेतसिंह साहब, जिनका आप जिक्र कर रहे थे न, वह तो है वह, लेकिन कहीं यह न हो कि आप राठौड़ों से जेलेसी करते हो।

डा. किरोड़ी लाल : नरेन्द्र सिंहजी तो आपस में राठौड़ों में तलवार निकलवाना चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू डेफिसिट, राजकोषीय घाटा है, ब्याज की देनदारियां हैं और जो बकाया कर्जा है उसको लेकर राजस्थान की सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया, उससे तात्पर्य यह निकलता है कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही नहीं है। बकाया देनदारियों की दृष्टि से मार्च, 98 और मार्च, 99 के अंत तक, मैं कुछ फिगर्स आपको प्रस्तुत करूंगा जिससे आपको यह दर्शाऊंगा कि इन डेफिसिट के बारे में पूरे हिन्दुस्तान में राजस्थान का छठे नम्बर पर स्थान है।

बकाया देनदारियां मार्च, 99 के अंत तक बजट के अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश की हैं 47,604 करोड़, जो 14.2 प्रतिशत बैठता है, महाराष्ट्र की हैं 30,999 जो 9.2 प्रतिशत बैठता है, पश्चिम बंगाल की हैं 27,499 जो 8.2 प्रतिशत बनता है, बिहार की हैं 23,748 करोड़ जो 7.1 प्रतिशत बैठता है, आंध्र प्रदेश की हैं 22,850 करोड़ जो 6.8 प्रतिशत बैठता है और, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की हैं 20,655 करोड़ जो 6.1 प्रतिशत बैठता है और मध्य प्रदेश की हैं 20,178 करोड़ जो 6 प्रतिशत बैठता है। देनदारियां, इस हिसाब से राजस्थान छठे नम्बर पर है।

सबसे ज्यादा हाई फिस्कल डेफिसिट माना जाए जो 14.2 प्रतिशत बनता है, वह उत्तर प्रदेश का है और जो फाइनेंस के एक्सपर्ट्स कहे जाते हैं उन फाइनेंस के एक्सपर्ट्स के हिसाब से उत्तर प्रदेश भी हाई फिस्कल स्ट्रैस में नहीं है, उत्तर प्रदेश भी केवल फिस्कल अलार्म की श्रेणी में आता है। वित्त के विशेषज्ञ इस बात को कहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू रिसीट और बकाया की देनदारी अगर पचास प्रतिशत से नीचे चली जाए तो वह राज्य फिस्कल स्ट्रैस की स्थिति में आता है और वह राज्य है उड़ीसा जिसमें 40.7 प्रतिशत रहा, पंजाब जिसमें 40.7 प्रतिशत है, उत्तर प्रदेश जिसमें 42.9 प्रतिशत है, वैस्ट बंगाल जिसमें 43.4 प्रतिशत है, बिहार जिसमें 49.5 प्रतिशत है।

राजस्थान में राजस्व प्राप्तियां राज्य की कुल बकाया देनदारियों का 52 प्रतिशत रही हैं, इसलिए बीजेपी के राज में हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति अत्यन्त ही संतोषजनक रही है। श्वेत पत्र में जो इन्होंने कहा है कि राजस्थान का राज हाई फिस्कल स्ट्रैस में आ चुका है वह बिलकुल गलत है।

(डा. किरोड़ी लाल)

श्वेत पत्र में जो इन्होंने बात लिखी है, एकदम असत्य है, हमारी पूर्ववर्ती सरकार को बदनाम करने की दृष्टि से है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ये जो डेटा दिये हैं ये रिजर्व बैंक के डेटा हैं और जो वित्त विभाग ने डेटा इकट्ठे किये थे उनके आधार पर हैं। इन डेटाज को तोड़-मरोड़ कर इन्होंने कहा कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति चरमरा गई और उसके लिए पूर्व राज दोषी है। रिजर्व बैंक के डेटा के अनुसार हमारी पूर्व राज्य सरकार किसी प्रकार से दोषी नहीं है, हमारे समय पर हमारे राज की स्थिति एकदम संतोषजनक थी, मैं इसके आधार पर आपको निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो व्हाइट पेपर आपने बाहर प्रकाशित किया है उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखवा दें। बहुत छोटी-सी रिक्वेस्ट है, व्हाइट पेपर की एक प्रति सदन की मेज पर रखवा दें।

श्री चन्दन मल बैद : वैसे मैंने हर माननीय सदस्य को एक-एक कापी भेज दी....

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह दी है, लेकिन सदन की मेज पर रखवाने की बात कह रहा हूं।

श्री चन्दन मल बैद : रखवा दूंगा। शायद आपको तो प्रति मिल गई होगी, आपके सारे कागजों के साथ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : प्रति तो मेरे पास पांच पड़ी हैं, लेकिन वे सदन की मेज पर रखी हुई नहीं हैं।

श्री चन्दन मल बैद : रखवा देंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आज ही रखवा दें।

श्री चन्दन मल बैद : आज तो मेरे पास है नहीं जो रखवा दूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं दे देता हूं, आप रख दीजिये।

श्री चन्दन मल बैद : नहीं, नहीं, मैं रखवा दूंगा, कल रखवा दूंगा।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, श्वेत पत्र के जरिये इन्होंने एक बवंडर मचा दिया। शोर इस बात का मचाया कि कर्जा बहुत ले लिया और पहले वाली सरकार पूरे खजाने को खाली कर गई। उपाध्यक्ष महोदय, हमने कोई खजाना खाली नहीं किया। राजस्थान में जितनी परिसम्पत्तियां इस आठ साल के शासन में बनी हैं, वे चालीस साल के शासन में नहीं बनीं। श्वेत पत्र में जो इतनी परिसम्पत्तियां विकसित की गयी हैं, उनका ब्योरा कहीं नहीं दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, श्वेत पत्र में फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटे के आंकड़े दिये गये हैं, आर.बी.आई. प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, आर.बी.आई. हर वर्ष जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है उससे इनके

(डा. किरोड़ी लाल)

श्वेत पत्र के आंकड़े मेल नहीं खाते। आर. बी. आई. ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये, मैं आपके सामने सदन में बताना चाहता हूं।

सकल राजकोषीय घाटा 1991 में 540 8, सकल राज्य घरेलू उत्पाद 20710.1और उसका प्रतिशत बैठता है2.6 परसेंट और इन्होंने श्वेत-पत्र में लिखा है उसको 5.5 परसेंट। 1991-92 में सकल राजकोषीय घाटा 792.5 करोड़ और सकल राज्य घरेलू उत्पाद 23011.6 जो आर. बी. आई. की रिपोर्ट के हिसाब से बैठता है 3.4 परसेंट और इन्होंने अपने श्वेत-पत्र में बताया है 5.5 परसेंट।

1992-93 में यह सकल राजकोषीय घाटा 1198.7 करोड़ और सकल राज्य घरेलू उत्पाद 27046.9, आर. बी. आई. की रिपोर्ट के अनुसार यह बैठता है 4.3 परसेंट और इनके श्वेत-पत्र में लिखा है 5.6 परसेंट। 1993-94 में सकल राजकोषीय घाटा है 1470.1 करोड़ और सकल राज्य घरेलू उत्पाद 28536.0, आर. बी. आई. की रिपोर्ट के अनुसार 5.2 परसेंट और इनके श्वेत–पत्र में लिखा है 6.12 परसेंट। 1994-95 में सकल राजकोषीय घाटा 1762.7 करोड़ और सकल राज्य घरेलू उत्पाद 34828.8, आर. बी. आई. की रिपोर्ट के अनुसार 5.1 परसेंट और चन्दन मलजी बैद की रिपोर्ट के अनुसार9.5 परसेंट। 1995-96 में सकल राजकोषीय घाटा 2574.5 करोड़ और सकल राज्य घरेलू उत्पाद 38697.7 करोड़, आर.बी. आई. की रिपोर्ट के अनुसार 6.6 परसेंट और वित्त मंत्रीजी के श्वेत-पत्र के हिसाब से 13.43 परसेंट। 1997–98 में सकल राजकोषीय घाटा 2577.1 करोड़ और सकल राज्य घरेलू उत्पाद 52481.2, आर.बी.आई. की रिपोर्ट के अनुसार 4.9 परसेंट और आपके सफेद पत्र में छपा है 12.7 परसेंट। 1998-99 में सकल राजकोषीय घाटा 3782.9 करोड़ का हुआ।

यह आर. बी. आई. की वर्ष वाइज जो रिपोर्ट पेश होती है वह शत-प्रतिशत सही होती है और इनके श्वेत पत्र का परसेंटेज भी मैंने आपके सामने रखा है, मैं वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपने जो कलाकारी की है और राजस्थान की जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की है, यह ठीक नहीं है। राजस्थान की जनता को तो कुछ दिनों में आपकी इन बातों का पता लग जाएगा।

श्री चन्दन मल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय डाक्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि आर.बी.आई. ने फिस्कल डैफिसिट राजस्थान का निकाला है क्या या आप यों अंदाज से ही कह रहे हैं ? किसी स्टेट का फिस्कल डैफिसिट आर. बी. आई. नहीं निकालती है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : रिड्यूज करने से निकल जाता है, निकालने में कोई दिक्कत नहीं है।

श्री चन्दन मल बैद : नहीं, निकल जाता है तो आप अपने तरीके से निकाल

(श्री चन्दन मल बैद)

रहे हैं। आप अपने तरीके से निकाल लीजिए उसको। आप सही तरीके से नहीं निकालें और आप कहते हैं कि आर. बी. आई. ने यह कहा है, तो मैं कहता हूं कि आर.बी.आई. ने फिस्कल डैफिसिट निकाला है क्या ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : फिगर है उससे कोई भी निकाल सकता है। आप भी निकाल सकते हो।

श्री चन्दन मल बैद : मैंने तो निकाल कर बताया ही है, मैं क्या निकाल सकता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय वित्त मंत्री जी, फिस्कल डैफिसिट का तो एक फार्मूला है, आंकड़े आर. बी. आई. ने रख दिये सामने उससे कोई निकाल सकता है। उसमें कोई बड़ी बात थोड़े ही है। बात इन्होंने आर.बी.आई. की रखी है और आपके श्वेत-पत्र में और इन दोनों आंकड़ों में अन्तर है, उसकी बात आप बताओ कि यह अन्तर क्यों है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह नहीं है।

श्री चन्दन मल बैद : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, यह आपके समझ की बात नहीं है। फिस्कल डैफिसिट निकालने का एक फार्मूला है, उस फार्मूले से फिस्कल डैफिसिट निकाला जाता है। अगर राजस्थान का फिस्कल डैफिसिट आर.बी.आई. ने निकला है तो मुझे बताइए। फिर कहते हो आर.बी.आई. के अनुसार। आर.बी.आई ने निकाला है तो मुझे बताइए आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, आर.बी. आई. ने नहीं निकाला पर आर.बी.आई. के आंकड़ों के अनुसार निकाल लिया। वित्त मंत्री जी, इतना बुद्धि का अजीर्ण मत करो, सब समझते हैं, आप कहते हो न कि समझने की बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वित्त मंत्री जी, एक बात बता दो कि फिस्कल डैफिसिट का फार्मूला आप कौन-सा मान रहे हो ?

श्री चन्दन मल बैद : जो फार्मूला गवर्नमेंट आफ इण्डिया मानती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौनसा मानती है ?

श्री चन्दन मल बैद : जो गवर्नमेंट आफ इण्डिया का फार्मूला है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो फिर बताओ न कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया का फार्मूला क्या है ?

श्री चन्दन मल बैद : वह तो एक फार्मूला है, फार्मूला जबानी थोड़े ही होता है। मेरी जेब में है, निकाल कर बताऊं आपको ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, बता दो।

श्री चन्दन मल बैद : आप बैठ जाइए। बताता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, बैठता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पिछली बार आपने बजट भाषण में कौनसा फार्मूला किया था।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य, बोलो। निकाल लेंगे जब तक बोलो, सेव टाइम।

डा. किरोड़ी लाल : साहब, यह बीच में मामला अटक गया, फार्मूला तो आना चाहिये। नहीं, हमारे पास फार्मूला है, हम बता दें ?

श्री उपाध्यक्ष : हां, आप बोलो। आपका फार्मूला है आप बोलो, सेव द टाइम। वे निकाल लेंगे। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : हमारे पास है, हम बताएंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : आप फार्मूला याद नहीं रखते हो, कैसे वित्त मंत्रालय चलाओगे ? यह कोई आपका मुनीमगीरी का काम थोड़े ही है। आप तो जबानी रखा करो खैट, खैट, खैट।

श्री उपाध्यक्ष : कंटीन्यू, प्लीज, आ जाएगा।

डा. किरोड़ी लाल : वित्त मंत्री जी का फार्मूला ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, वे बोलेंगे अभी। वे जवाब देंगे जब बोल देंगे, ऐसा क्या है ?

श्री चन्दन मल बैद : Fiscal deficit. 1+5+6–16. 1 is revenue receipts, 5 is recoveries of loans, 6 is other receipts and 16 is other expenditur. This is the fiscal deficit. यह जो अंक हैं, गवर्नमैंट आफ इण्डिया का जो लेटेस्ट बजट है उसमें उनका फिस्कल डेफिसिट है 79 हजार 955 करोड़ उसमें उन्होंने हेराफेरी की है। उसमें वह साफ लिखा हुआ है, स्टार लगा हुआ है कि स्माल सेविंग के जो पैसे हैं वे उन्होंने नहीं जोड़े। 25 हजार करोड़ हैं। 25 हजार करोड़ जोड़ लें तो यह फिस्कल डेफिसिट 25 हजार करोड़ ज्यादा हो जाता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह फार्मूला गवर्नमैंट आफ इण्डिया का है ?

श्री चन्दन मल बैद : जी हां।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और यही फार्मूला आपने पिछले साल रखा था ?

श्री चन्दन मल बैद : जी हां।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह फार्मूला नहीं था।

श्री चन्दन मल बैद : बिलकुल यही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पिछले साल रखा वह फार्मूला दूसरा था, इस साल जो फार्मूला रखा वह गवर्नमैंट आफ इण्डिया का रख रहे हैं। गये साल वाला है वह भी बता दो आप ?

श्री उपाध्यक्ष : अभी वे जवाब देंगे तब बता देंगे आपको। प्लीज कंटीन्यू।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपका फार्मूला तो ठाकुरों का था। (व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : यह हमारे लिये तो सौभाग्य की बात है कि फिस्कल डेफिसिट का फार्मूला मैं लेकर आया, नहीं तो मुझे तो झूठा साबित कर देते एक मिनट में।

श्री देवीसिंह भाटी : वह तो हमेशा ही करते हैं।

श्री चन्दन मल बैद : नहीं, यह मेरे पास मौजूद है।

श्री हीरालाल विश्नोई : अब बताओ दोनों हाथ यों कर के फार्मूला नहीं है, यह क्या है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्रीजी, इस वित्त के मामले में आप तो अपने आप को कीड़ा बताते हैं, हम तो कीड़े नहीं हैं, हम तो इंसान हैं।

श्री चन्दन मल बैद : मैं तो मकोड़ा हूं आपके कहने से। आप बहुत लम्बे-चौड़े हैं, मैं तो मकोड़ा हूं आपके सामने।

श्री हीरालाल विश्नोई : मकोड़ा जब चिपक जाता है तब खून ले लेता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को सख्त एतराज है कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा मकोड़ा बनाएं। मकोड़ा नहीं, हमारे दादाजी हैं, मकोड़ा कैसे बना देंगे आप ? आपके कहने से बना देंगे क्या ? पिछली बार आपने जो फार्मूला दिया था उसके हिसाब से राजकोषीय घाटा निकाल कर और आपके भाषण के अनुसार जो दिया था वह भी बता देना आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय किरोड़ी लाल जी।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आर.बी.आई. की जो रिपोर्ट है। माननीय वित्त मंत्री जी आर.बी.आई. की जो प्रति वर्ष रिपोर्ट आती है उसको तो सही मानते होंगे। मैंने उसके हिसाब से ये आंकड़े आपके सामने रखे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, फिर इन्होंने श्वेत पत्र जारी करते हुए.... (व्यवधान) यह मुख्य सचेतक जी काहे को हाथ जोड़ा-जाड़ी कर रहे हैं, साहब ?

श्री हरिसिंह(महुवा) (मुख्य सचेतक) : आपको बोलने का समय दिला रहा हूं।

डा. किरोड़ी लाल : बड़ी कृपा है आपकी।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो राज्य सरकार ने आते ही श्वेत पत्र

(डा. किरोड़ी लाल)

जारी किया, उस श्वेत पत्र में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि यह कर्ज कब-कब लिया गया, किन–किन कार्यों के लिए लिया गया, किन-किन शर्तों पर लिया गया और इसका उपयोग किस-किस काम के लिए किया गया। इस बात का अगर पूरी तरह से श्वेत पत्र में जिक्र करते तो प्रदेश की जनता के सामने सही स्थिति आ जाती।

लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक ही बात कह दी कि पूर्ववर्ती सरकार की कमजोरी के कारण यह सारी आर्थिक स्थिति चरमरायी है। पूर्ववर्ती सरकार पर वित्तीय दबाव किस ढंग के थे, उनका इन्होंने कहीं ब्यौरा नहीं दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यकर्मियों को वर्ष 1993-94, 1995-96, 1996–97 में अंतरिम राहत की राशियां प्रति वर्ष 260 करोड़ रुपये, दी गयी। 1995-96 में अतिरिक्त बोनस की राशि 50 करोड़ रुपये, 1998-99 में पांचवे वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बकाया राशि के 985 करोड़ रुपये जो बाद में प्रति वर्ष 1250 करोड़ रुपये के हिसाब से दी। प्रशासनिक सेवाएं, पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाओं पर व्यय राशि बढ़ गयी।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, ऋणों पर ब्याज की स्थिति क्या हुई ? 1986 में 6.4 परसेंट से लेकर 1991 में यह ब्याज की रेट हो गयी 9.2 और 1997-98 में यह रेट बढ़कर पहुंच गयी 12.7 परसेंट। राज्य पर अवांछित व वांछित राज. सहायता का भार बढ़ा। अब इन्होंने जितनी इलेबोरेट की है, अगर इन सब को श्वेत पत्र में जारी करते तो राजस्थान की जनता को पता लगता कि पूर्ववर्ती सरकार ने किस इच्छा शक्ति के साथ काम करके इतना पैसा राजस्थान के विकास के लिए लगाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पीरियड में क्या हुआ ? हमारा पीरियड तो टैक्स पीरियड रहा। 1990 से 98 तक टैक्सों को कम से कम करके युक्तिसंगत किया गया था, टैक्सों में भारी छूट हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने दी। इन्होंने क्या किया है ? पड़ौसी राज्यों की तुलना अगर हमारे राज्य के टैक्सों से की जाए, उपाध्यक्ष महोदय, तो जमीन-आसमान का फर्क है। उस टैक्स के फर्क होने के नाते मेरे को ऐसा लगता है कि चन्दन मल जी बैद राजस्थान के सारे मार्केट को बंद करेंगे और लोग मार्केटिंग के लिए हरियाणा जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, गुजरात जाएंगे, मध्य प्रदेश जाएंगे। स्थिति क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय, मोटर टायर पर सेल्स टैक्स है दिल्ली में 5 परसेंट, पंजाब में 4 परसेंट, मध्य प्रदेश में 4 परसेंट; गुजरात में 6 परसेंट और राजस्थान में कर दिया 8 परसेंट।

उपाध्यक्ष महोदय, ट्रक टायर जो अब तक जोड़ें तो शायद 19,724 रुपये का पड़ता था, अब 13.44 परसेंट सरचार्ज लगने के बाद यह राजस्थान में मिलेगा 20,535 का और दिल्ली और हरियाणा में इसकी कीमत हो गयी 19,912 रुपये। अब यहां कौन खरीदेगा ?

(डा. किरोड़ी लाल)

उपाध्यक्ष महोदय, गारमेंट्स की क्या पोजीशन है ? दिल्ली में गारमेंट्स पर 2 परसेंट है और राजस्थान में दुगना 4 परसेंट है। किराना मदों पर दिल्ली में 2 परसेंट है, राजस्थान में 12 परसेंट । चाय पर दिल्ली में 3 परसेंट, पंजाब में 3 परसेंट, गुजरात में 4 परसेंट और राजस्थान में 6 परसेंट । रंग-रसायन में दिल्ली में 3 परसेंट और राजस्थान में 4 परसेंट । बिजली के पंखे, ट्यूबलाइट जैसी आम आवश्यकता की चीजों पर 12 परसेंट सेल्स टैक्स और इतना ही सरचार्ज देने के बाद राजस्थान की आम जनता की हालत खराब हो गयी है ।

उपाध्यक्ष महोदय, फुटवियर में क्या किया ? सौ रुपये तक का हमने टैक्स फ्री किया था, इन्होंने 3 परसेंट लगाया । हरियाणा में, दिल्ली में, पंजाब में 4 परसेंट, गुजरात टैक्स फ्री, इन्होंने 10 परसेंट लगाया उपाध्यक्ष महोदय, और सरचार्ज अलग है । साबुन में मध्य प्रदेश, ये जिनके कदमों पर चलते हैं वहां 2 परसेंट का टैक्स, ये 10 कदम आगे बढ़ गये, इन्होंने 4 परसेंट का टैक्स लगा दिया । रंग-रोगन में हरियाणा में 8 परसेंट, दिल्ली में 10 परसेंट और हमारे यहां 10 परसेंट की दर के अलावा 12 परसेंट और कर दिया । इस प्रकार से जो कर विसंगतियां रंग–रोगन....

श्री चन्दन मल बैद : नहीं, वह 12 परसेंट सरचार्ज किसने लगाया था, मुझे बताएं आप ।

डा. किरोड़ी लाल : आपने ।

श्री चन्दन मल बैद : 12 परसेंट सरचार्ज मैंने लगाया ?

डा. किरोड़ी लाल : तो आप कम कर दो ।

श्री चन्दन मल बैद : आप जाते जाते लगा गये थे, श्रीमान ।

डा. किरोड़ी लाल : वित्त मंत्री जी, अगर आपका हार्ट बर्न कर रहा है तो इसको बंद कर दो । उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अड़ोस-पड़ौस के राज्यों का सेल्स टैक्स का ब्यौरा आपके सामने इसलिए रखा है कि राजस्थान का मार्केट खाली हो जाएगा, मार्केटिंग के लिए लोग वहां जाएंगे, इससे राजस्थान की आर्थिक स्थिति पर बिलकुल विपरीत प्रभाव पड़ेगा । किसान के ट्रैक्टर पर टैक्स लगाया ।

किसान का ट्रैक्टर आएगा तो टैक्स घुसते ही देना पड़ेगा । यह जो टैक्स इन्होंने लगाया है, उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा, कि यह युक्तिसंगत होना चाहिए । वित्त मंत्री जी के सामने मैंने यह बात इसलिए रखी है कि लोग पड़ौसी राज्यों की तरफ नहीं भागें । उनको किस ढंग से रोका जा सकता है वह आप अच्छा रास्ता जानते हैं ताकि अपनी इकानामी की स्थिति अच्छी हो सके । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने व्यवसाय कर लगाया, उस व्यवसाय कर के कारण

(डा. किरोड़ी लाल)

पूरे राजस्थान में 30-35 लाख व्यक्ति अफैक्टेड हो रहे थे ।

श्री रामस्वरूप : अब तो हटा दिया, छोड़ो उसे ।

डा. किरोड़ी लाल : बोल तो लें । बहुत अच्छा किया, हटा दिया । दबाब में आकर हटाया, सब की इच्छा थी । मानता हूं; उसका स्वागत करते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया । हमारी भी मांग थी, हमने पहले जब रखा तब तो आपने मांग मानी नहीं, जौहरियों के लाठी मार दी, वकीलों के मार दी, जब सबके लाठी मार दी, लाठियों का बदला ले लिया तब आपने व्यवसाय कर वापस ले लिया । मेरे को ऐसा लगता है ...

श्री रामस्वरूप : उस पर कोई नहीं चूकता है । आपने लाठियां मारी थीं हमारे इसी सदन के अन्दर जिससे हमारे हाथ पैर टूट गये ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री रामस्वरूप : 4–4 महीने तक हम पड़े रहे थे, उस समय आपकी सरकार थी । जब हम बिजली मांग रहे थे तब की बात है यह ।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को ऐसा लगता है कि यह जो टैक्स वापस लिया यह हमारी मांग के कारण नहीं लिया, यहां पर वकील काफी तादाद में आये उसके कारण से नहीं लिया, यहां पर जौहरी आये उसके कारण नहीं लिया यह इसलिए लिया कि सोनिया जी ने कहा था कि या तो टैक्स वापस ले लो वरना चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में राजस्थान की जनता +++ कर देगी, हम चुनाव जीतकर नहीं आ सकते ।

श्री रामस्वरूप : ये शब्द आप वापस ले लो । यह गलत है, साहब, इस तरह का स्टेटमैंट सोनिया जी ने नहीं कहा ।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह सच्चाई है ।

श्री रामस्वरूप : आपकी बात हुई थी क्या सोनियाजी से ? नहीं तो आपको कैसे पता लगा ? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे मुंह से कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा का नाम ले रहा हूं, उनका नाम लेते हुए भी टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य को दर्द पैदा होता है । इस बात पर भी क्यों दर्द हो रहा है ?

श्री रामस्वरूप : जो सदन में नहीं है उनका नाम लेना गलत है न ।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री चन्दन मल बैद : कल 12 बजे के बाद प्रधान मंत्री कहना।

श्री रामस्वरूप : सोनिया गांधी देश की प्रधान मंत्री होंगी। आप इस बात के लिये धन्यवाद दो कि देश की वह महान नेता, महिला प्रधान मंत्री बनेंगी और माननीय अटलबिहारी वाजपेयी जी गये, आपका समय गया। अब तो प्रधान मंत्री बनकर रहेंगी, चाहे आप कितना ही पुकारो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसको समाप्त होने दीजिए।

श्री जगमाल सिंह यादव : पार्लियामैंट में आपके वोट तो डेढ़ सौ भी नहीं हैं, कैसे बनेंगी? आप वैसे ही खयाली पुलाव पका रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल : वित्त मंत्रीजी, पहले तो सोनिया जी कहती थीं कि हम प्रधान मंत्री नहीं बनना चाहते हैं। हमें पद की लालसा नहीं है, हम अपने मित्रों को बनाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री रामस्वरूप : वे बन गयीं प्रधान मंत्री। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चन्दनमल जी से इतना तो पूछ लूं कि उनका प्रधान मंत्री का यह टाइम 4 महीने का रहेगा, कि 6 महीने का रहेगा, कि 8 महीने का रहेगा? (व्यवधान) माना बन भी गयीं तो। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये कहना चाहता हूं कि जो यह कर लगा है...(व्यवधान)

हमारे मामा परसादी लाल जी कह रहे हैं कि अटलजी से ज्यादा रहेंगी। हमारे 13 महिने रहे और ये 14 महीने रहे तो यह भी कोई स्थाई सरकार देने वाली बात नहीं है। और देश को गर्त में लाने वाली है तो कांग्रेस। उपाध्यक्ष महोदय, सोनियाजी का कोई आदेश माना, बड़ी अच्छी बात हुई। (व्यवधान) इसका मतलब आप सोनियाजी का कोई आदेश नहीं मानना चाहते हैं?

श्री रामस्वरूप : बार-बार आपकी जबान पर सोनिया जी आ रही हैं तो तब तो सोनीयाजी आ गयीं। कांग्रेस (आई) है, यह आई ही रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपने ही सदस्य का टाइम ले रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक तो आप ये जो विघ्न करते हैं+++ इनको चुप कराइये।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों के ही बराबर का चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं?

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रामस्वरूप : राष्ट्रीय नेता का नाम आप लें सोनिया जी का, और हम चुप रहें, यह कैसे हो सकता है? ऐसे महान नेता का नाम आप लो और हम चुप हो जाएं ?

डा. किरोड़ी लाल : +++ इनके कारण सुमित्राजी चली गयीं। वे बैठती नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अभी हैं नहीं, इसलिये आप तक पहुंच रही है बात।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने व्यवसाय कर वापस ले लिया, स्वागत योग्य बात है। लेकिन किसानों ने क्या बुरा किया ?

राजस्थान के किसानों ने आपके साथ क्या ऐसा बुरा काम कर दिया ? उन्होंने भी आपको वोट दिया। 70–80 प्रतिशत लोग गाँवों में रहते हैं, भरपूर वोट दिया और इतना वोट दिया कि 153 की तादाद में आकर यहां बैठ गये।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि विद्युत शुल्क दुगना कर दिया, सिंचाई की दर शत–प्रतिशत बढ़ा दी, 17 साल बाद बढ़ाई है। हमने माननीय वित्त मंत्रीजी से यह कहा था कि किसानों का भला कर दो, 15 करोड़ का मामला है, ज्यादा पैसा नहीं है। वहां आपने इतना पैसा माफ कर दिया, आखिर किसानों का जो इतना-सा टैक्स है 15 करोड़ का, इसके बारे में विचार करो।

परन्तु इनके बारे में कोई विचार नहीं किया। किसानों के बारे में कोई चिन्ता नहीं करता है, उपाध्यक्ष महोदय, किसान इस देश का अनाज उत्पन्न करता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देता है, देश की बहबूदी को बढ़ाता है।

अगर एक किसान सौ मन अपने घर में अनाज पैदा करता है तो 90 मन पूरे देश के लोगों के लिये देता है और 10 मन अपने घर में खाने के लिये रखता है। उसके लिये फैसीलिटी क्या देते हैं ?

उद्योगों के लिये सब तरह की फैसीलिटी है, किसान के लिये कोई फैसीलिटी नहीं है। अगर किसान पर बिजली का बकाया रह जाए तो उसका कनेक्शन काटने पहुंच जाते हैं। कहीं बैंक का बकाया रह जाए तो उसकी जमीन कुर्क कर देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह किसानों के साथ जो ज्यादती हो रही है उसके बारे में मैं वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि किसानों का....

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, माननीय सदस्य, 5 बजे माननीय वित्त मंत्रीजी जवाब देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं एक माननीय

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

सदस्य इधर से और एक माननीय सदस्य उधर से और बोलें। यदि आप अपना सारा समय लेना चाहते हैं तो You can continue. Carry on.

डा. किरोड़ी लाल : टाइम और बढ़ाओ, इसमें तो टाइम और बढ़ाओ, साहब।

उपाध्यक्ष महोदय; हालांकि यह भारत सरकार का मामला है, किसानों की फसल की बीमा योजना लागू होनी चाहिए। फसल की उचित कीमत मिलनी चाहिए। किसानों के साथ होता क्या है? जब किसान की फसल तैयार होती है, बाजार में आती है, तब भाव बिलकुल गिर जाता है और उसके 2 महीने बाद ही उसके रेट हाई हो जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, गरीब के ऊपर और किसान के ऊपर तो माननीय वित्त मंत्रीजी को गौर करना ही पड़ेगा। अब धनी लोगों के क्या हाल हैं? कोई धन्ना सेठ है उसकी फैक्टरी बंद हो जाए या इंडस्ट्रीज पर किसी आर.एस.ई.बी. का बकाया हो तो बकाया जमा नहीं होता। सेल्स टैक्स डिपार्टमैंट का बकाया है तो वह बकाया जमा नहीं होता। आबकारी विभाग का पता नहीं बड़े-बड़े ठेकेदारों पर कितना बकाया है, वह पैसा जमा नहीं होता।

मेरे कहने का मतलब यह है कि जो साधन-सम्पन्न व्यक्ति है उस पर करोड़ों की तादाद में सरकार का पैसा बकाया है, लेकिन रिकवरी के लिये पुख्ता कार्यवाही कोई नहीं की जाती। क्योंकि वह समझता है, जानता है। वह कोर्ट का रास्ता जानता है, वह हाई-कोर्ट का रास्ता जानता है। वह वहां से स्टे ले सकता है। लेकिन किसान एस. डी.एम., तहसीलदार, कलक्टर का रास्ता भी नहीं जानता और उसको वहां किसी प्रकार का न्याय नहीं मिलता।

उपाध्यक्ष महोदय, आडिट के मामले में क्या स्थिति चल रही है? पता नहीं मुख्य सचेतकजी कहां चले गये, मैं जब वहां मेडिकल अफसर था तब वे वहां पर सरपंच थे। 20–20 साल पहले के पंचायतों के आडिट आब्जेक्शंस पड़े हैं। दीमक लग रही है। लोकल बाडीज और पंचायतों में जो अनाप-शनाप खर्चा हुआ है उस पर आडिट तो हो गयी लेकिन आडिट आब्जेक्शंस होने के बाद सरकार का जो पैसा बकाया निकला; या जिनकी कार्यवाही होनी चाहिए; कम्प-लायंस होनी चाहिए थी, वह कम्पलायंस नहीं हुई।

राजस्थान में इण्डस्ट्रीज का माहौल नहीं बन रहा है। प्रदेश का इण्डस्ट्रियलाइ-जेशन होना चाहिए, परन्तु अभी तो जो हैं, वे ही बंद हो रही हैं। एक जे.के. सिंथेटिक्स बंद पड़ी है। चुनावों में बड़ा नारा लगाया था कि जे. के. सिंथेटिक्स को चालू करेंगे। वोट लेकर आ गये लेकिन अब उसकी चिन्ता नहीं करते। जयपुर मैटल्स को बंद करने जा रहे हैं। वित्त मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि आप इस सम्बन्ध में गम्भीर चिन्ता करें, राजस्थान का इण्डस्ट्रियलाइजेशन बढ़ना चाहिए। राजस्थान के धन्ना सेठ पूरे

(डा. किरोड़ी लाल)

हिन्दुस्तान में जाकर इण्डस्ट्रीज चलाते हैं लेकिन राजस्थान में क्यों नहीं चलाते हैं। वित्त मंत्री जी किसी गम्भीर चिन्ता में लग रहे हैं; डिस्कशन में।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ से यहां पर इण्डस्ट्रीज इसलिये नहीं लगतीं कि यहां पावर की प्राब्लम है। इसलिए मैं वित्त मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि पावर जनरेशन ज्यादा से ज्यादा अपने स्टेट में हो सके इसके लिये सरकार को ध्यान देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के मामले में कांग्रेस के भाई बड़ी वाहवाही लूट रहे हैं। यह कह रहे हैं कि हम 16 हजार प्राथमिक शिक्षा केन्द्र राजस्थान में खोलेंगे। उन प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों की स्थिति क्या होगी। कोई भी आठवीं और दसवीं का बेरोजगार वहां पर मिलेगा, उसको कह देंगे कि मास्टरी कर, इन बच्चों को पढ़ा। उसमें एक शर्त रखी है, वित्त मंत्रीजी ने एक राइडर लगा दिया कि भवन उपलब्ध होगा तो वहां प्राथमिक शिक्षा केन्द्र खुलेगा।

अब गांव का गरीब आदमी कहां भवन बनवाएगा ? और भवन भी बना लिया तो ये किस स्तर की शिक्षा देने जा रहे हैं ? गांव के बच्चों की प्राइमरी शिक्षा, जहां से जड़ चालू होती है, जहां से आधार खड़ा होता है उस आधार को ही कमजोर करने जा रहे हैं।

यह एक सोची-समझी चाल है कि गांव का व्यक्ति शुरू से पढ़-लिखकर अच्छा तैयार होकर नहीं आ जाए। यह इनकी चाल है। एक तो यहां शहर में पढ़ने वाले बच्चे और एक कांग्रेस के द्वारा घोषित ये प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों पर पढ़ने वाले बच्चे, आपस में कम्पीटीशन कैसे कर पाएंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय, गांव और शहर दोनों में, इस बजट में मैंने देखा है, बड़ा असन्तुलन है। गांव की हालत बड़ी खराब है। कई रीजनल स्कीम बन गयीं और 20-25 गांवों को एक रीजनल स्कीम से जोड़ दिया।

आज की तारीख में जो सोर्स विलेज है, केवल उसी गांव को पानी जा रहा है और बीस गांवों में जो जी.एल.आर. बनी हुई है, उपाध्यक्ष महोदय, उन जी.एल.आर. में पानी नहीं पहुंच रहा है। गांव के व्यक्ति को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। फ्लोराइड अफैक्टेड जो गांव हैं, उनमें सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। अब तक नहीं की।

मैं वित्त मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि जहां खारा पानी है, फ्लोराइडयुक्त पानी है या गांव में पीने का पानी प्रापर मिल नहीं रहा, तो जो रीजनल स्कीम बड़ी-बड़ी बना दीं उनको छोटी बनाकर पीने का पानी दें। मीठा पानी दें, स्वच्छ पानी दें। इस ओर बजट में कोई प्रावधान इनके द्वारा रखा नहीं गया है। बिजली की हालत तो गांव में बड़ी खराब हो जाती है। लाइन टूट गयी तो कोई जोड़ने वाला नहीं आता। ट्रांसफार्मर फुंक गया तो

(डा. किरोड़ी लाल)

छह-छह महीने फुंका पड़ा रहता है, उसको कोई लगाने वाला नहीं आता ।

इसलिए गांव के व्यक्तियों के साथ यह जो भेद किया जा रहा है इस भेद को दूर करना होगा । उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा की भी हालत यही है । सही चिकित्सा गांव वालों को नहीं मिल पाती इसलिए उनको परेशान होना पड़ता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपनी बाइबल में लिखा था कि हम पंचायती-राज को सुदृढ़ करेंगे, जिला प्रमुखों को डी.आर. डी.ए. का अध्यक्ष बनाएंगे । जिला प्रमुखों को डी.आर.डी.ए. का अध्यक्ष तो बना दिया....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं । मेरे एक साथी ने एतराज किया इस बात के लिए कि धार्मिक ग्रंथ का नाम है बाइबल, उसको बाइबल कह कह कर किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाते हैं, यह अच्छी बात नहीं है ।

श्री रामस्वरूप : कांग्रेस का घोषणा पत्र तो बाइबल से ज्यादा पवित्र है इसलिए इसके बारे में बाइबल कहना कोई बुरी बात नहीं है । (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जिला प्रमुखों को डी.आर.डी.ए. का अध्यक्ष बनाया था । केवल बैठक की अध्यक्षता करेगा । डी.

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आर. डी. ए. की योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करेगा, समन्वय करेगा । कार्यों में गुणवत्ता लाने का सुझाव देगा। डी.आर.डी.ए. द्वारा संचालित योजनाओं की त्रिस्तरीय पंचायतों की जानकारी देगा। और कलक्टर को क्या दे रखा है ? कलक्टर कार्यपालक निर्देशक एवं डी.आर. डी.ए. की एग्जीक्यूटिव कमेटी का चेयरमैन होगा ।

डी.आर.डी.ए. के चेयरमैन ने अगर कोई निर्णय गडबड ले लिया या सही भी ले लिया तो उसको स्थगित करने का अधिकार कलक्टर को होगा । तो चेयरमैन काहे का रहा ? सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशल पावर कलक्टर के पास रहेंगे । डी.आर.डी.ए. में जो कर्मचारी ट्रांसफर का, डिसिप्लीनरी एक्शन लेने का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार कलक्टर के पास होगा ।

मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, चन्दन मलजी, आखिर आपने यह जिला परिषद का अधिकार देने का जो ढोल पीटा था, बिलकुल इसमें तो पोल ही पोल है । इन्होंने अपने मैनीफेस्टो में एक बात और लिखी है ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप दो मिनट में समाप्त कीजिए, प्लीज । 45 मिनट आप बोल लिये ।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, आप तो कृपा कर दो ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, बस ।

डा. किरोड़ी लाल : फिर मैं नहीं बोलूंगा, आप आज कृपा कर दो ।

श्री उपाध्यक्ष : आप 45 मिनट बोल चुके हैं, 45 मिनट ।

डा. किरोड़ी लाल : मेरा अभी बहुत मामला पड़ा हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, मामला है तो फिर और कोई अवसर आएगा ।

डा. किरोड़ी लाल : बहुत जरूरी है ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, तो इतनी देर थोड़े ही बोल सकते हो ? आप दो मिनट में समाप्त कीजिए प्लीज ।

डा. किरोड़ी लाल : टाइम बढ़ा दीजिए, उपाध्यक्ष महोदय । इन्होंने अपने मैनीफेस्टो में कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षित पदों को केवल सम्बन्धित वर्ग से सीधी भर्ती के द्वारा ही भरा जाएगा तथा पदोन्नति से आरक्षण सम्बन्धी पिछले कोटे को निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा । उपाध्यक्ष महोदय, एस.टी. और एस.सी. के कारपोरेशन के अध्यक्ष मूरियाजी यहां आये थे, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करायी थी जिसमें 70हजार वैकेंसीज यहां हैं । माननीय वित्त मंत्रीजी ने उतनी वैकेंसीज के बाद भी बजट में ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया कि हम कोई स्पेशल अभियान चलाकर इन वैकेंसीज को भरेंगे ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी सामने से कुछ माननीय सदस्य बोल रहे थे कि हमारी सरकार ने तो एस.सी., एस.टी. का इतना कल्याण कर डाला कि आज तक बी.जे.पी. के राज में नहीं हुआ ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह तो सही है ।

डा. किरोड़ी लाल : इनके चार महीने में महिलाओं के साथ क्या हुआ ? उपाध्यक्ष महोदय, एक महिला हमारे राज में अपहृत हुई थी, डी.आई.जी. टंडन ले गये थे । इस मैनीफेस्टो में लिखा है, बलात्कार के मामले में फरार डी.आई.जी. को गिरफ्तार करने में असफलता । कांग्रेस को पांच महीने हो गये, ये अब तक सफल नहीं हुए उस डी. आई.जी. को लाने में । पता नहीं कहां चले गये मुख्य सचेतकजी, उनके इलाके में एक बच्ची के साथ रेप हुआ । मुख्य सचेतकजी धरने पर बैठे थे और उसमें मुलजिमों को गिरफ्तार करने की मांग रखी गयी । मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ तो उस लड़की ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली । यह कांग्रेस के नाम पर कलंक है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी । माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए ।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं....

श्री उपाध्यक्ष : बहुत टाइम हो गया। आप क्या बात करते हो, 45 मिनट दिये हैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : यहां बेगू से आने वाले माननीय सदस्य ने....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पांच मिनट और दे दीजिए हमारी तरफ से।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्लीज हमारा टाइम बढ़ा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने इसीलिए इनको 45 मिनट बुलाया है। इधर से कोई नहीं बोलेगा इसीलिए बुलाया है इनको 45 मिनट।

डा. किरोड़ी लाल : पांच मिनट और दें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप बड़े संवेदनशील हो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : चालीस मिनट बोले हैं आप।

श्री उपाध्यक्ष : 45 मिनट। आप शुरू करिये।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक की चर्चा पर मैं आपके समक्ष यह विचार प्रकट करना चाहता हूं कि राजस्थान की विधान सभा में इस बार जो बजट आया है उस बजट में जहां एक ओर गांधीजी का चिन्तन, नेहरू जी का विकास और....

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब तो विराज जाओ, कृपा करो।

श्री रतन लाल ताम्बी : नव-निर्माण का दृष्टिकोण, इन्दिरा गांधी की गरीबी मिटाने का संकल्प और राजीवजी का 21 वीं सदी की ओर नये भारत का निर्माण की दूरदर्शिता के साथ महावीर स्वामी की अहिंसा, बुद्ध की करुणा और गौतम के आदर्श से ओत-प्रोत बजट की झलक मिलती है।

जिसमें वृद्ध, विधवा, अंधे, गूंगे, बहरे, ग्रामीण, शहरी, एस.सी., एस.टी., पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, ऐसा कोई वर्ग नहीं छोड़ा गया है जिसके विकास के लिए, जिसके कल्याण के लिए नहीं सोचा गया हो।

इस बजट को रोजगार की ओर बढ़ाने वाला कहा जा सकता है। गरीब और गांव को गणेश मानने की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत करते थे, पर उनके अब तक के बजट, उनके क्रियाकलाप इस बात को इंगित करते हैं कि कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर रहा। इस बजट में उसको व्यावहारिक रूप से समावेश करने का प्रयास हुआ, इस बात को इन्कार नहीं किया जा सकता है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज एप्रोप्रिएशन बिल पारित होने तक बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : एप्रोप्रिएशन बिल पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट का राजस्थान की आम जनता ने स्वागत किया है। पिछले एक महीने से यह हमारा सदन चल रहा है, सदन में जिस बात का बार-बार जिक्र आया है वह है कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र का और श्वेत-पत्र का।

पहली बार राजस्थान की सरकार ने चुनाव घोषणा पत्र के माध्यम से जनता को यह विश्वास दिलाया और यह बताया है कि राजस्थान में पिछले नौ साल में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में कितनी दुर्दशा हुई। उस पर राजस्थान की जनता ने मोहर लगाकर एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक समर्थन दिया है।

राजस्थान के इतिहास में ही नहीं बल्कि देश के इतिहास में जितना बड़ा बहुमत राजस्थान की जनता ने दिया, वैसा कभी नहीं दिया। इस बात का विश्वास राजस्थान की जनता ने व्यक्त किया है।

आपके सामने श्वेत-पत्र की चर्चा बार-बार कर रहे हैं, इसमें क्या बुरी बात है कि पिछले नौ सालों में राजस्थान में क्या हुआ, आर्थिक स्थिति क्या रही और इस प्रकार के हालात क्यों पैदा हुए, इसका विवरण राजस्थान की जनता के सामने आए ? मैं समझता हूं एक अच्छा मार्ग प्रशस्त किया है।

मैं इस मौके पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण और उद्योगों के बारे में काफी कुछ प्रावधान किये गये हैं। 1986 में देश में राजीव गांधीजी ने मैकाले के बाद नई शिक्षा प्रारम्भ करने का संकल्प लिया। शिक्षा शास्त्रियों के साथ काफी चिन्तन किया और उसके बाद शिक्षा नीति घोषित की। उसका लक्ष्य यह था कि साक्षरता इस देश में बढ़े। इस दिशा में राजस्थान की सरकार ने 16 हजार शिक्षा केन्द्र खोलने का एक ऐतिहासिक फैसला किया है।

मुझे याद आता है 1989-90 में कांग्रेस के समय 5,000 प्राइमरी स्कूल खोले गये थे ताकि शिक्षा का प्रसार हो, राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत काफी

(श्री रतन लाल ताम्बी)

अच्छा बढ़े। पर दुर्भाग्य से बाद की सरकार ने 5000 विद्यालय बंद कर दिये और राजस्थान को देश के साक्षरता के प्रतिशत में काफी पीछे धकेल दिया।

इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, विषम आर्थिक स्थितियों के बावजूद 16,000 शिक्षा केन्द्र स्थापित करना राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति होगी। मेरा इस संबंध में एक सुझाव यह है कि इन शिक्षा केन्द्रों का नाम राजीव गांधी ग्राम शिक्षा केन्द्र के नाम पर रखा जाए क्योंकि उनकी कल्पना थी देश को नई शिक्षा के माध्यम से....

श्री चन्दन मल बैद : माननीय सदस्य, इनका नाम रखा है राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती शिक्षा केन्द्र।

श्री रतन लाल ताम्बी : बहुत अच्छा, साहब। बहुत स्वागत की बात है।

राजीव गांधी के सपनों को साकार करने में राजस्थान की सरकार ने एक अच्छी शुरूआत की। उनके नाम पर ये शिक्षा केन्द्र स्थापित किए जाएंगे, इसके लिये आप और भी धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे देश की दिल्ली में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ओर आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जो जवाहर योजना रखी गयी थी, उस योजना का नाम मिटाने का काम किया है। दूसरी ओर इंदिरा आवास योजना-जो इंदिरा जी का सपना था गांव के गरीब को ऊंचा उठाने का, भारतीय जनता पार्टी के समय में इंदिरा आवास योजना का नाम भी समाप्त किया।

इसलिए उस संदर्भ में आप धन्यवाद के पात्र हैं कि जिन नेताओं ने देश के नव-निर्माण में हिस्सा लिया उन नेताओं की याद ताजा रहे, जनता उनको याद करती रहे। बहुत अच्छा काम किया। यह राजस्थान की स्थापना की स्वर्ण जयन्ती का भी एक अवसर है जिसे राजीव गांधी के साथ जोड़कर एक ऐतिहासिक काम किया है।

मैं इस मौके पर आपको बहुत धन्यवाद देता हुआ कुछ और भी निवेदन करना चाहता हूं।

सर्वप्रथम मुझे आश्चर्य होता है जो मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग न कभी किसानों के हितैषी रहे, न कोई कानून-कायदों के माध्यम से उनका विकास किया।

मैं याद दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान में चाहे भूमि सुधार के कार्यक्रम हों, चाहे राजस्थान में काश्तकारी अधिनियम हो, चाहे भू-राजस्व के कानून हों, ये सब कांग्रेस की देन हैं। आपने इन दस सालों में किया क्या? दस सालों के इतिहास में आपने सबसे बड़ा काम राजस्थान के किसानों को बरबाद करने का किया। बिजली की रेटें लगातार आपने हर बार बढ़ाईं। बढ़ाने के बाद भी किसानों को बिजली बराबर नहीं दी और किसानों की फसलें बरबाद होती रहीं।

(श्री रतन लाल ताम्बी)

राजस्थान की सरकार ने कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्र में कहा था कि किसानों को हम आठ घण्टे बिजली देंगे। इन चार महीनों में राजस्थान की नई सरकार ने आठ घण्टे बिजली देकर यह बता दिया कि किसानों के हित में काम करने वाली यह सरकार है। इससे अकाल की विभीषिका के बावजूद किसानों का उत्पादन बढ़ाने का काम हुआ है। यह किसानों की हितैषी सरकार है, इस बात का संकेत भी दिया है।

आपसे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप आलोचना के लिये कुछ भी करें। मैं पिछले एक महीने से देख रहा हूं हर मुद्दे पर हो-हल्ला, हर बात को बढ़ा–चढ़ाकर कहना, आरोप लगाना। पिछले चालीस-सालों में कांग्रेस ने इस देश में और प्रदेश में कुछ नहीं किया, यह बात मैं रोज सुनता हूं।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि एक महीने में आपने ऐसे कौनसे रचनात्मक सुझाव दिये? राजस्थान की जनता में क्या संदेश जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में राज–स्थान को आठ-नौ वर्षों तक बरबाद किया, लेकिन चूंकि ही आने वाले वित्त मंत्री महोदय ने कुशल प्रबन्ध के दम पर राज–स्थान को कहां पहुंचाया, ये आंकड़े तो आपके सामने आ ही गये।

आज आप बहुत बड़ी आलोचना करते हैं, मैं सोचकर यह कहना चाहता हूं कि जिस दिवालिया राजस्थान को आपने सम्हलाया उस राजस्थान की गाड़ी को पटरी पर लाने का काम कोई आसान नहीं है। इन विकट परिस्थितियों के बीच में भी राजस्थान के वित्त मंत्रीजी ने दूरदर्शिता के साथ, आत्मविश्वास के साथ काम किया। सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी सब योजनाओं को लेकर समग्र विकास को सोचकर इतना अच्छा बजट लाएंगे। यह सही है कि आप लोग सत्ता में होते हैं तब टैक्स बढ़ाने की बात बहुत करते हैं और जब विपक्ष वाले विरोध करते हैं तो आप उसको ठीक नहीं मानते हैं। कहते थे परि-सम्पत्तियां हमने बढ़ायीं, हम यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं। और जब सत्ता से आप बाहर होते हैं तो टैक्स का विरोध करते हैं।

एक ओर तो राजस्थान का विकास चाहिये। आपकी और हमारी सबकी जिम्मे-दारी है कि राजस्थान का समग्र विकास हो। राजस्थान का विकास करने का दावा कांग्रेस इसलिए कर सकती है कि 1992 में राजस्थान कहां था। कहां राजस्थान में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कहां राजस्थान में इंजीनियरिंग कालेज, कहां राजस्थान में अन्य प्रकार की यूनिवर्सिटीज और कालेजेज थे?

आज राजस्थान आगे नहीं बढ़ा। कितनी सड़कें थीं, कितने स्कूल थे, कितने चिकित्सालय थे? आंकड़ों के मायाजाल में मैं नहीं जाना चाहता समय को देखते हुए लेकिन इस बात को निश्चित रूप से मानना पड़ेगा राजस्थान के विकास का आधारभूत कोई ढांचा दिया तो कांग्रेस ने दिया। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। आप बार-बार कहते हैं, चालीस साल में कांग्रेस

(श्री रतन लाल ताम्बी)

ने क्या किया। चश्मा लगा हुआ है क्या आप लोगों के ? राजस्थान में जो कुछ किया है, कांग्रेस ने किया है। यह इतिहास बोल रहा है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : कांग्रेस ने बोफोर्स कांड किया था।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं, दिलावर साहब, आपसे पूछना चाहता हूं नौ वर्ष में मेरे इलाके में एक भी कहीं आपने छात्रावास खोला ? एक भी नाम मुझे बता दो।

श्री मदन दिलावर : अनुसूचित जाति के लोगों के लिये आपने एक बार भी मांग नहीं की। मैंने तो कई बार कहा कि आप आवेदन तो दें।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैंने दसों पत्र लिखे, मेरे पास सबकी प्रतियां मौजूद हैं। मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान की पिछली सरकार को कि नौ साल में मेरी कांस्टीट्युएन्सी में एक सैकण्डरी स्कूल खोला आपने ? कह दें अगर खोला हो तो खड़े होकर। आपने राजनीति की विकास के नाम पर, राजस्थान को नहीं देखा। आपने भारतीय जनता पार्टी की राजनैतिक पृष्ठभूमि में काम किया।

श्री देवीसिंह भाटी : सिंचाई विभाग से पांच बांध मंजूर किये थे आपके क्षेत्र में। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : आपकी बात दूसरी है। किये हैं आपने।

श्री उपाध्यक्ष : आपको धन्यवाद दे दिया।

श्री रतन लाल ताम्बी : तथ्य को मैं स्वीकार करूंगा।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : अब आपका क्या होगा, दिलावरजी ? अब आपका क्या होगा ? अब क्या बनेगा ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : +++ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अपनी तो जैसे-तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आलिया ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री रतन लाल ताम्बी : मोहनलाल जी सुखाड़िया कलकत्ता जाते थे, बम्बई जाते थे और प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान में उद्योग लगाने के लिये आमन्त्रित करते थे। यह वादा करते थे कि इस पिछड़े राजस्थान को आगे बढ़ाओ, हम यहां बिजली की

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री चन्दन मल बैद (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सारे सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने एप्रोप्रिएशन बिल पर अपने काफी बहुमूल्य सुझाव दिये हैं। मैंने इस बात की पूरी कोशिश की है कि मैं व्यक्तिगत रूप से उनके सारे सुझावों को सुनूं और जो भी बहुमूल्य सुझाव हों, अच्छे सुझाव हों उन पर अमल करने की कोशिश करूं।

मैं बहुत आभारी हूं उन सब का जिन्होंने भी इस वाद-विवाद में भाग लिया और बहुमूल्य सुझाव दिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले बजट के वक्त में जब मैं बजट बहस का जबाव दे रहा था तो मैंने शुरुआत इस बात से की थी कि हम को कुछ चीजों पर देश में एक आम सहमति बनानी पड़ेगी। आज जो आपस में राज्यों में एक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है उसको अगर हम समाप्त नहीं करेंगे तो हर राज्य घाटे में जाएगा और राजस्व घाटे में हर राज्य का घाटा बढ़ जाएगा।

इस वास्ते पिछली दफे इस बात की मैंने चर्चा की थी कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता में देश के सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स बैठें और बैठ कर इस बात को सोचें, गम्भीरता से सोचें। अगर हम नहीं सोचेंगे तो यह संभव नहीं होगा।

इस वास्ते मैंने वित्त मंत्री बनते ही-7 तारीख को मैंने इसका भार संभाला है, 11 तारीख को यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को और देश के सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स को पत्र लिखा कि ये हमारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं पर हम को बैठ कर सोचना चाहिए।

अगर हम नहीं सोचेंगे तो आज जो हमारी स्थिति हो रही है, हर स्टेट रेवेन्यू अकाउण्ट में घाटे में जा रहा है उससे उबरना बड़ा मुश्किल होगा। इसमें कई बातें थीं। जैसे पहली बात मैंने उनको यह लिखी थी कि आज हमारे पर केन्द्र के बहुत बड़े कर्जे हैं, उनका ब्याज हम को चुकाना पड़ रहा है। हमको केन्द्र से यह कहना चाहिए कि कुछ अपने कर्जे को, कुछ अपने ब्याज को हमें माफ करो, कुछ वसूल करने की तारीख को आप रिशिड्यूल कर दो जिससे हम इन बातों से बच सकें। ऐसी-ऐसी मैंने बहुत-सी बातें आम सहमति के लिए कही थीं।

सेल्स टैक्स की रेट्स है; नार्दन जोनल कांउसिल में हम बैठे। हमने बैठ कर तय किया कि 15 चीजों पर हम अपनी फ्लोर प्राइस तय करते हैं। वहां से तय कर के आयी नहीं, उसकी स्याही सूखी नहीं कि यहां मैंने बजट पेश किया। 6 परसेंट मोटर व्हीकल का टैक्स था, मैंने 4 परसेंट किया तो दिल्ली वालों ने 4 परसेंट से दो परसेंट कर दिया।

इस तरह से अगर हम एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे तो फायदा किसी का नहीं होने वाला है और अंत में नुकसान इस देश का, इस प्रदेश का ही होने वाला है। उस समय मैंने यह बात कही थी।

(श्री चन्दन मल बैद)

अब मैं दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई कहना चाहता हूं। आज फिर एक ऐसा मसला आया है जिस पर हम को आम सहमति बनाने की जरूरत है। अभी 13 तारीख को भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों को 10 परसेंट महंगाई भत्ता दे दिया।

माननीय प्रतिपक्ष के नेता इस बात को जानते हैं कि हम भारत सरकार से इस मामले में बंधे हुए हैं कि उन्होंने दिया हम को भी देना पड़ेगा। हम भी विचार कर रहे हैं। दो दिन बाद दें, चार दिन बाद दें, दस दिन बाद दें लेकिन देना तो पड़ेगा। इसका क्या होगा ? 332 करोड़ रुपये का राजकोष पर भार आएगा। अब 332 करोड़ का तो जनवरी में उन्होंने जो दिया है उसका भार आएगा और मैंने ऐसा सुना है कि जुलाई में एक और महंगाई भत्ता देने का उनका विचार है, उसका भार फिर आएगा।

इस तरह से करीब 500 करोड़ का भार हमारे राजकोष पर आएगा। मैं यह कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, हम को कभी न कभी बैठ कर यह सोचना पड़ेगा कि क्या हम इस बढ़ते हुए भार को बर्दाश्त कर सकते हैं। कहां तक हम जनता पर करों का बोझ लादते रहेंगे और कहां तक हम कर्मचारियों को ये बढ़े हुए महंगाई भत्ते देते रहेंगे ?

मैं कर्मचारियों के विरोध में नहीं हूं लेकिन यह समझने की बात है। विरोध में नहीं होना या होना दूसरी बात है लेकिन एक फैक्ट है उसको मंजूर करना दूसरी बात है। मैं शुतुरमुर्ग की तरह से अपनी आंख बंद नहीं कर सकता। जो स्थिति है सामने है, उसको हम को समझना चाहिए।

अगर हम सबने साथ बैठ कर इसको नहीं सोचा तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं साफ कहना चाहता हूं कि 2006 में जो छठा वेतन आयोग आएगा उस समय तक वित्त मंत्री का केवल एक काम रहेगा, टैक्सेज से इतनी आमदनी हुई, इतनी पेन्शन दी, इतनी हमने कर्मचारियों को तनख्वाह दी। बस, उसके आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं रहेगी। यह स्थिति आने वाली है क्योंकि आज हम आंकड़े मिला रहे हैं, देख रहे हैं।

अभी 1996 से पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें मानी गयी थीं, तीन साल हुए हैं जनवरी को, तीन साल में 33 परसेंट महंगाई भत्ता बढ़ गया। दस साल में कितना बढ़ जाएगा ? कम से कम 100 परसेंट। तो जो तनख्वाह दुगुनी कर; 40 परसेंट बढ़ाया गया था वह 40 परसेंट बढ़े हुए का और बढ़ जाएगा।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आप से कि हम कहां तक भारत सरकार से अपने को जोड़े रहेंगे ? कहां तक हम महाराष्ट्र से अपने आप को जोड़े रहेंगे ? वे डवलप्ड स्टेट हैं। हम डवलपिंग स्टेट्स हैं। हम उन के साथ अपना मुकाबला कैसे कर सकेंगे ? हम को देखना चाहिए कि उनका जी.डी.पी क्या है, हमारा जी.डी.पी. क्या है ? हमारा सकल घरेलू उत्पाद क्या है, उनका सकल

(श्री चन्दन मल बैद)

घरेलू उत्पाद क्या है ? उनकी औसत आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, हमारी प्रति व्यक्ति आय क्या है ? उनकी विकास दर क्या है, हमारी विकास दर क्या है ? इन सब बातों को सोच कर हम को काम करना पड़ेगा।

यह कैसे हो सकता है कि हमारी जनता का स्तर तो कोई दूसरा हो और हमारे कर्मचारियों का स्तर बिलकुल दूसरा हो। आखिर जो कुछ भी हम कर्मचारियों को दें वह हमारी जनता का स्तर है उस स्तर के मुकाबले ही तो हम दे सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनका स्तर तो बहुत ऊंचा कर दें और हमारा स्तर हम नीचे रख लें। हम जनता से चुनकर आ रहे हैं, इन राज्य कर्मचारियों के भरोसे तो हम यहां इस विधान सभा में नहीं बैठे हैं। इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में हमको बहुत गम्भीरता से सोचना पड़ेगा।

अगर अकेले राजस्थान का वित्त मंत्री कोई फैसला लेना चाहे तो यह सम्भव नहीं है उसके लिए और किसी दूसरे स्टेट का वित्त मंत्री यह फैसला लेना चाहे तो उसके लिए भी यह संभव नहीं है। और शायद भारत सरकार का वित्त मंत्री भी अकेला लेना चाहे तो वह भी संभव नहीं है।

इसके लिए जरूरी है कि सब लोग मिल बैठकर यह फैसला करें। या तो हम कर्मचारियों की संख्या को कम करें, या हम यह कह दें कि सो फार नो फर्दर। आपको तनख्वाहें और महंगाई भत्ता हमने बढ़ा दिया, इससे आगे हम नहीं बढ़ा सकते। इस विषय में मैं थोड़े-से आंकड़े आपकी जानकारी के लिए पेश करना चाहता हूं। राजस्थान की ग्रोथ रेट 1998-99 में 0.87 प्रतिशत और भारत की ग्रोथ रेट थी 5.8....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राजस्थान की क्या है ?

श्री चन्दन मल बैद : राजस्थान की 0.87 परसेंट।

अब आप बताइये एक प्रतिशत से भी कम। उपाध्यक्ष महोदय, बताइये, हमने अपने आपको भारत सरकार से बांध तो लिया लेकिन उनकी ग्रोथ रेट में और हमारी ग्रोथ रेट में बड़ा फर्क है। पर-कैपीटा इनकम राजस्थान की 1997-98 में 2306 रुपये। यह कांस्टेंट प्राइसेज पर है और 1998-99 में है 2275 रुपये। इसका मतलब यह हुआ कि 31 रुपये हमारी पर-कैपीटा इनकम घट गयी। अब हमारी इनकम तो घट गयी और कर्मचारियों की इनकम बढ़ाना ही चाहें तो आखिर हमें कहीं तो सोचना पड़ेगा।

कर्मचारियों के कोई विरोध की बात नहीं है लेकिन ये जो फैक्ट्स हैं इन फैक्ट्स से हम इन्कार कैसे कर सकते हैं। इसी तरह से मैं चार-पांच साल के फिगर्स दे रहा हूं। 1995-96 में हमारी पर कैपीटा इनकम करंट प्राइसेज पर 7523 थी जो बढ़कर 1996-97 में 8974 हो

(श्री चन्दन मल बैद)

गयी, 1997-98 में बढ़कर 9356 हो गयी और 1998-99 में एस्टीमेटेड है कि 9819 होगी, 1995-96 में हमारी ग्रोथ हुई 17.44, 1996-97 में हमारी ग्रोथ हुई 9.29, 1997-98 में हमारी ग्रोथ हुई 4.26 और 1998-99 में हमारी ग्रोथ हुई पर-कैपीटा इनकम की 4.95। पर कैपीटा इनकम गवर्नमेंट एम्प्लाइज की टोटल सात लाख को गिनकर मैं ले रहा हूं, एवरेज ले रहा हूं। उसमें बहुत ऊंचे भी हैं और बहुत नीचे भी हैं, सबकी अलग तो नहीं कह सकता लेकिन एवरेज इनकम कह रहा हूं।

जैसे हमारी पर कैपीटा इनकम एवरेज ही है वैसे एम्प्लाइज की भी एवरेज इनकम मैं दे रहा हूं। 1995-96 में जहां हमारी पर कैपीटा इनकम 7523 थी, हमारे कर्मचारियों की पर कैपीटा इनकम थी 47070, 1996-97 में हमारी पर-कैपीटा इनकम थी 8974 और कर्मचारियों की 52380, 1997-98 में हमारी पर-कैपीटा इनकम थी 9356 और कर्मचारियों की 56274 और 1998-99 में हमारी पर-कैपीटा इनकम थी 9819 और कर्मचारियों की 77623। हमारी रेट बढ़ी है 1995-96 में 17.44 और कर्मचारियों की बढ़ी है 14.28, 1996-97 में हमारी रेट बढ़ी है पर-कैपीटा इनकम की 9.29 और उनकी बढ़ी है 11.28, 1997-98 में हमारी रेट बढ़ी है 4.26 और उनकी बढ़ी है 7.43 और 1998-99 में हमारी ग्रोथ है 4.95 और उनकी ग्रोथ है 37.95 तो मैं किसी के विरोध या विपक्ष की बात नहीं कह रहा हूं। मैं न आपको दोष देता हूं और न मेरे को दोष दे रहा हूं, किन्तु जो स्थिति है, जो फैक्ट्स है उन फैक्ट्स को हमें समझना पड़ेगा। उसके प्रति आंख मूंदकर हम नहीं चल सकते।

हम चाहे इस तरफ बैठे हों, चाहे उस तरफ बैठे हों, राजस्थान के हों चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे गुजरात के हों और चाहे बंगाल के हों, किसी भी जगह के हों, कहीं के भी हों, हमको बैठकर सोचना पड़ेगा कि हम कहां जा रहे हैं, हमको कहां जाना है और हमारे सामने फैक्ट्स क्या हैं और क्या फिगर्स हैं। उन फिगर्स और फैक्ट्स के साथ हम निभ सकते हैं या नहीं निभ सकते हैं, यह भी हमको सोचना पड़ेगा।

आज हम सिंचाई के साधनों के लिए पूरा पैसा नहीं दे पा रहे हैं। सिंचाई की जब मांग थी और हमारी माननीय सिंचाई मंत्री महोदया जब सुन रही थीं तो लोग शिकायत इस बात की कर रहे थे कि हमारा बांध है उसकी पूरी मरम्मत नहीं हो रही है, आपने जो सिंचाई का साधन बना रखा है उसकी मरम्मत नहीं हो रही है, पानी पूरा नहीं आ रहा है, अगर मरम्मत हो जाए तो पानी पूरा आ जाए। ये शिकायतें हो रही हैं। क्योंकि जितना पैसा हमको देना चाहिए सिंचाई के साधनों को सुधारने के लिए, हमारे पास उतना पैसा नहीं है।

आज सड़कों की हालत खराब है। मैंने कोशिश की है। इस साल सड़कों की हालत सुधारने के लिए जितना पैसा

(श्री चन्दन मल बैद)

मरम्मत के लिए दिया जाता है हर साल, मैंने उससे 95 करोड़ रुपये ज्यादा दिया है, लेकिन फिर भी क्या राजस्थान की सारी सड़कें सुधर जाएंगी ? हमने सड़कें बना दीं किन्तु उनको सुधारने के लिए, रोजमर्रा की मरम्मत के लिए, मेंटिनेंस के लिए हमारे पास पैसा नहीं है और दूसरी तरफ हमारा धन इस तरह से जा रहा है तो हमको सोचना पड़ेगा।

आखिर यह जो इतना बड़ा हमने पेराफरनेलिया बना रखा है, यह पेड़ जो इतना बढ़ गया है इतने बढ़े हुए पेड़ की जरूरत है क्या, यह सोचना पड़ेगा। अगर इतने बढ़े हुए पेड़ की जरूरत है तो क्या इतनी बड़ी तनख्वाहों की जरूरत है क्या ?

इकोनोमिक कमेटी हमने बनायी है, उसमें आफिसर–नान आफिसर लोग हैं। अभी सवाल उठा था कि ग्यारह हजार कर्मचारी हमारे रिटायर हुए हैं। हमारे माननीय सदस्य जो मेरे सम्मुख बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा है कि ग्यारह हजार आदमियों को आप निकाल रहे हैं, भर्ती कितनी कर रहे हैं, आपने एक घोषणा पत्र बना रखा है ? मुझे खुशी है इस बात की कि आप अपना घोषणा पत्र नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे घोषणा पत्र को पढ़ रहे हैं, इसके बारे में बोलते हैं।

मुझे खुशी है लेकिन यह कहना चाहता हूं, मैंने उस दिन भी कहा था कि क्या इरिगेशन में 11 चीफ इंजीनियर्स की जरूरत है ? क्या पी.डब्ल्यू डी. में जितने चीफ इंजीनियर्स आज हैं उतने की जरूरत है ? क्या आई.जी.एन.पी में जितने चीफ इंजीनियर्स हैं उनकी जरूरत है? क्या राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में जितने चीफ इंजीनियर्स हैं उनकी जरूरत है ? रिटायर हुए हैं चीफ इंजीनियर्स। जो कमेटी बनी है, जितना हमें समय मिला है उस समय में हमने बैठकर सोचा है कि इसमें आठ चीफ इंजीनियर्स मय उनके स्टाफ के हम कम कर सकते हैं। उनको हम पदोन्नति नहीं देंगे तो हमारा काम चल सकता है।

(17.19 बजे)

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

इस तरह से मैं यह नहीं कह रहा हूं कि केवल चीफ इंजीनियर्स रैंक पर ही हम कोई कुठाराघात करना चाहते हैं। हमारी मंशा यह है कि हम पुलिस को, हमारी मंशा यह है कि हम आई.ए.एस. अधिकारी को, हम देखेंगे इस बात को कि आज सैक्रेटेरिएट में इतने सैक्रेटरीज की जरूरत है क्या। हर सैक्रेटरी के पास उतना काम है क्या कि जितना उसके पास होना चाहिए ?

आज हम सैक्रेटरी को 30 हजार रुपया तनख्वाह दे रहे हैं, तीस हजार के लायक हमको काम का आउट पुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यह हमको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। यह सोच कर, देखकर हमें सारी चीजें करनी पड़ेंगी।

(श्री चन्दन मल बैद)

अगर हम यह समझ जाएं कि नहीं, जो चल रहा है वही चलने दें तो बहुत दिनों तक तो चलने वाला नहीं है। हो सकता है पांच साल चल जाए।

अगली बार आप आएं या मैं आऊं, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता लेकिन आप आएंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा और हम आएंगे तो हमको भुगतना पड़ेगा। इस वास्ते मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन चीजों पर आम सहमति हमको बनानी चाहिए। सबको साथ मिल बैठकर सोचना चाहिए और सोचकर कोई निर्णय लेना चाहिए। दूसरी बात जिसके बारे में, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : चीफ कंजरवेटर, फोरेस्ट की पोस्ट आपने क्रियेट की...(व्यवधान).... नहीं, नहीं, वह बहुत इम्पार्टेन्ट चीज है।

श्री चन्दन मल बैद : सारी चीजें, माननीय सदस्य, इम्पार्टेन्ट हैं और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आप अपने पिताजी के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। आपके पिताश्री बराबर मुझे सलाह देते थे, बराबर मुझे गाइड करते थे और कम से कम इस मामले में आप अपने पिताश्री के पदचिन्हों पर चल रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस काम को आप आगे भी जारी रखें।

मैंने जब बजट पेश किया तो मैंने पिछले साल का और उससे पिछले साल का जो बजट में घाटा 1201 करोड़ 83 लाख अनकवर्ड छोड़ दिया था मैंने एक अनयूजुअल बात की थी। सबने इसकी आलोचना की। प्रेस ने भी आलोचना की, अखबारों ने भी आलोचना की, सब लोगों ने इस बात की आलोचना की कि यह क्या है, यह किस तरह का बजट आपने बनाया। आपने तो जीरो बजट से शुरू कर दिया और जो घाटा था पिछले साल का वह आपने यूं ही छोड़ दिया।

मैंने कहा था उस समय कि राष्ट्रीय विकास परिषद में यह फैसला हो चुका था कि शार्ट टर्म पर हमारे वेज एण्ड मीन्स एडवान्स को बढ़ाया जाएगा और यह भी फैसला हो चुका था कि 31 मार्च को जो ओवरड्राफ्ट स्टेटस का होगा उसको ओवरलुक किया जाएगा।

इस बात से मैंने यह जरूरी समझा कि मैं उस घाटे को इस साल के घाटे में नहीं मिला कर उसको कवर करने की कोशिश नहीं करूं जिससे मेरा पिछले साल का जो 1201 करोड़ का घाटा है वह मुझे ओवरलुक हो जाए और उसकी मुझे कोई न कोई राहत मिल जाए। यह मैंने जिसको कहना चाहिए, जुआ खेला एक। बहुत-से लोगों ने कहा कि नहीं देंगे।

मैंने कहा नहीं देंगे तो मैं हूं ही, मुझे जो कुछ करना है मैं करूंगा ही, लेकिन मुझे यह कम से कम जुआ खेलना चाहिए। जब उन्होंने सोलम प्रामिस किया है एन.डी.सी. की मीटिंग में, तो कम से कम

(श्री चन्दन मल बैद)

इसका मुझे फायदा उठाना चाहिए। मैंने इसका फायदा उठाया।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी है इस बात की कि 26 तारीख को हमने बजट पेश किया, 12 तारीख को ही हमने भारत सरकार से बात-चीत की क्योंकि 13 तारीख को मेरे ओवर-ड्राफ्ट का पीरियड खतम हो रहा था।

अगर मैं 12 तारीख को बात नहीं करूं तो हो सकता था कि 13 तारीख को हमें पेमेंट बन्द कर दें। 12 तारीख को बात की और 12 तारीख को हमारे वित्त सचिव वहां पर गये उनसे बात-चीत हुई, 13 तारीख को बात-चीत हुई और हमारे ओवरड्राफ्ट की अवधि को 16 तारीख तक बढ़ाया गया। 16 तारीख को जब फैसला हुआ उसमें 1010 करोड़ रुपये हमें अन्तरिम राहत के तौर पर दिये गये। मैंने कहा मैं नहीं कह सकता कि पिछले साल का जो 1201 करोड़ का हमारा घाटा था वह अकाउण्ट्स में कितना घाटा रहेगा या रिजर्व बैंक के अकाउण्ट्स में कितना घाटा आएगा क्योंकि सारे अकाउण्ट्स अभी बताये नहीं गये हैं।

हो सकता है वह 1100 हो, हो सकता है 1000 ही हो, लेकिन 12 सौ से जरूर कम होगा। तो उन्होंने 1010 को हमको अन्तरिम राहत दी और यह कहा कि हम अन्तरिम राहत इस वास्ते दे रहे हैं कि हमारा बजट पास नहीं हुआ है। जब बजट पास हो जाएगा, उसमें कण्डीशन यह लिखी हुई है कि जब बजट पास हो जाएगा तो यह अन्तरिम राहत हम आपके मीडियम टर्म राहत में बदल देंगे। मीडियम टर्म राहत का मतलब 5 से 10 साल की राहत में बदल देंगे।

मतलब यह हुआ कि हमारा पिछले साल का जो घाटा था और उससे पहले साल का जो घाटा था वह सारा का सारा घाटा हमारा आज साफ हो गया और हमने इस साल जो जीरो बजटिंग शुरू की थी वह जीरो बजटिंग हमारी आगे जाकर के प्लस में रहेगी। उसका हमने इन्तजाम कर लिया।

मैं यह नहीं कहना चाहता कि मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया लेकिन कम से कम इस बात की तो कोशिश मैंने की और बजट का जो घाटा था वह बजट का घाटा खतम कर दिया।

अब मेरे सामने केवल समस्या इतनी ही है कि राजस्व खाते का घाटा है उसकी फिक्र करनी है। उसके लिए भारत सरकार से हमारा समझौता हुआ है, मैमोरेण्डम आफ अण्डरस्टैंडिंग हमारी बनी है। उसमें उन्होंने कहा है कि 2004 तक हम अपने राजस्व खाते के घाटे को पूरा करेंगे। हमने उनसे वायदा किया है कि हम उसको पूरा करेंगे और मेरी पूरी मंशा इस बात की है, मुझे पूरा विश्वास है इस बात का कि 2004 से पहले पहले मैं राजस्व खाते में जो घाटा है उसको बराबर कर दूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वार्षिक

(श्री चन्दन मल बैद)

योजना के बारे में कई लोगों ने शंकाएं जाहिर कीं कि जब आप इतने बड़े घाटे में हैं और इस तरह की आपकी स्थिति है तो 5022 करोड़ की योजना कैसे पूरी करेंगे। योजना आयोग ने तो आपको 4750 की योजना मंजूर की थी और आप आज 5022 करोड़ 18 लाख की योजना बना कर आये हैं, उसका वित्त पोषण आप कैसे करेंगे।

प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने भी मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा था और मैंने उनको जवाब दिया था, वित्त पोषण की सारी डिटेल्स आपको दी थीं। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यह प्रश्न उठाया था कि आप वित्त पोषण कैसे करेंगे।

मैं बताना चाहता हूं; यह सही है बात; गलत नहीं है कि 5022 करोड़ की योजना को पूरा करने के लिए मुझे 6820 करोड़ का ऋण लेना पड़ेगा। सही बात है यह, गलत बात नहीं है और यह पहली बार नहीं है जैसा कि आपने कहा था कि पहली बार योजना से ज्यादा ऋण लिया जा रहा है। 1996–97 में जितनी योजना थी उससे 103.82 प्रतिशत का ऋण लिया गया था और 1998–99 पिछले साल 134.33 परसेंट का ऋण लिया गया था जितनी योजना थी उससे। ये आंकड़े हैं, यह मैं जुबानी नहीं कह रहा हूं, आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं। इस साल ठीक है हमने 135.82 परसेंट ऋण लिया है, इसमें कोई शक नहीं है।

प्रतिपक्ष के नेता महोदय से मैं आज बात कर रहा था उनके कमरे में, मैं उनसे निवेदन कर रहा था कि अभी तक तो मैं आपका ही बजट चला रहा था कांग्रेस गवर्नमेंट का बजट चलाते हुए तो मुझे 21-22 दिन ही हुए हैं। 4 महीने तो मैं आपके ही बजट पर काम कर रहा था, मुझे तो कुल 22 दिन मिले हैं मेरे बजट पर।

मुझे समय दीजिए; मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको, पूरी जितनी भी मेरे को जानकारी है, जो कुछ भी मैं जानता हूं उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि मैं राजस्थान की वित्तीय स्थिति जो आज पटरी से नीचे उतर गयी है उसको मैं पटरी पर लाने की पूरी कोशिश करूंगा और लाऊंगा।

इसके लिए मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं हवा में बात करता तो पिछले साल का बजट का घाटा यों पार नहीं हो जाता। कोई आर्ग्युमेंट दिये होंगे हमने चाहे मैंने दिये हों चाहे मेरे फाइनेन्स सैक्रेटरी ने दिये हों या हम दोनों ने मिलकर दिये हों; हमने कोई आर्ग्युमेंट दिये होंगे जिस आर्ग्युमेंट के आधार पर हमको 1010 करोड़ की अन्तरिम राहत मिली है। इतनी अन्तरिम राहत किसी दूसरी स्टेट को नहीं मिली है। ऐसा नहीं है कि दूसरी किसी स्टेट का रेवेन्यू डेफिसिट कोई हम से कम है। कम नहीं है, काफी है।

मैं जरा थोड़ा-सा बताना चाहता हूं आपको खैर; मुझे मिल जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा।

(श्री चन्दन मल बैद)

तो वार्षिक योजना की बात कर रहा था। मैं बताना चाहता हूं कि हम इसको किस तरीके से पूरा करेंगे। एक सवाल और भी उठा था....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कहा, राजस्व घाटे के लिये सेण्ट्रल गवर्नमेंट से रिलीफ मिली 1022 करोड़। बजटीय घाटे की आपने भारत सरकार से बातचीत की, उन्होंने रिलीफ दी 1010 करोड़। क्या यह बात भी सही है कि यह घाटे की पूर्ति जो की गयी है उसके दो प्रमुख कारण हैं ?

एक प्रमुख कारण तो यह है कि 29 पाइंट प्लस जो सेण्ट्रल रेवेन्यू में हमारा हिस्सा मिलना चाहिये उसके लिये कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट अभी नहीं हुआ और उस कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट होने के बाद में जो राशि हमको मिलने वाली है, उसको अग्रिम भुगतान कर दिया।

दूसरा, बी.डी.आई.एस. की जो रकम है, जो अभी तक हमको पूरी नहीं मिली वह रकम भी इसमें शामिल है।

श्री चन्दन मल बैद : मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं कि अंतरिम राहत है। हमारा जो मैमोरेंडम आफ अण्डरस्टैंडिंग है उसमें उन्होंने यह कहा है कि क्योंकि हमारा बजट पास नहीं हुआ इस वास्ते हमको अंतरिम राहत दे रहे हैं, लेकिन इस अंतरिम राहत को बाद में प्लानिंग कमीशन के साथ बैठकर आपके मिडटर्म राहत में चेंज कर देंगे। 29 परसेंट का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। 29 अगर होगा तो उससे हमको ज्यादा पैसा मिलेगा। वह अलग है।

यह अंतरिम राहत है क्योंकि इनका पूरा बजट पास नहीं हुआ है। आज पूरा बजट जब तक पास नहीं हो जाए तब तक मुझे कोई कहे कि 6 महीने के लिये मुझे फलानी-फलानी राहत दे दो; तो मैं नहीं दे सकता हूं। इस वास्ते वे भी नहीं दे सकते हैं।

उन्होंने यह कहा कि चूंकि हमारा बजट पास नहीं हुआ है, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं, इस वास्ते हम आपको अंतरिम राहत दे रहे हैं और जब बजट हमारा पास हो जाएगा तो हम मिडटर्म में इसको कंवर्ट कर देंगे। यह हमारा जो मैमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग है उसमें लिखा हुआ है और उसमें उनके जाइंट सैक्रेटरी के दस्तखत हैं, हमारे सैक्रेटरी के दस्तखत हैं। उसकी कापी मेरे पास मौजूद है, आप कहेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा।

अब मैं कह रहा हूं राजस्व घाटे की बात दूसरे स्टेट्स की। महाराष्ट्र का राजस्व घाटा इस साल 7972 करोड़ है; उत्तर प्रदेश का 6930 करोड़, पश्चिम बंगाल का 7603 करोड़, मध्य प्रदेश का 1782 करोड़; तमिलनाडु का 2632 करोड़, गुजरात का 1409 करोड़, हिमाचल प्रदेश का 1182 करोड़, हरियाणा का 6 करोड़ 18 लाख, गोवा का 143 करोड़; राजस्थान का 2629 करोड़ 50 लाख।

(श्री चन्दन मल बैद)

यह नहीं है कि दूसरों के घाटे हमसे ज्यादा नहीं हैं, दूसरों के घाटे हमसे ज्यादा हैं लेकिन क्योंकि दूसरों ने इसको इस साल में कवर करने की कोशिश की और मैंने यह गैम्बल किया कि मैं कवर नहीं करूंगा और इस साल को मैं जीरो बजट से शुरू करूंगा, इसलिये हमको फायदा मिला, यह आपको मैं कहना चाहता हूं। आप मानें, ना मानें, आपकी मर्जी है।

अब वार्षिक योजना के बारे में जिक्र कर रहा था। एक पाइंट उसमें यह आया कि हम 23 हजार कुछ करोड़ का पिछले साल का कर्जा बताते हैं और आप कहते हैं कि रिजर्व बैंक की किताबों में 20 हजार कुछ कर्जा है। इसमें फर्क होना जरूरी था। ठीक है, गलत नहीं है। इस बात से ठीक है कि रिजर्व बैंक हमारे आंतरिक ऋणों और बाजार के ऋणों और पी.एफ, इंश्योरेंस के पैसे को ऋण में जोड़ती है। बाकी जो हमारा पर्सनल डिपोजिट अकाउंट है, उसको रिजर्व बैंक नहीं जोड़ती। ए.जी. जोड़ता है। इस वास्ते ए.जी. का जो सिस्टम है वह सिस्टम हमने अपनाया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज तक नहीं जोड़ा गया।

श्री चन्दन मल बैद : हमेशा जोड़ते हैं। हमेशा जोड़ते हैं। ए.जी.जो अकाउंट...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें कहां कर्जे का सवाल पैदा हो गया ?

श्री चन्दन मल बैद : वही इंश्योरेंस में भी है, वही पी.एफ. में भी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, वह पी.एफ, में तो हमारा पैसा है, इंटरेस्ट भी लेते हैं लेकिन पी डी. अकाउंट तो बिलकुल डिफरेंट है।

श्री चन्दन मल बैद : पी.एफ. और इंश्योरेंस भी एक ही बात है लेकिन ए.जी. जोड़ते हैं, इस वास्ते हमने जोड़ा है। रिजर्व बैंक में और हमारे में इस वास्ते से भी यह फर्क आ रहा है।

अब वित्त पोषण की बात आपने पूछी थी। मैं बताना चाहता हूं, स्टेट के अपने रिसोर्सेज हैं 3558 करोड़ 13 लाख। उसमें करेंट रेवेन्यू से बैलेंस है 1925.59 करोड़, प्लस है। दसवें फाइनेंस कमीशन के जो पैसे हमें मिलेंगे वे हैं 99 करोड़ 66 लाख कंट्रीब्यूशन आफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (—) 604.17 करोड़, आर. एस.आर.टी.सी.(—) 40 करोड़ 13 लाख, आर.एस.ई.बी.(—) 740 करोड़ 89 लाख; अदर्स का है (+) 176 करोड़ 85 लाख, प्रोविडेंट फंड्स इनक्लुडिंग इंश्योरेंस 1122 करोड़ 61 लाख, मिसलेनियस कैपीटल रिसीप्टस (—)341.03 करोड़, स्माल सेविंग्स(+)1500 करोड़, मार्केट बोरोइंग 789 करोड़ 37 लाख जो भारत सरकार ने मंजूर किया है प्लानिंग कमीशन में, नेगोशिएटेड लोन्स एण्ड अदर फाइनेंसेज 1617 करोड़ 28 लाख। कुल मिलाकर यह है। 1617 करोड़ में विगत है गवर्नमेंट के 27.5 करोड़ 8 लाख, आर.एस.ई.बी.के 998.39 लाख, आर.एस.आर.टी.सी. के 46 करोड़,

(श्री चन्दन मल बैद)

अदर एंटरप्राइजेज में 307.81 करोड़, डिबेंचर्स आर. एस. ई. बी. 400 करोड़, गवर्नमेंट ग्रु. अदर एंटरप्राइजेज 900करोड़, कुल होते हैं यह 1617 करोड़।

इस तरीके से कुल ए.आर.एम. हमारा 762 करोड़ का और सेण्ट्रल असेट्स 1624 करोड़ 96 लाख। इसमें सेंट्रल असिस्टेंस जो है, शामिल है 656 करोड़ एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस फार एक्सीलरेटेड इरिगेशन प्रोग्राम 531 करोड़ 14 लाख, अदर्स के लिये 436 करोड़ 74 लाख। एग्रीगेट रिसोर्सेज5182 करोड़ 59 लाख और प्लान आउट–ले है 5022 करोड़ 18 लाख, सरप्लस रहता है 160 करोड़ 41 लाख, यह हमारा वित्त पोषण है। अब मैं यह बताना चाहता हूं कि किस–किस चीज में हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं।

एग्रीकल्चर एण्ड अलाइड सर्विसेज.... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने प्लानिंग कमीशन से 4750 करोड़ मंजूर कराये और यहां आपने कर दिया 5022 का, इसमें पी.एफ. के पैसे के सिवाय कोई दूसरा पैसा है क्या?

श्री चन्दन मल बैद : क्या फरमाया आपने?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पी.एफ. के पैसे के सिवाय और पैसा है या वही है?

श्री चन्दन मल बैद : समझा नहीं मैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने प्रोविडेण्ड फण्ड का पैसा लिया और....

श्री चन्दन मल बैद : प्रोविडेण्ड फण्ड भी है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन भी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, इस अंतर में पी.एफ. का पैसा आपने बढ़ाया, यही सही है न?

श्री चन्दन मल बैद : नहीं, यह तो सारा ही, मैंने विगम बता दिया आपको। पी.एफ. का भी है, इंश्योरेंस का भी है, सभी है वह तो।

एग्रीकल्चर एलाइड सर्विसेज रिवाइज एलोकेशन जो 98–99 का था वह 330 करोड़ 37 लाख था और 99-2000 का 355.91 करोड़ हो गया। अमाउण्ट इंक्रीज हो गया 25 करोड़ 54 लाख। 7.73 परसेंट की इंक्रीज है। रूरल डवलपमेंट में 273.24 करोड़ था रिवाइज्ड प्लान एलोकेशन में, अब हो गया 357 करोड़ 63 लाख, बढ़ गया 84.39 लाख। परसेंटेज इंक्रीज है 30.88 परसेंट। स्पेशल एरिया प्रोग्राम में घटा है। 57 करोड़ 91 लाख था, हमने किया है 56 करोड़ 97 लाख। यह 0.94 करोड़ कम हुआ है तो यह घटा है .07 प्रतिशत। इरिगेशन एण्ड फ्लड में 569करोड़ 85 लाख था रिवाइज्ड प्लान में और अब हुआ 664 करोड़ 71 लाख, 104 करोड़ 86 लाख बढ़ा है।

इसमें बढ़ोतरी हुई 18.73 प्रतिशत।

(श्री चन्दन मल बैद)

पावर में 846.81 करोड़ था वह बढ़कर हुआ 948 करोड़ 80 लाख, इसमें अमाउण्ट इन्क्रीज हुआ है 101 करोड़ 99 लाख। कुल इन्क्रीज परसेंटेज में है 12.07। इंडस्ट्रीज एवं मिनरल्स में 186.44 करोड़ था अब वह बढ़कर 207 करोड़ 6 लाख हो गया। इन्क्रीज हुआ है 20 करोड़ 62 लाख, 11.06 परसेंट। ट्रांसपोर्ट में 431.14 करोड़ था वह अब बढ़ाकर हमने किया है 653.10 करोड़, ट्रांसपोर्ट में रोड़ भी शामिल हैं। बढ़ोतरी हुई है 221.96 करोड़ की, यानि बढ़ोतरी इसकी हुई है 51.48 परसेंट। सोशल एण्ड कम्युनिटी सर्विसेज में 3.55 करोड़ था अब बढ़कर 4.96 करोड़ हो गया, बढ़ोतरी हुई है 91 लाख की, 25.63 परसेंट बढ़ा है। सोशल एण्ड कम्युनिटी सर्विसेज में 1259 करोड़ 97 लाख थी 1998-99 के प्लान में, अब वह बढ़कर हो गयी 1652 करोड़ 66लाख, 392 करोड़ 69 लाख बढ़ोतरी हुई है 31.17 प्रतिशत की।

मैं यह इस वास्ते कहना चाहता हूं कि सोशल सर्विसेज में बढ़ोतरी हुई है, इरिगेशन में बढ़ोतरी हुई है, पावर में बढ़ोतरी हुई है, ट्रांसपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है। मतलब जो कोर सेक्टर है, सोशल सर्विसेज के सेक्टर हैं उनमें बेतहाशा, जोरदार बढ़ोतरी की गयी है।

यह बात बजट में भी मैंने कही थी कि मेरी मंशा यह है कि पावर, इरिगेशन, सोशल सर्विसेज और ट्रांसपोर्ट; इन सैक्टर्स में ज्यादा बढ़ोतरी करें जिससे हमारे जो साधन बने हुए हैं या साधन जो खराब हो गये हैं उनको हम सुधार सकें और जो हमारी सोशल सर्विसेज स्टार्व हो गयी हैं उनको ठीक किया जा सके। आखिर हो मुझे ऐसा कोई इलहाम नहीं हो गया है कि हजार मिडिल स्कूल क्यों खोलूं; 400 सैकण्डरी स्कूल क्यों खोलूं, 200 हायर सैकण्डरी स्कूल क्यों खोलूं।

मैं जानता था इस बात को कि आज गांव की लड़की मिडल क्लास में पढ़ने के लिए दूसरे गांव में नहीं जा सकती है। इस वास्ते कोशिश यह करूं कि जहां तक हो उस लड़की के नजदीक में मिडल स्कूल हो जाए।

हमारी मंशा यह है कि जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं उनमें अगर बच्चों की संख्या पूरी है तो हम धीरे-धीरे उन सारी प्राइमरी स्कूल्स को मिडिल स्कूल्स में क्रमोन्नत कर दें। हमारी यह भी मंशा है कि अगर बच्चों की संख्या पूरी है तो हर ग्राम पंचायत में एक सैकण्डरी स्कूल हम खोल दें।

अगर बच्चों की संख्या पूरी न हो तो हर पंचायत समिति में इतने हायर सैकण्डरी स्कूल हम खोल दें ताकि उस पंचायत समिति के बच्चों और बच्चियों को इधर-उधर नहीं भटकना पड़े। इस लक्ष्य के साथ हम चल रहे हैं।

इस वास्ते यह मत समझिये। हमारी झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने

(श्री चन्दन मल बैद)

कहा कि पार्लियामेंट के चुनाव देखकर आप यह कर रहे हैं, पार्लियामेंट का चुनाव नहीं होगा तो क्या करेंगे।

मैंने जवाब दिया था अपने बजट विवाद के वक्त में कि इस साल जितना किया है, चुनाव और नो चुनाव, अगले साल सोशल सर्विसेज में इससे ज्यादा करूंगा।

मैं केवल आपका सहयोग चाहता हूं। आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि न केवल सोशल सर्विसेज में बढ़ोतरी दूंगा बल्कि यह भी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं इस खराब हुई वित्तीय स्थिति को वापस ट्रैक पर लाऊंगा। ये दोनों विश्वास मैं सदन को दिलाना चाहता हूं।

इन दोनों विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आप कहेंगे कि आप क्या करेंगे, किस तरीके से इसको करेंगे ? यह मैं आगे बताना चाहता हूं।

श्री जनार्दन गहलोत : यह तो छुपा कर रखा।

श्री चन्दन मल बैद : छिपाकर रखने की कोई बात नहीं है।

पहला पाइंट आप कहेंगे कि आपको क्या भरोसा होगा ? मैंने जितने स्टेट्स के वित्त मंत्री हैं उनको पत्र लिखा है कि 11वां वित्त आयोग आ रहा है, वह सिफारिश करे उसके पहले हम सारे वित्त मंत्री इस बात के लिए अपना मैमोरेंडम उनको दें कि जो भारत सरकार का कर्जा हमारे ऊपर है, भारत सरकार जो हमसे ब्याज ले रही है उसका रिशिड्यूलिंग हो, कुछ माफ हो।

आप कहेंगे कि क्या सम्भव है ? अगर 1010 करोड़ रुपये सम्भव है तो यह भी सम्भव है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। वित्त आयोग ने पहले भी ऐसा किया है। आपको मालूम है, आप तो ज्ञाता हैं इस बात के। अब भी कर सकता है ऐसी बात नहीं है। इसके कारण हैं।

एक कारण यह है कि दसवें वित्त आयोग ने पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश आने वाली थी फिर भी उसको कंसीडरेशन में नहीं लिया। हम कहेंगे कि दसवें वित्त आयोग ने इसको कंसीडरेशन में नहीं लिया इस वास्ते इस पांचवें वेतन आयोग का जो इफैक्ट हमारे ऊपर पड़ा है उसको कंसीडर करें और करके जो हमारे ऊपर जो कर्जा आ गया है सारे स्टेट्स पर, उसको करें। यह लॉबी बना रहे हैं हम।

यह लॉबी बनाने से मैं समझता हूं कि यह जो बात मैं कह रहा हूं उस पर जरूर विचार होगा। यह तो हम 11वें वित्त आयोग से और भारत सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि अगर सारे राज्य मिलकर जोरदार पैरवी करेंगे तो यह मेरे ही फायदे की बात नहीं होगी। ऐसी कोई स्टेट नहीं है जो आज भारत

(श्री चन्दन मल बैद)

सरकार के कर्जे के नीचे न हो और उनके ब्याज के कारण से उनका रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ नहीं रहा हो। सबके साथ है।

मैंने रेवेन्यू डेफिसिट के फिगर्स आपको बताये हैं। सबके रेवेन्यू डेफिसिट इसी कारण से बढ़ रहे हैं। यह नहीं कि हमारा ही रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ा है। हमारा तो कुछ कम बढ़ा है दूसरों के ज्यादा बढ़े हैं, तो सब लोग इससे पीड़ित हैं।

अभी सी. पी. एम. के माननीय सदस्य मौजूद नहीं हैं, असीम दास गुप्ता जी जो वित्त मंत्री हैं वैस्ट बंगाल के, सबसे अनुभवी और सबसे पुराने वित्त मंत्री हैं, 12 साल से बराबर वित्त मंत्री रह रहे हैं वहां पर, मैंने उनको भी पत्र लिखा था। वे नेशनल डवलपमैंट कौंसिल की मीटिंग में मुझे मिले।

उन्होंने कहा कि मैं आपके पत्र से बिलकुल एक–एक शब्द समर्थित हूं, उसका समर्थन करता हूं और मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि आप कलकत्ता आएं, हम दोनों मिलकर इन सारी बातों पर चर्चा करें। मैं ही यह नहीं कहता हूं, कम्युनिस्ट स्टेट भी, बी.जे.पी. के स्टेट भी और दूसरे स्टेट भी एकमत हैं इस बात में। तो मैं समझता हूं कि सभी मिलकर इसका प्रभाव डालेंगे तो इसका जरूर असर होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल यही नहीं कि मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि टैक्स लगा दूं। आपने कहा कि इतने ज्यादा टैक्स आज तक राजस्थान में लगे हो नहीं, ठीक है। आपके अपनी जगह अपने विचार ठीक हैं।

मैं आपसे इस विषय में विवाद नहीं करना चाहता। लेकिन यह भी आप कहेंगे कि नॉन टैक्स रेवेन्यू भी राजस्थान में इतनी ज्यादा बढ़ाने की कभी कोशिश नहीं की गयी। 200 करोड़ रुपये इंदिरा गांधी नहर की जमीन का आवंटन करके, उन नियमों के अनुसार जो नियम आपने बनाये थे। उनके अनुसार 200 करोड़....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो बेचिये।

श्री चन्दन मल बैद : बेचने की बात मैंने नहीं कही है; मैंने आवंटन की बात कही है। जिस तरीके से आवंटन आप कर रहे थे वही आवंटन मैं कर रहा हूं। उस आवंटन से 200 करोड़ रुपये वसूल करूंगा। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि 200 नहीं यह तो 500 करोड़ होंगे।

मैं तो नीचे का फिगर ले रहा हूं। कनवर्जन आफ लैण्ड, बहुत–से लोग आज परेशान हो रहे हैं, एग्रीकल्चर की लैण्ड में मकान बना लिया। आप झोंपड़ी भी नहीं तोड़ सकते, मकान किसका तोड़ देंगे? मकान बना लिया वह चाहता है कि हमने जो मकान बना लिया है उसका पट्टा मिले। हम भी चाहते हैं कि उनको पट्टा मिल जाए, उनकी परेशानी खत्म हो जाए और हमको कम से कम उसकी कुछ रेवेन्यू मिल जाए, कनवर्जन मिल जाए।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के अन्दर ही आपने सारी लाइबिलिटी फिक्स अर्प कर दी और इस साल बच गए। यह तो सब जानते हैं चन्दन मलजी।

श्री चन्दन मल बैद : वह चतुराई थी, बेइमानी तो नहीं थी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बेइमानी नहीं की, आपने पेमेंट कर दिया।

श्री चन्दन मल बैद : यह आप मान गए कि आपके पास चतुर वित्त मंत्री नहीं था, यह तो मान गए न आप ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, चतुराई के बारे में नहीं कहता, चतुराई तो यह कोई भी कर सकता है। आप अगले साल की लाइबिलिटी को पिछले साल पर डाल-कर बजटीय घाटा ज्यादा बता दें, यह कोई तारीफ की बात नहीं है।

श्री चन्दन मल बैद : जो चतुराई मैंने की तो मैं भी उसी चूरू जिले का हूं जिसके आपके वित्त मंत्री थे। आप प्रकारांतर से यह कहना चाहते हैं कि आपके वित्त मंत्री चतुर नहीं थे, आप चतुर हैं, धन्यवाद आपको इस कमैण्ट के लिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि चतुराई हो लेकिन उस चतुराई के साथ फाइनेंशल नार्म्स होने चाहिए, आपने फाइनेंशल नोर्म्स का वाय-लेशन किया है।

श्री चन्दन मल बैद : इसकी शिकायत कीजिए भारत सरकार को आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शिकायत करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो आपको कह दिया। आपकी चतुराई के बारे में मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ टैक्सेज के बारे में कहना चाहता हूं। मुझे पढ़कर ही सुनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है।

दिनांक 26 मार्च, 1999 को सदन में बजट प्रस्तुत करने के पश्चात शासन को जन प्रतिनिधियों, विभिन्न व्यापार व उद्योग संघों की ओर से सुझावों के साथ प्रस्तावों के बाबत कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए। इन अभ्यावेदनों का परीक्षण तथा उद्योग व व्यापार संघों तथा सदन में समय-समय पर व्यक्त सुझावों पर विचार विमर्श के उप-रान्त कर प्रस्तावों के सम्बन्ध में मैं निम्ना-नुसार संशोधन प्रस्तावित करता हूं:-

विभिन्न व्यापार व उद्योग संघों द्वारा यह मांग की गई है कि कर की कम्पोजीशन स्कीम को पुनः लागू किया जाए। इस मांग को दृष्टिगत रखते हुए ऐसी व्यवस्था लागू करने का विचार है जिसमें अनावश्यक विभागीय दखलन्दाजी व कारोबार में रुकावट न हो।

अतः खाण्डसारी तथा सर्राफा व स्वर्णा-भूषणों के लिए कर कम्पोजीशन योजनाओं को कुछ संशोधनों के साथ पुनः लागू किया

(श्री चन्दन मल बैद)

जा रहा है। ईंट भट्टों के लिए कम्पोजीशन स्कीम का सरलीकरण किया जा रहा है तथा रत्न और जवाहरात के लिए नई कम्पोजीशन योजनाएं लागू की जा रही हैं। साथ ही यह भी तय किया गया है कि यदि कोई व्यवसाय व उद्योग संवर्ग अपने व्यवहारों के सम्बन्ध में कम्पोजीशन व्यवस्था में आना चाहेंगे तो सरकार उन प्रस्तावों पर खुले दिमाग से विचार करेगी।

वित्त विधेयक के अन्तर्गत यह प्रस्तावित है कि परिवहनकर्ता (ट्रांसपोर्टर) यदि माल के प्राप्तिकर्ता के बारे में सूचना नहीं देता है तो ट्रांसपोर्टर को व्यवहारी मान लिया जाएगा; डीलर मान लिया जाएगा।

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे प्रकरणों में परिवहनकर्ता को केवल उस माल के लिए व्यवहारी माना जाएगा जिसके प्राप्तिकर्ता का पता नहीं बताया जा रहा है। अन्य प्रयोजनों हेतु परिवहनकर्ता को व्यवहारी नहीं माना जाएगा। साथ ही यदि वह ट्रांसपोर्टर उस कन्साइनमैंट के ऊपर देय कर देने को तैयार नहीं होता है तो उस कन्साइनमैंट के माल को आयुक्त, वाणिज्यिक कर नीलाम कर प्राप्त राशि को राज्य खजाने में जमा कर सकेगा।

प्रपत्र 18 (अ) के सम्बन्ध में व्यक्त कठिनाइयों के निराकरण हेतु एक अधिसूचना जारी की जा रही है जिसके अंतर्गत कुछ ऐसी वस्तुएं जो मैन्यूफैक्चरिंग हेतु आवश्यक हैं या जो आम उपयोग की वस्तुएं हैं; उन्हें अधिसूचित वस्तुओं की सूची से हटाया जा रहा है।

इसी प्रकार इण्डिया मिक्स; बुलियन; पावर ट्रांसफार्मर, खादी इकाइयां, एरिएटेड/मिनरल वाटर इकाइयों तथा स्टेनलैस स्टील इकाइयों के सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकारक अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं ताकि इन वस्तुओं पर करारोपण के सम्बन्ध में भ्रांतियों को दूर किया जा सके।

राज्य से व्यापार पलायन रोकने तथा कर दरों का सुसंगतीकरण करने की दृष्टि से मैं निम्नानुसार प्रस्ताव करता हूं:--

(18.00 बजे)

टायर ट्यूब पर कर दर को 31 मार्च, 2000 तक के लिए 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाए। मोटर पार्ट्स एवं एक्सेसरीज (मय दो पहिया वाहनों के पार्ट्स) पर कर दर को 31 मार्च, 2000 तक के लिए 8 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया जाए। बियरिंग पर कर दर को 31 मार्च, 2000 तक के लिए 6 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया जाए।

प्लास्टिक उत्पाद तथा मोल्डेड फर्नीचर पर कर दर को 31 मार्च, 2000 तक के लिए 12 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया जाए। टैस्टिंग व मेडिकल तथा सर्जीकल इक्विपमैंट्स पर कर दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया जाए। जूतों पर लागू 10 प्रतिशत की कर दर को घटाकर 8प्रतिशत कर दिया जाए।

(श्री चन्दन मल बैद)

रेडिमेड वस्त्रों तथा होजरी पर लागू 4 प्रतिशत की कर दर को घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया जाए। नान फेरस मैटल स्क्रैप पर लागू कर दर को 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया जाए। इसी प्रकार पोस्तदाने पर लागू कर दर को 31 मार्च, 2000 तक के लिए 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया जाए। बिजली के तार व केबल पर लागू कर दर को 31 मार्च, 2000 तक के लिए 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाए। प्रेशर कुकर, आटा चक्की, हैण्ड पम्प, एल्यूमिनियम फाइल, मोल्डेड लगेज, ब्रीफकेस, सूटकेस, गद्दे, तकिये पर लागू कर दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाए।

कुटीर उद्योग की महत्ता को देखते हुए तंबाकू रहित चूरी को कर-मुक्त किया जा रहा है। मानसिक रूप से विमंदित बच्चों के काम आने वाली राज्य में ही निर्मित आयुर्वेद औषधि "लरनोल प्लस" को भी करमुक्त किया जा रहा है। अरंडी के बीज को भी पूर्णतया कर-मुक्त किया जा रहा है। ग्रे क्लाथ पर 2 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया था, अब यह प्रस्तावित है कि ग्रे क्लाथ को 31 मार्च, 2000 तक के लिए करमुक्त कर दिया जाए।

पंजीयन एवं मुद्रांक कानून से संबंधित सुझावों के परीक्षण व विचार के पश्चात् निम्नानुसार संशोधन प्रस्तुत हैं :—

राजस्थान सरकार, जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल, नगर विकास न्यास तथा नगर पालिकाओं द्वारा आवंटित/विक्रीत अचल संपत्तियों का पंजीकरण यदि दिनांक 30 सितम्बर, 1999 तक करवा लिया जाता है तो बाजार मूल्य के स्थान पर वास्तव में दी गई राशि के आधार पर मुद्रांक शुल्क की गणना की जाएगी तथा उन पर 6 प्रतिशत की रियायती दर पर ही मुद्रांक शुल्क लिया जाएगा। रीको के संदर्भ में यह रियायत दिनांक 31 मार्च, 2000 तक के लिए लागू होगी।

वित्त विधेयक के अन्तर्गत यह प्रस्तावित किया गया था कि इकरारनामों पर रु. 100/– के स्थान पर भूमि के बाजार मूल्य के 3 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क देय होगा तथा 6 माह के अन्दर पंजीयन करवाने पर सैट आफ देय होगा। अब यह प्रस्तावित है कि बाजार मूल्य के स्थान पर इकरारनामों में तय की गई विक्रय राशि का ही 3 प्रतिशत राशि के बराबर मुद्रांक शुल्क देय होगा। सैट आफ हेतु 6 माह की अवधि को बढ़ाकर 3 वर्ष किया जा रहा है।

मुख्त्यारनामों के संबंध में जारी की गई अधिसूचनाओं को इस प्रकार संशोधित किया जा रहा है कि 6 माह के स्थान पर तीन वर्ष तक की अवधि तक के लिए मुख्त्यारनामों का पंजीयन करवाया जा सकेगा तथा प्रथम श्रेणी के रिश्तेदारों के पक्ष में मुख्त्यारनामे ऐसी सम्पत्ति के बारे में भी पंजीयन हेतु मान्य होंगे जो पंजीयक/

(श्री चन्दन मल बैद)

उप पंजीयक के क्षेत्राधिकार से बाहर हो।

किसी पार्टनर के परिवर्तन के फलस्वरूप की जाने वाली पार्टनरशिप डीड में अब केवल 100-- रुपये मुद्रांक शुल्क ही देय होगा।

26 मार्च, 1999 को एक अधिसूचना जारी की गई थी कि पंजीयन हेतु प्रपत्र प्रस्तुत करते समय सम्पत्ति के बाजार मूल्य के अनुसार देय मुद्रांक शुल्क का कम से कम 75 प्रतिशत भुगतान करना होगा। अब इस राशि को 75 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत किया जा रहा है।

औद्योगिक क्षेत्रों में रीको तथा आर. एफ.सी. द्वारा आवंटित भूखण्डों पर निर्मित भवनों पर भूमि एवं भवन कर की गणना हेतु भवन का मूल्य रीको/आर.एफ.सी. द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।

हालांकि इस वर्ष के बजट प्रस्तावों में भूमि एवं भवन कर की दरों तथा करारोपण प्रक्रिया में कोई संशोधन नहीं किये गये थे फिर भी इस विषय पर अनेकों अभ्यावेदन एवं सुझाव प्राप्त हुए हैं। सुझावों पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि करारोपण प्रक्रिया के सरलीकरण व सुसंगतिकरण हेतु एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाए।

सिंचाई के साधनों का संधारण सुचारू रूप से करने हेतु वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए मेरे द्वारा बजट में सिंचाई दरों में 100 प्रतिशत बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई थी। इस विषय में माननीय सदस्यों द्वारा अपने विचार सदन में रखे गये। अतः उनके सुझावों का आदर करता हुआ और इस भावना से कि काश्तकारों पर अधिक भार एकदम नहीं पड़े, मैंने इस प्रश्न पर विवेचना के उपरांत सिंचाई दरों को व्यावहारिक व सुसंगत बनाने की चेष्टा की है।

अतः चना, जौ, गोचनी, दालें, सब्जी, बाजरा, ज्वार, मक्का, ग्वार आदि पर सिंचाई दर 100 प्रतिशत से घटाकर केवल 50 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही थी कि कोई भी इस बजट पर गर्व नहीं कर सकता। मैं गर्व नहीं कर रहा हूं, मुझे गर्व करने का कोई अधिकार भी नहीं है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सामाजिक सेवाओं में जो बढ़ोतरी दी गई है, समाज कल्याण के क्षेत्र में जो बढ़ोतरी दी गई है, सड़क, बिजली, इरिगेशन के क्षेत्र में जो बढ़ोतरी दी गई है और उसके बावजूद भी बजट को जो संतुलित किया गया है, मैं कहता हूं आने वाले वर्षों के लिए यह बजट मार्ग-दर्शन के रूप में काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसको पारित किया जाए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मंत्रीजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : बैठिए, बैठिए, बीच में नहीं।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) :- आपने कहा था सिंचाई की दरों के बारे में, उसका क्या हुआ ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं । श्रवण कुमार जी, बैठिए । आसन पैरों पर है ।

श्री श्रवण कुमार : किसानों के 20 हजार से 40 हजार करने का क्या हुआ ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

विधेयक का पारण

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या- 4) विधेयक, 1999 को पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 1999 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 1999 पारित किया गया ।

सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक 23 अप्रैल, 1999 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.08 बजे शुक्रवार, 23 अप्रैल, 1999 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट—1

परिशिष्ट–'अ'

(तारांकित प्रश्न संख्या-525 की प्रति)

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर में उपभोक्ता वस्तुओं के क्रय की प्रक्रिया।

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के क्रय हेतु, क्रय नीति निर्धारित की गई है। उपभोक्ता संघ की निर्धारित क्रय नीति के अनुसार माल खरीदने से पूर्व माल बेचने वाले उत्पादक, वितरक, स्टॉकिस्ट, थोक विक्रेता से वस्तु एवं शर्तों की जानकारी की जाती है।

खाद्य पदार्थ सामग्री स्थानीय मण्डी में स्थित थोक व्यापारियों से क्रय की जाती है। किसी भी परिस्थिति में खुदरा विक्रेताओं से माल क्रय नहीं किया जाता है। जहां एक ही वस्तु के एक से अधिक स्टॉकिस्ट/थोक विक्रेता हों तो सभी से विचार विमर्श कर, जिनकी दरें सब से कम एवं शर्तें संघ के लिए लाभप्रद होती हैं, संघ हित में उन्हीं फर्मों से क्रय किया जाता है।

निर्धारित क्रय नीति के अनुसार वर्तमान में स्थानीय बाजार से निम्नांकितानुसार अधिकारियों की 'क्रय समिति' द्वारा माल क्रय किया जाता है :–

1. प्रबन्धक, मार्केटिंग, मार्केटिंग अनुभाग।
2. सहायक व्यवस्थापक (क्रय)
3. सहायक लेखाधिकारी/कनिष्ठ लेखाकार।

ह०
उप रजिस्ट्रार (उप.)
सहकारी समितियां, राजस्थान
जयपुर

परिशिष्ट–2

(तारांकित प्रश्न संख्या-527 की सूची)

नगर निगम/परिषद/पालिकाओं की 1993–94 से 1997-98 तक की चुंगी+डी.पी. से प्राप्त आय का विवरण :–

क्र.सं.	नाम नगर निगम/परिषद/ पालिका	1993-94	1994–95	1995-96	1996-97	1997-98 (लाखों में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	अजमेर	600.26	720.30	849.41	1036.23	1173.95
2.	ब्यावर	137.48	173.20	223.95	244.92	264.06
3.	किशनगढ़	156.83	196.31	230.81	247.22	257.63
4.	केकड़ी	41.86	58.64	69.82	70.31	27.49
5.	पुष्कर	5.89	7.96	12.58	14.36	79.96

1	2	3	4	5	6	7
6.	सरवाड़	10.19	16.90	21.39	20.95	17.24
7.	विजयनगर	31.28	32.86	40.50	49.62	22.43
8.	अलवर	178.95	271.19	307.04	319.91	342.73
9.	खेरली	26.78	28.10	37.81	95.81	44.76
10.	राजगढ़	22.90	25.65	26.17	28.79	36.99
11.	खेरथल	57.50	31.44	38.52	52.73	62.71
12.	तिजारा	8.55	10.67	14.06	12.56	12.66
13.	बहरोड़	41.85	63.89	82.85	85.94	87.94
14.	बाड़मेर	102.28	112.75	145.86	168.63	177.80
15.	बालोतरा	197.75	185.70	230.68	240.11	237.10
16.	बांसवाड़ा	60.34	79.50	113.11	117.93	132.92

1	2	3	4	5	6	7
17.	कुशलगढ़	8.75	10.53	11.46	12.92	15.13
18.	बीकानेर	445.25	562.12	655.49	715.56	697.03
19.	देशनोक	9.64	19.38	28.53	28.32	27.07
20.	नोखा	32.32	47.32	67.85	87.75	80.72
21.	भीलवाड़ा	519.57	594.98	711.05	776.09	925.21
22.	शाहपुरा	16.40	19.54	22.24	22.44	24.90
23.	गंगापुर	17.78	21.32	36.39	26.18	23.31
24.	जहाजपुर	12.32	13.55	14.90	15.29	19.10
25.	आसीन्द	8.55	8.78	12.93	14.22	18.66
26.	गुलाबपुरा	72.07	79.28	87.21	79.74	91.86
27.	माण्डलगढ़	7.37	8.09	10.00	12.23	14.72

1	2	3	4	5	6	7
28.	भरतपुर	235.00	435.27	596.17	612.68	730.98
29.	बयाना	34.17	34.49	59.60	41.91	78.50
30.	डीग	20.78	27.71	36.06	42.59	55.88
31.	कामां	20.07	22.37	62.42	26.18	32.88
32.	नदबई	18.12	26.34	29.13	30.77	36.09
33.	वैर	5.33	7.02	8.49	12.82	12.49
34.	कुम्हेर	10.39	11.25	14.76	15.22	16.00
35.	भुसावर	6.88	8.80	11.66	16.84	18.03
36.	नगर	18.18	22.06	25.92	27.35	39.78
37.	बारी	84.39	109.09	118.90	137.72	188.74

1	2	3	4	5	6	7
38.	अन्ता	5.84	46,96	44.92	52.45	41.88
39.	छबड़ा	13.05	9.04	21.28	24.24	32.19
40.	मांगरोल	6.14	10.67	11.74	18.75	20.20
41.	बून्दी	104.80	80.38	131,47	143.77	158.54
42.	लाखेरी	31.13	37.40	53.54	98.62	82.65
43.	केशवरायपाटन	18.96	22.19	26.66	29.02	35.63
44.	नेनवां	4.97	5.06	11.13	11.99	20.69
45.	कापरेन	13.52	15.79	18.00	20.63	25.69
46.	इन्द्रगढ़	6.49	8.51	9.95	10,60	12.89
47.	चित्तौड़गढ़	142.88	184.33	245,26	287.83	311.50

1	2	3	4	5	6	7
48.	प्रतापगढ़	39.78	45.19	56.18	57.97	64.62
49.	निम्बाहेड़ा	120.75	139.43	176.90	174.36	170.32
50.	छोटी सादड़ी	21.08	18.34	18.37	18.32	22.78
51.	बड़ी सादड़ी	4.93	13.95	33.48	18.51	21.34
52.	कपासन	12.11	14.30	19.64	30.18	38.92
53.	बेगूं	7.24	9.28	13.67	15.37	19.88
54.	रावतभाटा	—	—	—	—	60.18
55.	चूरू	46.73	65.86	86.91	101.81	98.66
56.	रतनगढ़	50.21	54.31	64.08	76.70	88.52
57.	सुजानगढ़	60.63	70.30	91.31	108.26	115.30
58.	सरदारशहर	40.92	51.42	60.60	74.41	82.03

1	2	3	4	5	6	7
59.	श्रीडूंगरगढ़	21.94	25.87	34.81	41.30	43.25
60.	राजगढ़	35.29	37.21	71.68	72.82	70.08
61.	छापर	10.19	9.52	29.03	17.32	19.05
62.	बीदासर	12.27	13.65	19.80	21.78	25.66
63.	रतननगर	1.40	2.50	5.54	7.34	9.44
64.	तारानगर	11.53	17.62	28.50	28.91	31.37
65.	राजलदेसर	6.00	4.80	7.04	8.05	13.15
66.	डूंगरपुर	49.02	53.09	67.72	83.90	93.47
67.	सागवाड़ा	18.54	24.00	29.08	40.09	44.39
68.	धौलपुर	57.15	72.38	90.65	97.18	110·41
69.	बाड़ी	16.84	21.11	21.87	24.90	25.39

1	2	3	4	5	6	7
70.	राजाखेड़ा	4.40	6.29	8.06	8.18	6.48
71.	दौसा	54.57	58.20	97.12	128.65	133.87
72.	बांदीकुई	24.12	27.58	52.74	51.07	58.72
73.	लालसोट	23.24	24.81	40.28	44.46	49.32
74.	श्रीगंगानगर	201.75	258.65	432.33	435.84	513.34
75.	रायसिंहनगर	48.82	56.94	70.26	73.36	69.72
76.	गजसिंहपुर	9.79	11.22	18.74	22.97	26.85
77.	श्रीकरणपुर	22.91	28.30	52.30	44.10	43.99
78.	अनूपगढ़	44.34	49.09	62.71	71.53	81.76
79.	सादुलशहर	17.53	23.65	31.78	36.25	35.79

1	2	3	4	5	6	7
100.	बगरू	6.58	11.31	13.99	14.58	24.76
101.	जैसलमेर	49.12	61.84	68.75	87.52	97.15
102.	पोकरण	12.97	14.48	18.18	22.61	25.64
103.	जालौर	32.92	40.08	67.85	64.31	63.13
104.	भीनमाल	56.36	55.16	72.07	77.44	74.58
105.	सांचौर	22.63	26.80	30.33	41.21	49.18
106.	झालावाड़	32.03	38.77	47.05	48.08	51.21
107.	भवानीमण्डी	34.73	38.59	49.92	56.53	58.15
108.	झालरापाटन	32.24	39.75	94.45	43.88	53.46
109.	पिडावा	2.97	3.72	4.28	4.38	5.31
110.	चकलेरा	8.54	9.58	15.19	19.00	23.50

1	2	3	4	5	6	7
111.	झुन्झुनू	58.22	74.44	116.98	130.95	143.79
112.	नवलगढ़	26.78	28.35	62.13	51.60	55.30
113.	चिड़ावा	29.48	34.74	52.56	60.96	61.84
114.	बिसाऊ	4.84	5.35	6.91	9.93	10.27
115.	बगड़	5.39	5.21	7.33	8.79	9.98
116.	खेतड़ी	11.08	12.37	15.00	20.42	25.73
117.	मण्डवा	4.20	4.84	9.13	10.93	10.32
118.	मुकन्दगढ़	17.46	17.91	23.79	25.53	25.45
119.	पिलानी	7.19	9.28	11.58	12.90	18.22
120.	सूरजगढ़	11.78	13.58	27.57	20.20	18.57

1	2	3	4	5	6	7
121.	उदयपुरवाटी	14.65	18.06	17.11	16.49	20.84
122.	विद्याविहार	9.20	9.24	11.88	14.50	18.91
123.	जोधपुर	1133.35	1183.75	1668.53	1670.70	1515.18
124.	फलोदी	20.80	26.45	38.70	45.63	49.18
125.	पिपाड़सिटी	17.62	22.01	28.52	46.20	32.31
126.	बिलाडा	17.97	19.51	26.60	43.05	56.42
127.	कोटा	976.60	1653.13	2016.38	1868.17	2562.25
128.	रामगंजमण्डी	47.61	46.16	56.56	55.11	73.98
129.	सांगोद	10.72	15.73	20.12	25.23	29.93
130.	कैथून	5.47	7.12	20.43	10.26	10.07
131.	नागोर	72.70	96.78	168.47	159.95	174.05

1	2	3	4	5	6	7
132.	लाडनूं	25.11	32.73	41.40	81.67	44.43
133.	मेड़तासिटी	39.85	46.53	54.94	60.14	83.70
134.	कुचामनसिटी	43.56	47.62	55.39	64.34	65.25
135.	डीडवाना	36.29	47.51	60.28	66.50	82.66
136.	मकराना	46.62	73.80	88.62	107.44	87.12
137.	परबतसर	19.12	24.99	35.69	37.55	40.13
138.	नांवा	20.74	25.95	33.24	29.30	29.39
139.	कुथला	10.14	13.21	17.10	20.82	24.62
140.	मूण्डवा	8.43	12.49	14.48	15.52	16.58
141.	पाली	319.16	355.10	506.12	516.60	571.68
142.	सोजतसिटी	22.30	24.98	29.56	41.74	77.30

1	2	3	4	5	6	7
143.	सादड़ी	5.03	7.07	9.10	10.72	12.75
144.	बाली	3.63	4.07	6.21	7.75	9.19
145.	तख्तगढ़	6.42	8.11	10.49	11.27	10.99
146.	सुमेरपुर	103.03	118.79	139.66	145.77	202.91
147.	रानीखुर्द	6.09	19.31	20.34	21.05	29 50
148.	जैतारण	14.14	13.45	35.73	24.76	33.24
149.	फालना	17.83	22.41	26.48	30.95	30.83
150.	राजसमन्द	60.55	74.85	87.41	142.42	161.77
151.	नाथद्वारा	39.50	43.41	42.05	46.52	48.56
152.	देवगढ़	9.79	10.29	13.63	14.99	27.68
153.	आमेट	12.96	15.22	21.13	23.90	24.62

1	2	3	4	5	6	7
154.	सवाईमाधोपुर	71.62	75.85	119.62	130.52	162.07
155.	हिण्डोनसिटी	77.22	80.72	122.71	177.01	117.50
156.	करौली	27.55	29.18	37.13	41.04	46.07
157.	गंगापुरसिटी	54.17	64.94	90.68	102.76	105.03
158.	टोडाभीम	3.99	3.79	5.45	6.50	5.30
159.	सीकर	148.91	164.46	417.98	246.82	240.96
160.	फतेहपुर	41.24	45.14	63.90	70.10	75.56
161.	लक्ष्मणगढ़	20.26	21.99	29.42	33.09	45.03
162.	रामगढ़-शेखावाटी	8.78	11.17	16.88	19.03	26.02
163.	श्रीमाधोपुर	34.01	35.58	42.01	57.00	59.99
164.	नीमकाथाना	31.14	37.04	43.16	60.17	67.63

परिशिष्ट–3

(तारांकित प्रश्न संख्या–530 की प्रति)

राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के भाग-III, राशन कार्ड बनाने संबंधी नीति नियम निम्नानुसार हैं:–

भाग–III

राशन कार्ड

10. राशन कार्ड तैयार करना:-प्राधिकृत अधिकारी, स्वयं के प्रस्ताव पर या किसी अर्हित निवासी द्वारा उसको किए गए किसी आवेदन पर स्वयं ऐसे निवासी को उसके लिए और उसकी गृहस्थी, यदि कोई हो, के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाय, राशन कार्ड जारी करेगा या करायेगा :

परन्तु यह कि ऐसा कोई भी कार्ड किसी भी व्यक्ति को परिदत्त नहीं किया जाएगा जब जक कि ऐसा व्यक्ति या उसके परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य, जिसको यह दस्तावेज उसके निमित्त दिया जाता है, ऐसा दस्तावेज परिदत्त करने वाले अधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित ऐसे दस्तावेज की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप रसीद पर हस्ताक्षर न करे।

11. राशन कार्ड की विषय वस्तु:--अन्य विशिष्टियों के अतिरिक्त, राशन कार्ड में राशन कार्ड धारक का नाम और पता, गृहस्थी के व्यक्तियों की संख्या और उस उचित कीमत दुकानदार का नाम या कोई अन्य निर्देश जिससे राशन कार्ड धारक खाद्यान्न और अन्य आवश्यक पदार्थ खरीदने का हकदार है।

12. राशन कार्डों के संशोधन आदि:--(i) प्राधिकृत अधिकारी किसी भी समय चाहे उस व्यक्ति के आवेदन पर जिसे राशन कार्ड जारी किया है या स्वप्रेरणा से, ऐसी जांच करने के पश्चात जो आवश्यक समझी जाय, राशन कार्ड में परिवर्धन, संशोधन, फेरफार कर सकेगा, उसे निलम्बित अथवा रद्द कर सकेगा।

(ii) जहां कोई भी राशन कार्ड इस प्रकार रद्द कर दिया गया हो; कोई भी व्यक्ति जिसके कब्जे में वह है इसे तुरन्त प्राधिकृत अधिकारी को समर्पित कर देगा ।

13. अविधिमान्य राशन कार्डों का प्रस्तुतिकरण और उनका कब्जे में रखा जाना:--(1) कोई भी राशन कार्ड धारक चाहे स्वयं अथवा किसी व्यक्ति के माध्यम से साशय ऐसा राशन कार्ड प्रस्तुत नहीं करेगा जिसे वह जानता है या उसके यह विश्वास करने का कारण है कि इसमें ऐसी यूनिटें सम्मिलित हैं जिनके लिए वह इस आदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात इस आदेश में अविधिमान्य राशन कार्ड कहा गया है) के अधीन खाद्यान्न अथवा अन्य आवश्यक पदार्थ विधिपूर्वक प्राप्त करने का या विधिमान्य राशन कार्ड प्रस्तुत करने पर उस परिणाम से अधिक खाद्यान्न या अन्य आवश्यक पदार्थ प्राप्त करने का हकदार नहीं है, जिसके क्रय के लिए ऐसा राशन कार्ड प्रस्तुतिकरण के समय विधिमान्य है ।

(2) कोई भी राशन कार्ड धारक अपने कब्जे में कोई भी अविधिमान्य राशन कार्ड नहीं रखेगा ।

14. राशक कार्ड आदि के लिए बेईमानी से आवेदन करने के विरुद्ध निषेध:— कोई भी व्यक्ति:--

(क) राशन कार्ड के लिए बेईमानी से आवेदन नहीं करेगा या प्राप्त करेगा यदि यह जानता है या उसके यह विश्वास करने का कारण हो कि उसका नाम किसी गृहस्थी को जारी किए गए किसी राशन कार्ड में पहले ही सम्मिलित किया जा चुका है;

(ख) मिथ्या सूचना प्रस्तुत कर राशन कार्ड प्राप्त नहीं करेगा; बिना विधि-पूर्ण प्राधिकार के उसको जारी किया गया राशन कार्ड परिवर्तित या नष्ट नहीं करेगा;

(ग) विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना उसे जारी किए गए राशन कार्ड में न तो कोई परिवर्तन करेगा न उसे नष्ट करेगा ।

15. व्यक्तियों की संख्या में परिवर्तन के बारे में रिपोर्ट:--प्रत्येक राशन कार्ड

धारक अपने राशन कार्ड में हुई कमी कि रिपोर्ट एक पखवाडे के भीतर प्राधिकृत अधिकारी को देगा चाहे यह कमी स्थायी आधार पर हो 3 माह से अधिक की कालावधि के लिए ।

16. खो जाने आदि पर राशन कार्ड की दूसरी प्रति जारी करना:– कोई भी व्यक्ति जिसे राशन कार्ड जारी किया गया है, उसके खोने, नष्ट होने या विरूपित होने के सबूत पर, प्राधिकृत अधिकारी को उसके आवेदन पर समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा विहित फीस का संदाय करने पर दिया जा सकेगा । प्रत्येक व्यक्ति, जिसे नया राशन कार्ड दिया गया है, यदि बाद में उसे खोया हुआ राशन कार्ड मिल जाय, तो पश्चात्वर्ती राशन कार्ड को प्राधिकृत अधिकारी को तुरन्त लौटा देगा ।

17. अविधिमान्य राशन कार्ड के उपयोग पर प्रतिबन्ध:–(1) कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई निरंक राशन कार्ड या कोई सील या मोहर का विनिर्माण, तैयारी, मुद्रण नहीं करेगा या अपने कब्जे में नहीं रखेगा जिसका अविधिपूर्ण राशन कार्डों की तैयारी के लिए उपयोग किया जाता हो या किया जाने की सम्भावना हो या ऐसे कार्डों का खाद्यान्न और अन्य आवश्यक पदार्थ प्राप्त करने के लिए उपयोग नहीं करेगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति जानते हुए अविधिपूर्ण राशन कार्ड की प्राप्ति या उपयोग अथवा उसकी प्राप्ति एवं उपयोग में किसी की सहायता या विधिमान्य राशन कार्ड के अलावा किन्हीं भी खाद्यान्नों अथवा अन्य आवश्यक पदार्थों की प्राप्ति या प्राप्ति में सहायता नहीं करेगा ।

(3) कोई भी लोक सेवक जानबूझ कर या जानते हुए किसी भी व्यक्ति को अविधिमान्य राशन कार्ड जारी या जारी करने में सहायता नहीं करेगा ।

18. राशन कार्ड सरकार की सम्पत्ति रहेंगे:–इस आदेश के अधीन जारी प्रत्येक राशन कार्ड राज्य सरकार की सम्पत्ति होगी परन्तु वह व्यक्ति जिसे इस आदेश के उपबंधों के अधीन यह जारी या समर्पित किया गया है या जिसके पास यह रखा गया है इसकी निरापद अभिरक्षा का हकदार और उत्तरदायी होगा ।

19. राशन कार्ड के अन्तरण पर निषेध:—कोई भी व्यक्ति उसे जारी किये गये राशन कार्ड का किसी भी अन्य व्यक्ति को अन्तरण नहीं करेगा और कोई भी व्यक्ति इस आदेश के उपबंधों के अधीन या अनुसार के सिवाय ऐसे राशन कार्ड को प्राप्त, उसका उपयोग या व्ययन नहीं करेगा।

परिशिष्ट–4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

नगर परिषद् ब्यावर के सेवानिवृत्त/मृतक कर्मियों के पेंशन प्रकरण

533. डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद् ब्यावर के सेवानिवृत्त एवं मृतक कर्मचारियों के पेंशन इत्यादि के भुगतान की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है ?

(2) जब पेंशन इत्यादि के भुगतान की जिम्मेदारी सरकार की है तो वर्तमान में यह आर्थिक बोझ नगर परिषद् पर डाले जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) स्वायत्तशासी संस्थाओं के सेवानिवृत्त एव मृतक कर्मचारियों के पेंशन इत्यादि के भुगतान की जिम्मेदारी सरकार की नहीं होकर संबंधित स्वायत्तशासी संस्था की ही होती है।

जिला बाड़मेर/जैसलमेर में कलस्टर कार्य

534. श्री अमीन खान (शिव) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कलस्टर प्रोग्राम वन विभाग के तहत चल रहे हैं ? यदि हां, तो जिला बाड़मेर व जैसलमेर में कितने कलस्टर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या कलस्टरों में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं ? यदि हां, तो कौन-कौनसे ?

(3) एक-एक कलस्टर में कौन-कौनसे कार्य हुए हैं और उन पर कितना व्यय हुआ है ? वर्ष 1997 व 1998 की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वन विभाग के द्वारा जिला बाड़मेर में 57 एवं जिला जैसलमेर में 82 कलस्टर स्वीकृत कराये गये हैं। स्वीकृत कलस्टरों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। कलस्टरों में बेर नीम खेजड़ी, रोहिड़ा, कुमटा इजराईली बबूल इत्यादि प्रजातियों के पौधे लगाये जाते हैं।

(3) जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर में वन विभाग को स्वीकृत कलस्टरों में वित्तीय वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में करवाये कार्यों एवं उन पर हुये व्यय का कलस्टर वार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

डेगाना (नागौर) के लम्बित घरेलू विद्युत कनेक्शन

535. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में गत दो वर्षों के दौरान कुल कितने घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी किये गये ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के गांवों में गत दो वर्षों से 2000 से अधिक घरेलू कनेक्शन लम्बित हैं ? यदि हां, तो क्यों और किन कारणों से ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि घरेलू कनेक्शन जारी करने हेतु विद्युत मण्डल द्वारा सामान गत दो वर्षों से बिलकुल नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? अब सरकार इन लम्बित घरेलू कनेक्शनों को कब तक जारी करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में गत दो वर्षों की अवधि में कुल 2405 घरेलू कनेक्शन जारी किये गये हैं, जिनकी वर्षवार सूची निम्न प्रकार है :—

वर्ष	जारी किये गये कनेक्शन
1997-98	1882
1998-99	523
	कुल : 2405

(2) जी नहीं। उक्त विधान सभा क्षेत्र में गत दो वर्षों में कुल 1706 आवेदकों द्वारा घरेलू कनेक्शन हेतु मांग-पत्र की राशि जमा करवाई हुई है। जिनकी

(ऊर्जा मंत्री)

मय राशि व दिनांक सहित सूची परिशिष्ट- "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है। सामान की उपलब्धि के अनुसार कनेक्शन दिये जा रहे हैं। फिर भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया में कनेक्शन देने का कार्य लम्बित रह जाता है।

(3) जी नहीं। गत दो वर्षों में सामान उपलब्ध करवाया गया है तथा 2405 घरेलू कनेक्शन जारी किए गये हैं। शेष रहे आवेदकों को भी सामान का शीघ्र प्रबन्ध कर कनेक्शन देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत समिति पाली एवं रोहट के राहत कार्य

536. श्री ज्ञान चन्द पारख (पाली) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति पाली एवं रोहट में माह नवम्बर, 1998 से फरवरी, 1999 तक कितने कार्य स्वीकृत किये एवं उक्त कार्यों हेतु कितने मजदूरों को लगाने की स्वीकृति दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने कार्य शुरू हुए कितने कार्य पूर्ण हो गये एवं कितने अपूर्ण ही बंद कर दिये गये और कितने कार्य अब तक शुरू नहीं हुए ?

(3) अब अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? जो कार्य शुरू नहीं हुए उन्हें कब तक चालू करा दिया जायेगा ?

(4) उक्त कार्यों का कितने समय तक का भुगतान मजदूरों का कर दिया है एवं कितना भुगतान अभी तक शेष है ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त कार्यों में से कितने कार्यों का भुगतान विलम्ब से हुआ है इसके लिये कौन जिम्मेवार है तथा सरकार इस बारे में क्या करने जा रही है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति पाली एवं रोहट में माह नवम्बर, 98 से फरवरी, 99 तक स्वीकृत कार्य एवं स्वीकृत श्रमिकों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया है। (परिशिष्ट-अ)

(2) पंचायत समिति पाली में स्वीकृत सभी 26 कार्य शुरू हुए। इनमें से 13 कार्य पूर्ण हुए एवं 13 कार्य चल रहे हैं। पंचायत समिति रोहट के 58 स्वीकृत कार्यों में से 57 कार्य शुरू हुए। 41 कार्य पूर्ण हो गये 16 कार्य चल रहे हैं व 1 कार्य की नाडी से जल निकासी की तकनीकी रिपोर्ट सिंचाई विभाग से प्राप्त हो जाने पर वित्तीय

(अकाल राहत मंत्री)

स्वीकृति जारी की जाकर कार्य चालू कराया जावेगा।

(3) उपरोक्त एक कार्य को छोड़कर सभी स्वीकृत कार्य चालू कर दिये गये हैं जो समयावधि में पूर्ण हो जायेंगे।

(4) उक्त कार्यों का 28 फरवरी, 99 तक का पूरा भुगतान कर दिया गया है।

(5) उक्त कार्यों का शेष भुगतान शीघ्र कराने की कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट—'अ'

पंचायत समिति पाली स्वीकृत कार्य माह नवम्बर, 1998 से 2/99 तक :—

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृति श्रमिक सं.	एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5
1.	अपूर्ण चारदिवारी रा.प्रा.वि., निम्बाड़ा	594–609 6-11-98	20	प.सं., पाली
2.	अपूर्ण चारदिवारी रा.प्रा.वि., दयालपुरा	"	15	"
3.	गवाई पिचका गुरडाई अमरतीया मरम्मत कार्य	"	11	"
4.	गवाई पिचका मरम्मत कार्य दयालपुरा	"	11	"
5.	गवाई पिचका ढाणी दयालपुरा मरम्मत	"	11	"
6.	गवाई पिचका गवड़ी गबरा मरम्मत	"	11	"
7.	अपूर्ण पटवार घर निर्माण कार्य, डिगाई	"	18	"

1	2	3	4	5
8.	तालाब रपट कार्य गिरादड़ा	594-609 6-11-98	13	प.सं., पाली
9.	चारदिवारी रा.प्रा.वि., चोगावास	1084-1102 5-12-98	15	,,
10.	चारदिवारी रा.प्रा.वि., हाथलाई	,,	25	,,
11.	चारदिवारी रा.बा.उ.प्रा.वि., गुन्दोज	,,	25	,,
12.	चारदिवारी रा.प्रा.वि., बाला	,,	13	प. सं. पाली
13.	अपूर्ण नाली निर्माण कार्य ठाकुरला	,,	10	,,
14.	नवीनीकरण एवं सुदृढ़िकरण एन्दलाबांध ग्राम पंचायत-गुड़ा एन्दला	1390-1421 6-1-99	75	अधि. अभियन्ता सिचाई, पाली
15.	सम्पर्क सड़क बाम्बोलाई(4.60 किमी) ग्रेवल सड़क ग्रा.पं.सांपा	1051–70 4-12-98	100	अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, पाली

1	2	3	4	5
16.	डरी से भावनगर 5 किमी सड़क ग्राम पंचायत साकदड़ा	1051-70 4-12-98	100	अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, पाली
17.	भावनगर से सुन्देलाव 4/500 कि.मी. ग्रेवल सड़क ग्राम पंचायत साकदड़ा	"	120	"
18.	सुन्देलाव से चाणोद 5 कि.मी.ग्रेवल सड़क ग्रा.पं. साकदड़ा	"	100	"
19.	भावनगर से पाली 4 कि.मी. ग्रेवल सड़क ग्रा. पं. साकदड़ा	"	100	"
20.	सदावास से रावलवास 2.75 कि.मी. मेटल सड़क ग्राम पंचायत लाम्बिया	"	100	"
21.	सम्पर्क सड़क पुनाधर माताजी का मंदिर 3.50 कि.मी. मेटल रोड ग्रा.पं. बोमादड़ा	"	200	"

1	2	3	4	5
22.	पाली राईकों की ढाणी से भालेलाव वाया बोरीनाड़ा ग्रा.पं. भांगेसर	1051-70 4-12-98	200	अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, पाली
23.	रामासिया नाडोल सड़क किनारों का सुदृढ़िकरण 0/0 से 10/0 ग्राम पंचायत हेमावास	"	160	"
24.	रामासिया नाडी सड़क किनारों का सुदृढिकरण 12/0 से 22/0 ग्रा.पं. सांगावास, टेवाली, बूसी,	"	160	"
25.	पाली कुलथाना सड़क किनारों का सुदृढ़िकरण 3/0 से 10/0 ग्राम पंचायत मण्डिया	"	160	"
26.	पाली, कुलथाना सड़क किनारों का सुदृढ़िकरण 10/0 से 16/0 ग्राम पंचायत रूपावास	"	120	"
	योग :–	—	1893	—

ह०
जिला कलक्टर (सहायता)
पाली

परिशिष्ट–'ब'

पंचायत समिति रोहट स्वीकृत कार्य माह नवम्बर, 1998 से 2/99 तक :–

क.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृति श्रमिक सं.	एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5
1.	चारदिवारी रा.प्रा.वि., निम्बली ब्राह्मण	504-609 6-11-99	15	पं.स.रोहट
2.	तहसील भवन रोहट की चारदिवारी	"	20	"
3.	चारदिवारी रा.प्रा.वि.निम्बली पटेलान	"	15	"
4.	साडो विकास कार्य रोहट, ग्रा. पं. रोहट	1322--43/4-1-99	35	"
5.	पटवार भवन भाकरीवाला चारदिवारी	594-609/6-11-99	13	"

1	2	3	4	5
6.	रा.प्रा.वि.भरटोया चारदिवारी	594-609/6-11-99	13	पं.स. रोहट
7.	रा.प्रा.वि.मण्डली दर्जियान भाकरीवाला चारदिवारी	,,	13	,,
8.	रा.प्रा.वि.भाकरीवाला चारदिवारी	,,	19	,,
9.	रा.प्रा.वि. हेजावा चारदिवारी	,,	20	,,
10.	रा.प्रा.वि.सिराणा चारदिवारी	,,	15	,,
11.	रा.उ.प्रा.वि. चेण्डा चारदिवारी	,,	15	,,
12.	रा.प्रा.वि.केरला स्टेशन चारदिवारी	946-69/2-11-99	15	,,
13.	रा.प्रा.वि.धरमधारी चारदिवारी	,,	15	,,
14.	रा.उ.प्रा.वि.सवाईपुरा चारदिवारी	,,	15	,,
15.	पटवार भवन बाण्डाई चारदिवारी	,,	20	,,

1	2	3	4	5
16.	उप स्वास्थ्य केन्द्र चोटिला चारदिवारी	946-69/2-11-99	20	पं. स. रोहट
17.	रा.प्रा.वि.ढाबर चारदिवारी	594-609/6-11-98	12	,,
18.	राजकीय आयुर्वेद अस्पताल चारदिवारी	,,	20	,,
19.	रा.प्रा.वि.मुरड़िया चारदिवारी	,,	20	,,
20.	रा.प्रा.वि.खुटाणी चारदिवारी	,,	17	,,
21.	तालाब विकास कार्य, पचपदरिया	1235-54/24-12-98	20	,,
22.	एक कमरा मय बरामदा रा.मा.वि झीतड़ा	544-609/6-11-98	16	,,
23.	रा.प्रा.वि.झीतड़ा चारदिवारी	,,	25	,,
24.	रा.प्रा.वि.गिरोलिया चारदिवारी	,,	20	,,

1	2	3	4	5
25.	शहिद स्मारक चारदिवारी जेतपुर	1467-91/8-1-99	15	पं. स. रोहट
26.	रा.प्रा.वि.रामपुरा चारदिवारी	554-609/6-11-98	5	"
27.	पंचायत भवन खाण्डी की चारदिवारी	1235-54/24-12-98	20	"
28.	उप स्वास्थ्य केन्द्र खाण्डी की चारदिवारी	"	20	"
29.	रा.प्रा.वि.भीण्डर की अपूर्ण चारदिवारी	1467-91/8-1-99	13	"
30.	रा.प्रा.वि.भीण्डर की चारदिवारी	554-609/6-11-98	13	"
31.	रा.प्रा.वि.सिराणा की चारदिवारी	1467-91/8-1-99	18	"
32.	रा.प्रा.वि.माण्डावास की चारदिवारी	599-609/6-11-98	27	"
33.	रा.प्रा.वि.मुरड़िया चारदिवारी	"	25	"

1	2	3	4	5
34.	रा.प्रा.वि.उन्दरा चारदिवारी	599-609/6-11-98	15	पं. स. रोहट
35.	रा.प्रा.वि.बंसी चारदिवारी	594-609/6-11-98	18	"
36.	तालाब विकास कार्य चाटेलाव	946–69/20-11-98	30	"
37.	रा.उ.प्रा.वि.खारड़ा चारदिवारी	594-609/6-11-98	21	"
38.	रा.उ.प्रा.वि. सिणगारी में दो कमरों का निर्माण	1492-1572/8-1-99	25	"
39.	पंचायत भवन सोनाई लाखा चारदिवारी	594-609/6-11-98	20	"
40.	रा.प्रा.वि. सुकरलाई खुण्डावास चारदिवारी	"	22	"
41.	रा.उ.प्रा.वि.सेदरिया लुण्डावास चारदिवारी	"	20	"

1	2	3	4	5
42.	रा.प्रा.वि. सरदारपुरा की ढाणी चारदिवारी	594-609/6-11-98	20	पं. सं. रोहट
43.	पंचायत भवन सावलता कल्ला जो चारदिवारी	,,	17	,,
44.	वायद बांध नवीनीकरण मरम्मत	727-42/7-11-98	100	अधि.अभि. पाली
45.	झोतड़ा सम्पर्क सड़क कार्य काली पीपल की ढाणी 6 कि.मी. ग्रेवल सड़क 0/0 से 6/0	576-93//4-11-98	70	,,
46.	सम्पर्क सड़क सुकरलाई ग्रा.पं. खुण्डावास	1051-70/4-12-98	60	,,
47.	चोटिला बाडाई से चोटिला 3 कि.मी. मेटल सड़क		200	,,
48.	जवाडिया से खारडा की ढाणी वाया बाल्दो की ढाणी 4 कि.मी. ग्रेवल सड़क	,,	160	,,

1	2	3	4	5
49.	चेण्डा से नया चेण्डा 4 कि.मी. ग्रेवल सड़क	1051-70/4-12-98	80	अधि.अभि. पाली
50.	गढ़वाड़ा से देवल माता मंदिर 1.50 मेटल सड़क	"	100	"
51.	सवाईपुरा से चोटिला रेल्वे क्रोसिंग सड़क	"	120	"
52.	रोहट जालोर सड़क किनारों का सुदृढ़िकरण 51/0 से 60/0	"	160	"
53.	पाली कुलथाना सड़क किनारों का सुदृढ़िकरण 16/0 से 24/0	"	160	"
54.	घुमटी गढ़वाड़ा सड़क किनारों का सुदृढ़िकरण 8/0 से 20/0	"	160	"
55.	रूपावास जेतपुर; मोडावास; खुटानी गेलावास सड़क किनारों का सुदृढ़िकरण 0/0 से 8/0	"	160	"

(श्री देवीसिंह भाटी)

व्यय करने के नियम, निर्देश या निर्णय जारी किये हुए हैं ? बीकानेर न्यास के निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) नगर विकास न्यास बीकानेर में अप्रेल, 1998 से 15 मार्च, 1999 तक विभिन्न प्रकार के क्या-क्या कार्य करवाये/स्वीकृत किये गये ? कार्य आदेश कार्य का नाम, प्रस्तावित राशि व संशोधित कार्य की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) नगर विकास न्यास बीकानेर का वर्ष 1998-99 का वार्षिक बजट कितना है तथा यह राशि किन-किन मदों/कार्यों में व्यय करना प्रस्तावित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास बीकानेर के बजट वर्ष 1998-99 में योजना, प्रयोजना व कच्ची बस्ती विकास हेतु क्रमश: 340.33, 77.00 एवं 25.00 लाख व्यय करने का निर्णय न्यास द्वारा बजट की मीटिंग दिनांक 30-4-98 में लिया गया। सौन्दर्यकरण कार्य विकास कार्यों की परिधि में ही आते हैं। गैर योजना क्षेत्र में व्यय, कुल व्यय अनुमान का अधिकतम 4%. से अधिक किसी भी परिस्थिति में नहीं हो, ऐसे निर्देश समस्त न्यासों को राज्य सरकार दिनांक 11-4-97 द्वारा जारी किये गये हैं। (निर्णय की प्रति संलग्न है)

(2) नगर विकास न्यास बीकानेर में अप्रेल, 1998 से 15 मार्च, 1999 तक विभिन्न प्रकार के करवाये गये कार्यों का विवरण संलग्न है। (कार्यवार सूची संलग्न है)

(3) नगर विकास न्यास बीकानेर के बजट वर्ष 1998-99 में न्यास द्वारा आय व्यय हेतु 1455.70 लाख का प्रस्ताव किया गया। प्रति संलग्न है। इसके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा आय अनुमान 1155.70 लाख एवं व्यय अनुमान 1041.90 लाख का बजट अनुमोदित किया है। (प्रति संलग्न है)

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

कजरिया सैरामिक्स (तिजारा) का ट्रीटमेन्ट प्लांट

539. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील तिजारा (अलवर) स्थित कजरिया सैरामिक्स उद्योग ने क्या ट्रीटमेंट प्लांट लगा लिया है? यदि नहीं, तो प्रदूषित पानी एवं मिट्टी का क्या किया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि प्रदूषित पानी एवं मिट्टी आम रास्ते एवं नदी में डाली जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। इस उद्योग द्वारा ट्रीटमेंट प्लांट लगाया हुआ है।

ट्रीटमेंट प्लांट लगा लिये जाने से उपचारित (Treated) पानी एवं मिट्टी को पुनः उपयोग में लिया जा रहा है जिससे किसी प्रकार के प्रदूषण होने की कोई सम्भावना नहीं है।

(2) जी नहीं। उद्योग द्वारा ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिये जाने के कारण उद्योग से निकलने वाली प्रदूषित पानी एवं मिट्टी को उपचारित कर पुनः कार्य में लिया जा रहा है तथा इस प्रकार प्रदूषित पानी एवं मिट्टी के ग्राम रास्ते व नदी में डालने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

विधान सभा क्षेत्र नोहर के अविद्युतिकृत ग्राम

540. श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नोहर के कुल कितने गांव विद्युतीकरण से वंचित हैं? क्या सरकार उक्त गांवों का विद्युतीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में लम्बित फाइलों के उपभोक्ताओं को तुरंत विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र की नोहर तहसील में कुल 274 ग्राम हैं जिनमें से माह मार्च, 1999 तक 186 गांवों को विद्युतिकृत घोषित किया जा चुका है तथा 88 ग्राम अविद्युतिकृत हैं। अविद्युतिकृत गांवों का विद्युतीकरण शीघ्र करने के प्रयास किये जा रहे हैं। अविद्युतिकृत गांवों की सूची परिशिष्ट 'अ' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त क्षेत्र में कृषि की लम्बित पत्रावलियों का निस्तारण कृषि नीति के अनुसार किया जा रहा है तथा अन्य श्रेणी के कनेक्शन प्राथमिकता के अनुसार आवेदकों द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण करने पर शीघ्र दिये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

परिशिष्ट-'अ'

विधान सभा क्षेत्र नोहर के अविद्युतिकृत ग्रामों की सूची :—

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1	2	3	1	2	3
1.	2 के एम	1/15/1	23.	10 के एन एन	73
2.	15 आर डब्ल्यू डी	4	24.	12 के एन एन	74
3.	16 ,,	6	25.	22 जे एस एन	76
4.	6 पी पी एम	25	26.	21 जे एस एन	86
5.	7 पी पी एम	26	27.	20 जे एस एन	87
6.	5 पी पी एम	27	28.	18 जे एस एन	88
7.	4 पी पी एम	28	29.	1 आर एम एस	92
8.	7 आर पी एम	41	30.	3 आर एम एस	93
9.	9 आर पी एम	42	31.	13 एन टी आर	101
10.	6 आर पी एम	43	32.	15 एन टी आर बी	1/15/102
11.	5 आर पी एम	44	33.	15 एन टी आर ए	103
12.	4 आर पी एम	45	34.	2 बी के के	113
13.	17 के एन एन	46	35.	13 बारानी	116
14.	16 के एन एन	47	36.	25 डी पी एन	123
15.	11 के एन एन	50	37.	24 डी पी एन	124
16.	5 के एन एन	53	38.	16 एन टी आर	129
17.	4 के एन एन	54	39.	14 एन टी आर	13[illegible]
18.	2 के एन एन	55	40.	17 डी पी एन	13[illegible]
19.	4 बारानी	61	41.	14 डी पी एन	13[illegible]
20.	5 जे एस एन	66	42.	8 बारानी	1/15/14[illegible]
21.	5 बारानी ए	68	43.	9 बारानी	14[illegible]
22.	5 बारानी बी	69	44.	11 जी जी एम	15[illegible]

1	2	3	1	2	3
45.	12 जी जी एम	155	67.	मोटेर	284
46.	5 आर एम जी	157	68.	मलखासर	280
47.	19 डी पी एन	161	69.	6 डी डब्ल्यू एम	134
48.	7 आर एम जी	162	70.	2 पी आर के एम	240
49.	दी पताना बारानी	164	71	4 पी आर के एम	241
50.	रानीसर	181	72.	11 एन डब्ल्यू डी	237
51.	जोखासर	182	73.	12 एन डब्ल्यू डी	121
52.	मिनाकदेसर	184	74.	13 एन डब्ल्यू डी	120
53.	नीमला	187	75.	14 एन डब्ल्यू डी	119
54.	कानसर	189	76.	रेख बोदलान	1/14/285
55.	ढाणी रायकान	193	77.	रेख धारियासर	301
56.	ढाणी भाँवान	195	78.	मालासर	203
57.	मादलदेसर	197	79.	दूधली	298
58.	जोजासर	200	80.	रतना देसर	297
59.	टोडियासर	201	81.	लादम	300
60.	बालासर	202	82.	नाइयासर	299
61.	रेखमालिया	203	83.	बिजासर	313
62.	रेखजिन्दरासर	204	84.	कुछासर	304
63.	सांगठिया	1/15/206	85.	रेख जोखासर	289
64.	सीरासर	1/14/287	86.	रेख धारियासर गुनियासर	288
65.	ऊदासर छोटा	283	87.	बन्नासर	286
66.	धीरदेसर	282	88.	रेख-बारनी दनियासर	292

नसीराबाद (अजमेर) में केन्द्रीय सहकारी बैंक का भवन निर्माण

541. श्री नाथूराम (किशनगढ़) एवं श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., अजमेर की शाखा नसीराबाद के भवन निर्माण हेतु कई वर्ष पूर्व भूमि खरीदी हुई है ?

(2) यदि हां, तो नसीराबाद में शाखा भवन का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) नसीराबाद की शाखा भवन का निर्माण बैंक की केन्द्रीय सहकारी बैंक, अजमेर की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने एवं बैंक के भवन कोष में समुचित राशि उपलब्ध होने तथा नसीराबाद 'कैन्टोनमेन्ट बोर्ड' से भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रावासों पर व्यय राशि

542. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 1998-99 में अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावासों के संचालन मरम्मत व अनावर्तक सामान खरीदने हेतु बजट में कितनी राशि का प्रावधान रखा गया था ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त राशि को अब घटा बढ़ा दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) अब तक बजट प्रावधान राशि में से कितना-कितना व्यय किस-किस मद में किया गया ? अनावर्तक सामान इस वित्तीय वर्ष में कितना-कितना, क्या-क्या खरीदा और किस-किस आवासीय विद्यालय व छात्रावास को कितना-कितना, क्या-क्या सामान भेजा गया ?

उत्तर

(1) वर्ष 1998-99 में अनु. जाति जनजाति के छात्रावासों के संचालन मरम्मत एवं अनावर्तक सामान खरीदने हेतु आयोजना एवं गैर आयोजना मद से कुल 1322.80 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

(2) आवश्यकता के अनुरूप उक्त राशि में वृद्धि कर 1395.47 लाख रुपये का संशोधित प्रावधान किया गया है।

(3) छात्रावासों के संचालन पर वर्तमान वर्ष में माह जनवरी 99 तक 852.5[illegible] लाख रुपये, मरम्मत पर 26.00 लाख तथा अनावर्तक सामान क्रय पर 212.00 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। क्रय एवं वितरित किये गये सामान की सूची परि. अ, ब, स पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट–'अ'

दिनांक 8-6-1998 को राज. हाथकरघा विकास निगम से निम्न सामान क्रय हेतु आदेश दिये गये:—

क्र.सं.	नाम वस्त्र	संख्या
1	1	3
1.	गद्दा	5513
2.	कम्बल न्यूजीलैण्ड वूलन	5132
3.	तकिया काटन	5496
4.	पंजादरी	4094
5.	तकिया कवर रंगीन प्रिन्टेड	12328
6.	बैडशीट प्रिन्टेड (सांगानेरी)	12460
7.	खोल रंगीन	6159

राज. राज्य लघु उद्योग निगम से निम्न सामान क्रय करने हेतु कार्यवाही की गई है:—

1.	आयरन बॉक्स छोटे	5315
2.	आयरन बॉक्स बड़े	444 छात्रों को देने हेतु (गद्दे कम्बल आदि सामान रखने हेतु)
3.	थाली	4091

1	2	3
4.	गिलास	4747
5.	तख्त/पलंग	7396
6.	बाल्टी लोहे की	1200
7.	भगोना	252
8.	तवा लोहे का	47
9.	लालटेन	11
10.	टंकी बड़ी	300
11.	टंकी छोटी	151
12.	पानी की टंकी	33
13.	परात	186
14.	कुर्सी	552
15.	टेबल	165
16.	पंखे	1605
17.	जग स्टील	489
18.	मग	1020

परिशिष्ट—'ब'

वित्तीय वर्ष 1998-99 के दौरान आवासीय विद्यालय टोंक एवं घटरू हेतु अनावर्तक व्ययान्तर्गत क्रय किये गये सामान का विवरण:—

क्र.सं.	सामान का नाम	सामान की संख्या	
		टोंक	घटरू
1	2	3	4
क.	विभागीय आदेशान्तर्गत :		
1.	तकिया	40	40
2.	तकिया कंवर प्रिन्टेड	40	40
3.	बैड शीट	80	80
4.	ओ.जी.कम्बल	80	80
5.	गद्दे	40	40
6.	खेस (रंगीन)	40	40
7.	स्टील टेबिल सनमाईका टॉप	40	40
8.	टेबिल मय सनमाईका टॉप	2	2
9.	स्टील फ्रेम कुर्सी	5	5
10.	स्टील टेबल मय सनमाईका टॉप (प्रयोगशाला हेतु)	2	2
11.	स्टील बैंच मय सनमाईका टॉप	6	6
12.	स्टील स्टूल मय सनमाईका टॉप	1	1

1	2	3	4
13.	स्टील अलमारी मय कांच (किताबें रखने हेतु)	1	1
14.	स्टील अलमारी स्माल साइज	2	2
15.	स्टील अलमारी फुल साइज	3	3
ख.	विद्यालय स्तर से :		
1.	थाली	40	40
2.	कटोरी	80	80
3.	गिलास	40	40
4.	चम्मच	40	40
5.	गगरु	30	30
6.	डोंगा	30	30
7.	लोटा	30	30
8.	बाल्टी लोहा	12	12
9.	जग	12	12
10.	टंकी स्टील	2	—
11.	परात पीतल	12	—
12.	भगोना एल्मूनियम	10	—
13.	कढ़ाई (लोहे की)	—	1

परिशिष्ट—'स'

आपूर्ति किये गये माल का विवरण (नगों में)

क्र.सं.	जिले का नाम	गद्दा	तकिया	खेस	दरी	चद्दर	तकिया कवर	कम्बल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अजमेर	65	50	285	121	570	495	0
2.	भीलवाड़ा	193	514	351	374	811	824	678
3.	नागौर	270	225	210	135	210	245	145
4.	टोंक	206	230	105	170	265	395	305
5.	बीकानेर	157	0	90	0	177	119	0
6.	चूरू	0	50	0	0	0	50	210

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	हनुमानगढ़	50	50	25	50	75	0	50
8.	श्रीगंगानगर	275	340	340	0	610	615	175
9.	अलवर	285	335	150	6	375	520	40
10.	भरतपुर	135	150	160	125	290	390	155
11.	दौसा	150	245	125	300	470	790	250
12.	धौलपुर	0	0	25	0	0	0	0
13.	जयपुर	180	260	435	200	965	710	125
14.	झुन्झुनूं	15	175	85	25	290	245	35
15.	सीकर	35	60	118	53	195	195	115
16.	बाड़मेर	170	280	230	149	190	280	215

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	जैसलमेर	40	40	40	0	80	80	80
18.	जालौर	50	55	55	0	200	70	105
19.	जोधपुर	235	185	25	25	0	135	50
20.	पाली	210	125	120	130	690	0	175
21.	सिरोही	20	0	0	0	0	100	50
22.	बारां	15	0	40	0	215	40	0
23.	बून्दी	137	37	125	75	275	225	80
24.	झालावाड़	70	70	30	95	187	215	77
25.	कोटा	250	400	385	200	660	800	490
26.	सवाईमाधोपुर	175	150	50	200	125	309	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	बांसवाड़ा	535	430	590	300	810	675	505
28.	चित्तौड़गढ़	105	255	205	146	505	965	160
29.	डूंगरपुर	465	260	885	185	1620	1620	440
30.	राजसमन्द	90	55	85	35	280	245	75
31.	उदयपुर	730	470	790	500	1320	985	275
	योग:-	5313	5496	6159	3599	12460	12328	5132

प्रताप नगर (सांगानेर) जयपुर की योजना में व्याप्त अनियमितताएं

543. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आवासन मण्डल द्वारा प्रताप नगर (सांगानेर) में उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग एवं अल्प वर्ग के मकान निर्मित करवाये हैं ? यदि हां, तो कितने-कितने, किस-किस सेक्टर में, उनमें से कितने पूर्ण हो चुके हैं एवं कितने अपूर्ण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रताप नगर सांगानेर में बने मकानों में काफी अनियमितताएं हुई हैं ? क्या उक्त निर्माण कार्यों में निम्न स्तर की सामग्री काम में ली गई है ? यदि हां, तो क्यों, किसके आदेश से, इसमें कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं और सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार उक्त निर्माण कार्यों में हुई अनियमितताओं की जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि उक्त योजना में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने अनियमितता करी हैं उनको निलम्बित एवं वहां से स्थानान्तरण भी किये गये हैं ? यदि हां, तो कितनों के कहां-कहां पर ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना की समस्त पत्रावली विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा जब्त कर और जांच करवाई जा रही है ? यदि हां, तो उक्त जांच के अब और क्या परिणाम आ रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । आवासन मण्डल ने प्रताप नगर, सांगानेर योजना में उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग (अ) एवं (ब), अल्प वर्ग तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के मकान निर्मित कराये हैं । प्रताप नगर योजना में दिनांक 28-2-99 तक कुल 16587 आवासों का निर्माण कार्य शुरु कर 15359 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया है एवं 1228 आवासों का निर्माण कार्य अपूर्ण है । प्रताप नगर योजना में सेक्टरवार व श्रेणीवार विवरण संलग्न है । (परिशिष्ट-'अ')

(2) कार्य-आदेश से ज्यादा का कार्य बिना स्वीकृति के करवाये जाने में पाई गई अनियमितता के कारण कार्यवाही की गई है । जांच जारी है । जांच रिपोर्ट आने पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(3) कार्य आदेश से ज्यादा का कार्य बिना स्वीकृति के करवाये जाने के समुचे प्रकरण में जांच हेतु अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मंडल द्वारा एक समिति का गठन

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

कार्यालय आदेश क्रमांक 826, दिनांक 8-3-99 द्वारा किया गया है। आदेश की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-'ब')

(4) जी हां। प्रथम दृष्टिया प्रकरण से संबंधित 4 अधिकारियों/कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है तथा 12 अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया है। कार्यालय आदेश संलग्न है। (परिशिष्ट-'स' 1 से 8)

(5) सम्बन्धित पत्रावलियां वर्तमान में कार्यरत आवासीय अभियंता के अधीन सुरक्षित रखवा दी गई है तथा जांच अभी जारी है। जांच का परिणाम अभी अपेक्षित है। विवरण प्राप्त होते ही प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला जैसलमेर के विशेष कृषि कनेक्शन

544. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जैसलमेर में कृषि विद्युत कनेक्शन कितने हैं और वर्तमान में कितने आवेदन–पत्र विचाराधीन हैं ?

(2) क्या यह सही है कि लाठी चांदन क्षेत्र में विशेष कनेक्शन देने की योजना है? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला जैसलमेर में कुल 664 कृषि कनेक्शन हैं तथा वर्तमान में कृषि कनेक्शन हेतु 393 आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं।

(2) जी नहीं। लाठी चांदन क्षेत्र में विशेष कृषि कनेक्शन देने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। राज्य में अन्य क्षेत्रों की भांति इस क्षेत्र में भी कृषि नीति के अनुसार कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

रायपुर (पाली) के स्वीकृत अकाल राहत कार्य

545. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) माह अक्टूबर, 1998 से फरवरी, 1999 तक पाली, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा में कितने–कितने श्रमिक राहत कार्यों पर कार्यरत हैं ? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिलों में उक्त अवधि में कार्यवार, कितनी–कितनी राशि सरकार द्वारा आवंटित की गई ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला पाली में श्रमिक संख्या व राहत कार्य कम स्वीकृत करने के क्या कारण हैं ?

(श्री हीरासिंह चौहान)

(4) तहसील रायपुर (पाली) में उक्त अवधि में कितने कार्य स्वीकृत किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त तहसील में अकाल राहत कार्य नहीं खोलने के कारण जनता द्वारा ज्ञापन दिया गया था ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में और राहत कार्य खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) माह अक्टूबर, 1998 से फरवरी, 1999 तक पाली, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा में राहत कार्यों पर कार्यरत श्रमिकों का जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-1)

(2) राहत कार्यों हेतु श्रमिक सीमा के आधार पर राशि आवंटित की जाती है। उक्त जिलों में आवंटित की गई राशि का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-2)

(3) पाली जिले में 667 राहत कार्य 23496 श्रमिकों के लिए स्वीकृत किये गये हैं। प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार पर्याप्त मात्रा में कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

(4) तहसील रायपुर में पंचायत समिति के 47 कार्य, सिंचाई के 3 कार्य तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग का 1 इस प्रकार कुल 51 कार्य स्वीकृत हैं।

(5) राहत कार्यों के प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार कार्य स्वीकृत किये जा रहे हैं। जिले को आवंटित श्रमिक सीमा के अनुसार राहत कार्य स्वीकृत किये जायेंगे।

परिशिष्ट–1

अक्टूबर, 1998 से फरवरी, 1999 तक स्वीकृत राहत कार्यों पर कार्यरत श्रमिकों का माहवार विवरण :

क्र.सं.	नाम जिला	अक्टूबर, 1998	नवम्बर, 1998	दिसम्बर, 1998	जनवरी, 1999	फरवरी, 1999 (15-2-99)
1.	पाली	1051	4116	8217	11533	10741
2.	उदयपुर	4155	3292	6459	36698	36218
3.	जोधपुर	725	1340	3565	6725	14996
4.	भीलवाड़ा	8452	17109	34418	59982	58487
5.	अजमेर	10419	24794	31566	34525	34525

परिशिष्ट–2

क्र.सं.	नाम जिला	आवंटित राशि (लाखों में)
1.	पाली	1200.00
2.	उदयपुर	2065.00
3.	जोधपुर	1043.60
4.	भीलवाड़ा	3382.00
5.	अजमेर	3052.48

परिशिष्ट–6

(तारांकित प्रश्न संख्या-529 की सूची)

परिशिष्ट–'अ'

उपखण्ड राजगढ़ पंचायत समिति, राजगढ़ के गत पांच वर्षों में विद्युतीकृत ग्रामों का वर्षवार विवरण ।

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	विद्युतीकृत दिनांक
1	2	3	4
	वर्ष 93-94		
1.	गालर	3/2/18	31-3-94
2.	ताम्बा खेड़ी	3/2/20	31-3-94
3.	धानोती छोटी	3/2/21	28-2-94
4.	धानोती बड़ी	3/2/22	30-11-94
5.	ढ़ोंगियावास	3/2/26	30-11-93
6.	सेम्रोवा	3/2/68	28-2-94
	वर्ष 1994-95		
7.	रेजरी	3/2/19	3/95
8.	कानसन	3/2/31	3/95
9.	बिरमी खालसा	3/2/32	3/95
10.	भामसारा	3/2/37	3/95
11.	धाधल लेसू	3/2/53	3/95
12.	लूटाना राजू	3/2/81	3/95
13.	लूटाना मागनी	3/2/82	3/95
14.	लूटाना पूरन	3/2/85	3/95

1	2	3	4
15.	लहूसेड़ी	3/2/86	3/95
16.	कालरी	3/2/151	3/95
	वर्ष 1995-96		
17.	चूबकियागढ़	3/2/12	4/95
18.	किशनपुरिया	3/2/15	3/96
19.	रतनपुरा	3/2/120	3/96
	वर्ष 1996-97		
20.	बास सेम्रोबा	3/2/67	3/97
21.	धांधल मेरा	3/2/76	20-11-96
22.	लूडो सूबा	3/2/78	20-11-96
23.	हरपालू राम सुख	3/2/101	20-11-96
	वर्ष 1997-98		
24.	धोलिया	3/2/13	1/98
25.	रामशरा टोबा	3/2/14	3/98
26.	धोलिया	3/2/66	3/98
27.	मांगला	3/2/73	1/98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	खुर्रा निर्माण लुहारीवालों की गली वार्ड-16	6420-30 23-8-96	30000	20,000	50,000	1,00,000	1,00,059	पूर्ण
4.	खुर्रा मय नाली सोहनलाल से रतनसिंह वार्ड-10	2792-99 19-6-97	45000	....	45,000	90,000	90,573	,,
5.	सीमेन्ट, कंकरीट सड़क मय नाला नागर कन्दोई	10251-56 26-11-92	100000	....	1,00,000	2,00,000	1,55,423	,,
6.	खुर्रा मय नाली मोहनलाल सेवग से लक्ष्मीनारायण प्रजापत तक	12740-50 26-11-97	50000	....	50,000	1,00,000	99,111	,,
7.	खुर्रा मय नाली लक्ष्मी-नारायण प्रजापत से प्रतापसिंह पूनिया तक	,,	50000	....	50,000	1,00,000	99,996	,,
8.	रिकार्पेट कार्य एवं ईंटों की सड़क मांगीलाल पारीक से मगतुराम मोहता एवं	,,	50000	....	50,000	1,00,000	57,414	नोट-रिकार्पेट के कार्य के स्थान पर सीमेन्ट कंकरीट की

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	छोटूलाल से भूतड़ों की हवेली तक							सड़क बनाने की संशोधित स्वीकृति के कारण कार्य अधूरा है। स्वीकृति प्राप्त होते ही पूर्ण कर लिया जावेगा।
9.	सीमेन्ट कंकरीट सड़क मय नाला कोठारी बिल्डिंग से सर्वहितकारिणी सभा तक	12740-50 26-11-97	2,00,000	....	2,00,000	4,00,000	3,34,029	पूर्ण
10.	नूर मोहम्मद से राधेश्याम स्वामी तक वार्ड नं. 24 में मय खुर्रा, नाली	3824-29 12-6-98	3,500	....	3,500	7,000	4,898	कार्य में न्यायालय विवाद होने के कारण नाली का कार्य शेष है।
	योगः-		6,18,500	30,000	6,48,500	12,97,000	11,83,557	

ह०
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, राजगढ़ (चूरू)

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-673 की सूची)

परिशिष्ट-'क'

क्र.सं.	अधिकारी/कर्मचारी/फर्म का नाम	पद	जांच विषय
1.	श्री राजपाल चौधरी	वरिष्ठ प्रारूपकार	अनुशासनहीनता व अभद्रता
2.	श्री राजपाल चौधरी	वरिष्ठ प्रारूपकार	कर्मचारियों को आतंकित करना.
3.	श्री राजपाल चौधरी	वरिष्ठ प्रारूपकार	डरा धमका कर कर्मचारियों से पैसे वसूलना
4.	श्री राजपाल चौधरी	वरिष्ठ प्रारूपकार	पूर्व अध्यक्ष महोदय के साथ अभद्र व्यवहार
5.	श्री अब्दुल मजीद	कनिष्ठ लिपिक	पूर्व अध्यक्ष महोदय के साथ अभद्र व्यवहार
6.	श्री रामचन्द्र पूनिया	हेल्पर	कर्मचारियों से मारपीट करने
7.	श्री गोविन्दा नाटाणी	कनिष्ठ लेखाकार	संस्थान के धन का दुरुपयोग
8.	श्री गोविन्दा नाटाणी	कनिष्ठ लेखाकार	अपूर्ण व अनियमित लेखा करने बावत
9.	मैसर्स दुर्गा कंस्ट्रक्शन कम्पनी	ठेकेदार	विद्याधर नगर में बनाए आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के 28 मकानों में की गई वित्तीय अनियमितता ।

उक्त वर्णित जांच कार्यों में से क्रम संख्या 1 से 6 व 9 तक प्रगति पर/जांच आरम्भ की जानी है, जबकि क्रम संख्या 7 का जांच कार्य पूर्ण हो चुका है व अग्रिम कार्यवाही प्रगति पर है तथा 8 में जांच कार्य प्रारंभ होनी है ।

ह.

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-674 की सूची)

विद्याधर नगर सेक्टर नं. 8 बस स्टेण्ड के पास की भूमि पर किये निर्माण (अतिक्रमणियों) की सूची।

क्र.सं.	नाम (अतिक्रमणो)
1	2
1.	श्री कानाराम पुत्र श्री नानकराम एवं श्री गोपाल पुत्र श्री नानकराम
2.	श्री भंवर पुत्र श्री नाथू
3.	श्री गोपाल (पुजारी)
4.	श्री राकेश पुत्र श्री जगन्नाथ
5.	श्री हनुमान पुत्र नानकराम
6.	श्री सुमन पुत्र श्री कन्हैयालाल टेलर
7.	श्रीमती नंदा देवी पत्नी श्री सुजाराम
8.	श्री जगदीश
9.	श्री रामनिवास चौधरी
10.	श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री नाथूराम एवं श्रीमती चौथी देवी पत्नी घासीराम
11.	श्री सत्यनारायण पुत्र श्री दामोदर
12.	श्रीमती विमलादेवी पत्नी नाथूराम एवं श्रीमती चौथीदेवी पत्नी घासीराम
13.	श्री लक्ष्मीनारायण मिण्डा पुत्र श्री प्रभातीलाल
14.	श्रीमती सुरजीदेवी पत्नी श्री राम चौधरी
15.	श्रीमती राजूदेवी पुत्री श्री घासीराम
16.	श्री बाबूलाल पुत्र श्री चौथू

1	2
17.	श्री राम चोधरी पुत्र श्री मोताराम
18.	श्री बाबूलाल पुत्र श्री महादेव
19.	श्री गंगाराम पुत्र श्री मेवाराम
20.	श्रीमती मोहरी देवी पत्नी रूपाराम चोधरी
21.	श्री गोविन्द सहायक पुत्र श्री श्यामलाल खटीक
22.	श्री मनोज नागर पुत्र श्री मक्खनलाल
23.	श्री जगन्नाथ ठेकेदार पुत्र श्री बेनीराम
24.	श्री धोलाराम पुत्र श्री सोहन
25.	श्री मंगल पुत्र श्री दीनाराम
26.	श्री सुखजी पुत्र श्री हनुमान
27.	श्रीमती जमना पुत्री छोटू
28.	श्री मनोहरसिंह पुत्र गणपत सिंह
29.	श्री महेन्द्रसिंह पुत्र श्री नाथूलाल
30.	श्री श्रवण पुत्र बाबूलाल सैनी
31.	श्री लालाराम पुत्र छोटूराम मीणा

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या—683 की सूची)

परिशिष्ट—'क'

क्र.सं.	पद नाम	नियुक्तियों की संख्या
1	2	3
	(अ) मंत्रालयिक संवर्ग	
1.	सहायक कार्मिक अधिकारी	35
2.	विधि सहायक	4
3.	लेखाकार	19
4.	कनिष्ठ लेखाकार	277
5.	स्टेनो-द्वितीय	198
6.	स्टेनो टाईपिस्ट	74
7.	सांख्यक	21
8.	संगणक	321
9.	वरिष्ठ लिपिक	425
10.	कनिष्ठ लिपिक	3107
11.	प्रोग्रामर	1
12.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1304
	(ब) अधीनस्थ तकनीकी संवर्ग	
1.	सहायक-द्वितीय	2698
2.	सहायक-प्रथम	859
3.	मोटर रोडर-द्वितीय	1144
4.	आपरेटर—तृतीय	51
5.	लोको फिटर-चतुर्थ	1

1	2	3
6.	पाइन्टमैन	3
7.	मेट	1
8.	फायरमैन	4
9.	कैरिज फिटर	1
10.	ग्रापरेटर-द्वितीय	223
11.	ब्लेकस्मिथ-द्वितीय	1
12.	मैकेनिक-द्वितीय (डीजल) ट्रेनी	9
13.	मैकेनिक-द्वितीय (इन्सट्रूमेंट)	9
14.	मैकेनिक-द्वितीय(तकनीकी)	17
15.	कैरिज फिटर-द्वितीय	6
16.	पेन्टर-द्वितीय	1
17.	सेम्पल कलक्टर	1
18.	लीड फायर	5
19.	इलेक्ट्रिशियन-द्वितीय/ट्रेनी	441
20.	एस.बी.ए. द्वितीय/ट्रेनी	197
21.	रेडियो मैकेनिक-द्वितीय	81
22.	फिटर-द्वितीय/ट्रेनी	174
23.	वायरमैन-द्वितीय/ट्रेनी	4
24.	सहायक लोको आपरेटर	2
25.	पम्प आपरेटर	13
26.	वाहन चालक	262
27.	एम.टी.आर.-तृतीय	175
28.	एम.टी.आर.-द्वितीय	136
29.	फिटर	7
30.	वैल्डर-द्वितीय	5

1	2	4
31.	डोजर आपरेटर	8
32.	इलेक्ट्रिशियन-प्रथम	5
33.	मैकेनिक-प्रथम	2
34.	आपरेटर-प्रथम/लोको आपरेटर–प्रथम	29
35.	सब फायर आफिसर	1
36.	वेल्डर-प्रथम	1
37.	सीनियर सुपरवाईजर	8
38.	सुपरवाईजर-द्वितीय	5
39.	सीनियर आपरेटर ग्रेड प्रथम	28
40.	एम.टी.आर.-प्रथम	164
41.	एस.एस.ओ.-प्रथम	23
42.	सब स्टेशन सुपरवाईजर ग्रेड-द्वितीय	327
43.	सब इंजीनियर ट्रेनी/सब इंजीनियर्स	417

परिशिष्ट–11

(अतारांकित प्रश्न संख्या–684 का विवरण)

परिशिष्ट–"अ"

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (प व स) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, चूरू.

चूरू जिले में स्ट्रीट लाइट के कनेक्शनों में नगरपालिका/नगर परिषद, ग्राम पंचायत में बिल की बकाया राशि का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	नगरपरिषद/नगरपालिका/ग्राम पंचायत का नाम	बकाया राशि (लाखों में) 2/99	विद्युत कनेक्शन काटने की दिनांक(यदि काटा है तो)
1	2	3	4
1.	चूरू	44.77	11–3–99
2.	रतननगर	1.45	10-3-99
3.	सादुलपुर	3.99	—
4.	तारानगर	3.72	—
5.	रतनगढ़	12.71	—
6.	राजलदेसर	0.76	—
7.	श्री डूंगरगढ़	16.48	—
8.	सरदारशहर	40.36	—
9.	सुजानगढ़	15.81	—
10.	बीदासर	0.71	—
	ग्राम पंचायत		
11.	पूवासर	0.04	स्थाई विद्युत संबंध विच्छेद
12.	कंवारी	0.11	,, ,,

1	2	3	4
13.	गोरीसर	0.01	स्थाई विद्युत सम्बन्ध विच्छेद
14.	मोतीसर	0.14	" "
15.	खुटेरा	0.04	" "
16.	सांडवा	0.11	" "
	कुल बकाया राशि	141.21	

ह.
अधीक्षण अभियंता (प व स)
रा. रा. वि. मण्डल, चूरू

परिशिष्ट–'ब'

गत तीन माह में (जनवरी, 1999 से मार्च, 1999 तक) चूरू शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत मोटर खराब होने की प्राप्त शिकायतों की सूची :–

क्र.सं.	उपभोक्ता का नाम	गांव का नाम	खाता संख्या	शिकायत प्राप्ति की तिथि
1	2	3	4	5
1.	श्री मालचन्द	चूरू	1610/10	2-1-99
2.	,, कुशालसिंह	,,	1606/94	,,
3.	,, सत्यनारायण	,,	1502/180	4-1-99
4.	,, जगनाराम	,,	2105/99	,,
5.	,, चन्दसिंह	,,	1606/144	6-1-99
6.	,, फतेखां	,,	2309/196	,,
7.	,, रामचन्द्र	,,	1607/170	,,
8.	,, रमजान	,,	1607/99	8-1-99
9.	,, राधेश्याम	,,	3051/166	11-1-99
10.	,, बनवारी लाल	,,	2406/79	,,

1	2	3	4	5
11.	श्रीमती कान्ता देवी	चूरू	2406/79	13-1-99
12.	श्री बनवारी लाल	,,	1804/65	15-1-99
13.	,, पवन कुमार	,,	1801/135	20-1-99
14.	,, राजेन्द्र कुमार	,,	2105/233	21-1-99
15.	,, रामचन्द्र	,,	1701/76	22-1-99
16.	,, श्याम लाल	,,	1703/171	,,
17.	,, सहायक वन संरक्षक	,,	2106/124	,,
18.	,, विनायक इन्स्प.	,,	1071/198	,,
19.	श्रीमती भंवरी देवी	चूरू	1705/209	27-1-99
20.	श्री इन्दरसिंह	,,	1606/95	28-1-99
21.	,, भगवत दत्त	,,	1608/48	,,
22.	,, नारूमल	,,	1705/74	,,
23.	,, राधा किशन	,,	1701/169	29-1-99
24.	,, देवी दत्त	,,	1806/32	30-1-99
25.	,, लाल सिंह	,,	1706/151	,,

1	2	3	4	5
26. श्री	राज कुमार	चूरू	2403/2	2-2-99
27. ,,	जीवन मल	,,	1802/45	,,
28. ,,	पन्ना लाल	,,	2308/251	3-2-99
29. ,,	ब्रज लाल	,,	1702/154	4-2-99
30. ,,	सुभ करण	,,	1802/54	8-2-99
31. ,,	शैलेन्द्र कुमार	,,	1702/88	9-2-99
32. ,,	भोला राम	,,	2204/21	9-2-99
33. ,,	यूनुस अली	,,	1501/105	,,
34. ,,	बालू खां	,,	1707/52	11-2-99
35. ,,	प्रेम राज	,,	1603/170	,,
36. ,,	राकेश शर्मा	,,	2310/107	,,
37. ,,	ब्रजराज	,,	2101/33	,,
38. ,,	मोती लाल	,,	1701/147	,,
39. ,,	बृजेन्द्र सिंह	,,	2309/214	15-2-99
40. ,,	किशना राम	,,	2309/289	16-2-99

1	2	3	4	5
41.	श्री सोहन लाल	चूरू	1602/150	17-2-99
42.	,, अलीम खां	,,	1506/73	,,
43.	,, कन्हैया लाल	,,	1501/113	,,
44.	,, सुगंधचन्द	,,	1602/17	18-2-99
45.	,, आमीन	,,	2104/217	,,
46.	,, शंकर लाल	,,	1502/66	,,
47.	,, पन्ना लाल	,,	1707/98	19-2-99
48.	,, प्रेम शर्मा	,,	2101/42	20-2-99
49.	,, महावीर	,,	1501/209	23-2-99
50.	,, अशोक	,,	1502/48	24-2-99
51.	,, नानू	,,	2210/78	,,
52.	,, सागर मल	,,	2302/80	,,
53.	,, लिक्ष्मीचन्द	,,	2405/117	26-2-99
54.	,, बहादुर राम	,,	2303/108	,,
55.	,, सुशील कुमार	,,	1704/21	,,
56.	,, लाला राम	,,	1603/147	28-2-99

1	2	3	4	5
57.	श्री घने खां	चूरू	1502/15	3-3-99
58.	श्रीमती सुगन कंवर	..	2101/84	9-3-99
59.	श्री नानूराम	..	2204/210	..
60.	,, मैनेजर स्त्री आश्रम	..	2105/153	..
61.	,, श्रवण कुमार	..	2102/203	..
62.	,, दैनिक विश्राम गृह	..	2308/75	12-3-99
63.	,, सुभान अली	..	1607/94	15 3-99
64.	,, भाणी राम	..	2102/33	..
65.	,, महादेव	..	1609/27	16-3-99
66.	,, मोती	..	2403/36	17-3-99
67.	,, शोकत अली	..	1610/127	22-3-99
68.	,, देबूराम	..	2402/13	..
69.	,, बसन्त लाल	..	1105/172	22-2-99
70.	,, विनय कुमार	..	2201/230	..
71.	,, छपाराम	..	2102/83	23-3-99

1	2	3	4	5
72.	श्री कोडूराम	चूरू	1510/21	24-3-99
73.	,, महादेव	..	2302/12	..
74.	,, सलीम	..	1706/6	30-3-99
75.	,, प्रधानाध्यापिका	..	2309/146	..
76.	श्रीमती सावित्री देवी	..	1805/99	..
77.	श्री गुलाब सिंह	लसाउ	2407/112	1-1-99
78.	,, रूप सिंह	..	2407/113	2-1-99
79.	,, सादर खां	..	2407/52	..
80.	,, राम निवास	खंडवा	2406/37	4-1-99
81.	,, मालाराम	मोलीसर	2404/141	7-1-99
82.	,, रामेश्वर लाल	रतन नगर	2306/29	7-1-99
83.	,, सूरा राम	..	....	16-1-99
84.	,, बहादुर सिंह	..	1608/53	18-1-99
85.	,, सुलतान सिंह	..	1609/67	..
86.	,, रावंता राम	..	2208/35	..
87.	,, मालाराम	..	2208/36	..

1	2	3	4	5
120.	श्री यासीन	लाखाउ	2407/220	11.3.99
121.	,, गोविन्द राम	रतन नगर	2304/124	12.3.99
122.	,, भोलाराम	मुनीम जी ढाणी	1502/16	15.3.99
123.	,, बनेचन्द	सूरतपुरा	2101/196	..
124.	,, सोहन लाल	..	1611/04	17.3.99
125.	,, मंगला राम	सिरसला	1604/18	18.3.99
126.	,, बहादुर सिंह	जासासर	1801/44	22.3.99
127.	,, नथु राम	पिसीसर	2205/62	..
128.	,, उत्तम सिंह	बरडादास	2401/117	..
129.	,, नेत्रराम	जोडी	1701/11	23.3.99
130.	,, निराणाराम	जासासर	1801/70	26.3.99
131.	,, सत्यनारायण	..	1812/126	..
132.	,, दुर्गाराम	घंटेल	1501/201	27.3.99
133.	,, राजू सिंह	लाखाउ	2407/143	30.3.99
134.	,, सन्तोष कुमार	जोडी	1701/45	5.3.99

1	2	3	4	5
135.	श्री यूसूफ खां	राणासर	1706/53	4.3.99
136.	,, नथूराम	उटबालियां	1705/155	18.3.99
137.	,, धन्ने सिंह	चलकोई	1702/24	15.3.99
138.	,, भैरा राम	खासोली	1705/203	17.3.99
139.	,, श्याम लाल	सहनाली बड़ी	2106/20	5.4.96
140.	,, गोधूराम	नाकररसर	1807/86	23.3.99
141.	,, चूनाराम	बीनासर	2209/26	26.3.99
142.	,, पोद्धारधर्मथं	रतन नगर	....	....
143.	,, लिक्ष्मण राम	जसासर	1801/70	....

not available such a pensioer shall have an option either to continue to avail medical facility on the basis of diary or in lieu of it he may get fixed medical allowance of Rs. 100/- per month for outdoor treatment. The payment shall be made by the Treasury Officer or Sub-Treasury Officer by making entry in the pensioers' medical diary.

(ii) For the aforesaid purpose a 'remote area' will be dealared by the respective District Collector considering that within a sphere of 10 kms from the place of residence (village) there is no authorised medical shop for pensioners.

(vii) At the end of existing para 11, the following new para 11A and 11B shall be inserted namely :-

"11.A. Issurance of non-availability certificate to the pensioers in respect of medicines not available at co-operative medical shops.

(i) In case the medicines preseribed by the Authorised Medical Attendant in the medical diary of the pensioner are not available with the co-operative medical shop the incharge of the shop shall issue a non-availability certificate to the pensioer.

(ii) The respective co-operative institution will authorise private shops for making available medicines without charging any amount from the pensioners on production of non-availability certificate issued by the co-operative medical shop.

(iii) The authorsed private shop-keeper will claim charges of the medicines made available by him free of cost to the pensioner on the basis of NAC issued by the co-operative medical shop. There shall be an arrangement between the authorised private shop keeper and the respective co-operative institution for payment of the cost of medicines supplied free of cost to the pensioner on production of NAC.

(iv) The co-operative institution shall claim reimbursement from the Rajasthan pensioers Medical Fund of the cost of medicines supplied by the co-operative medical shop including cost of medicine supplied by the authorised private medical shop from the concerned District Collector who shall make payment after usual serutiny.

NOTE : Co-operative madical shop means shops run by :

1. Rajasthan Sahakari Upbhokta Sangh.
2. Upbhokta Wholesale Bhandar.
3. Kraya-Vikraya Sahkari Samiti.

"11 B (i) The Pensioer family pensioner shall have an option either to avail himself of medical facility under Allopathic or Ayurvedic or Homeopathic system of treatment under the Scheme. The pensioner shall be required to exercise his her option for Ayurved or Homeopathy in writing otherwise it will be deemed that he she has opted for treatment under Allppathy.

(ii) For the purpose of treatment under Ayurved or Home-

opathy, only such medicines shall be made available to the pensioers free of cost which are included in the list of reimbursable medicines (positive list) under the Rajasthan Civil Services (Medical Attendance) Rules; 1970; The Authorised Medical Attendant shall be as per the Rajasthan Civil Services (Medical Attendance) Rules; 1970. In cases where Co-operative Ayurvedic shops are already Iunctioning for Government servants these shops shall supply free medicines to pensioners also let supply of Ayurvedic or Homeopathic medicines to pensioners, where there are no co-operative shops respective Callectors shall authorise private shops for supply of free medicines to the pensioners.

These order shall come into force with immediate effect.

By order of the Governor
Sd/-
(Dr. Adarsh Kishore)
Principal Secretary to the
Government.

परिशिष्ट–13

(अतारांकित प्रश्न संख्या–698 का प्रारूप)

परिशिष्ट–1

छात्रावास सुविधा देने हेतु मार्ग दर्शन

(अ) प्रथम वरीयता :

पाठ्यक्रम अवधि तक

1. कम्प्यूटर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले जनजाति शिक्षार्थियों को आवासीय सुविधा ।

2. फेलोशिप में चयनित शिक्षार्थी जो संस्थान में रहकर पी. एच. डी./नेट/स्लेट की तैयारी करेंगे/ प्री.पी.जी. की तैयारी करेंगे ।

3. राजस्थान राज्य/भारतीय प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षा में बैठने वाले जनजाति शिक्षार्थी ।

(ब) द्वितीय वरीयता :

4. अस्थायी आवास सुविधा के लिए पात्रता (पाठ्यक्रम अवधि तक)

(i) जनजाति विकास विभाग से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों -जन-प्रतिनिधियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने वाले संभागी तथा अध्यापन कराने वाले अतिथि वक्ता ।

(ii) संस्थान द्वारा आयोजित अल्पकालीन पाठ्यक्रम-- (पी.एम.टी/पी.ई.टी/बैंकिंग/कम्प्यूटर/आर.ए.एस (प्रा.)/आई.ए.एस (प्रा.) आदि)

(iii) विभाग तथा संस्थान द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी/कार्यशाला सेमीनार में भाग लेने वाले संभागी/विषय विशेषज्ञ ।

(iv) जनजाति विषयों पर शोध करने वाले शोधार्थी ।

(v) उदयपुर शहर की किसी भी शैक्षणिक संस्थान में नियमित अध्ययन करने वाले/नौकरी करने वाले जनजाति शिक्षार्थियों को कोचिंग तथा अस्थाई प्रशिक्षण हेतु आवास की सुविधा देय नहीं होगी। उदयपुर शहर के 25 कि.मी. क्षेत्र में रहने वाले प्रशिक्षणार्थी यदि छात्र हो तो उन्हें भी छात्रावास सुविधा देय नहीं होगी।

(vi) आवास में बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा उपयोजना क्षेत्र के दूर दराज के छात्रों को तथा प्रवेश परीक्षा में अधिकतम अंक वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(vii) पाठ्यक्रम की अवधि समाप्त होते ही आवास खाली करना होगा।

नोट:—अनुशासन हीनता/अभद्र आचरण तथा कक्षा में अनियमित रूप से उपस्थित रहने वाले अथवा संस्थान के निदेशक के निर्देशों की पालना न करने वाले शिक्षार्थी को किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के छात्रावास सुविधा से वंचित किया जा सकता है।
